चतुर्थ माला, खंड VIII, अंक 51
Fourth Series, Vol. VIII, No. 51

शुक्रवार, 28 जुलाई, 1967/6 श्रावण, 1889 (शक)
Friday, July 28, 1967/Sravana 6, 1889 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र
Second Session]

[खंड VIII में अंक 51 से 62 तक हैं
Vol. VIII contains Nos. 51 to 62]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय–सूची / CONTENTS

अंक 51 शुक्रवार, 28 जुलाई, 1967 / 6 श्रावण, 1889 (शक)

No. 51 Friday, July 28, 1967 / Sravana 6, 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर / ORAL ANSWERS TO QUESTIONS :

ता. प्र. सं./S. Q.Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1441	पम्पिंग सेट	Pumping Sets	1-5
1442	रेलगाड़ी के डिब्बों में पेय जल	Drinking Water in Railway Compartments ..	5-6
1443	पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशनों पर पानी की कमी	Shortage of Water at Stations on the N. E. Railway	6-7
1444	जाली रेलवे टिकटों की बिक्री	Selling of Fake Railway Tickets	8-10
1445	अखिल भारतीय छोटी कागज मिल संगठन	All-India Small Paper Mills Association	10-12
1447	धोतियों और साड़ियों का उत्पादन	Production of Dhoties and Sarees.. ..	12-13
1448	गुजरात में अल्युमीनियम का कारखाना	Aluminium Plant in Gujarat ..	14-15
1449	सरकारी चाय भाण्डागार	Public Tea Warehouse ...	15-16
1450	लौह अयस्क का निर्यात	Export of Iron Ore	17
अल्प सूचना प्रश्न /S. N. Q.			
37	पश्चिम बंगाल में रेलवे यातायात का अस्त-व्यस्त हो जाना	Dislocation of Train Services in West Bengal ...	18-24

---

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign+ marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him,

प्रश्नों के लिखित उत्तर / WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS:

तारांकित प्रश्न संख्या /S.Q Nos.		
1446 ट्रान्सफारमरों का निर्माण	Manufacture of Transformers	24-25
1451 पैनिकर्स रिएक्शन	'Panickers Reaction' ..	25
1452 शीट पाइल्स बनाने के लिये 'इस्कों' को विश्व बैंक से ऋण	World Bank Loan for 'IISCO' for Manufacture of Sheet Piles	25-26
1453 रेल के जाली टिकट छापना तथा उनकी बिक्री	Printing and Sale of Fake Rail Tickets ..	26
1454 आग बुझाने के काम आने वाले होजों का निर्माण	Manufacture of Fire Fighting Hoses ...	26-27
1455 हावड़ा रेलवे स्टेशन पर भीड़	Congestion at Howrah Railway Station ...	27
1456 औद्योगिक प्रगति	Industrial Growth	27-28
1457 रेलगाड़ी कडक्टर	Train Conductors	28
1458 मोटर गाड़ी उद्योग	Automobile Industries	28-29
1459 लघु उद्योग	Small Scale Industries ...	29
1460 व्यापार बोर्ड	Board of Trade	29-30
1461 भारती मिल्स पांडिचेरी	Bharathi Mills, Pondicherry	30-31
1462 निर्यात	Exports – ...	31
1463 सूत का मूल्य	Price of Yarn ... –	31
1464 कोयना अल्युमीनियम परियोजना	Koyna Aluminium Project ...	32-33
1465 ड्राइवर के बिना चल रही बम्बई उपनगरीय रेल गाड़ी	Bombay Suburban Train Running without Driver	33
1466 थाइलैंड से जूट का आयात	Import of Jute from Thailand	33-34

प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी /WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd·

ता. प्र. संख्या/S.Q. Nos	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1467	पश्चिम बंगाल में श्रमिकों में असंतोष	Labour unrest in West Bengal ..	34
1468	अखबारी कागज बनाने का कारखाना	Newsprint Factory	34-35
1469	इंडिया इलैक्ट्रिक वर्क्स, लिमिटेड, कलकत्ता का बन्द हो जाना	Closure of India Electric Works Ltd., Calcutta	35
1470	उत्तर प्रदेश में बड़ी सीमेंट परियोजना की स्थापना	Setting up of Big Cement Projects in U. P...	35
अता. प्र सं. / U.S.Q. Nos.			
7094	पन्ना हीरा खान	Panna Diamond Mines	36
7095	कच्चे माल के आयात के लिये लाइसेंस	Licences for Import of raw Materials ...	36-37
7096	रेशम का उत्पादन	Production of Silk	37-38
7097	मध्य प्रदेश में लघु उद्योग	Small Scale Industries in Madhya Pradesh...	38-39
7098	मध्य प्रदेश में दस्तकारी उद्योग का विकास	Development of Handicrafts in Madhya Pradesh	39
7099	बम्बई-पठानकोट एक्सप्रेस का भोजन-यान	Dining Car attached to Bombay-Pathankot Express	39-40
7100	लघु उद्योग सेवा-संस्था	Small Industries service Insttute	40-41
7101	गुजरात को कोयले के माल डिब्बों का आवंटन	Allotment of Coal Wagons to Gujarat ...	41
7102	बम्बई और अहमदाबाद के बीच रेलवे विद्युतीकरण	Railway Electrification between Bombay and Ahmedabad	42
7103	गुजरात में छोटे पैमाने के उद्योग	Small Scale Industries in Gujarat	42-43
7104	गुजरात औद्योगिक एकक	Industrial Units in Gujarat	43
7105	संश्लिष्ट उद्योग	Synthetic Industries	43

7106	गुजरात में अनुसूचित जातियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Scheduled Castes in Guiarat ..	43-44
7107	टी बोर्ड एम्पलाइज एसोसियेशन, नई दिल्ली	Tea Board Employees Association, New Delhi	44
7108	सेवा निवृत्त रेलवे कर्मचारियों के बच्चों को नौकरी पर लगाया जाना	Employment of Children of Railway Employees ...	44–45
7109	गुजरात में जस्ता चढ़ी लोहे की नालीदार चादरों की कमी	Shortage of G. C. I. Sheets in Gujarat	45–46
7110	इस्पात पर से नियंत्रण हटाना	Steel Decontrol ..	46
7111	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची	H. E. C. Ranchi	46–47
7112	पहले दर्जे के डिब्बों में परिचारक	Attendants Attached to First Class Compartments ... –	47
7113	मध्य प्रदेश में तार फैक्टरी	Cable Factory in M. P. ..	48
7114	नारियल तथा ताड़ के तेल का आयात	Import of Copra and Pallm Oil	48
7116	लखनऊ और आसाम के बीच चलने वाली रेलगाड़ियां	Trains running between Lucknow and Assam ..	48–49
7117	दिल्ली से सीधी आसाम जाने वाली रेलगाड़ियां	Through Trains from Delhi to Assam	49
7118	पलेजा घाट में रेलवे टिकटों का वितरण	Issue of Railway Tickets at Paleza Ghat ...	49–50
7119	रेलवे में बिना टिकट यात्रा	Ticketless Travel on Railways ...	50
7120	अफगानिस्तान से व्यापार प्रतिनिधिमण्डल	Trade Delegation from Afghanistan	50

अता. प्र संख्या/U.S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर / WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS :		
7121	विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में विद्युत चालित करघे — Powerlooms in decentralized Sector	50-51
7122	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के हजारीबाग के कर्मचारियों की मांगे — Demands of N. C. D. C. Workers, Hazaribagh	51-52
7123	भिलाई तार-छड़ मिल — Bhilai Wire-Rod Mill ..	52
7124	स्टेशनों पर पीने के पानी तथा रोशनी की व्यवस्था — Arrangements for drinking water and lighting at Stations ..	52
7125	महाराष्ट्र में कुटीर उद्योग — Cottage Industries in Maharashtra ..	53
7126	महाराष्ट्र में भारी उद्योगों की स्थापना — Setting up of Heavy Industries in Maharashtra ..	53
7127	पान-पत्ता उद्योग — Betel Leaf Industry	54
7128	बंगलोर में न्यू इलेक्ट्रिक फैक्टरी — New Electric Factory in Bangalore	54
7129	बिहार में बिड़ला की फर्में — Birla Concerns in Bihar ...	54-55
7131	रेलवे माल डिब्बे — Railway Wagons	55-56
7132	डिविजनल लेखा अधिकारी शोलापुर डिविजन — Divisional Accounts officer Sholapur Division ...	56
7133	शोलापुर डिवीजन में ए. पी. ओ. — A. P. Os. in Sholapur Division ..	56-57
7134	ट्रैक्टरों का निर्माण — Manufacture of Tractors ...	57
7135	महाराष्ट्र में सीमेंट बनाने का कारखाना — Cement Factory in Maharashtra	58
7136	पारादीप तथा हाबड़ा–मद्रास मुख्य लाइन के बीच रेलवे सम्पर्क — Rail Link between Paradeep and Howrah Madras Maio line	58
7137	रेलवे कर्मचारियों को क्वार्टरों का आवंटन — Allotment of Accommodation to Railway Employees ...	58

7138	अतिरिक्त गाड़ियों का चलाया जाना	Running of Additional Trains	59
7139	मिलाई इस्पात से बनी रेल की पटरियां	Rails of Bhilai Steel	59
7140	मालगाड़ी तथा मिलिटरी ट्रक के बीच टक्कर	Collision Between Go ds Train and Military Truck	59–60
7141	मक्सी और शाजापुर के बीच रेलवे लाइन पर पुल	Bridge over Railway line between Maksi and Shajapur ...	60
7142	मोर के पंखों का निर्यात	Export of Peacock Feathers	60–61
7143	पड़ोसी देशों को निर्यात	Exports to Neighbouring Countries	61
7144	गाजियाबाद होकर हापुड़ के लिए एक पार्सल एक्स प्रेस का चलाया जाना	Running of Parcel Express to Hapur Via Ghaziabad ...	61–62
7145	खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली	Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi ...	62–63
7146	माल डिब्बे बनाने का उद्योग	Wagon Building Industry	63
7147	रेल पटरियां तथा कोयले का जमा हो जाना	Accumuation of Rails and Coal	63–64
7148	सप्ताह में तीन दिन चलने वाली हावड़ा-दिल्ली एक्सप्रेस का पटरी से उतरना	Derailment of Howrah-Delhi Triweekly Express ...	64
7149	महाराजपुर स्टेशन पर गाड़ी का पटरी से उतर जाना	Derailment at Maharajpur Station..	64–65
7150	मालीगांव में पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के कर्मचारियों द्वारा घेराव आन्दोलन	Gherao Movement by N. E. F. Railway Employees at Maligaon ...	65
7151	औद्योगिक विकास	Industrial Development	65–66
7152	औद्योगिक लाइसेंसों का जारी किया जाना	Issue of Industrial Lieences	66

7153	सेवानिवृत्त वरिष्ठ रेलवे अधिकारी	Retired Senior Railway Officials ...	66
7154	उद्योग द्वारा अंशदान से पूंजी का जुटाया जाना	Capital raised by Industry through Subscription ...	66–67
7155	रुरकेला के कारखाने में विस्फोट	Explosion in Rourkela Plant ..	67
7156	बांसपानी रेलवे साइडिंग को जोरुरी तक बढ़ाना	Extension of Banspani Railway Siding to Joruri ...	67–68
7157	कनाडा से रेल के इंजन के पुर्जे खरीदना	Purchase of Locomotive Components from Canada	68
7158	केरल में स्कूटर फैक्टरी	Scooter Factory in Kerala ...	69
7159	खुर्दा रोड जंक्शन पर पहले दर्जे की तथा स्लीपर सीटें	Ist Class Sleeper Berths at Khurda Road Junction ...	69
7160	कोर्स इण्डिया लिमिटेड	Kores India, Ltd. ...	69–70
7161	हेवी इंजीनियरिग कारपोरेशन, रांची द्वारा उपकरणों की सप्लाई	Supply of Equipment by H. E. C. Ranchi ...	70
7162	चार्जमैनों को समयोपरि भत्ता	Overtime Allowance to Chargemen ...	70–71
7163	राजपत्रित पदधारियों द्वारा बिना टिकट यात्रा	Travelling Without tickets by Gazetted Officers	71
7164	दक्षिण रेलवे की निर्माण शाखा	Construction Branch of Southern Railway ...	71–72
7165	रुसी फिल्मों का आयात	Import of Soviet films	72
7166	भारत में विदेशी पूंजी विनिनियोजन	Foreign Investments in India ...	73
7167	स्कूटरों की चोर बाजार में बिक्री	Sale of Scooters in Blackmarket	73
7168	सेलम इस्पात परियोजना	Salem Steel Project	74

अता.प्र संख्या / U. S. Q. Nos	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर- (जारी) / WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.		
7169	केन्द्रीय सरकारी अफसर के कोटे में मे कारों का आवंटन	Allotment of Cars out of Central Government Officer's Quota 74-75
7170	दक्षिण-मध्य रेलवे पर हावड़ा मेल का पटरी से उतर जाना	Derailment of Howrah Mail on South Central Railway 75
7171	राजस्थान में उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries in Rajasthan 75
7172	मध्य प्रदेश में औद्योगिक एकक	Industrial Units in Madhya Pradesh 75-76
7173	सीमेंट की कमी	Shortage of Cement 76
7174	भारी इंजीनियरी कारखाने	Heavy Engincering Plants 76
7175	माइनिगं एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन, दुर्गापुर	Mining and Allied Machinery Corporation, Durgapur 76-77
7176	चीन को चोरी छिपे चावल लेजाया जाना	Smuggling of Rice into China .. 77
7177	कोयला नियन्त्रक का संघटन	Coal Controller's Organisation 77-78
7178	कोयला नियन्त्रक का संघटन	Coal Controller's Organisation ... 78
7179	नारियल जटा बोर्ड	Coir Board 78-79
7180	रेलवे के संघचल टिकट निरीक्षकों (टी.टी.ई.) तथा कंडक्टरों को भत्ता	Allowance to T. T. Es. and Conductors on the Railways ... 79
7181	डा.धर्म तेजा द्वारा तैयार की गई ढ़लाई कारखाने की योजना	Foundry Forge Scheme drawn up by Dr. Dharam Teja 79-80
7182	औद्योगिक विकास की गति	Rate of Industrial Growth 80-81
7183	अहमदाबाद मेनुफैक्चरिंग एण्ड केलिको प्रिंटिंग कम्पनी लिमिटेड द्वारा रुस को कपड़ा बेचा जाना	Sale of Cloth by Ahmedabad Manufacturing and Calico Printing Co. Ltd. to the USSR 81-82

7184	नेपाल के साथ व्यापार	Trade with Nepal	82
7185	दिल्ली प्रशासन के अधिकारियों के लिये फिएट कारों का आवंटन	Allotment of Fiat Cars to Officers of Delhi Administration ...	83-84
7186	दिल्ली प्रशासन के अधिकारियों के लिये फिएट कारों का नियतन	Allotment of Fiat Cars to Officers of the Delhi Administration ..	84-85
7187	सब्जियों का निर्यात	Export of Vegetables ..	85
7188	आसाम में लोहे की नाली दार चादरों की सप्लाई	Supply of C. I Sheets in Assam ..	86
7189	जापान को नमक का निर्यात	Export of Salt to Japan	86-87
7190	अलवाय रेलवे स्टेशन पर उपरि पुल	Overbridge at Alwaye Railway Station	87
7191	त्रिपुनितुरा रोड पर उपरि पुल	Overbridge at Tripunittura Road	87
7192	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम	N C. D. C.	87-88
7193	वस्तुओं पर से नियन्त्रण हटाना	Decontrol of Commodities	88
7194	मनीपुर में खनिज सम्पत्ति	Mineral Wealth in Manipur	88
7195	दक्षिण कोरिया को सूती धागे का निर्यात	Export of Cotton Yarn to South Korea ..	88-89
7196	रेलगाड़ियों में बिना टिकट यात्रा	Ticketless Travelling on the Railways ...	89
7197	मशीनी औजार बनाने के कारखाने	Machine Tool Plants	90
7198	पूर्व तथा पश्चिम रेलवे के बाह्य यातायात लेखा कार्यालय, दिल्ली के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	Quarters for Staff of Eastern and Western Railway Foreign Traffic Accounts Office, Delhi	90-91

7199	रेलवे अधिकारियों की साठगांठ से बिक्री कर का अपवंचन	Evasion of Sales Tax in Collusion with Railway Obficials	91
7200	इस्पात कारखानों सम्बन्धी मजूमदार समिति	Mazumdar Committee on Steel Plants ...	91
7201	प्रशिक्षु मैकेनिक	Apprentice Mechanics ...	91–92
7202	जमशेदपुर में रोल फाउन्डरी प्रोजेक्ट	Roll Foundry Project Jameshedpur ..	92
7203	रेलवे के बीकानेर डिवीजन के अधिकारियों के सेवा-काल में की गई वृद्धि	Extensions Granted to Officers of Bikaner Division ...	92–93
7204	मोहनलालगंज (उत्तर प्रदेश) में सीमेंट बनाने का कारखाना	Cement Factory in Mohanlalganj U. P.	93
7205	बम्बई और अहमदाबाद के बीच बिजली से चलने वाली रेलगाड़ियां चलाना	Running of Electric Trains between Bombay and Ahmedabad ..	93
7206	सकरीगली स्टेशन (पूर्व रेलवे) पर माल गाड़ियों का लूटा जाना	Looting of Goods Trains at Sakrigali Station (E. Rly) .. –	94
7207	कमालगंज और फतेहगढ़ स्टेशनों के बीच माल गाड़ी की दुर्घटना	Goods Train Accident between Kamalganj and Fatehgarh Stations	94
7208	हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड	Hindustan Motors Limited	94–95
7209	छोटी कार का निर्माण	Manufacture of Small Car	95
7210	रेलवे गार्डों का वेतन मान (ग्रेड)	Grade of Railway Guards	95–96
7211	लुधियाना के बाहरी सिगनल पर माल गाड़ियों का रुकना	Stopping of Goods Trains at Outer Signal of Ludhiana ...	96

7212	रेलवे सेवा आयोग	Railway Service Commissions	96
7213	मिदनापुर के कन्टाई सब डिविजन में नमक उद्योग	Salt Industry in Contai Sub-Division of Midnapur	97
7214	मैसूर राज्य के धारवाड़ जिले में पैदा होने वाली कपास	Cotton Grown in Dharwar District of Mysore ...	97–98
7215	मिर्जापुर में सीमेंट का कारखाना	Cement Factory in Mirzapur	98
7216	इस्पात की उत्पादन लागत	Cost of Production of Steel	98
7217	भारी इन्जीनियरी निगम, रांची	Heavy Engineering Corporation, Ranchi ...	99
7218	रॉक फास्फेट का आयात	Import of Rock Phosphate ..	99
7219	पंजाब में ट्रैक्टर बनाने का कारखाना	Tractor Factory in Punjab	99–100
7220	जौनपुर–हावड़ा सवारी गाड़ी	Jaunpur-Howrah Passenger Train	100
7221	राज्य व्यापार निगम कार्यालय	Office of the S. T. C. ...	100–101
7222	राज्य व्यापार निगम तथा हमारा निर्यात व्यापार	S. T. C. and our Exports	101-102
7223	धनबाद–कतरासगढ़ लाइन पर ऊपरी पुल	Over bridge on Dhanbad-Katarasgarh Line	102
7224	इंडियन कॉपर कारपोरेशन, घाटसीला, सिंहभूमि	Indian Copper Corporation, Ghatsilla, Singhbhum ...	102–103
7225	नारियल जटा बोर्ड	Coir Board	103
7226	बम्बई सेन्ट्रल-देहरादून एक्सप्रेस का देर से चलना	Late Departure of Bombay Central Dehradun Express ..	103–104
7227	नायलौन की डोरी का आयात	Import of Nylon Cord	104

प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

7228	टायरों का निर्माण	Production of Tyres	104
7229	तम्बाकू बोर्ड	Tobacoo Board ...	105
7230	पूर्वी क्षेत्र में कागज बनाने के कारखाने की स्थापना	Establishment of Paper Mill in the Eastern Region	105
7231	महाराष्ट्र में औद्योगिक परियोजनाएं	Industrial Projects in Maharashtra... ...	105–106
7232	महाराष्ट्र में औद्योगिक परियोजनाएं	Industrial Projects in Maharashtra..	106
7233	मैलानी स्टेशन पर ऊपरी पुल	Over Bridge at Mailani Station ..	106-107
7234	उत्तर प्रदेश में कागज बनाने का कारखाना लगाना	Setting up of Paper Mill in U. P. ..	107
7235	चमडा उद्योग का विकास	Development of Leather Industry	107–108
7236	लुमडिंग और मरियानी स्टेशनों के बीच रेल दुर्घटनाएं	Accidents between Lumding and Mariani ...	108
7237	ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस के साथ अतिरिक्त डिब्बे का जोडा जाना	Attaching of Extra Bogie to G. T. Express ...	108
7238	विकरोली में रेलवे फाटक खोलना	Opening of Level Crossing Gate at Vikroli	108–109
7239	कुरडूवाडी और मिरज के बीच बड़ी लाइन	B. G. Line from Kurduwadi to Miraj ...	109
7241	कांडला पत्तन में निर्बाध व्यापार क्षेत्र	Free Trade Zone in Kandla Port ...	109–110
7242	एस. एस. लाइट रेलवे, यात्री कल्याण संघ खेखड़ा	S. S. Light Railway Passenger Welfare Association, Khekra	110

7243	तीसरे दर्जे की शायिकाओं का आरक्षण	Reservation of III Class Sleeper Berths ..	111
7244	पाकिस्तान की आयात नीति	Pakistan's Import Policy	111
7245	370 अप दिल्ली-हरिद्वार रेलगाड़ी के साथ जोड़ी गई बोगियां	Bogies attached to 370-UP Delhi Hardwar Train ...	111–112
7246	दार्जिलिंग में पुनर्रोपण	Replantation in Darjeeling ..	112–113
7247	पाकाला और धर्मवरम मीटरगेज लाइन पर नया स्टेशन	New Station on Pakala and Dharmavaram M. G. Line	113
7248	आगरा छावनी से बाड़ तक रेलगाड़ी	Train Service from Agra Cantt. to Bad	113
7249	उत्तर प्रदेश में अखबारी कागज बनाने के कारखाने	Newsprint Factories in U. P.	113–114
7250	उत्तर प्रदेश में छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिये पूंजी निवेश गृह	Investment House for the development of Small Scale Industries in U. P.... ...	114
7251	निर्यात ऋण तथा प्रत्याभूति निगम	Export Credit and Guarantee Corporation ..	114
7252	परिष्करण उद्योग	Processing Industries ...	114–115
7253	उत्तर प्रदेश में मशीनी औजार बनाने के कारखाने	Machine Tool Plant in U. P.	115
7254	उत्तर प्रदेश में कारखाने	Factories in U. P. ..	115
7255	बरेली में तार फैक्ट्री	Cable Plant at Bareilly ..	115–116
7256	चेकोस्लोवाकियाई ट्रैक्टरों के पुर्जों को जोड़ कर ट्रैक्टर बनाने वाले कारखाने की स्थापना	Setting up of Assembly Plant of Czech Tractors	116

7257	उद्योगों में मंदी आने के कारण अप्रयुक्त क्षमता	Idle capacity due to Recession in Industry	116
7258	मैसर्स कृष्णा ट्रांसपोर्ट एण्ड फाईनेंस (प्राइवेट) लिमिटेड कम्पनी, करोल बाग, नई दिल्ली	M/s Krishna Transport and Finance (Pvt.) Ltd. Karol Bagh, New Delhi	116–117
7259	बिहार में चमड़ा कमाने का उद्योग	Tanning Industry in Bihar	117
7260	तेज चलने वाली गाडियां चलाना	Introduction of Fast moving trains ..	117–118
7261	फोटोग्राफी की सामग्री के मूल्य	Prices of photographic goods	118
7262	पूर्वी–यूरोप के देशों से फोटोग्राफी की सामग्री का आयात	Import of photographic meterial from East European Countries	118–119
7263	दिल्ली तथा नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर कुली	Porters at Delhi and New Delhi Railway Stations ..	119–120
7264	पश्चिम रेलवे में वरिष्ठ लेखापालों का चयन	Selection of Senior Accountants on Western Railway ..	120
7265	इतर यातायात लेखा कार्यालय, पश्चिम रेलवे	Foreign Traffic Accounts Office Western Railway	120–121
7266	भारती टैक्सटाइल मिल्स, पांडिचेरी	Bharathi Textile Mills, Pondicherry	121
7267	आसनसोल के लोको सैड में आन्दोलन	Agitation in Loco Shed, Asansol ...	122
7268	आसनसोल के लोको शैड में दुर्घटना	Accident in Loco Shed, Asansol ...	122–123
7269	आसनसोल के लोको शैड में खराब क्रेन	Defective crane in Loco Shed, Asansol	123

7270	पश्चिम जर्मनी को इंजीनियरी सामान का निर्यात	Export of Engineering Goods to West Germany ..	123–124
7271	उपभोक्ता वस्तु निगम	Consumer Commodity Corporation	124
7272	भारतीय ऊनी मिल संस्था	Indian Woolen Mills Association	124–125
7273	डिब्बों में बन्द खाद्य सामग्री का निर्यात	Export of Tinned Food	125
7274	पार्लीयामेंट असिस्टेंट (संसद् कार्य सहायक)	Parliament Assistants ..	125–126
7275	रेलवे मंत्रालय में पार्लिया मेंट्री असिस्टेंट (संसद् कार्य सहायक)	Parliament Assistants in the Ministry of Railways	126
7276	आयात	Imports	126–127
7277	कपड़ा मिलों का बन्द होना	Closure of Textile Mills ...	127
7278	स्टेनलैस स्टील के बर्तनों का निर्माण	Manufacture of Stainless Steel Utensils	127
7279	केलों का निर्यात	Export of Bananas	127–128
7280	उत्तर रेलवे के नैरोगेज सेक्शनों पर सुविधायें	Amenities on N. G. Section of Northern Railway ...	128
7281	स्कूटरों का निर्माण	Manufacture of Scooters	128
7282	चाय का निर्यात	Export of Tea	129
7283	नेपाल के साथ व्यापार	Trade with Nepal	129
	अविलम्बनीय लोक - महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance ..	130–134
	दिल्ली में कुछ बड़े उपभोक्ताओं को सीधे केन्द्रीय सरकार द्वारा बहुत अधिक मात्रा में चीनी का आवंटन किया जाना	Allotment of Sugar directly by Central Government to bulk consumers in Delhi ..	130–134

तारा. प्र. संख्या/U. S. Q. Nos. विषय	Subject	पृष्ठ / Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
श्री ओ. प्र. त्यागी	Shri O. P. Tyagi -- --	130
श्री अन्ना साहिब शिन्दे	Shri Anna Sahib Shinde -- ...	130
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	134
राज्य सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha	135
सभा का कार्य	Business of the House	135
नियम 377 के अन्तर्गत विषय	Matters under Rule 377	136
(1) मध्य प्रदेश के आय व्ययक का लोक सभा में प्रस्तुत करने के लिये तथाकथित मुद्रण	(i) Alleged Printing of Madhya Pradesh Budget for Presentation to Lok-Sabha ...	136
(2) 27 जुलाई, 1967 को सभा में एक सदस्य द्वारा जूता दिखाया जाना	(ii) Display of a Shoe in the House on 27. 7. 67	138
वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1967	Finance (No.2) Bill, 1967	140
खण्ड 41 से 47 और 1 तथा अनुसूचियां	Clauses 41 to 47 and 1, and the Schedules --	140
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass, as amended	
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai ..	3
श्री ही. ना. मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee	153
श्री मुहम्मद इमाम	Shri Mohamed Imam	154
श्री कंवरलाल गुप्ता	Shri Kanwar Lal Gupta	155
श्री रबी राय	Shri Rabi Ray	155
श्री दा. ना. तिवारी	Shri D. N. Tiwary	156
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members Bills and Resolutions ...	157
दसवां प्रतिवेदन	Tenth Report .. --	157

अता.प्र. संख्या / U. S. Q. Nos. विषय	Subject			पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी) / WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS-Contd.				
मजूरी वृद्धि पर प्रतिबन्ध की नीति के बारे में संकल्प	Resolution Re. Wage Freeze Policy		...	158
श्री चक्रपाणि	Shri Chakrapani	...	..	158
श्री नन्दकुमार सोमानी	Shri N. K. Somani	...	...	160
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi	..	...	161
श्री स. मो. बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	...	..	162
श्री गणेश	Shri K. R. Ganesh	..	..	164
श्री नि. चं. चटर्जी	Shri N. C. Chatterjee	...	..	165
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	...	..	166
श्री शिवचन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	..	...	167
श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा	Shrimati Lakshmikanthamma	...	...	167
श्री हरदयाल देवगुण	Shri Hardayal Devgun	...	...	168
श्री कंडप्पन	Shri Kandappan	...	...	168
संगीत नाटक अकादमी और साहित्य अकादमी के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour discussion re. Sangeet Natak Akademi and Sahitya Akademi	...	...	168
डा. राममनोहर लोहिया	Dr. Ram Manohar Lohia	..	...	168
डा. त्रिगुण सेन	Dr. Triguna Sen	..	...	169
श्री भगवत झा आजाद	Shri Bhagwat Jha Azad	...	...	170

लोक-सभा वाद-विवाद का अनुदित संस्करण

28 जुलाई , 1967 । 16 श्रावण , 1889 (शक) का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
132	नीचे से पंक्ति 5 के बाद `सभा पटल पर रखे गये ` देखिये संख्या एल.टी.1852 । 67) ` भी पढ़िये ।
144	नीचे से पंक्ति 2 में `अध्यक्ष महोदय `के स्थान पर `उपाध्यक्ष महोदय ` पढ़िये ।

लोक-सभा वाद-विवाद का अनुदित संस्करण

4 अगस्त, 1967 । 13 श्रावण , 1889 (शक) का शुद्धि - पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
919	पंक्ति 15 में `1327 ` के स्थान पर `1326 `पढ़िये ।
925	पंक्ति 4 में `` Indivisual ' के स्थान पर 'Individual ' पढ़िये ।
937	पंक्ति 13 में ` Panel ` के स्थान पर ' Penal ' पढ़िये ।

लोक–सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, 28 जुलाई, 1967/6 श्रावण, 1889 (शक)

Friday, July 28, 1967/Sravana 6, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*.]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

पम्पिग सेट

+
*1441. डा० राम मनोहर लोहिया : श्री स० मो० बनर्जी
श्री मधु लिमये श्री जार्ज फरनेन्डीज :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के संसाधनों का उपयोग करके बड़े पैमाने पर पम्पिग सेट बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या ये सेट किसानों को रियायती दरों पर बेचे जायेंगे; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर नकारात्मक हों तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) : जी, नहीं। विद्यमान सुविधाएं इस प्रकार के पम्पिग सेटों की मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त हैं। 1967 के अंत तक किसानों को दिये गये सभी पम्पिग सेटों के लिए भारत सरकार द्वारा सहायता देने के लिए एक नमूना निर्धारित किया गया था; किन्तु चालू वर्ष से यह नमूना समाप्त कर दिया गया है और सभी राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि वे अपनी वित्तीय स्थिति को देखते हुए उपयुक्त सरकारी सहायता देने पर विचार करें।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) के संदर्भ में विद्यमान एकक मांग पूरी कर सकते हैं। जहां तक भाग (ख) का संबंध है प्रश्न ही नहीं उठता।

Dr. Ram Manohar Lohia : I am asking about that pumping set which is installed at Rajra in Orissa and Assam which is pumping out water from the rivers. O r rivers would be about one lakh miles lo g. If the hon. Minister installs one pumping set at a distance of ten miles, nearly ten thousand pumping sets will be required and they will irrigate about two crore acres of land. I want to know the cost of installation of a pumping set and when it will be manufactured so that the water of the rivers might be utilised for irrigation purposes in the country.

The Minister of Industrial Development & Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : The question relates to those pumping sets which are used for agriculture purposes. I have already told that we are manufacturing more sets than we require. The hon. Member has asked regarding high pressure pumping sets which after pumping out water from rivers could supply it to the agricultural fields. There is no arrangement sofar for manufacturing them in our country but we are carefully considering the project report of U. S. S. R. with regard to it. We are considering a proposal to manufacture high pressure pumping sets in public sector as early as possible.

Dr. Ram Manohar Lohia : Could I take it granted th t this will be completed within a month or two and the work started because the Government schemes linger on for years. Whether the Hon. Minister will tell the number of pumping sets installed in each province ?

Shri F. A. Ahmed : We have revised the project report. Now the revised project report has also been released and we hope that there will be an early decision in thi s regard and the work will be started within a few months

I have not got province-wise figures regarding installation of pumping sets. I will furnish it afterwards and it will be placed on the Table of the House.

Dr. Ram Manohar Lohia : It is strange that the hon. Minister has not got that information.

श्री स० मो० बनर्जी : क्या केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों, विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार के सूखा-पीड़ित क्षेत्रों में पम्पिंग सैट लगाने के लिये धन राशि निर्धारित की है, यदि हां, तो वह धन-राशि कितनी है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : सूखा-प्रभावित क्षेत्रों के लिये विशेष कार्यक्रम बनाया गया है। उन क्षेत्रों के लिये धन-राशि भी निर्धारित की गई है। इस समय मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। मैं माननीय खाद्य मंत्री से आंकड़े देने को कहूंगा।

श्री रा० बरुआ : क्या विभिन्न राज्यों में कुछ पम्पिंग सैट बेकार पड़े हुए हैं; यदि हां, तो सरकार का विचार उनको किस प्रकार प्रयोग करने का है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : ऐसे बेकार पड़े पम्पिंग सैटों की मरम्मत की जायेगी। उनके लिये सब पुर्जे उपलब्ध हैं।

Shri Sarjoo Pandey : The hon. Minister has told that pumping sets have been installed in the drought affected areas. I have got the information that farmers have been charged very high for installation of diesel pumps in Uttar Pradesh. I want to know

whether no money will be charged for installation of pumping sets in the drought affected areas.

Shri F. A. Ahmed : I shall give the information regarding this question to the Food Minister. Pumping sets will definitely be installed in drought affected areas.

श्री मु० न० नाघनूर : जहां तक भाग (क) का सम्बन्ध है, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के तीन कारखाने, बंगलौर, हैदराबाद और तिरूची में हैं। हमें पता लगा है इन कारखानों द्वारा निर्मित माल बाजारों में शीघ्रता से नहीं पहुँच रहा है। क्या देश में पम्पिंग सैट निर्माण करने का कार्य हिन्दुस्तान मशीन टूल्स को सौंपने के सम्बन्ध में सरकार विचार करेगी ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जी, हां ऐसा किया जा रहा है।

Shri Kameshwar Singh : One part of the question is whether pumping sets will be manufactured in the public sector also ? In Jamalpur, the biggest railway workshop, is the machining and casting capacity is enough and pumps can be manufactured at cheap rates there. Railway goods are being manufactured there. As the goods are manufaetured in small quantity there, it costs much. I want to know why Government do not utilise that workshop for manufacturing pumping sets.

Shri F. A. Ahmed : So far as I know we are able to manufacture required pumps in the present units. If we require some more, there will not be any difficulty.

श्री शिवाजी राव० शं० देशमुख : क्या माननीय मन्त्री यह बतायेंगे कि पम्पिंग सैटों की राष्ट्रीय आवश्यकताओं का अनुमान किस आधार पर लगाया गया है ? क्या यह इस आधार पर लगाया गया है कि जैसे ही एक पम्पिंग सैट को नदी, कूएं या किसी और पानी के स्रोत में लगाया जाता है, तो उस स्रोत की पानी खींचने की क्षमता दुगनी हो जाती है ? क्या जल स्रोतों की सम्भावना और पम्पों द्वारा उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के प्रबन्ध आधार पर यह अनुमान लगाया गया है या काले बाजार में इसकी मांग के आधार पर ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद :—हमने तीसरी पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्य से 1·5 लाख पम्पों का अधिक निर्माण किया है। चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये प्रत्येक वर्ष के लिये पम्पों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हम अभी तक 2,93,000 पम्पों का निर्माण कर चुके हैं और आशा है कि निर्धारित लक्ष्य शीघ्र प्राप्त कर लिया जायेगा।

श्री शिवाजी राव० शं० देशमुख : मेरा प्रश्न यह नहीं था कि क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है, बल्कि यह प्रश्न था कि लक्ष्य का निर्धारण किस आधार पर किया गया है।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : इसके निर्धारण का आधार ग्रामीण क्षेत्रों में इन पम्पों का प्रयोग कर पानी की सप्लाई की मांग है।

श्री नन्दकुमार सोमानी : लगातार दो सूखा पड़ने के परिणाम स्वरूप आज पम्पिंग सैटों की कमी चाहें न हो, परन्तु यदि इस वर्ष वर्षा और फसल अच्छी हो जाती है तो अगले वर्ष इन पम्पिंग सैटों की मांग एकदम बढ़ जावेगी। क्या सरकार उस समय पम्पिंग सैट सप्लाई करने के लिये तैयार होगी और क्या अगले वर्ष देश में पम्पिंग सैटों की कमी नहीं होगी ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : इस पर विचार कर लिया गया है और योजना आयोग द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

Shri K. N. Tiwary : Whether there is a shortage of 20 and 40 Horse Power pumping sets and whether thirty thousand applications lying pending for installation of pumping sets in Bihar only ? If it is true, what steps Government is proposing to take in this regard ? Whether the Government is prepared to g ve permission to manufacture pumping sets under private sector and to allow those who are prepared to manufacture these pumps so that these may be manufactured early.

Shri F. A. Ahmed : I have already told that the report from the public sector regarding manufacture of high compressure has been received and it has been revised also. We are going to start work early with a capital of 12 crores so that such things may be manufactured in our own country.

श्री लक्कप्पा : इस बात को ध्यान में रखते हुए, कि कृषि का कार्यक्रम रक्षा-प्रधान होना चाहिये, क्या देश की आवश्यकता की पूर्ति के लिये देश में पम्प निर्माण करने के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है ताकि कृषि कार्यक्रम रक्षा प्रधान हो सके । यदि हां, तो क्या विभिन्न राज्यों में कोई निर्माण केन्द्र बनाने का मामला सरकार के विचाराधीन है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : पम्प सैट उत्पादन का कार्यक्रम योजना आयोग द्वारा किये गये सर्वेक्षण के आधार पर बनाया गया था । इसका प्रत्येक वर्ष पुनर्विलोकन किया जाता है । पुनर्विलोकन के आधार पर ही उत्पादन बढ़ रहा है । सरकार का विचार हाई कम्प्रेसर पम्पों का निर्माण सार्वजनिक क्षेत्र में करने का है ।

श्री अमृत नाहाटा : माननीय मंत्री ने अभी बताया कि हमारे देश में पम्पिंग सैटो का पर्याप्त उत्पादन होता है, फिर उत्तर पश्चिम राजस्थान में सी० टी० ओ० द्वारा खोदे गये नलकूप पम्पिंग सैटों की कमी की वजह न लगाये जा सके ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मुझे इसकी जानकारी नहीं है ।

Shri Raghuvir Singh Shastri : There is a great difficulty of getting mechanics for these pumps in villages and they prove to be very costly in the absence of those mechanics; Should I hope that the Government is going to start some such courses or schemes to train the farmers to repair these pumps, so that they could do their work themselves.

Shri F. A. Ahmed : These pump sets are mostly manufactured by private industries and I think it is the duty of the 'Panchayat' to take the work of its repair either 'Panchayat-wise' or province-wise so that it may be very useful.

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : सभा में प्रस्तुत की गई, कृषि मंत्रालय की अनुदान की मांगों की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पम्पिंग सैटों की संख्या तिगुनी हो जायेगी । कृषि मंत्रालय भारी संख्या में पम्पिंग सैटो की मांगों को पूरी करने के और बड़े कार्यक्रम को आरम्भ करने की बातों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि पम्प सैटों की कमी के कारण ये कार्यक्रम असफल न हो जायें ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जी, नहीं, उन्हें असफल नहीं होने दिया जायेगा। मैं माननीय सदस्य को यह बताऊं कि पम्प सैटों का निर्माण खाद्य मंत्रालय द्वारा दिये गये आश्वासनों के अनुसार बढ़ रहा है। 1961 में पम्प सैटों का निर्माण 1,73,000 था, 1965 में यह बढ़कर 2,18,000 और 1966 में 2,93,000 हो गया था। बहुत शीघ्र ही हम योजना में निर्धारित लक्ष्य को पूरा कर लेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हम छोटे ट्रैक्टरों का भी निर्माण कर रहे हैं और ये छोटे ट्रैक्टर पम्प सैटों को चलाने में प्रयोग में लाये जा सकते हैं, क्या यह बात इसका निर्माण करने वालों के ध्यान में है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : इस बात को ध्यान में रखा जायेगा।

रेलगाड़ी के डिब्बों में पेय जल

*1442. **श्री यशपाल सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रेलगाड़ी के डिब्बों में पेय जल की व्यवस्था करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में कब तक निर्णय कर लिए जाने की संभावना है ?

रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री स० चु० जमीर) :—(क) इस प्रस्ताव पर विचार किया जा चुका है, लम्बी दूरी की गाड़ियों में भी पेय जल की व्यवस्था की गयी है। रेल प्रशासनों से भी कहा गया है कि इस सेवा की संतोषजनक व्यवस्था करके लम्बी दूरी की गाड़ियों में इस सुविधा का विस्तार करें।

(ख) सवाल नहीं उठता।

Shri Yashpal Singh : There is a provision of water supply in air conditioned compartments but this facility is denied in third class compartments. Will the Government consider the question of providing drinking water first of all in third class compartments instead of air conditioned and first class compartments, where the passengers do not feel thirsty ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : सामान्य नीति यह है कि तीसरे दर्जे तथा अन्य सभी प्रकार के डिब्बों में पानी की व्यवस्था की जाये तथा रेलवे ने यह सुविधा देने के लिए कुछ उपाय भी किये हैं। यह कार्यक्रम 1964 से शुरू किया गया था तथा धीरे-धीरे यह सुविधा अधिक गाड़ियों में दी जाती रही है। अभी तो यह सुविधा कुछ मुख्य गाड़ियों तक ही सीमित है। परन्तु ऐसी व्यवस्था की जा रही है, जिससे प्रथम श्रेणी और तीसरे दर्जे के सभी यात्रियों को यह सुविधा उपलब्ध हो जाये।

Shri Yashpal Singh : May I know how much fund you are going to spend on it and whether paucity of funds is he reason for non-provision of water containers in all the compartments ?

श्री परिमल घोष : ऐसी बात नहीं है कि धनाभाव के कारण इस कार्यक्रम में कोई बाधा पड़ रही हैं । सभी गाड़ियों में पेय जल की व्यवस्था धीरे-धीरे की जा रही है ।

श्री कोइक्कन : जहां स्वच्छ पेय जल की व्यवस्था होती है वहां पानी खुली बालटियों में रखा रहता हैं और गन्दे बर्तन उसमें पड़े रहते हैं । जहां टूंटिया लगी हैं, वहां वे गन्दे स्थानों पर लगी होती हैं जहां से पानी लेने को मन नहीं करता । क्या मन्त्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे कि पेय जल स्वच्छ और साफ रहे ?

श्री परिमल घोष : इस पर विचार किया जायेगा ।

Shri Rabi Ray : Most of the facilities are provided in first class and air-conditioned compartments, So I suggest that this classification of first or third class compartments should be put to an end and facilities made available to all the passengers.

श्री परिमल घोष : यह प्रश्न पेय जल की व्यवस्था का है और पहले दर्जे के या वातानुकूलित डब्बों को समाप्त करने का नहीं हैं ।

Shri Rabi Ray : First class people get facilities, others do not.

श्री विश्वनाथ राय : रेलगाड़ी के डिब्बों में साधारण फिटिंग से ही पेय जल की व्यवस्था की जा सकती है । फिर किस कारण से यह कार्यक्रम क्रियान्वित नहीं किया जा रहा ?

श्री परिमल घोष : प्रत्येक रेलगाड़ी में पानी की टंकियां उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है । यह बात वास्तव में सच है कि कुछ गाड़ियों में पानी की ये टंकियां नहीं दी जा रहीं । प्रत्येक गाड़ी में इनकी व्यवस्था करने का कार्य शीघ्रतापूर्वक किया जा रहा है ।

Shri Onkar Lal Berwa : May I know by what time you will complete the programme of providing water containers in each and every train ?

श्री परिमल घोष : मैं इसके लिए कोई निश्चित तिथि नहीं बता सकता । परन्तु यह कार्य शीघ्र से शीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है ।

Shri Sheo Narain : May I know why Government is hesitating to make arrangements for drinking water in trains while water is available free of cost ?

श्री परिमल घोष : मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इसकी व्यवस्था की जा रही है ।

Shri Ramavtar Shastri : There is a station named Jhajha on Eastern Railway where dirty water is supplied for drinking purposes. Will you look into that ?

श्री परिमल घोष : यहां चर्चा किसी स्टेशन विशेष के बारे में नहीं हो रही, बल्कि डिब्बों में पानी देने की बात चल रही है ।

Shortage of water at stations on the N. E. Railway.

*1443. **Shri Bibhuti Mishra** :
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to an article under the Heading "N. E. Railway Face Water problem" in the morning edition of the Indian Nation of the 17th April. 1967 ;

(b) if so, whether it is a fact that Sonepur, Hajipur, Thana Bhirpur, Garhata, Samastipur Sewan, Katihar and Bhatni Railway Stations are facing an acute shortage of water ; and

(c) if so, the schemes being formulated by Government to meet the water scarcity at these places ?

रेलवे मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री स० चु० जमीर) (क) जी, हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

Shri Bibhuti Mishra : Still there is shortage of drinking water on Sonapur, Hajipur and Katihar etc. stations. But the Minister has replied negatively. On what basis he has so replied ?

रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री परिमल घोष) : रेलवे मन्त्रालय ने पूर्वोतर तथा पूर्वोतर सीमान्त रेलवे से यह पूछा था कि क्या वर्षा के अभाव के कारण स्टेशनों पर यात्रियों तथा इन्जिनों के लिए पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न हो सकेगा । परन्तु वहां से यह उत्तर मिला है कि नलकूप होने के कारण पानी की सप्लाई में कठिनाई आने को कोई सम्भावना नहीं है । यह प्रश्न मुख्यत: सोनपुर, कटिहार और समस्तीपुर आदि स्टेशनों के सम्बन्ध में पूछा गया है । वैसे तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के अनेक स्टेशनों पर पानी का अभाव अनुभव किया जाता है । परन्तु इस क्षेत्र में पानी का अभाव होने की जानकारी हमें नहीं मिली है । उपरोक्त स्टेशनों में से सोनपुर नामक स्टेशन के लिए पानी गन्डक नदी से लाया जाता है । पम्पिग सेट को एक किनारे से दूसरे किनारे पर बदलते समय पानी की कुछ कठिनाई सामने आई थी ।

Shri Bibhuti Mishra : There is a contradiction in the two answers given by Shri Jamir and Shri Ghosh. Anyhow, may I know the measures being taken by the Government to remove the water crisis on narrow gauge line ?

श्री परिमल घोष : बिहार में स्टेशनों पर पानी की व्यवस्था पहले ही कर दी गई है । उस क्षेत्र में विद्युत-चालित पम्प लगा दिये गये हैं और पुराने छ: इंची पाइपों के स्थान पर नये पाइप लगा दिये गये हैं, जिससे पानी अधिक मात्रा में आये । पानी के अभाव को दूर करने के लिये ऊँची टंकियां बना दी गई हैं ।

Shri K. N. Tiwary : There is still scarcity of water at Mujaffarpur, Samastipur, Katibar and Sonapur Stations, The complaints made in the complaint Books prove it. May I know which river resources will be utilized by way of pumping sets for this purpose ?

श्री परिमल घोष : इस प्रस्ताव पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जायेगा ।

Shri Molahu Prasad : Thokar and Ring dams constructed for the defence of Chhitauni Dam in Bherihari are being eroded by heavy floods in Bari Gandak, as has been reported in 'Aaj' Dated 26th July. It is posing a severe threat to railway line. May I know the date when the attention of the Hon. Minister was invited towards it and if so, the action taken in respect thereof ?

श्री परिमल घोष : मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है । परन्तु मैं इस सम्बन्ध में पूछताछ करूंगा ।

जाली रेलवे टिकटों की बिक्री

+

*1444. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**

श्री रा०कृ० सिंह :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय देश के विभिन्न भागों में जाली रेलवे टिकट बेचे जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन टिकटों को बरामद कराने तथा अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

रेलवे मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री स० चु० जमीर) : (क) जाली रेलवे टिकटों को छापने के दो मामले पकड़े गये हैं। ये टिकट असम, बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में बेचे जा रहे थे।

(ख) इन दोनों मामलों में पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास जो टिकट थे उन्हें बरामद कर लिया है।

Shri Ram Kishen Gupta : Has any Railway employee been arrested ?

श्री परिमल घोष : इन जाली टिकटों के सम्बन्ध में विशेष रूप से कलकत्ता क्षेत्र में हमें पिछले वर्ष एक मामले का पता लगा था। इस मामले में हमारी अब तक की जानकारी यह है कि शायद रेलवे कर्मचारियों और पूर्वी रेलवे मुद्रणालय के कर्मचारियों ने मिल कर उस मुद्रणालय से कुछ जाली टिकटें निकाल ली थीं। इसका पर्याप्त प्रमाण है कि कुछ रेलवे कर्मचारी इसमें अन्तर्ग्रस्त हैं।

Shri Ram Kishan Gupta : Has any employee been made of the loss sustained thereby by the Railway ?

श्री परिमल घोष : नुकसान के सही आंकड़े मेरे पास नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कोई मोटा अनुमान बता सकते हैं ?

श्री परिमल घोष : मोटा अनुमान भी नहीं लगाया गया।

श्री स०मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि कुछ मामलों में ये जाली टिकटें उन यात्रियों के पास भी उपलब्ध थीं जिन्हें प्रथम श्रेणी में यात्रा करते हुए देखा गया था ? ये जाली टिकटें छपने की अवस्था में भी उपलब्ध न हों, यह सुनिश्चित करने के लिए क्या ठोस उपाय किये गये हैं ?

श्री परिमल घोष : प्रथम श्रेणी की भी कुछ जाली टिकटों का पता लगा है। एक विशिष्ट मामले में एक व्यक्ति आसाम, बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में प्रथम श्रेणी की जाली टिकटें बना कर उन्हें रेलवे की कुछ एजेन्सियों द्वारा भी वितरित कर रहा था। जहां भी सम्भव हो सका है हमने इन सब टिकटों को जप्त कर लिया है। परन्तु यह भी सम्भव हो सकता है कि कुछ टिकटें अब भी उपलब्ध हों। जाली टिकटों को रोकने के लिए सभी प्रयत्न किये गये हैं।

Shri Prem Chand Verma : There is yet another problem closely connected with forged tickets. In every train railway employees take alongwith them 5—20 persons without ticket and take money from them. They personally accompany them upto the gates. What preventive steps have been taken by Government in this regard ? Has any estimate been made in this regard as to the number of persons travelling without ticket in this manner ?

श्री परिमल घोष : बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिए हमने उपाय किए हैं और इस प्रयोजन के लिए हमने एक विशेष दल भी बनाया है। वे दल बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिए भिन्न-भिन्न स्थानों पर टुकड़ियों में जाते हैं। यह भी सच है कि कुछ सरकारी कर्मचारी ऐसा करते हैं और इनको रोकने के लिए भी आवश्यक उपाय किये जा रहे हैं।

Shri O. P. Tyagi : Are Government aware that due to over crowding in the third class compartments the ticket checkers are not in a position to check the tickets and they sit comfortably in the police compartments? Has any estimate been made of the loss occasioned to Government on this account ?

श्री परिमल घोष : यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है। हम यह मानते हैं कि अधिक भीड़ के कारण टिकट निरीक्षक टिकटें सही तरीके से नहीं देख सकते हैं। परन्तु हम इस मामले पर विचार कर रहे हैं और इस काम को सुविधाजनक बनाने के लिए इस मामले पर विचार कर रहे हैं।

श्री जी०भा० कृपालानी : क्या माननीय मन्त्री को पता है कि बिना टिकट के यात्रा करने वाले हमेशा प्रथम श्रेणी में ही यात्रा करते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि बिना टिकट यात्रा करने वाले प्रथम श्रेणी में ही यात्रा करते हैं। यह एक स्वीकृत सिद्धान्त है।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : क्योंकि एक अन्तर्राजीय गिरोह काफी समय से कार्य कर रहा है, इसलिए क्या मन्त्री महोदय इसको मानेंगे कि उन जाली टिकटों के मामले में पर्याप्त सतर्कता नहीं बर्ती गई थी ?

श्री परिमल घोष : यह सच नहीं है कि रेलवे इस मामले में बहुत सतर्क नहीं है। रेलवे काफी सतर्क है और दो मामलों को पकड़ा भी गया है।

अध्यक्ष महोदय : एक मात्र कठिनाई यह है कि बिना टिकट यात्रा करने वाले अधिक सतर्क हैं।

श्री स० कुण्डू : क्या मन्त्री महोदय समय-समय पर टिकटों के रूप में परिवर्तन करेंगे, इसको पतला करेंगे और इसके आकार को भी घटायेंगे ताकि प्रति टिकट छपाई की लागत भी कम हो।

श्री परिमल घोष : इस सुझाव को ध्यान में रखा जायेगा।

श्री श्रीधरन : जाली टिकटों और नोटों का छापना और खाद्यान्न में मिलावट करना हमारे सामाजिक ढांचे का अंग बन गया है। क्या मन्त्री महोदय इन सबकी जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त करेंगे।

श्री परिमल घोष : हम इस सुझाव पर विचार करने के लिए तैयार हैं।

Shri Arjun Singh Bhadoria : Has it been brought to the notice of Hon. Minister that quite often t e distribution of tickets is started pretty late with the result that a great many passengers are not able to buy the ticket before the train arrives and they have prefore to board the train without ticket ? What steps are being contemplated in this regard ?

श्री परिमल घोष : कुछ स्टेशनों पर अलबत्ता भीड़ के कारण कुछ कठिनाइयां होती हैं। इन कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं।

Shri Tulshidas Jadhav : Is it a fact that on the Nander-Adilabad section owing to great rush of passengers, the T. T. Es. are not in a position to check ticket-less travelling which results in huge loss to the Railway ? The demand for a second train on this section has been turned down on the pretext that the revenue receipts do not warrant the operation of a second train. What are reasons for not supplementing the income of the Railway by proper checking and why the demand for a second train has been spurned ?

श्री परिमल घोष : हाल के एक अनुमान से हम देखते हैं कि कुछ शाखा लाइनों पर बिना टिकट के काफी लोग सफर करते हैं। परन्तु वहां पर ऐसा वहां की सामाजिक दशा के कारण है। हमारे टिकट निरीक्षक कम संख्या में हैं और वे इस स्थिति का सामना नहीं कर सकते हैं। इस प्रवृत्ति को कम करने के लिए हम विशेष रूप से उन सैक्शनों पर समय-समय पर दस्तों द्वारा निरीक्षण कराने का प्रयत्न कर रहे हैं।

अखिल भारतीय छोटी कागज मिल संगठन

\+

*1445 **श्री रा० बरुआ** :
श्री च० चु० ऐसाई :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री य०अ० प्रसाद :
श्री न०कु० सांघी :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय छोटी कागज मिल संगठन ने हाल ही में उसके कारखानों को बन्द होने से बचाने के लिए सरकार से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या गत वर्ष कोई कागज मिल बन्द हुई है और यदि हां तो इसके परिणामस्वरूप कितने कर्मचारी बेकार हुए हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) इस मामले पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

(ग) छोटी कागज मिलों के संघ ने यह कहा है कि कागज के कुछ छोटे कारखाने वित्तीय कठिनाइयों के कारण बन्द हो गये हैं।

श्री रा० बरुआ : क्या सरकार ने कुछ छोटी कागज मिलों में पुरानी मशीनों का कोई पता लगाया है और क्या वह उन्हें उपयुक्त प्रकार की मशीनों का आयात करने के लिए सुविधायें देने के लिए तैयार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : जहां तक छोटे कारखानों का सम्बन्ध है, कठिनाई यह है कि उन्हें लुगदी का आयात करना पड़ता है। आयात शुल्क तथा अवमूल्यन के कारण उन्हें कुछ कठिनाइयां हो रही हैं। यह मेरे ध्यान में नहीं लाया गया है कि बहुत सी कठिनाइयां पुरानी मशीनों के कारण हैं।

श्री रा० बरुआ : देश में कागज की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इन मिलों को बन्द होने से बचाने के लिए कोई अविलम्ब कार्यवाही करेगी ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : इस मामले पर विचार किया जा रहा है। उनसे कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और हम उन पर विचार कर रहे हैं। तत्पश्चात इन छोटे कारखानों को कुछ राहत देने का मामला वित्त मन्त्रालय के समक्ष रखा जायेगा।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : यह कहना ठीक नहीं है कि छोटे दर्जे के इस उद्योग को केवल लुगदी प्राप्त करने की कठिनाई के कारण ही इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। देश में इन अलाभकारी कारखानों की स्थापना पहले अविवेकपूर्ण ढंग से दिए गए लाइसेन्सों के कारण हुई है। क्या सरकार ऐसा कोई लाइसेन्स देने से पूर्व इन कारखानों के आर्थिक पहलू पर ध्यान पूर्वक विचार कर लिया करेगी जिससे दस अथवा बीस वर्ष के पश्चात इन्हें बन्द न करना पड़े अथवा ये अलाभकारी सिद्ध न हों ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : यह सच है कि इन छोटे कारखानों को बड़े कारखानों का मुकाबला करना पड़ता है। परन्तु हम काफी समय से चल रहे इन सभी छोटे कारखानों को बन्द करने की तो बात भी नहीं सोच सकते हैं।

श्री न०कु० सांघी : क्या माननीय मन्त्री जी बड़े-बड़े निर्माताओं पर कुछ शुल्क लगाने की बात पर विचार करेंगे जिससे देश में कागज के छोटे निर्माता भी बने रहें ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : हम लुगदी पर आयात शुल्क में कुछ राहत देने की बात पर विचार कर रहे हैं। इसके अलावा 1,000 टन उत्पादन करने वाले कारखानों को उत्पादन शुल्क में राहत देने का भी प्रश्न विचाराधीन है। हम मशीन से बने कागज और प्रतिरूपित कागज पर उत्पादन-शुल्क के प्रश्न पर भी विचार कर रहे हैं। ये सभी बातें विचाराधीन हैं।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : क्या छोटी मिलों द्वारा निर्मित कागज के मूल्य पर भी नियंत्रण है और क्या कागज उद्योग को मूल्यों में वृद्धि करने देने का भी कोई प्रस्ताव है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : कागज उद्योग वाले मूल्य में वृद्धि करने के लिये कहते रहे हैं। पिछली बार मूल्य में वृद्धि 1962 में की गई थी। यह मामला भी विचाराधीन है।

श्री अन्नाकर सुपकार : छोटी कागज मिल की परिभाषा क्या है और कागज के मूल्य में वृद्धि के रूप में कोई प्रोत्साहन देने से शिक्षा आदि पर क्या अवांछनीय प्रभाव पड़ेगा ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : ये सभी मामले विचाराधीन हैं।

Shri Maharaj Singh Bharati : The small units will never be able to produce pulp. As spinning mills are set up on the co-operative basis to make yarn available to the weavers, have Government considered this proposal that a pulp manufacturing plant be set up on a co-operative basis to supply pulp to these small units ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : छोटे कारखाने परम्परागत कच्चे माल लुगदी का ही प्रयोग करते रहे हैं। अब उन्हें कोई और अन्य बेकार माल का प्रयोग करने के लिये उत्साहित किया जा रहा है। यदि वे इसका प्रयोग करना आरम्भ कर देते हैं तो मुझे आशा है कि उन्हें बाहर से आयात किये जाने वाले इस कच्चे माल पर निर्भर करने की इस समस्या से छुटकारा मिल जायेगा।

धोतियों और साड़ियों का उत्पादन

+

*1447 **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** :
श्री मि. सु. मूर्ति :
श्री रा. बरूआ :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 2 जून, 1965 के अपने संकल्प में यह निर्णय किया था कि कपड़ा मिलों द्वारा साड़ियों और धोतियों का उत्पादन 1963 के स्तर तक ही सीमित रखा जाये और मिलों तथा विद्युत चालित करघों को रंगदार कपड़े वाली दोनों प्रकार की रंगीन साड़ियों का उत्पादन करने से रोका जाये, ताकि हथकरघों को संरक्षण दिया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त निर्णय को ठीक ढंग से लागू करने के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) साड़ियों और धोतियों का अधिकतम उत्पादन पहले से ही उपर्युक्त स्तर पर निश्चित कर दिया गया है और मिलों द्वारा इन किस्मों के उत्पादन पर वस्त्र आयुक्त सूक्ष्म निगरानी रखता है। मिलों तथा विद्युत-चालित करघों द्वारा रंगीन साड़ियों का उत्पादन सांविधिक रूप में निषिद्ध है और उनके द्वारा विनियमों के पालन पर भी वस्त्र आयुक्त निगरानी रखता है :

Shri A. B. Vajpayee : Mr. Speaker, handloom weavers have made a complaint that the decision taken by Government was not being implemented properly and the machinery set up for that purpose was doing some mischief in collaboration with the millowners. May I know whether such complaints have been received by the Government and if so whether any constructive steps have been taken in this connection so that such a thing is not repeated ?

Shri Dinesh Singh : This is examined by the people of the Textile Commissioner from time to time. No such complaints have been received by me. Whatever the hon. Member has stated does not seem to be correct if we see figures. In 1963, the production of dhotis and sarees was 331 million metres and 318 million metres respectively whereas in 1966, only 212 million metres dhotis and 205 million metres sarees were produced. There has been considerable reduction in the production whereas the demand has increased.

Shri A. B. Vajpayee : Is it not a fact that if the handloom industry is given more encouragement and the production of coloured sarees is totally banned, the handloom industry can meet the demand of the people fully ?

Shri Dinesh Singh : Yes, sir. The production of coloured sarees has been prohibited totally on this very basis.

श्री रा. बरूआ : अधिकांश मिल मालिकों ने विद्युत-चालित करघों के कारखानें स्थापित किये हैं जिससे वे हथकरघा से बने कपड़े के विरुद्ध प्रतियोगिता में बाजार में छा जांये और यदि हां, तो इसे बन्द करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री दिनेश सिंह : यदि माननीय सदस्य ने मेरा उत्तर ध्यानपूर्वक सुना है तो मैं ने बताया है कि मिलों तथा विद्युतचालित करघों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ।

श्री कृष्ण मूर्ति : सरकार धोतियों और साड़ियों के उत्पादन के सम्बन्ध में एक बीमारी को न होने देने की बजाय उसका उपचार करने में अधिक विश्वास रखती है । यद्यपि राजाजी ने 1953 में यह संकल्प पारित किया था कि मिलों द्वारा धोतियां और साड़ियों के उत्पादन पर रोक लगा दी जाये, सरकार ने यह निर्णय 1963 में किया है । हथकरघा बुनकरों की स्थिति बहुत खराब रही है । सरकार के संकल्प से हथकरघा बुनकरों को कोई लाभ नहीं हुआ है । उत्पादन को 1963 के स्तर तक ही सीमित रखने की बजाय सरकार उत्पादन को बढ़ा क्यों नहीं सकती जिससे हथकरघा बुनकरों विशेषकर दक्षिण में बुनकरों को सहायता मिल सके ?

श्री दिनेश सिंह : मैंने जो आंकड़े दिये हैं उन से मालूम होता है कि मिलों में उत्पादन में काफी कमी हुई है । जब वह कम होता जा रहा है तो उसे 1963 के स्तर तक सीमित रखने में क्या रखा है ।

Shri Kanwar Lal Gupta : May I know the incentives which Government give to the handloom weavers besides the relief given to them in regard to production of dhoties and sarees ?

Shri Dinesh Singh : I would request him to first study the Report of the Ashoka Mehta Committee and if he gives any additional suggestions after studying the Report, they will be examined by us.

Shri A. B. Vajpayee : Mr. Speaker, the replies given by the hon. Minister are contradictory. On the one hand he has stated that the production of dhoties and sarees by mills has been banned whereas on the other hand, he has stated that the production in mills is declining. When a ban has already been imposed, how does the question of decline in production arise and how the coloured sarees are available in the market ?

Shri Dinesh Singh : The hon. Minister has not taken this into consideration that besides coloured sarees, white sarees are also being produced.

गुजरात में अल्युमीनियम का कारखाना

+

*1448. श्री ओंकार लाल बेरवा । श्री शिवकुमार शास्त्री :
श्री रामावतार शर्मा : श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री आत्म दास : श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी : श्री यशवन्त सिंह कुशवाह ;

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में अल्युमीनियम का एक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा. चन्ना रेड्डी) (क) और (ख) पता चला है कि इस प्रकार का एक प्रस्ताव गुजरात राज्य की निकाय गुजरात खनिज विकास निगम के विचाराधीन है । इस प्रस्ताव के अभी तक कोई विस्तार प्राप्त नहीं हुए हैं ।

Shri Onkar Lal Berwa : May I know whether the almunium is used only for utensils or it is used for some other purposes also ?

Dr. Chenna Reddy : Except for utensils, it is being used for electricity cables and the copper is being replaced by it in wires on large scale.

Shri Onkar Lal Berwa : May I know the quantity of almnnium produced in our country and whether it is being imported or exported ?

Dr. Chenna Reddy : At present our demand is 1.80 thousand tons and by the end of the Fourth Five Year Plan it will be 3.30 thousand tons. At the moment we are meeting our demands but not in a position to export it.

Shri Prakash Vir Shastri : I would like to know whether the Gujerat Government have approached the Central Government in connection with the setting up of almunium plant and whether the Union Government intend to collaborate with the State Government, if approached, in this respect ?

Dr. Chenna Reddy : Gujerat Mineral Development Corporation has suggested for it in 1965. Recently we have enquired about the proposed almunium plant and the Gujerat Government have told in their reply that the proposal is under consideration.

Shri Balraj Madhok : I would like to know the places in our country where large deposits of raw material for almunium are expected to be and whether there are large deposits of it in Jammu and Kashmir ; if so the steps being taken to utilize them.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न गुजरात के बारे में है और आप पूछ रहे हैं काश्मीर के सम्बन्ध में । यह असंगत है ।

श्री प्र० के० देव : ताँबे का आयात बन्द कर दिया गया है, पारेषण लाइनों के लिये हमें अल्युमिनियम की अत्यधिक आवश्यकता है, देश में अल्युमिनियम के अधिक उत्पादन की बहुत अधिक सम्भावनाएं हैं, और उड़ीसा में बॉक्साइट अधिक मात्रा में उपलब्ध है और बिजली भी वहाँ सस्ती मिलती है । इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार उड़ीसा में भी एक अल्युमिनियम का कारखाना लगाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

डा चन्ना रेड्डी : बॉक्साइट की उपलब्धता के आंकड़े मंत्रालय के पास हैं । फिलहाल 3,73,000 टन के लिये लाइसेंस दिये गये हैं ।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : गुजरात में बॉक्साइट की अधिकता होने के कारण कई उद्योग-पतियों ने बिना सरकारी सहायता के गुजरात में अल्युमिनियम कारखाना लगाने की पेशकश की है । क्या सरकार गैर-सरकारी क्षेत्र में ऐसे कारखाने के लिये अनुमति देने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

डा० चन्ना रेड्डी : गुजरात खनिज विकास निगम द्वारा दिये गये प्रस्ताव के अतिरिक्त सरकार को दो अन्य प्रस्ताव मिले हैं । एक प्रस्ताव स्पार्क के बिल्स प्राइवेट लिमिटेड ने दिया है और दूसरा जे० के० ग्रुप के कम्पनी समूह ने, जिसका एक कारखाना आसनसोल में भी है । फिलहाल गुजरात खनिज विकास निगम के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है तथा उसके बारे में अन्तिम निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है । तत्पश्चात् ही दूसरे प्रस्तावों के बारे में विचार किया जा सकता है ।

सरकारी चाय भाण्डागार

+

*1449. **श्री ज्योतिर्मय बसु**
श्री आ० ना० मुल्ला
श्री त्रिविब कुमार चौधरी
श्री स० मो० बनर्जी
श्री मधु लिमये
श्री मुहम्मद इस्माइल
श्री अ० क० गोपालन
श्रीमती सुशीला गोपालन
श्री इन्द्रजीत गुप्त
श्री एस० एम० जोशी
श्री मोलहू प्रसाद
श्री शिवचरण लाल

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चाय बोर्ड के प्रबन्धक चाय बागान जांच समिति की सिफारिशों का उल्लंघन करके कलकत्ता स्थित सरकारी चाय भाण्डागार को मेसर्स बाल्मेर लौरी एण्ड कम्पनी लिमिटेड नामक एक गैर-सरकारी फर्म को सौंपने का विचार कर रहे हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी) :—(क) **तथा (ख)** : कलकत्ता के पतन आयुक्तों ने कलकत्ता में एक नये छः मंजिले भाण्डागार का निर्माण किया है । भाण्डागार में कुछ खराबियां होने के कारण चाय बोर्ड ने भवन को अभी अपने अधिकार में नहीं लिया है । चाय बोर्ड द्वारा अपने अधिकार में लेने के बाद नये भाण्डागार को किस ढंग से चलाया जाए,

इस पर बोर्ड द्वारा स्थापित एक उप-समिति विचार कर रही है। इसके सम्बन्ध में चाय बोर्ड की सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यद्यपि सरकारी चाय भाण्डागार का सम्बन्ध कलकत्ता के पत्तन आयुक्त से है, फिर भी यह बाल्मेर लौरी एण्ड कम्पनी नामक एक ब्रिटिश फर्म द्वारा चलाया जा रहा है। क्या सरकार ने इसके औचित्य पर विचार किया है कि भाण्डागार को बाल्मेर एण्ड कम्पनी चलाये ?

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : सरकार इसे शीघ्र ही अपने हाथों में ले लेगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : बागान जांच आयोग ने 1956 में अपना प्रतिवेदन दिया था। ग्यारह वर्ष बाद तक सरकार क्या करती रही है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : पत्तन आयुक्त के साथ उनका समझौता था। जब तक वह समझौता समाप्त नहीं हो जाता तब तक सरकार उसे अपने हाथ में लेने में असमर्थ है। अब पत्तन आयुक्त इस बात के लिये सहमत हो गये हैं कि अब आगे उनको पट्टा न दिया जाये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या सरकार को इस बात का पता है कि चाय के भाण्डागारण के दौरान दो प्रतिशत चाय नष्ट हो जाती है ? क्या बाल्मेर कम्पनी से सरकार ने कभी यह पूछा है कि उसे इस माध्यम से कितना लाभ होता है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मैं इस सम्बन्ध में जांच पड़ताल करूंगा। फिलहाल मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सरकारी चाय भाण्डागार के सम्बन्ध में बागान जांच आयोग ने क्या मुख्य सिफारिशें की थी और उनके विपरीत यह भाण्डागार अब तक कैसे बाल्मेर लौरी एण्ड कम्पनी द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : यह सिफारिश थी कि चाय बोर्ड इस भाण्डागार को जैसे ही यह तैयार होगा, अपने हाथ में ले लेगी और अपने हाथ में लेने के 60 वर्ष बाद तक उसे चलाती रहेगी। गोदाम के लिये प्रयोग किये जाने वाले स्थान का किराया 200 रुपये प्रति वर्ग फुट होगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : 2 रुपये प्रति सौ वर्ग गज किराया होना चाहिये।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : भण्डार तथा कार्यालय के लिये 300 रुपये प्रति 1000 वर्ग फुट प्रति मास होगा। सरकारी चाय भण्डार को चाय बोर्ड पट्टा समाप्त होते ही अपने हाथ में ले लेगी और 31 मार्च 1990 तक इसे अपने नियंत्रण में रखेगी।

Shri Molahu Prasad : Will the Minister be pleased to state whether the Government have received some more complaints about the Tea Board ; if so, the action taken thereon ?

Shri Mohd. Shafi Quareshi : We have received no complaints about the Tea Board. If the hon. Member has got any complaint, he may send the same to me.

लौह अयस्क का निर्यात

+

*1450 : श्री कामेश्वर सिंह ; क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लौह अयस्क के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये सरकार ने एक नई परियोजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई अन्य देश सहयोग दे रहा है और इस पर कितनी पूंजी लगेगी; और

(ग) इस परियोजना का काम कब से चालू होने की सम्भावना है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा. चन्ना रेड्डी) : (क) और (ख) शायद संकेत मैसूर के चिकमगलूर जिले के कुदरमुख क्षेत्र के मैगनाटाइट के कच्चे लोहे के निक्षेपों की ओर है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने इन निक्षेपों का पूर्वेक्षण किया है । इनके विस्तृत अनुसंधान तथा विदोहन के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं। इन निक्षेपों के वाणिज्य विदोहन से पहले धातु कार्मिक परीक्षाएं तथा पाइलट प्लांट अनुसंधान करने में तकनीकी तथा वित्तीय सहयोग का एक प्रस्ताव एक अमेरीकन फर्म और उसके तीन सहयोगियों से प्राप्त हुआ है। मामला विचाराधीन है।

(ग) पाइलट प्लांट अनुसंधान तथा दूसरी परीक्षाएं हो जाने पर परियोजना के विस्तारों का निर्णय किया जायगा, तथापि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम इस क्षेत्र में अन्वेषण कार्य कर रही है।

Shri Kameshwar Singh : May I know from which ports this iron ore will be loaded and the tonnage which will be loaded per hour ?

डा० चन्ना रेड्डी : यह जांच-पड़ताल का विषय है। जो विदेशी विशेषज्ञ यहाँ आये हुये है वे इसका ब्यौरा तैयार कर रहे हैं। यह भी सम्भावना है कि लौह अयस्क को पाइप के द्वारा दूसरे स्थानों को भेजा जायेगा।

Shri Kameshwar Singh : May I know the reason why the National Mineral Development Council has not fulfilled its commitment of supply of iron ore to M.M.T.C. upto March and it has lowered the prestige of India in the eyes of Japan in respect of supply of iron and ore ? Who is responsible for it ?

Dr. Channa Reddy : It is due to the coal congestion at Calcutta and vizag ports that N. M. D. C. is not exploiting iron ore as much as it should have. The hinderance in its supply is not on account of its less production, but congestion in ports.

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

पश्चिम बंगाल में रेलवे यातायात का अस्त-व्यस्त हो जाना

+

अ. सू. प्र. *37. श्री विभूति मिश्र :

श्री समर गुह :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले दो महीनों में कलकत्ता को जाने तथा वहां से आने वाली सभी रेलगाड़ियों को पश्चिम बंगाल में प्रायः बार-बार रोका गया है, जिसके कारण राज्य में यातायात अस्त-व्यस्त हो गया है और इसका प्रभाव उद्योग तथा व्यापार पर पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है जिससे रेलगाड़ियों को इस प्रकार बार-बार न रोका जाये; और

(ग) पिछले दो महीनों में रेलगाड़ियों के इस प्रकार रोके जाने के परिणामस्वरूप रेलवे, उद्योग और व्यापार को अनुमानतः कितनी हानि हुई है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (स. चु. जमीर) : (क) मई और जून, 1967 में बंगाल में पूर्व और दक्षिण पूर्व रेलों पर सवारी ढोने वाली गाड़ियों को रोकने के 111 मामले हुए थे ।

(ख) रेल परिसरों और रेलगाड़ियों में कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी सम्बन्धित राज्य सरकार की होने के कारण पश्चिम बंगाल की राज्य पुलिस द्वारा यात्रियों की जान व माल की रक्षा के लिये आवश्यक उपाय किये गये हैं । पुलिस महा-निरीक्षक के विशेष अनुरोध पर गाड़ियों में संरक्षक व्यवस्था को मजबूत बनाने में राज्य पुलिस की सहायता करने के लिये रेलवे सुरक्षा विशेष दल की 8 कम्पनियों को तैनात किया गया था और उस समय से स्थिति में सुधार दिखाई दिया है ।

(ग) गाड़ियों को रोके जाने से जहां तक रेलवे का सम्बन्ध है, नगण्य हानि की रिपोर्ट मिली है । व्यापार और उद्योग को होने वाली हानियों का अनुमान आसानी से नहीं लगाया जा सकता ।

Shri Bibhuti Mishra : May I know whether any political party is involved in these cases of hold-ups of trains to and from Calcutta and if so the name of that plarty and the co-operation being extended by the Government of West Bengal and Shri Ajoy Mukherjee to the Central Government in this regard ? In view of the fact that this is a life line of Calcutta, Bengal, Eastern U.P., Bihar, Assam and Orissa, may I know the steps being taken by Government to ensure the safety of the people residing there ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परिमल घोष) : महोदय, जहां तक राजनीतिक दलों का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य को यह प्रश्न गृह-कार्य मंत्रालय से पूछना चाहिए ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : क्या उनके पास कोई जानकारी नहीं है ।

श्री परिमल घोष : हमारे पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

Shri Bibhuti Mishra : Even if this matter relates to the Ministry of Home Affairs, our Railway Minister is also a Member of the Cabinet which is collectively responsible. I, therefore, want to know from the hon-Minister whether any political party is involved in this matter ? Is it also a fact that the sugar which is sent from Bihar is looted by the people and if so, whether the hon-Minister has any information in this regard ?

श्री परिमल घोष : हमारे पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

श्री समर गुह : रेल यातायात में जो यह अनियमितता है, यह एक गम्भीर मामला है । मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि बंगाल के लोग एक दम बदल कर डाकुओं, चोरों अथवा गाड़ियों के आगे लेटने वालों का एक समुदाय तो नहीं बन गये हैं । इसके कुछ मूल कारण हैं ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कोई जानकारी मांगें ।

श्री समर गुह : कांग्रेस के लोग इन मूल कारणों को नहीं समझते हैं ।

श्री हनुमन्तय्या : मैं समझता हूँ कि विवेकानन्द का बंगाल ज्योती बसु का बंगाल नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : इस समय हमारे समक्ष एक अल्प सूचना प्रश्न है ।

श्री समर गुह : इसके दो मूल कारण हैं । मेरे माननीय मित्र श्री विभूति मिश्र ने इसे एक विधि तथा व्यवस्था का मामला बनाने का प्रयत्न किया है । यह अनिवार्यत: एक विधि तथा व्यवस्था की समस्या नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का प्रश्न क्या है ?

श्री समर गुह : इसके दो मूल कारण हैं और सरकार को इन्हें समझना है । पहला मूल कारण यह है कि समूचे बंगाल में खाद्य-संकट उत्पन्न हो गया है, जिससे निराश होकर लोग ऐसा कर रहे हैं.....

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य तो भाषण दे रहे हैं । वह प्रश्न तो बिल्कुल पूछ ही नहीं रहे हैं ।

श्री समर गुह : क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में निराशाजनक खाद्य-संकट उत्पन्न हो गया है जिससे वहां के लोग सरकार को खाद्य-संकट की गम्भीरता का अहसास कराने के लिये इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं ? रेलवे लाइन पर बहुसंख्या में लोग सरकार को यह बताने के लिये लेट जाते हैं कि पश्चिम बंगाल के लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है । दूसरे हर रोज़ लाखों लोग गाड़ियों विशेषकर कलकत्ता में उपनगरीय गाड़ियों में सफर करते हैं परन्तु गाड़ियां समय पर नहीं चलती हैं । इसके ये दो मूल कारण हैं ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है । श्री इन्द्रजीत गुप्त ।

श्री समर गुह : इसका उत्तर क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने काफी अच्छी जानकारी दी है । लोग इससे असहमत हो सकते हैं । उन्होंने दो कारण बताये हैं कि गाड़ियां क्यों रोकी जा रही हैं । पहला यह कि

खाद्य उपलब्ध नहीं है और इसलिये रेलवे लाइनों पर बैठकर लोगों की भूख मिट जायेगी। माननीय मंत्री इस जानकारी के लिये उनके आभारी हैं। इससे अधिक वह क्या कह सकते हैं ?

श्री समर गुह : मैं इसका विरोध करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कोई प्रश्न पूछें।

श्री समर गुह : प्रश्न यह है कि क्या रेलवे मंत्री यह जानते हैं कि रेलवे यातायात में अनियमितता है जिसके फलस्वरूप यात्रियों को बहुत असुविधा होती है। दूसरी बात खाद्य संकट के बारे में है।

श्री पस्मिम घोष : माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है कि क्या यह विधि तथा व्यवस्था का मामला है अथवा नहीं। यह निश्चित रूप से विधि तथा व्यवस्था का मामला है क्योंकि यह गुंडागर्दी के सिवाय और कुछ नहीं है। कुछ लोग जंजीर खेंच कर, हौस पाइप का सम्बन्ध तोड़ कर और रेलवे पथ पर लेट कर गाड़ियों को रोक रहे हैं। जहां तक ऐसा करने के कारणों का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य ने बताया है कि ऐसा खाद्य-संकट के कारण किया जा रहा है। मैं नहीं जानता कि वास्तव में क्या कारण हैं। इसका मेरा यह उत्तर है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में भी इतनी ही गम्भीर समस्या है; परन्तु वहां पर गाड़ियों को नहीं रोका जा रहा है। जहां तक इनमें राजनीतिक दलों का हाथ होने की बात है, मैं पहले बता चुका हूं कि इसका रेलवे मंत्रालय से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या मंत्री महोदय का ध्यान कलकत्ता के कल के "स्टेटस्मैन" में छपे इस बयान की ओर दिलाया गया है। आपकी अनुमति से मैं उसमें से दो वाक्य पढ़ता हूं :—

"सियाल्दह से 70 मील दूर घूबूलिया स्टेशन पर एक शरणार्थी शिविर के लगभग 500 व्यक्तियों को, जब उन्होंने रेलवे लाइन के कई भाग उखेड़ दिये और पुलिस पर बाणों तथा पत्थरों से आक्रमण किया, तितर बितर करने के लिये पुलिस द्वारा चलाई गई गोली से आठ लोग, जिसमें एक औरत शामिल है, घायल हो गये.....प्रदर्शन कारियों ने एक स्थानीय कांग्रेसी नेता के नेतृत्व में लाइन को रोक रखा था और वे अपने शिविर के लिये खाद्य तथा संभिक्षा की मांग कर रहे थे। जब नदिया के सब डिविजनल आफिसर तथा जिलाधीश ने उन्हें शिविर में जाने के लिये कहा तो शरणार्थियों ने कहा कि पुनर्वास मंत्री, श्री निरंजन सेन को यहां आना चाहिये"

स्पष्ट है कि गाड़ियों को रोकने में वहां के कांग्रेस के नेताओं का हाथ है ? यह पश्चिमी बंगाल की सरकार को बदनाम करने के राजनीतिक उद्देश्य से किया जा रहा है। यह आन्दोलन वहां की सरकार के विरुद्ध है। **(अन्तर्बाधा)**

अध्यक्ष महोदय : इसका कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता। श्री भटर्जी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसका उत्तर क्या है ? **(अन्तर्बाधा)** यदि श्री विभूति मिश्र यह सब जानना चाहते हैं तो वह इस बयान को पढ़ सकते हैं। यह मैं माननीय सदस्य को दे सकता हूं।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : बर्दवान में लोगों ने एक गाड़ी रोक कर डिब्बों में से सामान लूट लिया और यहां तक कि स्त्रियों के आभूषणों तक को भी नहीं छोड़ा और इस मामले में एक राजनीतिक दल का हाथ है। क्या माननीय मंत्री को इस घटना का पता है और यदि हां तो क्या वह इस बारे में सभा में बयान देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : लूट-खसोट तो आज खूब हो रही है। अन्य दलों पर कीचड़ क्यों उछाला जाये। हमें लूट खसूट पर नियन्त्रण रखने का प्रयत्न करना चाहिये। श्री वाजपेयी

Shri A. B Vajpayee : Is it not a fact that Railway employees particularly Drivers, Guards and Station Masters were man handled in the incidents of hold ups took place so far ? Has the Ministry of Railways taken any special steps to ensure the safety of their employees because if they are not be allowed to do their work, they will go on strike on any day ?

श्री परिमल घोष : कुछ ऐसे मामलों का पता लगा है जिनमें रेलवे कर्मचारियों को पीटा गया है। इसलिये ऐसी गाड़ियों के साथ, जिन पर आक्रमण होने की सम्भावना होती है, पुलिस साथ जाती है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मार्च से जून, 1967 तक कितनी बार गाड़ियों को रोका गया और उनमें से कितनी बार गाड़ियां यात्रियों द्वारा रेलवे यातायात में अनियमितता के कारण रोकी गई और कितनी अन्य लोगों द्वारा रोकी गई ?

श्री परिमल घोष : 18-6-67 से 30. 6. 67 के बीच.....

श्री ज्योतिर्मय बसु : पहली मार्च से तीस जून, 1967 तक।

श्री परिमल घोष : मेरे पास इस अवधि के बीच हुई घटनाओं का विवरण नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अच्छा वही जानकारी दी जाये जो उनके पास है।

श्री परिमल घोष : पूर्व रेलवे पर अप्रैल, 1967 में 18, मई में 32 और जून में 31 बार गाड़ियां रोकी गयीं। दक्षिण-पूर्व रेलवे पर अप्रैल में 8, मई में 22 और जून में 26 मामले हुए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : संचालन में अनियमितता और रेलवे की असफलता के कारण यात्रियों द्वारा कितनी बार गाड़ियां रोकी गईं ?

श्री परिमल घोष : इन घटनाओं में कोई ऐसी घटना नहीं है जो किसी यांत्रिक गड़बड़ी के कारण हुई हो। इन सभी मामलों में गाड़ियों को रोका गया था।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इनमें से कितनी बार यात्रियों द्वारा गाड़ियां रोकी गई थीं ?

श्री परिमल घोष : इसका हमें पता नहीं है।

Shri Prakash Vir Shastri : May I know the number of the incidents which took place before the month of February and also of those which took place during the last six months and whether there has been any proportional increase in these incidents during the last six months and if so, the percentage thereof ?

श्री परिमल घोष : पिछले महीने से गाड़ियों को रोकने के मामलों में कमी हुई है। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि यह विधि तथा व्यवस्था का मामला है और इसमें राज्य सरकार आरम्भ से ही अपना सहयोग दे रही है। वह हर प्रयत्न कर रही है। परन्तु उन द्वारा किये जा रहे इन प्रयत्नों के बावजूद वे स्थिति का मुकाबला करने में असफल रहे हैं। इसीलिये पश्चिमी बंगाल के पुलिस महा निरीक्षक ने रेलवे बोर्ड से रेलवे सुरक्षा दल की लगभग 8 कम्पनियां मांगी थी और उनका सन्देश मिलते ही रेलवे बोर्ड ने 8 कम्पनियां भेज दी। तब से गाड़ियों के रोकने के मामलों में उत्तरोत्तर कमी हो रही है।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख : क्या सरकार प्रदर्शनकारियों के बैठने के लिये रेलवे लाइनों पर पर्याप्त प्रबन्ध करेगी।

अध्यक्ष महोदय : डा० रानेन सेन।

डा० रानेन सेन : क्या माननीय मंत्री यह जानते हैं कि जब से महा कलकत्ता क्षेत्र में राशन की व्यवस्था की गई है तब से गांवों से चोरी छिपे अनाज कानूनी राशन क्षेत्र में ले जाया जाता रहा है और पिछले कुछ दिनों से चोरी छिपे अनाज ले जाने के मामलों में बहुत वृद्धि हो गई है; क्योंकि हाल ही में यह आशंका व्यक्त की गई है कि कुछ रेलवे कर्मचारी भी चोरी छिपे अनाज ले जाने वालों के साथ मिले हुए हैं और इसके फलस्वरूप ऐसे कई मामले हुए हैं जिनमें कलकत्ता और अन्य क्षेत्रों को अनाज ले जाने वालों को पकड़ने के लिये गाड़ियां पुलिस द्वारा रोकी गई थीं और यदि माननीय मंत्री यह जानते हैं तो रेलवे सुरक्षा पुलिस की सुरक्षा के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं, जिससे चोरी छिपे अनाज ले जाने वालों को गिरफ्तार किया जा सके ?

श्री परिमल घोष : जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं इन सब बातों के लिये पश्चिम बंगाल की सरकार ही जिम्मेदार है। इसके अलावा जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, पश्चिमी बंगाल सरकार को अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता थी और वह सहायता उन्हें दे दी गई है।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा : पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने गृह-कार्य मंत्री को लिखा था कि कुछ ऐसे दस्तावेज पाये गये हैं जिनमें से यह पता चला है कि गाड़ियों के संचालन में तथा अन्य चीजों में गड़बड़ी करना वामपक्षी कम्यूनिष्टों के कार्यक्रम का ही एक भाग था। जो कुछ भी है, चाहे किसी इस्पात कारखाने की स्थापना के बारे में आन्दोलन हो अथवा राजनीतिक दल की कार्यवाहियां हों, इनसे क्षति रेलवे को ही पहुंचती है। क्या रेलवे प्रशासन ने इन समस्याओं का पता लगाने तथा उन्हें सुलझाने के लिये गृह-कार्य मंत्रालय के साथ विचार विमर्श किया है ?

अध्यक्ष महोदय : श्री कंवर लाल गुप्त।

Shri Kanwar Lal Gupta : Has the Government of West Bengal been requested to give any help to prevent these incidents of hold-ups and squatting on the tract and if so the nature thereof ?

श्री परिमल घोष : पूर्व रेलवे के जनरल मैनेजर ने पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री को हर प्रकार की सहायता देने के लिये कहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री रेलवे प्रशासन को आवश्यक सहायता देने का प्रयत्न कर रहे हैं जिससे इन घटनाओं को....

श्री कंवर लाल गुप्त । किस प्रकार की सहायता मांगी गई थी और कितनी सहायता दी गई ? स्पष्ट करके बताया जाये ।

श्री परिमल घोष : जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री रेलवे की सहायता करना चाहते हैं और इसी आधार पर उन्होंने रेलवे बोर्ड से रेलवे सुरक्षा बल की 8 कम्पनियां भेजने के लिये कहा था । इन कम्पनियों को भेज दिया गया है जो वहां पर जी० आर० पी० पुलिस की सहायता कर रही हैं ।

Shri Sitaram Kesri : Is it a fact that a photograph of Mao Tse-Tung is given to the passengers by these squatters and they are asked to raise this slogan 'Long live Mao Tse-Tung' and the passenger who refuses to raise this slogan is harassed and humiliated ? Has the hon-Minister received any such reports ?

श्री परिमल घोष : जी, नहीं, हमारे पास इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या माननीय मंत्री को यह मालूम है कि विशेषकर कलकत्ता के उपनगरीय क्षेत्र में यात्रा करने वालों की काफी संख्या होती है और गाड़ियों की अनियमित सेवाओं के कारण भीड़ भाड़ होने से लोगों में सहन करने की शक्ति अन्तिम सीमा तक पहुँच गई है और इसीलिये कभी कभी ऐसी घटनायें हो जाती है ? माननीय मंत्री इस बारे में क्या करने जा रहे हैं ?

श्री परिमल घोष : उपनगरीय क्षेत्र में भीड़ भाड़ तो है, परन्तु यह कोई नई बात नहीं है जो पिछले चार महीनों में हुई हो । यह भीड़ भाड़ तो पिछले 1½ वर्ष से है । गाड़ियों को रोकने की इन घटनाओं के बारे में मैं यह कहूंगा कि इनका प्रत्यक्ष कारण भीड़ भाड़ आदि नहीं हैं ।

Shri Prem Chand Verma : The hon-Minister has just pointed out that there has been as many as 111 cases of hold-ups. May I know the number of persons who were arrested ; who were killed, who were injured ; and who suffered any damage as a result of these incidents ?

श्री परिमल घोष : पूर्व रेलवे पर मई में एक और जून में 42 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये । दक्षिण-पूर्व रेलवे पर जून में 13 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये । पूर्व रेलवे में 26 जुलाई तक 30 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ।

श्री स. मो. बनर्जी : क्या रेलवे मंत्रालय ने इस समस्या का कोई स्थायी हल निकालने के लिए पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री अथवा वहां के गृह कार्य मंत्री से विचार-विमर्श किया है ।

श्री परिमल घोष : जहां तक विधि तथा व्यवस्था का सम्बन्ध है, रेलवे अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री तथा वहां के उप-मुख्य मंत्री से बातचीत की थी ।

श्री रा. दो. भण्डारे : चूंकि रेलवे सुरक्षा बल को इतनी शक्तियां प्राप्त नहीं हैं कि वे यात्रियों की सुरक्षा कर सकें, क्या मैं यह जान सकता हूं कि इस प्रयोजन के लिये उन्हें शक्तियां प्रदान करने की दिशा में क्या कदम उठाये जायेंगे ?

श्री परिमल घोष : हमने हाल ही में एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति बनाई हैं जो इन बतों पर विचार कर रही है ।

Shri Molahu Prasad : The people taking part in the non-violent agitations are being arrested under the criminal law and they are not treated as political prisoners. May I know whether there is any provision in the law in regard to such people ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में इस प्रश्न का उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

Shri A. S. Saigal : The high-powered committee which has constituted to give additional powers to the Railway Protection Force has not so far taken any decision. May I know whether they will be given the power to fire at the squatters on the spot ?

श्री परिमल घोष : मैं पहिले ही बता चुका हूं कि हमने एक उच्च स्तरीय समिति बनाई है जो रेलवे सुरक्षा बल को अतिरिक्त शक्तियां देने के सम्बन्ध में उपायों पर विचार करने के लिये मुख्य मंत्रियों से मिलेगी ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : गाड़ियों को रोकने तथा सामान लूटने के कई मामले हो चुके हैं। क्या मंत्री महोदय के पास यह जानकारी है कि गाड़ियों में से जनता की कितने मूल्य की सम्पत्ति लूटी गई और व्यापारियों को कोई प्रतिकर दिया गया है अथवा नहीं ?

श्री परिमल घोष : गाड़ियों को रोकने के मामलों में रेलवे सम्पत्ति को जो हानि हुई है वह बहुत ही कम है ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : मैं यात्रियों की सम्पत्ति के बारे में पूछ रहा था ?

श्री परिमल घोष : यात्रियों की सम्पत्ति के बारे में भी लूट-खसोट के कोई विशिष्ट मामले नहीं हैं । व्यापारियों ने भी ऐसी कोई बात नहीं कही है कि इससे उनके कारोबार पर कोई कुप्रभाव पड़ा है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वे राई का पहाड़ बना रहे हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITEN ANSWERS TO QUESTION

ट्रान्सफारमरों का निर्माण

* 1446 **श्री सु० कु० तापड़िया**
श्री प्र० नं० सोलंकी

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय** कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर सरकारी क्षेत्र की कम्पनी को 220 किलोवाट के ट्रान्सफारमरों का निर्माण करने की अनुमति नहीं दी है, यद्यपि उनके पास तकनीकी जानकारी तथा अधिष्ठापित क्षमता है :

(ख) क्या यह सच है कि पिछले दो वर्षों में 8 करोड़ रुपये के ट्रान्सफारमरों का आयात किया गया है; और

(ग) जब यह सामान देश में बन सकता है तब दुर्लभ विदेशी मुद्रा व्यय करने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) पिछले दो वर्षों में ट्रान्सफारमरों का आयात किया गया है । शक्ति चलित ट्रान्सफार्मरों के आयात का ब्योरा अलग उपलब्ध नहीं है ।

(ग) आयात के लिये अत्यधिक जांच-पड़ताल करने और सभी पहलुओं जैसे देश में उनकी उपलब्धि और दिये जाने की तारीखों पर विचार करने के पश्चात् अनुमति दी जाती है । यद्यपि इस समय देश में बड़े ट्रान्सफार्मरों का निर्माण हो रहा है, तो भी देशी निर्माताओं द्वारा उन्हें दिये जाने की अवधि के अन्दर न दे सकने के कारण पहले आयात की अनुमति भी दी गई थी । पिछले दो वर्षों में जो आयात किया गया उसके लिए चार वर्ष पहले अनुमति दी जा चुकी थी । 220 किलोवाट परास के भारी ट्रान्सफार्मरों का उत्पादन हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि० भोपाल में दो वर्ष पहले से ही प्रारम्भ किया गया है ।

'पैनिकर्स रिएकशन'

***1451 श्री वासुदेवन नायर** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'पैनिकर्स रिएक्शन' की मुख्य बातें क्या हैं और इसकी क्षमता क्या है तथा भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग में तथा अन्य उद्योगों में इसका कितना उपयोग होता है;

(ख) यदि इससे कुछ विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, तो कितनी; और

(ग) इस प्रक्रिया को काम में लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) से (ग) 'पैनिकर्स रिएक्सन' का दावा है कि एमोनिया सल्फेट के उपयुक्त आवेजन से आक्सीजनकृत तथा इसी प्रकार के दूसरे सम्मिश्रित धातु 45° डिग्री सेन्टीग्रेड के नीचे बदल जाते हैं । इसके प्रयोग तथा इसकी विदेशी मुद्रा अर्जित करने की सम्भावित शक्ति का अभी अन्दाजा लगाया जाना है ।

'शीट पाइल्स' बनाने के लिए इस्को को विश्व बैंक से ऋण

***1452 श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स इस्को को 'शीट-पाइल्स' बनाने के लिए विश्व बैंक से भारी मात्रा में ऋण लेने की अनुमति दी गई है:

(ख) यदि हां, तो ऋण सम्बन्धी ब्योरा क्या है और वह किस लिए लिया जा रहा है; और

(ग) क्या इस्को ने 'शीट–पाइल्स' सप्लाई करने के लिए कोई निश्चित तारीख निर्धारित की है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) अप्रैल, 1967 में फरक्का बेरेज ने मैसर्स इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड को 5,253 टन शीट पाइल्स की सप्लाई का एक बड़ा आर्डर दिया था । ऐसी सम्भावना है कि इस आर्डर पर 1000 टन माल अक्टूबर, 1967 तक सप्लाई कर दिया जायेगा । शेष माल अक्तूबर 1968 तक सप्लाई किया जायगा ।

रेल के जाली टिकट छापना तथा उनकी बिक्री

***1453. श्री बाबूराव पटेल** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल के जाली टिकट छापने अथवा प्रयुक्त टिकटों को फिर से बेचने वाले टिकट जालसाजों के गिरोह देश के किन किन भागों में सक्रिय हैं तथा इस गिरोह के गिरफ्तार किये गये प्रमुख सदस्यों के क्या नाम हैं;

(ख) इन जाली टिकटों को छापने वाले मुद्रणालयों के नाम और पते क्या हैं;

(ग) अब तक कितने तथा कितने मूल्य के जाली टिकट पकड़े गये हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (घ) सूचना सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

आग बुझाने के काम आने वाले 'होजों' का निर्माण

***1454. श्री न० कु० माल्वे** — **श्री नीति राज सिंह चौधरी**
श्री नाथूराम अहिरवार — **श्री ग० च० दीक्षित** :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयश्री टैक्सटाइल इन्डस्ट्री बिड़ला समूह की फर्म है;

(ख) क्या इस फर्म को योजना आयोग द्वारा निर्धारित की गई पूरी क्षमता के लिए आग बुझाने के काम आने वाले 'होज' के निर्माण का एक औद्योगिक लाइसेंस दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो उक्त क्षमता कितनी थी;

(घ) क्या उक्त फर्म ने इन होज पाइपों के निर्माण के हेतु कपड़ा आयुक्त से तथा साथ ही प्रतिरक्षा मन्त्रालय के सप्लाई विभाग से भी फ्लैक्स के आयात के लाइसेंस लिये थे;

(ङ) यदि हां, तो प्रत्येक लाइसेंस पर फ्लैक्स की कितनी मात्रा आयात करने की अनुमति दी गई और आयात की गई फ्लैक्स की मात्रा से आग बुझाने के काम जाने वाले कितने होज पाइप बनाये जा सकते थे: और

(च) वास्तव में ऐसे कितने होज पाइप बनाये गये ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (च) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

हावड़ा रेलवे स्टेशन पर भीड़

*1455. **श्री समर गुह** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हावड़ा स्टेशन पर आने और जाने वाली गाड़ियों की इतनी भीड़ रहती है कि उससे गाड़ियों के छूटने में देर, यात्रियों को परेशानी और माल के ढोने में देर होती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कोई ऐसी योजना तैयार की है जिसके अनुसार कुछ आने और जाने वाली गाड़ियों का हावड़ा से सियालदह स्टेशन पर बदल दिया जायेगा ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) हावड़ा स्टेशन की परिसीमा में गाड़ियों की कोई भीड़-भाड़ नहीं है । उस स्टेशन पर न केवल मौजूदा गाड़ियों को सम्हालने के लिए, बल्कि बढ़ते हुए यातायात की जरूरतों को पूरा करने के लिए भविष्य में और अधिक गाड़ियों को सम्हालने के लिए भी पर्याप्त सुविधाएँ हैं । मौजूदा किसी गाड़ी को हावड़ा की बजाय सियालदह से चलाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है ।

औद्योगिक प्रगति

1456. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **औद्योगिक विकास तथा सलवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष की पहली दो तिमाहियों में औद्योगिक प्रगति की दर कितनी रही है और पिछले दो वर्षों की इसी अवधि की तुलना में यह प्रगति कितनी कम अथवा अधिक है;

(ख) क्या वर्ष 1966 में औद्योगिक प्रगति में हुई गिरावट का रुख अभी भी जारी है ।

(ग) औद्योगिक प्रगति को बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों में अब तक हुई औसत औद्योगिक प्रगति इस सम्बन्ध में चौथी योजना में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में कितनी है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) औद्योगिक उत्पादन के सामान्य सूचनांक केवल मार्च, 1967 तक ही उपलब्ध हैं । ये निम्न प्रकार हैं:—

(आधार 1956—100)

वर्ष 1966 का औसत	191·6
जनवरी, 1967	197·1
फरवरी, 1967	189·3
मार्च, 1967	204·2

1967 की पहली तिमाही के औसत सूचकांक में 1965 की अपेक्षा 4·3 प्रतिशत तथा 1966 की तुलना में 3·2 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

(ख) फरवरी, 1967 में यद्यपि उत्पादन में कमी हुई किन्तु जनवरी और मार्च, 1967 में उत्पादन का स्तर 1966 की अपेक्षा ऊँचा रहा ।

(ग) जून, 1966 में रुपये का अवमूल्यन हो जाने के पश्चात आयातों में विशेष कर प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों में उदारता के लिए कदम उठाये गये । गैर प्राथमिकता वाले उद्योगों तथा लघु उद्योगों को अधिक विदेशी मुद्रा नियत किये जाने के लिये भी उपाय किये गये । कुछ उद्योगों को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता से छूट दे दी गई । विद्यमान उद्योगों में, सीमा के अन्दर रहते हुये विविध प्रकार का उत्पादन करने के लिये अनुमति दी गई ।

उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से निर्यात के लिए प्रोत्साहन भी दिया जाता है । उद्योग स्थापित करने की दृष्टि से विशेष जानकारी देने तथा उनकी समस्याएँ हल करने के लिये हाल ही में एक प्रणाली लागू की गई है । वित्त मंत्री ने लोक सभा में 24 जुलाई, 1964 को अपने भाषण में औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये वित्तीय तथा अन्य अनेक उपायों की घोषणा की है ।

(घ) चौथी पंच-वर्षीय योजना के मसौदे की रूप-रेखा में लगभग 12 प्रतिशत प्रति वर्ष उत्पादन की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है । 1966-67 में उत्पादन में 2·7 प्रतिशत की वास्तविक वृद्धि हुई थी । संभव है कि 1967–68 में यह वृद्धि चौथी योजना में मूल रूप से निश्चित लक्ष्य से काफी कम हो ।

रेलगाड़ी कंडक्टर

***1457. श्री म० ला० सोंधी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलगाड़ी कंडक्टरों को केवल उच्च श्रेणी के यात्रियों की सुख सुविधाओं की ही देखभाल करने के निर्देश दिये जाते हैं,

(ख) यदि हां, तो क्या निम्न श्रेणी के यात्रियों की सुख सुविधाओं की देखभाल करने के लिये भी ऐसी ही व्यवस्था करने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मोटर गाड़ी उद्योग

***1458. श्री योगेन्द्र शर्मा** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रकों तथा वाणिज्यिक मोटर गाड़ियों की मांग गिर जाने के कारण मोटर गाड़ी उद्योग संकट का सामना कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संकट का मुकाबिला करने के लिये सरकार ने उद्योग की मदद देने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) सरकार को इसका पता है कि वाणिज्यिक गाड़ियों की मांग कम हो जाने के कारण कुछ निर्माताओं ने हाल के महीनों में उत्पादन में कटौती कर दी है और कुछ मजदूरों को काम से हटा दिया है।

(ख) रिजर्व बैंक द्वारा पिछले अप्रैल में अनुसूचित बैंकों पर किराया खरीद के आधार पर कम्पनियों को ऋण देने तथा वाणिज्यिक गाड़ियां खरीदने के लिये वित्त-व्यवस्था करने के संबन्ध में वापस ले लिये गये हैं। इन प्रतिबन्धों के वापस लिये जाने के पश्चात् आशा है कि वाणिज्यिक बैंकें किराया खरीद के आधार पर बिक्री के लिये अधिक ऋण उपलब्ध करवा कर वित्त-व्यवस्था करेंगे जिससे वाणिज्यिक गाड़ियों की मांग और बिक्री संबंधी स्थिति को सुधारने में सहायता मिलेगी।

लघु उद्योग

***1459. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : श्री गा० शं० मिश्र**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारियों को ऋण देना बन्द कर दिये जाने के परिणाम स्वरूप देश में लघु उद्योगों की प्रगति पर हानिकर परिणाम हुआ है; और

(ख) बाजार में आइ मन्दी की प्रवृत्ति को देखते हुये छोटे कारखानों के कारोबार को चलाये रखने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) जी, नहीं।

(ख) लघु उद्योगों को बैंकों द्वारा दी जाने वाली अग्रिम राशि बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन देने हेतु सरकार उधार गारंटी योजना के अधीन इस प्रकार के ऋणों की गारन्टी देती आ रही है। इसके लिये अन्य विभिन्न उपाय किये गये हैं, जैसे सरकारी माल खरीद कार्यक्रम में लघु उद्योगों के उत्पादों के लिये मूल्य में प्राथमिकता देना, इन वस्तुओं का निर्माण केवल लघु क्षेत्र के लिए रक्षित रखना तथा निर्यात को प्रोत्साहन देना आदि। लघु एककों को उन वस्तुओं के उत्पादन में विविधता लाने के लिए भी परामर्श दिया जा रहा है जिनकी तत्काल बिक्री हो सके।

BOARD OF TRADE

***1460 Shri Raghuvir Singh Shastri**
Shri Y. S. Kushwah
Shri Prakash Vir Shastri
Dr. Surya Prakash Puri
Shri Atam Das
Shri Ram Avtar Sharma
Shri Shiv Kumar Shastri
Shri Ram Gopal Shalwale
Shri Hukam Chand Kachwai

Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) the number of parties whose names were recommended to Government by the Board of Trade during their tenure for granting export licences for various commodities and the names of such commodities ; and

(b) the number of those parties to whom licences were granted by Government on its recommendations ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) It is not one of the functions of the Board of Trade to recommend grant of export licences to individual

parties. We are not aware that any party was recommended by the Board of Trade for the grant of any export license.

(b) Does not arise.

भारती मिल्स पांडिचेरी

*1461. श्री उमानाथ :
श्री चक्रपाणि
श्री नायनार :
श्री रमानी :
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री वि० कु० मौडक :

क्या वाणिज्य मंत्री 30 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4263 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 19 अगस्त, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 543 के उत्तर में तात्कालिक वाणिज्य मंत्री श्री मनुभाई शाह द्वारा दिये गये इस आश्वासन का पता है कि भारती मिल्स लिमिटेड, पांडिचेरी के बन्द होने से पूर्व उसमें जितने कर्मचारी काम करते थे, उन सब को वापिस काम पर बुला लिया जायेगा;

(ख) क्या यह सच है कि उपर्युक्त आश्वासन के विपरीत लगभग 500 श्रमिकों की और क्लर्कों की छंटनी कर दी गई है;

(ग) यदि हाँ, तो इतने बड़े पैमाने पर छंटनी करने का क्या कारण है; और

(घ) आश्वासन की महता तथा यथास्थिति बनाये रखने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) श्री भारती मिल्स लिमिटेड, पांडिचेरी एक मिली-जुली (कम्पोजिट) कपड़ा मिल है। दिसम्बर, 1965 में जब यह बंद हुई थी उस समय इसकी प्रस्थापित क्षमता 25,000 तकुए तथा 386 करघे थी और इसमें लगभग 900 स्थायी कर्मचारी काम पर लगे हुए थे और 300 पूल कर्मचारी थे जिनको अभी स्थायी बनाया जाना था तथा लगभग 400 अस्थायी कर्मचारी थे जिन्हें समय समय पर हुए परिवर्तनों के अनुसार काम पर लगाया जाता था। उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 15 के अन्तर्गत मिल के मामलों की देख-भाल करने के लिये एक जांच समिति नियुक्त की गई थी तथा उसने अन्य बातों के साथ-साथ एक प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति तथा मिल को, केवल 16,280 तकुए एवं 144 करघे चलाकर फिर से चालू करने की सिफारिश की थी। इससे लगभग 800 कर्मचारियों को काम मिल सकता था। समिति ने यह संकेत भी दिया था कि दूसरी अवस्था में कताई विभाग में 1 लाख रु० तथा बुनाई विभाग में 30,000 रु० खर्च करने के बाद तथा इमारत के विस्तार के पूरा हो जाने पर 3 पारियों में 4944 तकुए तथा 2 पारियों में 152 सामान्य करघे चालू किये जा सकते हैं। इसके फलस्वरूप रोजगार पाने वाले कर्मचारियों की संख्या बढ़कर लगभग 1100 हो जायेगी।

मई 1966 में यह मिल एक प्राधिकृत नियंत्रक के अधिकार में रखी गई थी परन्तु वास्तव में यह फरवरी, 1967 में ही दुबारा चालू हुई। अभी तक केवल 16,000 तकुए तथा

96 करघे चालू किये जा सके हैं। इसलिये लगभग 500 कर्मचारियों को दुबारा काम पर लगाना सम्भव नहीं हो सका है। कुल लगभग 1200 स्थायी तथा अस्थायी कर्मचारियों में से मिल में लगभग 700 कर्मचारी काम पर लगाये जा चुके हैं और अभी तक 500 कर्मचारियों को, जिनमें अर्द्धलिपिक भी शामिल हैं, काम नहीं मिल सका है।

संसद में 19 अगस्त, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 543 के पूरक प्रश्नों के उत्तर में भूतपूर्व वाणिज्य मंत्री ने यह कहा था कि सभी कर्मचारियों को वापिस काम पर लगा लिया जायेगा। स्पष्ट है कि उनका मतलब स्थायी कर्मचारियों से था। मिल के दुबारा चलने की दूसरी अवस्था के पूरा हो जाने पर इन सभी स्थायी कर्मचारियों को वापिस काम पर लगा लिया जायेगा और ऐसी आशा है कि अधिकांश पूल कर्मचारियों को भी काम पर वापिस लगाया जा सकेगा। ऐसी परिस्थितियों में दिये गये आश्वासन से पीछे हटने का कोई इरादा नहीं है परन्तु उसको क्रमशः क्रियान्वित करने का विचार है जो तकनीकी सम्भाव्यता तथा वित्तीय क्षमता आदि विभिन्न दृष्टिकोणों से मिल के सर्वोत्तम हित में हो।

Exports

*1462 **Shri Molahu Prasad :**
Shri Shiv Charan Lal :
Shri Ram Charan :
Shri Ramji Ram :

Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) the names of those items of goods which are exported by the projects in the private and public sectors in Uttar Pradesh ;

(b) whether raw material is made available to them in proportion to the amount of their exports on International prices only in case these prices are less than those prevailing in the country ;

(c) if not, whether raw material is made available to the projects in private and public sectors in Madras and West Bengal on international prices ; and

(d) if so, the reasons for this discrimination ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

सूत का मूल्य

*1463. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
श्री रा० बरुआ :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूत का मूल्य एक उचित स्तर पर निर्धारित करने के उद्देश्य से सूत और उसकी कताई के लागत ढांचे के बारे में विचार करने के लिये कताई करने वाले, बुनकरों और सरकारी अधिकारियों की एक समिति स्थापित करने के प्रस्ताव पर सरकार ने विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में इस बीच कोई निर्णय कर लिया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कोयना अल्युमीनियम परियोजना

*1464. **श्री जार्ज फरनेन्डीज**
श्री मधु लिमये
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयना अल्युमीनियम परियोजना के सम्बन्ध में भारत अल्युमीनियम कम्पनी ने कितनी प्रगति की है;

(ख) क्या इस परियोजना के लिये पश्चिम जर्मन सहयोगकर्ता फर्म के साथ सहयोग करार किया गया है;

(ग) परियोजना की अनुमानित लागत क्या है;

(घ) प्रारम्भिक कार्यों पर अब तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है; और

(ङ) इस कारखाने में कब से उत्पादन होने की आशा है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) और (ख) 15 जनवरी, 1964 को भारत सरकार ने महाराष्ट्र में सरकारी क्षेत्र में एल्यूमिनियम प्लांट सम्पन्न करने का निर्णय किया। इस निर्णय के बाद सरकार ने पश्चिमी जर्मनी के परामर्शदाताओं मैसर्स वैरी-निगटे एल्यूमिनियम वर्क (वा) के साथ बातचीत की जिनका संबंध इस परियोजना से पहले से ही था जबकि इसे निजी पक्ष में कार्यान्वित करने का विचार था। पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस, इटली आदि से आवश्यक ऋण प्राप्त करने के प्रबंध भी करने थे। 27 नवम्बर, 1965 को भारत एल्यूमिनियम कम्पनी बनाई गई और आगे बातचीत करने के बाद कम्पनी ने 6-1-1966 को कोयना एल्यूमिनियम परियोजना के लिए तकनीकी सहायता प्राप्त करने का एक समझौता मैसर्स वा के साथ किया। समझौते की शर्तों के अनुसार जुलाई, 1966 में मैसर्स वा ने एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की। मैसर्स वा द्वारा बताये गए लागत के अनुमान परियोजना के लिए कुछ अधिक प्रतीत हुए। इसलिए वालकों ने और स्पष्टीकरण प्राप्त किये परामर्शदाताओं से स्पष्टीकरण प्राप्त होने के बाद, वालकों ने परियोजना के अनुमानों की पुनरीक्षा की है जो कि अब सरकार के विचाराधीन है।

इसके अतिरिक्त, प्रद्रावक को चाहे जाने वाले स्फोदिज के निक्षेपों का विस्तृत अनुसंधान पूरा हो चुका है। इस परियोजना के लिए आवश्यक बिजली और पानी प्राप्त करने के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार के साथ एक ठेके को अन्तिम रूप देने के लिए बातचीत की जा रही है। देशी उपकरण के प्राप्त करने पर भी जाँच की जा रही है और प्रारम्भिक निर्माण कार्य की योजना हाथ में ले ली गई है।

(ग) इस परियोजना के अनुमानों जो कि इस समय सरकार के विचाराधीन है को अन्तिम रूप दिये जाने पर ही इस परियोजना पर आने वाली लागत का अनुमान लगाया जा सकेगा।

(घ) "प्रारम्भिक कार्यों" जैसे किसी विशेष शीर्षक के अधीन अभी तक कोई व्यय नहीं किया गया है। तथापि भारत एल्यूमिनियम कम्पनी द्वारा जून 1967 के अन्त तक परियोजना पर कुल 23·35 लाख रुपये खर्च किये गये हैं। जिसमें स्फोदिज के अनुसंधानों पर किये गये व्यय तथा परामर्श शुल्क आदि की किश्तों की अदायगी आदि शामिल हैं।

(ङ) कोयना एल्यूमिनियम परियोजना चौथी योजना के लिये बनायी गयी रूपरेखा के मसौदे में शामिल है और आशा थी कि यह योजना के अन्त तक पूर्ण हो जायगी। उत्पादन के शुरू होने की पक्की समय सारिणी तभी बनाई जा सकेगी जबकि परियोजना के अनुमान आदि को अन्तिम रूप देकर सरकार इस परियोजना को स्वीकृति दे देगी।

ड्राइवर के बिना चल रही बम्बई उपनगरीय रेल गाड़ी

***1465. श्री तुलशीदास जाधव ;**
श्री देवराव पाटिल :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 30 जून, 1967 अथवा उसके लगभग बम्बई की एक स्थानीय रेल गाड़ी बिना ड्राइवर के चल रही थी और वह गाड़ी निश्चित स्टेशनों पर खड़ी नहीं हुई क्योंकि ड्राइवर को मार कर गाड़ी से बाहर फेंक दिया गया था;

(ख) क्या सरकार ने इस घटना के बारे में कोई जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चं० मु० पुनाचा) : (क) 30-6-1967 को, जब उपनगरीय गाड़ी नं० एस० डब्ल्यू० 462 अप विरार से 22.27 बजे चर्चगेट के लिए रवाना हुई, तो वह बेसिन रोड से 22·45 बजे छूटने के बाद बिना किसी मोटरमैन के नौगांव मायंदर, मीरा रोड और दहिसर स्टेशनों से गुजरी। खोज करने पर बेसिन रोड स्टेशन के 'ए' केबिन के पास रेलवे लाइन की बगल में मोटर मैन को बेहोशी की हालत में पड़ा पाया गया। अस्पताल ले जाने पर उसे मरा हुआ बताया गया।

(ख) और (ग) सरकारी रेलवे पुलिस और महाराष्ट्र के खुफिया विभाग द्वारा मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है।

थाइलैंड से जूट का आयात

***1466. श्री मधु लिमये :** **श्री जार्ज फारनेन्डीज :**
श्री स. मो. बनर्जी : **श्री राम सेवक यादव :**
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने थाईलैण्ड से जूट के आयात की शिकायतों के संबंध में जांच कराई है;

(ख) क्या यह सच है कि पहले ये आयात पाकिस्तान से किये जाते थे; और

(ग) क्या इस प्रकार के आयात के लिये सामान्य अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों से अधिक मूल्य दिया जाता है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) थाईलैण्ड से पटसन के आयात के एक विशिष्ट मामले पर जो, अधिक मूल्य के बीजक बनाने से संबंधित है, केन्द्रीय जांच ब्यूरो जांच कर रहा है। मामले की अभी जांच हो रही है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में श्रमिकों में असंतोष

***1467. श्री रा० बरुग्रा**
श्री खं० चु० देसाई
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में छपी इस आशय की खबरों की ओर दिलाया गया है कि देश में, विशेषकर पश्चिम बंगाल में, श्रमिकों में बढ़ते हुए असन्तोष के कारण विदेशी विनियोजक पूंजी लगाने से घबराने लग गये हैं तथा कुछ विदेशी सहयोग कर्ता इस देश में अपना व्यापार बन्द करने की बात सोच रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच की है तथा क्या विदेशी विनियोजकों के हितों की रक्षा करने के लिये कोई अनुवर्ती उपाय किये गये हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय सरकार पहले ही पश्चिम बंगाल की औद्योगिक अशान्ति पर गहरी चिन्ता प्रकट कर चुकी है। माननीय सदस्य का ध्यान इसी सभा में गृह मंत्री द्वारा 29 मई, 1967 को इस विषय पर दिये गये वक्तव्य की ओर आकर्षित किया जाता है।

अखबारी कागज बनाने का कारखाना

***1468. श्री कामेश्वर सिंह :**
श्री श्रीधरन :
श्री पार्थसारथी :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के प्रमुख समाचार पत्रों को अखबारी कागज बनाने के कारखाने लगाने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो अखबारी कागज बनाने के कितने नये कारखाने स्थापित किये जायेंगे; और

(ग) अखबारी कागज बनाने के इन कारखानों के लिये कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) सरकार ने किसी भी समाचार पत्र विशेष से अखबारी कागज का संयंत्र लगाने के लिए नहीं

कहा है। यदि किसी समाचार पत्र द्वारा अकेले अथवा सम्मिलित रूप से कोई दूसरी योजना प्रस्तुत की जाती है तो उस पर तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए विचार किया जायेगा। अखबारी कागज बनाने का उद्योग भी अब उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के लाइसेंस देने वाले उपबन्धों के क्षेत्र से मुक्त कर दिया गया है।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता।

इण्डिया इलैक्ट्रिक वर्क्स लिमिटेड कलकत्ता का बन्द हो जाना

*1469. **श्री इन्द्रजीत गुप्त**
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डिया इलैक्ट्रिक वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता को बन्द होने से रोकने के मार्गोपाय के बारे में बातचीत करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार के वित्त मन्त्री हाल में उन से मिले थे; और

(ख) यदि हां, तो उसकी बातचीत का क्या परिणाम निकला ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) वित्त मन्त्री ने राज्य सरकार के ठोस प्रस्ताव भेजने का वचन दिया था, जिनकी प्रतीक्षा है।

Setting up of Big Cement Projects in U. P.

*1470 **Shri Molahu Prasad :** **Shri Ram Charan :**
Shri Shiv Charan Lal : **Shri Ramji Ram :**

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state.

(a) whether Government have received any request from the Government of Uttar Pradesh for the setting up of big Cement Projects in the public sector in Uttar Pradesh during the Fourth Five Year Plan; and

(b) if so, the action taken by Government thereon ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) :--(a) and (b) : As the cement industry has been exempted from the licensing provisions of the Industries (Development and Regulation) Act with effect from 13th May, 1966, anybody can set up a cement factory in any part of India without getting the approval of the Government of India. In February, 1963 the scheme of U.P. Government for the setting up of a cement factory at Chopan (subsquently changed to Dalla), District Mirzapur, with an annual capacity of 400,000 tonnes was approved. The State Government have taken all the steps for the implementation of the scheme. The factor is likely to be commissioned by the end of 1968.

पन्ना हीरा खान

7094 : **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966–67 में पन्ना हीरा खानों से कुल कितने रत्न तथा हीरे निकाले गये और उनका मूल्य कितना है;

(ख) क्या आगामी वर्ष के लिए कार्यक्रम अन्तिम रूप से तैयार कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री (डा० चन्ना रेड्डी)—(क) 1966–67 के दौरान पन्ना हीरा खानों से निकाले गये रत्नों तथा हीरों का मूल्य निम्न प्रकार है :—

	सं०	कैरट
रत्न	4,307	2,066
औद्योगिक हीरे	730	341
	5,037	2,407

2,407 कैरट का अनुमानित मूल्य लगभग 11 लाख रुपये है ।

(ख) और (ग) कार्यक्रम को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

कच्चे माल के आयात के लिये लाइसेंस

7095. **श्री चित्तिबाबू** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्यातकों को कच्चे माल के आयात के लिये आयात लाइसेंस उनके द्वारा किये गये निर्यात के बदले में दिये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो उन निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के नाम क्या हैं, जिनके बदले आयात लाइसेंस दिये जाते हैं तथा निर्यात प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत किन-किन वस्तुओं का निर्यात किया जाता है; और

(ग) प्रत्येक वस्तु के लिये कितनी राशि के आयात लाइसेंस दिये गये हैं तथा वर्ष 1966-67 में प्रत्येक वस्तु के निर्यात से देश को कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) पंजीकृत निर्यातकों के लिये निर्धारित आयात नीति के अन्तर्गत जिन निर्यात उत्पादों के सम्बन्ध में आयात लाइसेंस दिये जा सकते हैं उनकी सूची (अंग्रेजी में) सभा पटल पर रख दी गई है । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1246/67] । निर्यात उत्पादों के पूरे ब्यौरे, अप्रैल 1967 से मार्च 1968 की आयात व्यापार नियन्त्रण नीति पुस्तक के भाग (बी), खण्ड 3 में दिये गये हैं ।

(ग) वर्ष 1966–67 में निर्यातों के निम्नलिखित वर्गों के बदले आयात लाइसेंस दिये गये :—

(1) 6–6–1966 से समाप्त की गई भूतपूर्व निर्यात सम्वर्द्धन योजनाओं के अन्तर्गत किये गये निर्यातों के बदले, यदि ऐसे निर्यात 1–4–66 से 5–5–66 की अवधि में तथा 1–4–66 से पहले किये गये हों।

(2) प्रश्न के भाग (ख) में निर्दिष्ट पंजीकृत निर्यातकों की आयात नीति के अन्तर्गत आने वाले उत्पादों के सम्बन्ध में 6–6–66 को या उसके बाद किये गये निर्यातों के बदले। एक विवरण (विवरण 'क') सभा पटल पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1246/67] जिसमें उपर्युक्त दोनों ही प्रकार के निर्यातों के बदले वर्ष 1966–67 में जारी किये गये आयात लाइसेंसों के ब्यौरे दिये गये हैं।

एक अन्य विवरण (विवरण 'ख') भी संलग्न है, जिसमें पंजीकृत निर्यातकों की आयात नीति के अन्तर्गत आने वाले उत्पादों के 1966–67 में किये गये निर्यात का मूल्य बताया गया है। निर्यात के मूल्य को आयात लाइसेंसों के मूल्य से सम्बद्ध करना सम्भव नहीं है क्योंकि निर्यातों और उनके बदले जारी किये गये आयात लाइसेंसों में समयान्तर होता है।

रेशम का उत्पादन

7096. श्री चित्तिबाबू : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक किलो कच्चे रेशम तथा तैयार रेशम की लागत कितनी है तथा बुनकरों को कितनी हानि उठानी पड़ती है;

(ख) क्या यह सच है कि कच्चे रेशम की लागत अधिक होने के कारण बुनकरों को हानि हो रही है;

(ग) क्या सरकार का विचार उनकी दशा में सुधार करने का है;

(घ) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड इस बात पर जोर देता है कि केवल भारतीय रेशम का प्रयोग किया जाय;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार का विचार उन देशों से इस करार के अन्तर्गत इस शर्त पर कच्चे रेशम का निर्यात करने का है कि वे भारत से तैयार रेशम का सामान खरीदेंगे;

(च) क्या यह भी सच है कि मद्रास में एक जरी का कारखाना स्थापित करने की सरकार की योजना है; और

(छ) यदि हां, तो यह कारखाना कब स्थापित किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप–मन्त्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जून, 1967 में शहतूती कच्चे रेशम की विभिन्न किस्मों के प्रचलित मूल्य निम्नलिखित थे :—

	(रु० प्रति कि० ग्रा०)
गरद रेशम	151.00 – 152.00
कुटीर बेसिन रेशम	136.00 – 152.00
मटका रेशम	100.00 – 124.00

सादा किस्मों के तैयार वस्त्र की न्यूनतम लागत लगभग 16.67 रु० प्रति वर्ग मीटर तथा अधिकतम लागत 18.33 रु० प्रति वर्ग मीटर निम्न लिखित रूप में हैं :—

(रु० प्रति वर्ग मीटर)

	न्यूनतम मूल्य पर	अधिकतम मूल्य पर
ताने में प्रयुक्त होने वाले कच्चे रेशम की लागत	3.75	4.17
बाने में प्रयुक्त होने वाले कच्चे रेशम की लागत	6.25	6.83
ऊपरी व्यय तथा श्रम	6.67	7.33
वस्त्र की कुल लागत	16.67	18.33
कपड़े का विक्रय मूल्य	18.00	20.00
प्रति वर्ग मीटर पर लाभ	1.33	1.67

उपरोक्त आंकड़ों से प्रकट है कि सादे रेशम के वस्त्र के निर्माण में कोई हानि नहीं है और लाभ 1.33 रु. (8 प्रतिशत) से 1.67 रु. (9 प्रतिशत) प्रति वर्ग मीटर तक होता है।

(ख) जी, नहीं। परन्तु कच्चे रेशम के मूल्यों में वृद्धि का उसकी बुनाई से होने वाले लाभ पर कुप्रभाव पड़ा है।

(ग) मूल्यों पर नियन्त्रण रखने के उद्देश्य से सरकार पहले से ही प्रमुख रेशम उत्पादक राज्यों में रेशम के मूल्यों के रुख पर सूक्ष्म निगरानी रख रही है। उत्पादन लागत में वृद्धि के बावजूद जनवरी, 1967 से मैसूर सरकार ने केन्द्रीय रेशम बोर्ड के अनुरोध पर, कच्चे गरद रेशम के मूल्य 152.00 रु० प्रति कि० ग्रा० पर स्थिर कर दिये हैं। इसी तरह कश्मीर के जम्मू एण्ड कश्मीर इण्डस्ट्रीज लि० ने 20,000 पौंड कच्चा रेशम बुनाई उद्योग के विशिष्ट क्षेत्रों में संभरण करने के लिये निर्धारित मूल्य पर देना स्वीकार कर लिया है। ऐसी सम्भावना है कि ये उपाय रेशम के मूल्यों में उचित सीमा तक स्थिरता ला सकेंगे और उनका उद्देश्य रेशम बुनकरों को अधिकाधिक लाभांश प्राप्त करना है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) : मद्रास राज्य के कांचीपुरम में जरी बनाने के एक कारखाने की स्थापना करने का मद्रास सरकार का विचार है।

Small Scale Industries in Madhya Pradesh

7097. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Industrial Development and Company Affairs be pleased to state :

(a) whether any loan or grant has been given to Madhya Pradesh for the development of Small Scale Industries in that State during 1967; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) Yes, Sir.

(b) According to the existing procedure the provisional payment sanctions for the release of grants and loans are issued to the State Government at the end of financial year subject to necessary adjustments on receipt of final audited figures of expenditure. The following amounts were provisionally sanctioned for the year 1966-67 to the State Government of Madhya Pradesh n March, 1967 for the implementation of their State Plan Schemes :--

Small Scale Industries		Industrial Estates
Loans	Grants	Loans
		(Rupees in lakhs)
9.50	4.40	10.00

Development of Handicrafts in Madhya Pradesh

7098. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) the amount received by the Government of Madhya Pradesh from the Central Government for the development of handicrafts in that State during 1966-67; and

(b) the amount proposed to be given to that State for this work during 1967-68 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) A grant of Rs. 1.50 lakhs and a loan of Rs. 0.83 lakhs were sanctioned by the Central Government to the Government of Madhya Pradesh during 1966-67 for the development of handicrafts industries.

(b) It is too early to anticipate the amount to be sanctioned during 1967-68 which will mainly depend upon the actual expenditure incurred for the purpose by the Government of Madhya Pradesh, within the ceilings fixed by the Planning Commission.

Dining Car Attached to Bombay–Pathankot Express

7099. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that no Dining Car is now being attached to the Bombay–Pathankot Express;

(b) whether Government have realised that passengers have to face great inconvenience on account of non-availability of tea and meals as a result thereof; and

(c) if the reply to part (a) above be in the affirmative, the reasons therefor and whether Government propose to reintroduce attaching dining car therewith ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) A dining car service was provided between Bhusaval and Jhansi on 57 Dn./58 Up Bombay-Pathankot Express trains, but to reduce over-crowding, which is particularly heavy on the Bhusaval-Jhansi section, the dining car service was withdrawn and replaced by a Third Class coach with effect from 17 5, 1967. In order to avoid any

inconvenience to passengers the halts of 57 Dn./58 Up at Khandwa and Bhopal have been increased by 5 minutes and additional halts have also been provided to meet the requirements of passengers. In addition, meal stations enroute have been alerted to ensure that the needs of the passengers are adequately met. In the circumstances, it is not proposed to re-introduce the dining car for the present.

Small Industries Service Institute

7100. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the nature and the amount of assistance extended by the Small Industries Service Institute to the small scale industries in Madhya Pradesh during 1966-67; and

(b) the details thereof ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) The Central Small Industries Organisation through the Small Industries Service Institute at Indore and the Extension Centres within its jurisdiction located at Jabalpur, Ujjain and Gwalior has been rendering all possible assistance for the promotion and development of small scale industries in the State of Madhya Pradesh which inter-alia includes:--

1. Technical advice on the use of modern and appropriate technical process.
2. Preparation of model schemes, designs, drawings and technical bulletins.
3. Conducting Management appreciation courses and also specialised courses on subjects like Production Management, Financial Accounting, cost control and Marketing Management.
4. Conducting Training Courses in various technical trades such as Machine Shop Practice, Tool Room Practice, fitting, Blacksmithy, Carpentry and Die and Tool Making.
5. Enlistment of small scale units for participation in Government Stores purchase programme.
6. Conducting economic investigations suggesting the potentiality of development of various small industries and areas.
7. Providing economic information service on promising lines of production.
8. Training village artisans in the use of imported tools and equipment through mobile work shops.

The Industrial Extension Service provided by the Small Industries Service Institute, Indore and the Extension Centres covers a wide renge of enquiries from private individuals as well as government departments relating to:--

1. Availability and use of appropriate raw materials.
2. Supply of printed schemes and project reports on various technical processes; and
3. Common facility services available on nominal charges through workshops and Extension Centres for such processes and operations which are not normally within the reach of the small scale units.

The Institute also provides basic information to State Governments and financing institutions to help them assess the needs of the small industry sector. Export Promotion and assistance for rural industrial development are some of the other activities of the Institute.

(b) I. Technical Assistance :

1. No. of advices given on purely technical matters.	2.649
2. No. of advices given on starting new industries.	1.038
3. No. of advices given on management matters.	42
4. No. of cases given economic information.	1515
5. No. of cases given export assistance.	118
6. No. of advices given on other matters.	3,067

II. Mobile Vans :

1. No. of vans operated.	3
2. No. of centres visited.	44
3. No. of demonstrations held.	152
4. No. of artisans trained.	796

III. Publications :

1. Designs, Drawings and Blue Prints prepared.	883
2. Model Schemes prepared.	12
3. Area Survey Report prepared.	1

IV. Working of SISI Workshop and Extension Centres :

1. No. of entrepreneurs actually assisted.	1192
2. Revenue earned (in Rs.)	44423

V. Training :

1. No. of persons trained in Management courses.	36
2. No. of persons trained in other technical trades.	208

VI. Enlistment under Govt. Stores Purchase Programme :

1. No. of units registered with NSIC on the recommendations of the SISI.	32

गुजरात को कोयले के माल डिब्बों का आवंटन

7101 : श्री नरेन्द्र सिंह महोडा : क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीनों में गुजरात को कोयले के कितने माल डिब्बे आवंटित किये गये; और

(ख) उक्त अवधि में गुजरात की आवश्यकता कितनी थी ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) गुजरात को नियंत्रित तथा अनियंत्रित कोयले/कोक के वैगनों की दी गई समस्त संख्या केन्द्रिय/राज्य प्राथमिकताओं के अधीन जनवरी, फरवरी, मार्च 1967 में क्रमश: 12,228; 10,384 और 10,521 थी।

(ख) कोयले/कोक की आवश्यकता का ठीक पता नहीं है क्योंकि अनियन्त्रित कोयला/कोक इन्डैंटों के आधार पर लदाये जाते हैं। ये इन्डैंट आवंटन होने तक बार-बार होते रहते हैं। तथापि नियंत्रित कोयले के लिये केन्द्रिय तथा राज्य प्राथमिकताओं के अधीन औसतन क्रमश: 8861 तथा 1265 प्रति मास वैगनों की सिफारिश की गई।

बम्बई और अहमदाबाद के बीच रेलवे विद्युतीकरण

7102. श्री नरेन्द्रसिंह महीडा : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम रेलवे में बम्बई और अहमदाबाद के बीच रेलवे विद्युतीकरण परियोजना के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) उस योजना पर कितना खर्च आयेगा;

(घ) क्या इस खर्च की व्यवस्था चौथी पंचवर्षीय योजना में की जायेगी; और

(ङ) प्रस्तावित योजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) 1500 वोल्ट डी० सी० प्रणाली पर बम्बई से विरार तक पहले ही विद्युतीकरण किया जा चुका है। चौथी योजना में 442 किलोमीटर लम्बे विरार से बम्बई खण्ड का विद्युतीकरण 25,000 वोल्ट ए० सी० प्रणाली पर करने का कार्यक्रम है। पहले चरण में यह काम साबरमती की ओर से प्रारम्भ करके बलसाड तक, करने की योजना है और दूसरे चरण में बम्बई तक।

(ग) 27.45 करोड़।

(घ) जी हां।

(ङ) आशा है यह काम 1971–72 तक पूरा हो जायेगा।

गुजरात में छोटे पैमाने के उद्योग

7103. श्री नरेन्द्रसिंह महीडा : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात को 1966–67 में राज्य में छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास करने के लिए कोई ऋण अथवा अनुदान दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) जी, हां।

(ख) विद्यमान कार्यविधि के अनुसार राज्य सरकारों को दिये जाने वाले अनुदानों और ऋणों का अस्थायी भुगतान करने की अनुमति वित्तीय वर्ष के अंत में जारी की जाती है जिससे व्यय के अन्तिम रूप से लेखा-परीक्षा किये हुए आंकड़ों के प्राप्त हो जाने पर उनमें आवश्यक समायोजन किया जा सके। गुजरात राज्य सरकार को मार्च, 1967 में उनकी राज्य आयोजना

की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए वर्ष 1966-67 में निम्नलिखित राशियां स्थायी रूप से स्वीकृत की गई थीं :—

लघु उद्योग		औद्योगिक बस्ती
ऋण	अनुदान	ऋण
(रुपये लाखों में)		
6.42	3 21	9,00

गुजरात में औद्योगिक एकक

7104. श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67 में गुजरात राज्य में कौन-कौन से नये औद्योगिक एकक स्थापित किये गये थे और उन्हें अब तक कितनी सफलता मिली है ; और

(ख) उस अवधि में सरकार ने कुल कितना धन मंजूर किया था ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

संश्लिष्ट उद्योग

7105. श्री शिवचन्द्र झा : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान गैर सरकारी तथा सरकारी क्षेत्रों में कितने तथा किन-किन स्थानों पर संश्लिष्ट उद्योग आरम्भ किये गये हैं ;

(ख) चौथी योजना अवधि में ऐसे कितने उद्योग आरम्भ किये जा रहे हैं ;

(ग) भारत में संश्लिष्ट वस्तुएं बनाने के सम्बन्ध में क्या प्रयोग किये जा रहे हैं ; और

(घ) इस में कितना विदेशी सहयोग प्राप्त किया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फकरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ) : अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

गुजरात में अनुसूचित जातियों का पुनर्वास

7106. श्री व० रा० परमार :
श्री रामानन्द शास्त्री :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य में मशीनों के लिये बिजली की व्यवस्था किये जाने के परिणामस्वरूप बुनाई, चमड़ा कमाने और चमड़े के कुटीर उद्योगों में लगे अनुसूचित जातियों के बहुत से व्यक्ति बेरोजगार हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके पुनर्वास के लिये कोई कार्यवाही की है;

(ग) क्या सरकार का विचार अपने कुटीर उद्योगों को चलाने तथा उनमें सुधार करने के लिये इन व्यक्तियों को कोई वित्तीय अथवा अन्य सहायता देने का भी है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (घ) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी दी जायेगी ।

टी बोर्ड एम्पलाईज एसोसियेशन, नई दिल्ली

7107. **श्री एस० एम० जोशी :**
श्री मधु लिमये :
श्री मोलहू प्रसाद :
श्री शिवचरण लाल ।

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को टी बोर्ड एम्पलाईज एसोसियेशन, नई दिल्ली से कोई मांग-पत्र मिला है;

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की मुख्य मांगें क्या है; और

(ग) सरकार । टी बोर्ड की इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) । (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1247/67]

सेवा-निवृत्त रेलवे कर्मचारियों के बच्चों का नौकरी पर लगाया जाना

7108. **श्री एस० एम० जोशी :**
श्री मोलहू प्रसाद :
श्री मधु लिमये :
श्री शिव चरण लाल :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे में एक ऐसा नियम/प्रथा/परम्परा थी कि रेलवे कर्मचारी की मृत्यु या सेवानिवृत्ति के बाद उसके बेटे या नजदीकी रिश्तेदार को सेवा में ले लिया जाता था ताकि उसके परिवार की परेशानी को कम किया जा सके;

(ख) क्या यह प्रथा/नियम अब समाप्त कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इस निर्णय पर सरकार का पुनर्विचार करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) (क) से (घ) : पहले रेलवे में नियुक्ति के सम्बन्ध में रेल कर्मचारियों के बच्चों को कुछ विशेष रियायतें दी जाया करती थीं अब इसे समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि इस तरह का विशेष व्यवहार संविधान के शक्ति-बाह्य होगा। लेकिन, भारतीय रेलों के महाप्रबन्धकों को यह अधिकार दे दिया गया है कि वे अपने विवेक से, अनुग्रह रूप में, उन रेल कर्मचारियों के बच्चों/आश्रित सम्बन्धियों की नियुक्ति पर विचार कर सकते हैं, जिनकी मृत्यु हो जाने अथवा जिनके असमर्थ हो जाने के कारण उनका परिवार दरिद्र अवस्था में हो।

गुजरात में जस्ता चढ़ी लोहे की नालीदार चादरों की कमी

7109 **श्री द० रा० परमार :**
श्री रा० की० अमीन ;
श्री रामचन्द्र ज० अमीन :

क्या इस्पात खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछले दस वर्षों से गुजरात राज्य में जस्ता चढ़ी लोहे की नालीदार चादरों की अत्याधिक कमी है :

(ख) 1960–61 से 1966–67 तक गुजरात राज्य ने जस्ता चढ़ी लोहे की कितनी चादरें माँगी थीं और उसके लिए कितनी चादरें नियत की गईं;

(ग) उक्त अवधि में गुजरात राज्य को वास्तव में जस्ता चढ़ी लोहे की चादरों की कितनी मात्रा सप्लाई की गई;

(घ) कृषि, औद्योगिक तथा रिहायशी प्रयोजनों के लिये आवंटन केन्द्रीय सरकार द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है:

(ङ) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य में जस्ता चढ़ी लोहे की चादरें बहुत बड़ी मात्रा में ऊँची कीमत पर चोर बाजार में बेची जा रही है; और

(च) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिये कोई कारगर कदम उठाये हैं कि चोर बाजारी के लिये ये चादरें आती कहां से है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) सरकार को मालूम है कि इस समय गुजरात तथा दूसरे राज्य में जस्ता चढ़ी नालीदार चादरों की कमी है।

(ख) लोहा और इस्पात नियंत्रक ने 1960–61 और 1961–62 में प्रत्येक वर्ष के लिए 4,742 टन जस्ता चढ़ी नालीदार चादरें अलाट की थीं। कमी के कारण 1962–63 से लेकर 1966–67 तक किसी भी राज्य को कोई अलामेंट नहीं की गई।

(ग) गुजरात राज्य को भेजी गई जस्ता चढ़ी नालीदार चादरों का ब्यौरा इस प्रकार है:—

(टन)

वर्ष	जस्ता चढ़ी नालीदार चादरें	काली नालीदार चादरें
सितम्बर 60 से लेकर मार्च 61 तक	1844	1960–61 से लेकर 1964–65 तक काली नालीदार चादर का उत्पादन नहीं हुआ।

1961–62	2221	
1962–63	4988	
1963-64	3309	
1964–65	5445	
1965–66	2472	202
1966–67	562	1881

(घ) 1–5–1967 से पहले जब से नियंत्रण हटाया गया, भारत सरकार का खाद्य तथा कृषि मंत्रालय प्रत्येक राज्य को कृषि के कामों के लिए अलाटमेंट करता था और औद्योगिक तथा रिहायशी कामों के लिए राज्य सरकार अपने कोटे में से अलाटमेंट करती थीं।

(ङ) और (च) 1–5–1967 से लेकर सभी प्रकार के लोहे और इस्पात पर से नियंत्रण हटा दिया गया है; अतः अब चोर बाजारी का प्रश्न नहीं उठता। फिर भी देश में जस्ता चढ़ी नालीदार चादरों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं और ऐसी आशा है कि ज्यों ज्यों उत्पादन बढ़ेगा कीमतें गिरेंगी।

इस्पात पर से नियंत्रण हटाना

7110. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री मोलहू प्रसाद :
श्री मधु लिमये :
श्री राम सेवक यादव :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अखिल भारतीय निर्माता संगठन तथा इंजीनियरी निर्माता संस्था (पश्चिम क्षेत्र) बम्बई में औद्योगिक विकास मंत्री द्वारा दिये गये कथित व्यक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि यदि इस्पात पर से नियंत्रण हटाये जाने से अन्य उद्योगों के हितों को ठेस पहुँचती है तो उचित कार्यवाही की जायेगी : और

(ख) सरकार ने क्या कार्यवाही करने का विचार किया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) : इस्पात पर से नियंत्रण हटाने के परिणामों के बारे में किसी निर्णय पर पहुँचना और इस बारे में कोई उपाय करना अभी बहुत जल्दी करना होगा। फिर भी स्थिति पर सतत् नजर रखी जा रही है और जो भी कार्यवाही आवश्यक समझी जाएगी यथासमय की जाएगी।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची

7111. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री मोलहू प्रसाद :
श्री मधु लिमये :
श्री राम सेवक यादव :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रांची में सरकारी क्षेत्र में रांची हैवी इंजीनियरिंग उद्योग समूह को पूरा करने में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन को कितने आदेश प्राप्त हुए हैं; और

(ग) वर्तमान आर्थिक मन्दी और विशेष रूप में इंजीनियरी उद्योग की दयनीय स्थिति का रांची उद्योग समूह पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) भारी मशीनी औजार निर्माण संयंत्र में सिविल निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तथा भारी मशीनी औजार संयंत्र और ढांचा निर्माणशाला में यह कार्य पूरा होने वाला है। फाउण्ड्री फोर्ज संयंत्र में सिविल निर्माण कार्य का लगभग 77.25 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। भारी मशीन निर्माण संयंत्र में उपकरण लगाने का लगभग 90 प्रतिशत कार्य तथा भारी मशीन निर्माण संयंत्र और फाउन्ड्री फोर्ज संयंत्र में लगभग 60 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। ढांचा निर्माणशाला में उपकरण लगाने का कार्य विभिन्न अवस्थाओं में बांट दिया गया है। आशा है कि ढांचा निर्माणशाला तथा भारी मशीनी औजार संयंत्र दिसम्बर, 1967 तक तथा फाउण्ड्री फोर्ज संयंत्र दिसम्बर, 1968 तक बन कर तैयार हो जायेंगे। भारी मशीन निर्माण संयंत्र में उत्पादन शुरू करने के लिए काफी काम पहिले से ही पूरा हो चुका है तथा उसमें 1971–72 तक निर्धारित क्षमता में उत्पादन होने लगेगा।

(ख) भारी मशीन निर्माण संयंत्र की 1969–70 तक की क्षमता के लिए पूरे आर्डर प्राप्त हो चुके है जबकि फाउण्ड्री फोर्ज संयंत्र के लिए केवल 1967–68 तक के पर्याप्त आर्डर मिल चुके हैं जबकि दूसरी ओर भारी मशीनी औजार संयंत्र में 1967–68 में ही पर्याप्त अप्रयुक्त क्षमता मौजूद हैं।

(ग) भारी मशीन निर्माण संयंत्र में 1969-70 तक के लिए पर्याप्त उत्पादन क्षमता उत्पन्न हो गई है यद्यपि सामान्य स्थिति में यह क्षमता 1969–70 के बाद कुछ और वर्षों में होनी चाहिए थी। भारी मशीनी औजार संयंत्र को अब भी कम आर्डर मिलने से इस पर कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। फाउण्ड्री फोर्ज संयंत्र, जो अभी पूरा नहीं हुआ है, में आंशिक उत्पादन हो रहा है। भारी मशीनी औजार संयंत्र को कम आर्डर मिलने का कुछ सीमा तक इस पर भी असर दिखाई पड़ता है।

Attendants Attached to First Class Compartments

7112. Shri D. S. Patil : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether the attendants attached to the First Class compartments of the Southern Railway have not been confirmed even after putting in two years service;

(b) if so, the reasons therefor and when the said attendants are likely to be confirmed;

(c) whether the said attendants are entitled to the same pay-scale and other amenities as given to the Class IV employees; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) to (d) : Information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

मध्य प्रदेश में तार फैक्टरी

7113. श्री गा० शं० मिश्र
श्री नीतिराज सिंह चौधरी :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में सरकारी क्षेत्र में दूसरी तार फैक्टरी स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) : मध्य प्रदेश सरकार ने दूसरा केबल कारखाना लगाने के लिए अपने राज्य में अनेक स्थानों के नामों की सिफारिश की थी। अन्य राज्य सरकारों से भी इसी प्रकार की सिफारिशें मिली थीं। इन प्रस्तावों की सावधानी से जांच की गई थी। तकनीकी सुविधाओं, जलवायु सम्बन्धी स्थिति, तैयार माल के वितरण आदि जैसी बातों पर विचार करने के पश्चात् मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सिफारिश किये गये स्थानों में से कोई भी स्थान उपयुक्त नहीं पाया गया। दूसरा केबल कारखाना हैदराबाद के निकट चेर्लापल्ली में स्थापित करने का पहिले ही निश्चय किया जा चुका है।

नारियल तथा ताड़ के तेल का आयात

7114. श्री गा० शं० मिश्र : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वनस्पति तथा साबुन उद्योगों के लिए अपेक्षित नारियल तथा ताड़ के तेल जैसे कच्चे माल का आयात करने के लिए सरकार शर्तयुक्त विदेशी मुद्रा में से 5·6 करोड़ रुपये की राशि खर्च कर रही है;

(ख) क्या रासायनिक पदार्थों के संबंध में काम कर रही अनुसंधान प्रयोगशालाओं को मध्य प्रदेश की वनस्पति तेल की अपार क्षमता तथा इसके सभी किस्मों का लाभ उठाने के तथा उपरोक्त दोनों वस्तुओं के स्थान पर काम आने वाली उपयुक्त देशी वस्तुएँ तैयार करने का काम सौंपा गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Trains Running Between Lucknow and Assam

7116. **Shri K. M. Madhukar :**
Shri Ramavatar Shastri :
Shri Bhogendra Jha :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether the number of trains running between Lucknow and Assam is so small that the humble citizen and the army personnel have to face great difficulty,

(b) whether the number of trains from Lucknow to Assam is proposed to be increased;

(c) if not, the reasons therefor; and

(d) if so, when Government propose to take action in regard thereto ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Some overcrowding exists on the existing services, viz., one pair of direct fast trains and 3 pairs of connected services, available for passengers travelling between Lucknow and stations in Assam.

(b) No.

(c) Lack of spare line capacity on some sections enroute.

(d) Does not arise.

Through Trains From Delhi to Assam

7117. **Shri K. M. Madhukar :** **Shri Chandra Sekhar Singh :**
Shri Ramavatar Shastri : **Shri Bhogendra Jha :**

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that no through trains run from Delhi to Assam for transporting troops;

(b) whether it is a fact that due to the heavy rush of passengers both civil and military on the Delhi-Assam trains, general travelling public as well as troops experience great inconvenience; and

(c) if so, the reasons for not introducing through Delhi-Gauhati trains ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : **(a) and (b)** : No regular train is available for carrying exclusively military personnel between Delhi and stations in Assam. Special trains are arranged for them as and when requisitioned by the military authorities. However, B.G. 86/MG 3 and MG 4/BG 85 Assam Mails via Barauni and BG 30 and 84/MG 2 A.T. Mail and MG 1 AT Mail/BG 29 and 83 via Lucknow provide fast connected services for civil and military personnel travelling between Delhi and stations in Assam. Some over-crowding exists on these trains.

(c) Lack of spare line capacity on some sections enroute.

Issue of Railway Tickets at Paleza Ghat

7118. **Shri K. M, Madhukar**
Shri Ramavatar Shastri
Shri Bhogendra Jha

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government propose to issue tickets at Paleza Ghat Railway Station of the N. E. Railway for passengers intending to go to Patna in view of their large number;

(b) whether Government are aware that passengers are experiencing great difficulty in the absence of this facility; and

(c) if so, the steps taken in the matter !

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No.

(b) and (c) Passengers travelling from Paleza Ghat to stations beyond Patna such as Danapur, Gulzarbagh, Patna City, etc., can buy tickets at Paleza Ghat, Persons going from Paleza Ghat to Patna only (which does not involve any rail journey) can avail of the public ferry service, which operates between Paleza Ghat and Patna (Mahendru Ghat). Their not being booked from bank to bank by the railway ferry should not cause them inconvenience.

रेलवे में बिना टिकट यात्रा

7119. श्री म० ला० सोंधी :
श्री टी० पी० शाह :
श्री बृज भूषण लाल :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1967–68 का रेलवे बजट प्रस्तुत किये जाने के बाद से अब तक भारतीय रेलों में बिना टिकट यात्रा रोकने में कोई सफलता मिली है:

(ख) कितने बिना टिकट यात्रियों पर अब तक मुकदमें चलाये गये और अब तक जुर्माने के रूप में कुल कितनी राशि प्राप्त हुई;

(ग) क्या इससे पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में बिना टिकट यात्रा में कोई कमी दृष्टिगोचर हुई; और

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो इस संबंध में और क्या उपाय किये गये हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) 19,828 व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया और जन, 1967 में जुर्माने के रूप में 99,352 रुपये वसूल किये गये ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

Trade Delegation from Afghanistan

7120. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether a trade delegation had come to India from Afghanistan;

(b) the details of talks held with them; and

(c) the goods to be exported to and imported from Afghanistan ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) to (c) : A Trade Delegation from Afghanistan arrived here on July 16, 1967, in connection with the renewal of the Indo-Afghan Trade Arrangement, which is due to expire on July 31, 1967. The talks are at present in progress.

विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में विद्युत चालित करघ

7121. श्री म० ला० सोंधी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिल क्षेत्र की तुलना में विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में विद्युत चालित करघे स्थापित करने के मामले में सरकार की क्या नीति है;

(ख) क्या कुछ राजकोषीय उपायों का लाभ उठाने के उद्देश्य से विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में विद्युत चालित करघे बढ़ाये गये हैं;

(ग) विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में स्थापित विद्युत करघों को धागा मुहैया करने के लिये क्या व्यवस्था की गई है तथा क्या उनकी सभी मांगें उचित दामों पर पूरी की जा रही है; और

(घ) क्या विद्युत चालित करघा सम्बन्धी अशोक मेहता समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं और उन्हें कार्यान्वित कर दिया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (घ) विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में विद्युत चालित करघे स्थापित करने के मामले में सरकार की नीति 2 जून, 1966 के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित सरकारी संकल्प संख्या 9 (42) टेक्स (सी) । 64 में दी गई है, जिसकी एक प्रतिलिपि सभा पटल पर रख दी गई है ।

(ख) जी, हां । विद्युत चालित संस्थानों द्वारा निर्मित कोरे कपड़े पर उत्पादन शुल्क की रियायती दरों का मिली-जुली मिलों द्वारा निर्मित इसी प्रकार के कपड़े पर लागू दरों की तुलना में कम होना उन महत्वपूर्ण कारणों में से एक था जिनके कारण विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में विद्युत चालित करघों की संख्या में वृद्धि हुई ।

(ग) विकेन्द्रीकृत क्षेत्र को धागे की पूर्ति के लिये कोई विशेष प्रबन्ध नहीं किए गये हैं । इस क्षेत्र को दिए गये धागे की मात्राओं में बहुत ही थोड़ी कमी हुई है । मूल्य में भी कुछ वृद्धि हुई है जो प्रमुखतः उत्पादन लागत के बढ़ जाने से और हाल ही में साइज्ड धागे पर उत्पादन शुल्क में वृद्धि किए जाने के कारण हुई है ।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के हजारी बाग के कर्मचारियों की मांगें

7122. श्री जार्ज फर्नेन्डीज :
श्री मधु लिमये :
श्री जे० एच० पटेल :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के जिला हजारी बाग में केंदला के राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के कर्मचारियों ने यह धमकी दी है कि यदि उनकी मांगें स्वीकार नहीं की गईं तो वे हड़ताल कर देंगे; और

(ख) हड़ताल को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) ; (क) और (ख) 27-6-67 से केंदला में राष्ट्रिय कोयला विकास निगम लि० के लगभग 30 कर्मचारी हड़ताल पर हैं । उनकी मांगें भी वही हैं जो कि निगम के रांची स्थित मुख्यालय के राष्ट्रीय कोयला संस्था कर्मचारी संघ की 51 मांगें हैं । कई मांगें पंच फैसले के लिये निर्देशित हैं ।

20-7-67 को जो नया प्रबन्ध संचालक निगम में लगा है, कार्यकर्ताओं को अलग से मिलता रहा है।

भिलाई तार छड़ मिल

7123. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिलाई इस्पात कारखाने की तार छड़ बनाने की स्वीकृत क्षमता कितनी है;

(ख) भिलाई इस्पात कारखाने के तार छड़ बनाने वाले मिल की कुल कितनी अनुमानित तथा वास्तविक लागत है;

(ग) भिलाई तार छड़ मिल की शत प्रतिशत क्षमता कब तक पूरी हो जायेगी;

(घ) क्या यह सच है कि भिलाई तार छड़ मिल को लगभग 1,00,000 मीट्रिक टन के तार छड़ों के लिये क्रयादेश प्राप्त हो चुके हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इन का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) मिल की निर्धारित क्षमता 4,00,000 टन प्रति वर्ष की है।

(ख) मिल पर कुल 9·4 करोड़ के लगभग रुपया खर्च होगा।

(ग) बड़ी हाई स्पीड मिल होने के कारण, निर्धारित क्षमता पर उत्पादन करने लगने में इसे एक वर्ष से अधिक समय भी लग सकता है बशर्ते कि मिल के पास पर्याप्त आर्डर हों।

(घ) और (ङ) : इस समय तक जो आर्डर आये हैं वे मिल को कुछ महीनों तक चलाने के लिए काफी हैं।

स्टेशनों पर पीने के पानी तथा रोशनी की व्यवस्था

7124. **श्री देवराव पाटिल** :
श्री तुलसीदास जाधव :
श्री यमुना प्रसाद मण्डल :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यवतमाल से अचलपुर बरास्ता मुर्तिजापुर के बीच नैरो गेज रेलवे के सभी स्टेशनों पर पीने के पानी तथा रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इन स्टेशनों जैसे यवतमाल तथा दारव्हा जहां जिला तथा तालुका मुख्यालय हैं, पर बिजली की व्यवस्था न करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सैंट्रल प्रोविंसिज रेलवे कम्पनी, जो इन रेलों की मालिक है, इस स्थिति में नहीं है कि इन स्टेशनों पर बिजली लगाने के लिए आवश्यक पूँजीगत रकम की व्यवस्था कर सके।

महाराष्ट्र में कुटीर उद्योग

7125. श्री देवराव पाटिल :
श्री तुलसीदास जाधव :
श्री यमुना प्रसाद :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या 1967–68 में महाराष्ट्र और बिहार राज्यों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये सरकार ने कोई योजनाएं बनाई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

महाराष्ट्र में भारी उद्योगों की स्थापना

7126. श्री देवराव पाटिल :
श्री यमुना प्रसाद मण्डल :
श्री तुलशीदास जाधव :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने 1967–68 में महाराष्ट्र में कुछ भारी उद्योग तथा औद्योगिक एकक स्थापित करने को केन्द्र को सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार ने जिन उद्योगों को स्थापित करने का सुझाव दिया है उनका विवरण क्या है;

(ग) उपर्युक्त अवधि में महाराष्ट्र में जिन भारी उद्योगों तथा औद्योगिक एकों को स्थापित करने का विचार है उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन पर कितनी पूंजी लगाई जायेगी ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) ऐसा कोई भी सुझाव नहीं मिला है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) और (घ) महाराष्ट्र में 1967–68 में कार्यान्वित की जाने वाली प्रस्तावित केन्द्रीय परियोजनाओं तथा उनसे संबंधित योजनाओं पर होने वाला खर्च इस प्रकार है :

परियोजना का नाम	योजना व्यय (रु० लाखों में)
(1) कोयना अल्युमिनियम	100·00
(2) हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि०	400·00
(3) नई फाउन्ड्री-फोर्ज, वर्धा	2·13
(4) ट्राम्बे उर्वरक परियोजना का विस्तार	उपलब्ध नहीं ।

Betel Leaf Industry

7127. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Betel-Leaf industry of the country has received a set-back due to the discontinuance of the trade between India and Pakistan;

(b) whether it is also a fact that the consumption of Betel Leaves in Pakistan is more than that in India; and

(c) whether Government propose to explore the possibilities of exporting betel leaf to Pakistan so that the persons dependant on this trade in our country are saved from starvation ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) Exports of betel leaves to Pakistan have not received any particular set-back as a result of discontinuance of trade with Pakistan as exports of this item to that country were negligible even prior to the suspension of Indo-Pakistan Trade.

(b) Precise information about consumption of Betel Leaves in Pakistan is not available.

(c) Trade with Pakistan cannot be resumed unless the ban imposed by Government of Pakistan on Indo-Pakistan Trade is cancelled.

बंगलौर में न्यू इलेक्ट्रिक फैक्टरी

7128. **श्री रा० रा० सिंह देव**
श्री वीरेन्द्र देव :
श्री दे० अमात :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगलौर स्थित सरकारी न्यू इलैक्ट्रिक फैक्टरी अब निर्यात करना आरम्भ करेगी;

(ख) यदि हां, तो इस कारखाने का सामान किन-किन देशों को निर्यात किया जायेगा;

(ग) उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होने की सम्भावना है; और

(घ) क्या इस कारखाने से देश की सारी मांग पूरी हुई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ) : जानकारी इकट्ठी की जा रही हैं और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बिहार में बिड़ला की फर्में

7129. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में बिड़ला के कितने तथा कौन-कौन से उद्योग हैं;

(ख) बिहार में बिड़ला ने कुल कितनी पूंजी लगाई हुई है; और

(ग) कितने तथा किस प्रकार के उद्योगों में नई पूंजी लगाने के लिये लाइसेंस लेने हेतु बिड़ला फर्म ने आवेदन पत्र दिये हैं, कितने लाइसेंस दिये जा चुके हैं तथा कितने मामलों में अभी विचार किया जा रहा है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) : आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

रेलवे माल डिब्बे

7131. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के अनुसार हर वर्ष कितने माल डिब्बे खरीदने की योजना थी और वर्ष 1965–66 तथा 1966–67 में रेलवे ने वास्तव में कितने माल डिब्बों के लिये आदेश दिये थे;

(ख) वर्ष 1967–68 से लेकर 1970–71 तक की अवधि में, वर्ष वार सरकार का माल डिब्बे निर्माताओं से कितने डिब्बे खरीदने का विचार है;

(ग) क्या विभिन्न समाचारपत्रों में प्रकाशित इन समाचारों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि देश में नमक, इस्पात आदि की ढुलाई के लिये माल डिब्बों की कमी है: और

(घ) यदि हां, तो क्या वर्ष 1967–68 में सरकार का तदर्थ आधार पर, माल डिब्बे निर्माताओं को और अधिक माल डिब्बों के लिये क्रयादेश देने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) चौथी योजना की प्रारूपी रूप-रेखा के अनुसार, 3080 लाख मीटरिक टन के अनुमानित भाड़ा यातायात के लिए कुल 163,250 चौपहिये मालडिब्बों की जरूरत थी । यातायात का लक्ष्य अन्तिम न होने के कारण, डिब्बे खरीदने के लिए कोई वर्ष-वार कार्य-क्रम नहीं बनाया जा सका । 1965–66 और 1966–67 में जिस तादाद में मालडिब्बों का आर्डर दिया गया, वह इस प्रकार है :—

1965–66	24,782 चौपहिये	
1966–67	6,258 चौपहिये	@

@ यह संख्या वर्ष के दौरान दिये गये नये आर्डरों की सूचक है और इसमें पिछले वर्षों की बकाया खरीद शामिल नहीं है; बकाया खरीद और नये आर्डरों को मिलाकर वर्ष में प्राइवेट निर्माताओं से कुल 21,000 चौपहियों की खरीद होनी थी ।

(ख) रेलवे का मालडिब्बा खरीद कार्य-क्रम यातायात के प्रत्याशित विकास पर निर्भर करता है । 1967–68 के लिए 26,000 चौपहियों का आर्डर दिया गया है (21,000 प्राइवेट मालडिब्बा निर्माताओं से और 5,000 रेल कारखानों से) । योजना के शेष तीन वर्षों में रेलवे को कितने मालडिब्बों की आवश्यकता होगी, इसका हिसाब संबंधित मंत्रालयों और योजना आयोग के परामर्श से लगाया जा रहा है ।

(ग) नमक के परिवहन के लिए मालडिब्बा सप्लाई की स्थिति कुल मिलाकर सन्तोष-जनक है । इस वर्ष के पहले छः महीनों में नमक का लदान पिछले वर्ष की इसी अवधि की अपेक्षा बड़ी लाइन पर 40·9 प्रतिशत अधिक (चौपहिये डिब्बों के हिसाब से) और मीटर लाइन पर 3·6 प्रतिशत अधिक हुआ है । केवल दक्षिण और पश्चिम रेलों के मीटर लाइन क्षेत्रों में क्षेत्रीय नमक का लदान 0·1 प्रतिशत कम हुआ, जिसका कारण यह है कि दक्षिणी क्षेत्र

में चावल के लदान को और पश्चिमी क्षेत्र में आयात खाद्यान्न को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की जरूरत आ पड़ी थी।

इस्पात कारखानों में तैयार हुए माल के लदान के लिए डिब्बों की कमी की रिपोर्ट सही नहीं है। इसके विपरीत, इस यातायात की ढुलाई के लिए खरीदे गये अनेक बोगी रेल ट्रक बेकार पड़े हुए हैं।

(घ) यातायात की वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए, 1967–68 में दिये गये आर्डरों के अलावा, डिब्बा-निर्माताओं को तदर्थ आधार पर और कोई आर्डर देने का औचित्य नहीं है।

डिवीजनल लेखा अधिकारी, शोलापुर डिवीजन

7132. **श्री जार्ज फर्नेन्डीज :** **श्री मधु लिमये :**
श्री रविराय : **श्री स० मो० बनर्जी :**

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 अप्रैल, 1960 को दक्षिण मध्य रेलवे का शोलापुर स्थित डिवीजनल लेखा अधिकारी 250–800 रुपये के वेतन–क्रम में था और तत्कालीन पदाधिकारी 575 रुपये प्रति माह वेतन ले रहा था;

(ख) क्या इस वेतन–क्रम को इस बीच पुनरीक्षित करके 600–1500 रुपये कर दिया गया है और वर्तमान पदाधिकारी 1500 रुपये प्रति माह वेतन ले रहा है;

(ग) इस पद का दर्जा बढ़ाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस रेलवे के अन्य डिवीजनों में डिवीजनल लेखा अधिकारियों के वेतन–क्रम क्या है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (घ) सूचना मंगायी जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

शोलापुर डिवीजन में ए० पी० ओ०

7133. **श्री जार्ज फर्नेन्डीज :** **श्री मधु लिमये :**
श्री जे० एच० पटेल : **श्री स० मो० बनर्जी :**

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण मध्य रेलवे के शोलापुर डिवीजन में कितने असिस्टेंट पर्सोनल अफसर नियुक्त किये गये हैं;

(ख) उनके वेतन–क्रम क्या हैं;

(ग) क्या मन्त्रालय को अभ्यावेदन मिला है कि इस डिवीजन में दो असिस्टेंट पर्सोनल अफसरों के पास कोई काम नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) दो ।

(ख) 350-25-500-30-590 कु० रा०-30-800-कु० रा०830-35-900 रु० ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

ट्रैक्टरों का निर्माण

7134. **श्री धीरेन्द्र नाथ देव :**
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ट्रैक्टर फैक्ट्रियां इस समय अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रही हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस क्षमता के बेकार पड़े रहने के कारणों की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो टैक्टर निर्माताओं को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) : देश में खेती के ट्रैक्टर बनाने वाले 5 एककों की कुल लाइसेंस प्राप्त क्षमता 30,000 ट्रैक्टर प्रति वर्ष है । यह वह कुल अंतिम क्षमता है जिसे ये फर्म जो इस क्षमता को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं और मशीनों के प्राप्त हो जाने या मिल जाने पर प्राप्त कर लेंगी । इन एककों को उनकी लाइसेंस प्राप्त क्षमता प्राप्त करने के लिए अधिकांश पूंजीगत वस्तुओं की आवश्यकता पूरी की जा चुकी हैं और कुछ मामलों में लाइसेंस भी जारी किये जा चुके हैं । कुछ अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं का आयात करने तथा पूर्ण लाइसेंस प्राप्त क्षमता तक पहुँचने के लिए कुछ प्रस्तावों का अभी प्राप्त होना है । जांच पड़ताल करना बाकी है । इस समय इनमें क्षमता निर्माण करने का काम हो रहा है और नई पूंजीगत मशीनों के प्राप्त होते ही इन्हें लगा दिया जायेगा । इन एककों की सम्पूर्ण लाइसेंस प्राप्त क्षमता तक पहुँचने के लिए पूंजीगत वस्तुओं को प्राप्त करने और उन्हें लगाने की दृष्टि से अभी इन एककों में कोई भी बेकार क्षमता नहीं है । कृषि ट्रैक्टर उद्योग को प्राथमिकता प्राप्त 59 उद्योगों में सम्मिलित कर लिया गया है, तथा 1966-67 के उत्तरार्द्ध से उनके लिए सम्पूर्ण स्थापित क्षमता तक आवश्यक पुर्जों और कच्चे माल का आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा की भी व्यवस्था की जा रही है । आशा है कि इस उद्योग की जो सहायता की जा रही है इससे आगामी दो-तीन वर्षों में देश में ट्रैक्टरों का उत्पादन उनकी लाइसेंस प्राप्त क्षमता तक पहुँच जायगा ।

हाल के कुछ महीनों में टायरों की कमी के कारण तथा एक एकक के मामले में इंजन निर्माताओं द्वारा इंजनों की पूर्ति कम किये जाने के कारण खेती के ट्रैक्टरों के उत्पादन में अस्थायी रूप से कुछ कमी हो गई है । ट्रैक्टर निर्माताओं को पर्याप्त संख्या में टायरों और इंजनों की पूर्ति करने का सुनिश्चय करने के लिए कार्यवाही की जा रही है जिससे वे अपनी सम्पूर्ण लाइसेंस प्राप्त क्षमता में इनका उत्पादन कर सकें ।

Cement Factory in Maharashtra

7135. **Shri D. S. Patil** : Will the Minister of Industrial Development and Company Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Maharashtra Government have submitted a proposal through the Cement Corporation of India for the establishment of a cemont factory in District Yeotmal of Maharashtra;

(b) if so, the time by which the said cemont factory is likely to be established; and

(c) whether it would be established in public sector or in private sector ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : No such proposal has been received from the Govrnment of Maharashtra through the Cement Corporation of India. However, a cement factory with an annual capacity of 400,000 tonnes is being set up by M/s. Associated Cement Cos. Ltd. at Ghugus in Chanda District.

(b) By June, 1969/March, 1970.

(c) In private sector.

पारादीप तथा हावड़ा–मद्रास मुख्य लाइन के बीच रेलवे सम्पर्क

7136. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :**
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप तथा हावड़ा–मद्रास मुख्य लाइन के बीच रेल सम्पर्क स्थापित करने पर होने वाली लागत का कोई अनुमान लगाया गया है; और

(ख) क्या यातायात सम्बन्धी कोई सर्वेक्षण किया गया है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख)–कटक/पारादीप से एक नयी लाइन के लिए इञ्जीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण किये जा रहे है। सर्वेक्षण पूरे होने पर ही यह पता लग सकेगा कि इस लाइन की लागत क्या होगी।

Allotment of Accommodation to Railway Employees

7137. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that no residential accommodation or house rent allowance is given to the Railway Employees posted in rural areas;

(b) if the answer to part (a) above be in the negative, the number of persons benefited thereby; and

(c) if the answer to part (a) above be in the affirmative, the action proposed to be taken by Government in the matter ?

The **Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha)** : (a) to (c) The informatio . is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

अतिरिक्त गाड़ियों का चलाया जाना

7138. श्री ना० स्व० शर्मा : श्री राम सिंह अयरवाल :
श्री शारदा नन्द : श्री बृज भूषण लाल :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान कितनी अतिरिक्त गाड़ियां चलाई जायेंगी;

(ख) कितनी गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाने का प्रस्ताव है; और

(ग) चालू वर्ष में यात्रियों, मुख्यतः तीसरे दर्जे के यात्रियों को दी जाने वाली अन्य सुविधाओं का ब्योरा क्या है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) 1-10-1967 से लागू होने वाली समय सारिणी से सम्बन्धित सुझावों के बारे में अभी अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है। इसलिए अभी यह बताना सम्भव नहीं है कि कितनी अतिरिक्त गाड़ियां चलाने और कितनी गाड़ियों की रफ्तार बढ़ाने का विचार है।

(ग) जहां तक सवारी डिब्बों का सम्बन्ध है, उनमें तीन टियर वाले पूरे या आंशिक और दो टियर वाले डिब्बों के रूप में सोने की अधिक जगह की व्यवस्था होगी। ये डिब्बे आधुनिकतम सुविधाओं से भी युक्त होंगे अर्थात् इनमें स्टेनलेस स्टील की चिलमचियां और शोच-पैन, डिब्बों में सीमेंट के फर्श, सामान-कक्ष, रात्रि बत्तियां, पंखे और टांगों के लिए अधिक जगह वाली आड़े बैठने की व्यवस्था जैसी सुविधाएं होंगी।

Rails of Bhilai Steel

7139. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that about 200 rails of Bhilai Steel, each 42 feet long are lying buried and rusted between Kilometre No. 10 and Kilometre No. 16 on Guna-Maksi Rail construction since last year;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the steps taken by Government in this regard ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) and (b) : Some new rails at site near Km. 10 and between Km. 15 and Km. 16 on this line. These are, however, neither buried nor rusted, but are properly stacked, and all are in good condition.

(c) Does not arise.

Collision between Goods Train and Military Truck

7140. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that two persons were killed and three injured as a result of a collision between a goods train and a military truck at a crossing five

miles away from Chandigarh as reported in the "Nav Bharat Times" dated the 21st April, 1967;

(b) if so, the causes of the accident; and

(c) the loss of life and property thereby ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) and (c) The accident occurred on 19-4-1967. In this accident 2 persons were killed and 4 injured of whom 2 including the Fire-man of the train sustained grievous injuries, The cost of damage to railway property was estimated at approximately Rs. 19,450/- .

(b) The accident was caused by the negligence of the driver of the military truck who ignored the "Caution Board" and attempted to cross the railway track in the face of the approaching train.

Bridge Over Railway Line Between Maksi and Shajapur

7141. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a bridge was not constructed between 4 and 5 kilometres between Maksi and Shajapur before laying down railway line and an additional amount of Rs. 90 thousands was spent on the construction of this bridge during 1966;

(b) whether it is also a fact that at level crossing No. 6 built at Station Cantt. between 14 and 15 Kms., drainage for rainy water on the western side has not been provided due to which soil is likely to be washed away by rains; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) ; (a) No bridge was constructed between Kilometres 4 and 5 on Maksi-Shajapur Section originally as there was no defined water course. The necessity for a bridge was found after the earth work was completed and therefore a 1 x 15' span R. C. C. slab culvert was constructed subsequently to drain off the water impounded in this area. The estimated cost of the bridge was Rs. 30,000/- and not Rs. 90,000/-.

(b) Necessary cross-drainage has already been provided on the approach to Level Crossing No. 6 near Chhaoni Station (and not Cantt. Station) by providing a 1 x 12' R.C.C. slab culvert, and therefore, there is no likelihood of any portion of the embankment getting washed away by the rains.

(c) Does not arise.

Export of Pea-Cock Feathers

7142. Shri Onkar Singh :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Commerce be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 335 on the 31st March, 1967 and state :

(a) whether the Central Government are aware of the fact that the State Governments have made no arrangments for collecting pea-cock feathers which are potential foreign-exchange earners;

(b) if so, whether Government propose to issue instructions to this effect to the State Governments so as to increase their export in sufficient quantity; and

(c) whether Government propose to make any arrangement for purchasing the feathers from individual feather collectors also for exports ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) to c) : The peacock feathers are being collected and exported by the private trade. Government do not propose to ask the State Governments to increase the export; nor do they propose to arrange for purchases from individual feather collectors.

Export is allowed only within a limited annual quota to prevent undesirable methods of collection of feathers.

पड़ौसी देशों को निर्यात

7143. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय माल के निर्यात के लिये उसके प्राकृतिक बिक्री-बाजारों में चीन की चुनौती का मुकाबला करने के लिये प्रभावकारी संसाधन जुटाने की दृष्टि से श्रीलंका, बर्मा और नेपाल जैसे पड़ौसी देशों को हमारे माल का निर्यात यथावत जारी रखने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : भारत सरकार ने पड़ौसी देशों को हमारे माल के निर्यात का विस्तार तथा विविधीकरण करने के लिए अनेक कदम उठाये हैं : अफगानिस्तान, श्रीलंका, इण्डोनेशिया, ईरान, जापान तथा नेपाल के साथ व्यापार करार/व्यवस्था की गई है । बर्मा, मलयेशिया तथा थाईलैण्ड की सरकारों के साथ व्यापार करार करने पर बातचीत हो रही है । मित्र देशों को भारत से उनकी आवश्यक वस्तुओं को खरीदने में सहायता देने के उद्देश्य से श्रीलंका, इण्डोनेशिया तथा नेपाल जैसे देशों को ऋण तथा उधार दिया जा रहा है । पूंजीगत वस्तुओं तथा इंजीनियरी के सामान जैसी मदों का निर्यात सुगम करने के लिए गुणावगुण के आधार पर विलम्बित भुगतान की सुविधा भी दी जा रही है । इन देशों में हमारे व्यापार-प्रतिनिधि आर्थिक प्रवृत्तियों पर सूक्ष्म दृष्टि रखते हैं और जब और जैसे सम्बद्ध देशों में व्यापार के अवसर दिखाई देते हैं, वे सम्बद्ध निर्यात संवर्द्धन परिषदों को सलाह देते हैं । समय-समय पर व्यापार शिष्टमण्डल प्रायोजित किये जाते हैं जो अन्य देशों के आयातकों को भारत के औद्योगिक क्षेत्र में हुई प्रगति एवं उन देशों की निर्यात करने के लिए अब उपलब्ध विभिन्न प्रकार के उत्पादों से अवगत कराते हैं । भारतीय वस्तुओं को लोकप्रिय बनाने के लिए पड़ौसी देशों, जैसे अफगानिस्तान एवं थाईलैण्ड, में प्रदर्शन कक्ष तथा व्यापार केन्द्र स्थापित किये गये हैं । भारत इन देशों के महत्वपूर्ण व्यापार मेलों में भी भाग लेता है और हमारे उत्पादों के गुणों का प्रदर्शन करने के लिए भारतीय प्रदर्शनियों का आयोजन भी किया जाता है । भारत के व्यापार साझेदारों के साथ निकट सम्पर्क स्थापित करने के लिए तथा अन्य प्रतियोगी देशों में हुए विकास का पूरी तरह से पता लगाने के लिए, निर्यात संवर्द्धन परिषदों द्वारा भेजे गये व्यापार दलों के अतिरिक्त भारतीय व्यापारियों को इन देशों का दौरा करने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु आवश्यक सहायता दी जाती है ।

Running of Parcel Express to Hapur Via Ghaziabad

7144. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether any representations detailing difficulties experienced by the traders, who send handloom cloth from Pilkhua and Hapur Stations of the Northern Railway to other States, have been received by Government;

(b) if so, whether difficulties regarding late arrival of goods at their destination and inconveniences caused in loading have been explained in their memoranda;

(c) whether Government have investigated into this matter and if so, the steps contemplated to remove the difficulties; and

(d) whether any suggestions have also been received for running of Parcel Express via Ghaziabad to Hapur and Bulandshahr and if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) and (b) : Yes.

(c) The points raised in the representation have been examined, The following measures were taken to meet the situation during the last busy season, and it is proposed to adopt these measures during the ensuing busy season, also :

(i) One bogie parcel van or two wagons fit to run by passenger train are attached daily to No. 4 KM Passenger train from Meerut upto Khurja for clearance of handloom traffic offered at Hapur and other stations on that section. At Khurja, these are attached to 72 DN Parcel Express train to Mughalsarai,

(ii) One bogie parcel van or two wagons fit to run by passenger train are attached daily to No. 2 MD passenger train from Delhi upto Moradabad for clearance of handloom traffic offered at Pilkhua and other stations. These are cleared from Moradabad by 74 DN Parcel Express to Mughalsarai.

In addition, the following measures are also being taken :

(i) A siding is being constructed at Pilkhua to facilitate loading of handloom consignments

(ii) Steps have been taken to eliminate delays in transit, especially, at Lucknow, Kiul, Mughalsarai, Barauni, Katihar etc.

(d) Yes the matter is under examination.

खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली

7145. **श्री मधु लिमये :**
डा. राम मनोहर लोहिया :
श्री स. मो. बनर्जी :
श्री जार्ज फर्नेन्डीज :
श्री राम सेवक यादव :
श्री झा. सुन्दरलाल :

क्या वाणिज्य मन्त्री 2 दिसम्बर, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 633 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के उपबन्धों के अधीन खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के प्रबन्धक के विरुद्ध मुकदमे में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने उसके बाद से भण्डार में बिकने वाली दियासलाइयों के लिए दूसरी कागज की पट्टी इस्तेमाल करना आरम्भ कर दिया था ;

(ग) क्या विभिन्न एम्पोरियमों तथा भण्डारों के, जो पुराने बाट तथा माप इस्तेमाल करते पाये गये थे, प्रबन्धकों को दण्ड दिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के उपबन्धों के अधीन प्रबन्धक को बरी कर दिया गया है और सहायक प्रबन्धक को दोषी ठहराया गया है और उन्हें एक वर्ष की कठोर कैद तथा 7500 रु. जुर्माने की सजा दी गई है। कानूनी सलाह के आधार पर फैसले के विरुद्ध एक अपील की गई है।

(ख) जी, नहीं। बम्बई स्थित खजाना अभी तक उत्पादन केन्द्रों को नई पट्टियां नहीं दे सका है। भवन में पिछले वर्ष दियासलाइयों की बिक्री बन्द कर दी गई थी जो अभी शुरु नहीं की गई है।

(ग) और (घ) : खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अधीन किसी भी भवन अथवा भंडार में पुराने बाटों एवं पैमानों का प्रयोग नहीं किया जाता है। परन्तु अनभिज्ञ ग्राहकों को पुराने और नये बाटों तथा पैमानों के सापेक्ष मूल्यों का ज्ञान कराने के उद्देश्य मात्र से भागलपुर इम्पोरियम पुराने बाट एवं पैमाने रखते हुए पाया गया था। समझाने के उद्देश्य से भी इस प्रकार के बाट एवं पैमाने रखने की अनुमति नहीं है, अत: तब से उन्हें वहां से हटा कर नष्ट कर दिया गया है और सम्बन्धित व्यक्तियों की भर्त्सना की गई है।

माल डिब्बे बनाने का उद्योग

7146. श्री मधु लिमये : **श्री राम सेवक यादव :**
श्री जार्ज फर्नांडीज : **डा. राम मनोहर लोहिया :**
श्री स. मो. बनर्जी :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में प्रयोग के लिए तथा विदेशों में निर्यात के लिए क्रयादेश देकर माल–डिब्बे बनाने के उद्योग की अधिक सहायता देने की कोई योजना तैयार की है; और

(ख) जिन लोगों की छंटनी की गई है या की जाने वाली है, क्या उन्हें अन्य कामों पर लगा दिया गया है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) रेल मन्त्रालय आवश्यकता के अनुसार माल डिब्बों के निर्माण और सप्लाई के लिए माल डिब्बा निर्माता उद्योग को आर्डर देता है।

वाणिज्य मन्त्रालय के साथ मिलकर रेल मंत्रालय ने एक निर्यात संवर्धन अभियान शुरु किया है और विदेश स्थित भारतीय दूतावासों के साथ किये गये प्रबन्ध के जरिये रेल मन्त्रालय मे विदेशों से टेण्डर सम्बन्धी जो आमन्त्रण प्राप्त होते हैं, उन्हें माल डिब्बा निर्माताओं को भेज दिया जाता है और उनके उत्तर में विदेशी रेलों को टेण्डर भेजने के लिए निजी माल डिब्बा निर्माताओं को प्रोत्साहन दिया जाता है।

(ख) रेलवे बोर्ड में एक कक्ष मौजूद है, जो तकनीकी सलाह देकर माल डिब्बों के निर्यात में और अपेक्षित कच्चा सामान प्राप्त करने में उद्योग की सहायता करता है। रेल मन्त्रालय निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए नौकरी की व्यवस्था नहीं करता।

रेल पटरियां तथा कोयले का जमा हो जाना

7147. श्री मधु लिमये : **श्री एस० एम० जोशी :**
डा० राम मनोहर लोहिया : **श्री यशपाल सिंह :**
श्री स० मो० बनर्जी : **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री जार्ज फर्नांडीज :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ङ) क्या यह सच है कि भिलाई में रेल पटरियों तथा खानों के मुहानों पर कोयला भारी मात्रा में जमा हो गया है;

(च) यदि हां, तो कितनी मात्रा में;

(छ) क्या समिति आयोजन तथा समन्वय के द्वारा मांग तथा उत्पादन में कोई तालमेल स्थापित करने के लिए प्रयत्न किये गये थे; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) से (घ), कोयला खानों के मुहानों पर कोयले का कोई असाधारण स्टाक जमा नहीं है। कोयला खानों के एक महीने के उत्पादन का स्टाक मुहानों पर रखना एक साधारण बात है। मार्च, 1967 के अन्त में स्टाक उत्पादन के 99 प्रतिशत के बराबर था। एक समिति समय-समय पर कोयले की आवश्यकताओं का पुनर्विलोकन करती है और मांग निश्चित करती है। इस समिति में उत्पादकों और उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि होते हैं। पुनर्विलोकन के फलस्वरूप जो परिणाम निकलते हैं वे कोयला उद्योग को बता दिये जाते हैं जिससे वे अपने उत्पादन कार्यक्रम में आवश्यक फेर बदल कर सकें। भिलाई इस्पात कारखाने में उतनी ही रेल की पटरी तैयार की जाती है जिसके लिए उनके पास आर्डर होते हैं, अतः रेल की पटरी के स्टाक जमा होने की बहुत कम सम्भावना है।

Derailment of Howrah-Delhi Tri-Weekly Express

7148. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Howrah-Delhi tri-weekly express train was derailed on the 13th April, 1967;

(b) if so, the causes of derailment; and

(c) the extent of loss of life and property caused thereby ?

The Minister of Railways (Shri C.M. Poonacha) : (a) The train engine along with one bogie next to it derailed at Howrah station.

(b) The derailment was on account of gap in a motor operated point which moved away from its reverse position due to some stray current passing through the point motor.

(c) No one was killed or injured in this accident. The cost of damage to railway property was estimated at approximately Rs. 300/-.

Derailment at Maharajpur Station

7149. Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 756 on the 7th April, 1967 and state :

(a) whether the enquiry into the derailment of a train at Maharajur Station has been completed;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, how much more time is likely to be taken ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes.

(b) According to the finding of the Enquiry Committee the accident was due to the facing points having not been set and secured properly for the reception of the train. The railway staff held responsible have been suitably taken up.

(c) Does not arise.

मालीगांव में पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के कर्मचारियों द्वारा घेराओ आन्दोलन

7150. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री बे० कु० दासचौधरी :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मालीगांव में पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के सभी कर्मचारियों ने उचित दामों पर अधिक चावल की मांग करते हुए महाप्रबन्धक के कार्यालय के बाहर धरना दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें यह सुविधा दे दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) 4 और 5 मई, 1967 को महाप्रबन्धक कार्यालय, पांडु के सामने कुछ कर्मचारियों ने राशन पर मिलने वाले अनाज खास तौर से चावल की अपर्याप्त और अनियमित सप्लाई के खिलाफ विरोध प्रकट करने के लिए एक प्रदर्शन किया था।

(ख) जनता, जिसमें रेल-कर्मचारी भी शामिल हैं, को पर्याप्त और नियमित रूप से अनाज सप्लाई करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। फिर भी पूर्वोत्तर सीमा रेल प्रशासन अनिवार्य सेवाओं जैसे रेल-कर्मचारियों के लिए अनाज की पर्याप्त सप्लाई बनाये रखने की आवश्यकता के प्रति पूर्णरूप से जागरूक रहा है और राज्य सरकार को बारम्बार अभ्यावेदन देता रहा है ताकि अनाज की पर्याप्त और नियमित सप्लाई सुनिश्चित की जा सके। इन अभ्यावेदनों के फलस्वरूप 7-5-67 से राज्य सरकार ने चावल के राशन की मात्रा में वयस्कों के लिए प्रति सप्ताह एक किलो और अवयस्कों के लिए आधा किलो की वृद्धि की है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

औद्योगिक विकास

7151. **श्री रा० बरुआ :**
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री चं० चु० देसाई :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लगभग 47 उद्योगों को चालू वर्ष में केवल छोटे पैमाने के क्षेत्र में विकास के लिए सुरक्षित रखने का निर्णय हाल ही में किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में किये गये निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1248/67**]

औद्योगिक लाइसेन्सों का जारी किया जाना

7152. श्री दामानी : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक लाइसेन्स जारी करने में देरी होने के लिए की गई शिकायतों को लेने के लिए एक पृथक् 'शिकायत अनुभाग' काम कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो 1966-67 में कितनी शिकायतें मिली तथा वे किस तरह से दूर की गई ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) मन्त्रालय को 1966-67 में 521 शिकायतें मिली थीं । चूंकि ये सभी निवेदन विचाराधीन मामलों को जल्दी निपटाने के बारे में थे, इसलिए जन सम्पर्क तथा शिकायत अधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियों और अनुभागों से प्रत्यक्ष बात-चीत करके बाद की आवश्यक कार्रवाई की तथा पार्टियों को सन्तोषजनक स्थिति बता दी ।

सेवा निवृत्त वरिष्ठ रेलवे अधिकारी

7153. श्री दामानी : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1964-65 और 1965-66 में रेलवे बोर्ड के सेवा निवृत्त वरिष्ठ अधिकारियों को सरकारी उपक्रमों में नियुक्त किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उन अधिकारियों का ब्यौरा क्या है, जो इस इस प्रकार नियुक्त किये गये थे ?

रेलवे मन्त्री (श्री चं० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) सूचना मंगाई जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

उद्योग द्वारा अंशदान से पूंजी का जुटाया जाना

7154 श्री दामानी : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67 के दौरान निजी क्षेत्र के नियमित उद्योगों में सार्वजनिक अंशदान से कितनी पूंजी एकत्र की है ?

(ख) क्या पूरे धन की गारन्टी ले ली गई थी : और

(ग) उपलब्ध आंकड़ों की तुलना में वर्ष 1965-66 के आंकड़े कितने थे ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) 1966–67 के वर्ष में, 36·35 करोड़ रुपये की राशि, (23·64 करोड़ रुपये शेयरों में तथा 12 71 करोड़ रुपये क्रय पत्रों में) गैर–सरकारी, गैर–वित्तीय, सार्वजनिक सीमित कम्पनियों द्वारा, विवरणिकाओं के माध्यम से प्रेषित की गई थी। इसमें से 32·10 करोड़ रुपये की राशि, (19·49 करोड़ रुपये शेयरों में तथा 12·61 करोड़ रुपये ऋण–पत्रों में) जनता के लिए प्रस्तावित की गई थी। इसमें से 11·08 करोड़ रुपये की राशि, (6·12 करोड़ रुपये शेयरों में तथा 4·96 करोड़ रुपये ऋण–पत्रों में) जनता द्वारा अभिदत्त की गई थी।

(ख) नहीं श्रीमान। बीमाकृत कुल राशि 30 96 करोड़ रुपये थी। (18·35 करोड़ रुपये शेयरों में तथा 12·61 करोड़ रुपये ऋण–पत्रों में)

(ग) तुलनात्मक अंक, निम्नांकित सारिणी में दिये जा रहे हैं—

(करोड़ रुपयों में)

	1966–67		1965–66	
	शेयर	ऋण–पत्र	शेयर	ऋण–पत्र
1. कुल प्रेषित राशि	23.64	12.71	36.80	8.40
2. जनता को प्रस्तावित राशि	19.49	12.61	28.06	8.40
3. बीमा की गई राशि	18.35	12.61	24.44	8.40
4. जनता द्वारा अभिदत्त राशि	6.12	4.96	9.01	3.55
5. हामीदारों द्वारा ली गई राशि	13.16	7.65	18.87	4.85
6. अन अभिदत्त छूटी हुई राशि	0.21	—	0·18	—

रूरकेला के कारखाने में विस्फोट

7155. श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य : क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1967 के प्रथम सप्ताह में रूरकेला में कोक–ओवन उपोत्पाद संयन्त्र के एक भाग में कोई विस्फोट हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में राज्य–मन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, हां।

(ख) 3 मई, 1967 को सुबह 4 बजकर 10 मिनट के करीब मेन पाइप के फटने के कारण उपोत्पाद संयन्त्र से संलग्न कम्प्रेसर हाउस में एक धमाका हुआ जिससे कम्प्रेसर हाउस की छत बिलकुल क्षतिग्रस्त हो गई और आग लग गई जिसे सुबह 6 बजे तक बुझाया जा सका।

बांसपानी रेलवे साइडिंग को जोड़ुरी तक बढ़ाना

7156. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में क्योंझर में बांसपानी रेलवे साइडिंग को जोड़ुरी तक बढ़ाने के काम की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि सचिवों की समिति ने वरीयता के आधार पर इसका विस्तार करने की स्वीकृति दी थी; और

(ग) इसे क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग) सचिवों की समिति ने बांसपानी से जोरूरी तक रेलवे लाइन का विस्तार करने के प्रस्ताव की जांच करने की सिफारिश की है। इस विस्तार के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरिंग सर्वेक्षण किया जा चुका है, जो बांसपानी–नयागढ़–पारादीप सर्वेक्षण के भाग के रूप में है। दक्षिण–पूर्व रेलवे ने निक्षेप निर्माण–कार्य के रूप में इस साइडिंग के खर्च का एक अनुमान तैयार किया है और उसे विचारार्थ मिनरल्स एण्ड मेटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन को भेजा है।

कनाडा से रेल इंजन के पुर्जे खरीदना

7157. श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य :
श्री सरजू पाण्डेय :
श्री इसहाक सम्भली :
श्री क० लकप्पा :
श्री निवास मिश्र :
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री वि० ना० शास्त्री :
श्री न० कु० सांघी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा से रेल के इंजनों के पुर्जे खरीदने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो कितने मूल्य के और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या भारत में इन पुर्जों का निर्माण करने के लिये कोई परियोजना स्थापित की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) डीजल रेल इंजन कारखाना, वाराणसी में मीटर लाइन के 40 डीजल रेल इंजनों के निर्माण के लिए जिन पुर्जों को आयात करने का विचार है, उनका मूल्य लगभग 22 लाख कैनेडियन डालर है, जो 1·52 करोड़ रुपये के बराबर है।

मीटर लाइन के डीजल रेल इंजनों के निर्माण की सुविधा डीजल रेल इंजन कारखाना, वाराणसी में स्थापित की जा रही है, जहां बड़ी लाइन के डीजल रेल इंजन पहले से बनाये जा रहे हैं। मीटर लाइन के 40 डीजल रेल इंजनों के कुछ पुर्जे डीजल रेल इंजन कारखाने में बनाये जायेंगे और केवल उन्हीं पुर्जों का आयात किया जायेगा, जो देशी साधनों से उपलब्ध नहीं होते।

मीटर लाइन के रेल इंजनों के निर्माण में प्रगति, डीजल रेल इंजन कारखाने में पुर्जों के निर्माण में वृद्धि और डीजल रेल-इंजनों में देशी सामानों की अधिकता ज्यों-ज्यों बढ़ेगी, आयात की मात्रा क्रमशः घटती जायेगी।

केरल में स्कूटर फैक्टरी

7158 श्री वासुदेवन नायर
श्री अदिचन ।

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य के औद्योगिक विकास निगम ने 1965 में राज्य में एक स्कूटर फैक्टरी लगाने की अनुमति मांगी थी ;

(ख) क्या उसने पूर्णतः स्वदेशी कारखाने की स्थापना का प्रस्ताव किया था ;

(ग) क्या सरकार ने उक्त निगम की प्रार्थना के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है ; और

(घ) यदि हां, तो वह निर्णय क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) आवेदन पत्र में यह अनुमान लगाया गया था कि इस परियोजना के लिए मशीनों पर लगभग 86 लाख रुपये पूंजी लगाई जायेगी जिसमें से 5·25 लाख रुपये की आयातित मशीनें होंगी तथा शेष मशीनें देश से प्राप्त की जायेंगी । आवेदन पत्र में यही बताया गया था कि गाड़ी में देशी अंश प्रारंभ मे 95 प्रतिशत होगा ।

(ग) और (घ) : स्कूटर बनाने के लिए कुछ अन्य योजनाओं के साथ यह योजना भी अभी विचाराधीन है ।

खुर्दा रोड जंक्शन पर पहले दर्जे की तथा स्लीपर सीटें

7159. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दक्षिण पूर्व रेलवे के खुर्दा रोड जंक्शन के लिये उपलब्ध पहले दर्जे की और स्लीपर सीटें बहुत ही कम हैं ; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस स्टेशन के लिये दो स्लीपर सीटों तथा दो पहले दर्जे की सीटों का अतिरिक्त कोटा नियत करने का है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) नं० 7 डाउन पुरी-हावड़ा एक्सप्रेस गाड़ी में उपलब्ध स्थान के अन्य सभी दावों को ध्यान में रखते हुए, खोरधा रोड़ से चढ़ने वाले यात्रियों के लिए नियत पहले दर्जे की दो और तीसरे दर्जे के शयनयान में दो शायिकाओं का वर्तमान कोटा पर्याप्त समझा जाता है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कोर्स इण्डिया लिमिटेड

7160. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मधु लिमये :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिड़ला का कोर्स इण्डिया लिमिटेड नामक फर्म में कुछ केन्द्रीय मंत्रियों के शेयर है : और

(ख) यदि हां, तो सम्बद्ध केन्द्रीय मंत्रियों के नाम क्या हैं तथा उनके कितने-कितने शेयर हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची द्वारा उपकरणों की सप्लाई

7161. **श्री धीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री 2 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1282 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो इस्पात कारखाने के लिये अपेक्षित (एक) उपकरणों और (दो) रचनात्मक सामग्री का कितना प्रतिशत हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची से प्राप्त किया जायेगा तथा कितना प्रतिशत भारत के अन्य सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के निर्माताओं से प्राप्त किया जायेगा ; और

(ख) क्या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची तथा अन्य निर्माताओं को उपयुक्त सामान की सप्लाई के लिये औपचारिक रूप से क्रयादेश दे दिये गये हैं; यदि हां, तो उनका कुल मूल्य क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) सूचना इस प्रकार है (लगभग) —

	उपकरण	संरचनात्मक
हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची	26 प्रतिशत	9 प्रतिशत
अन्य निर्माता		
सरकारी क्षेत्र	6 प्रतिशत	1 प्रतिशत
निजी क्षेत्र	32 प्रतिशत	82 प्रतिशत

(ख) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची और सरकारी क्षेत्र के दूसरे कारखानों को उपकरण और संरचनात्मक सप्लाई करने के लिए 'आशय-पत्र' जारी कर दिये गये हैं इन कारखानों के साथ औपचारिक रूप से करार अभी नहीं किये गये हैं क्योंकि कीमतों के बारे में अभी बातचीत चल रही है । कीमतें तय हो जाने के बाद ही कुल लागत का पता लग सकता है । निजी क्षेत्र के अभिकरणों से उपकरण आदि लेने के बारे में शीघ्र ही टैण्डर मांगे जाएंगे ।

चार्जमैनों को समयोपरि भत्ता

7162. **श्री रवि राय** : **श्री जे० एच० पटेल** :
श्री मधु लिमये : **श्री आ० ना० मुल्ला** :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डिलक्स एयर कण्डीशण्ड ट्रेनों में चल रहे चार्जमैनों, शैडों में काम कर रहे चार्जमैनों तथा ओपन लाइन फोरमैनों के काम के घण्टे तथा ड्यूटीरोस्टर क्या हैं;

(ख) क्या अतिरिक्त घण्टों में काम करने के लिए तथा छुट्टियों के दिन काम करने के लिए उनको समयोपरि भत्ता मिलता है;

(ग) क्या इन सुपर वाइजरों को साप्ताहिक अवकाश मिलता है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उनके काम की दशा अन्य कर्मचारियों से भिन्न है; और

(ङ) यदि हां, तो किस प्रकार ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग) डीलक्स वातानुकूल गाड़ियों के साथ चलने वाले अथवा शेडों में स्वतन्त्र कार्य-भार सम्हालने वाले चार्जमैनों और चालू लाइन स्थापना के फोरमैनों का वर्गीकरण 'पर्यवेक्षक' के रूप में किया गया है जिनके काम के घण्टे निश्चित नहीं हैं और काम के घण्टे विनियम के अधीन वे समयोपरि भुगतान अथवा विश्राम के हकदार नहीं हैं। लेकिन अपने काम के घण्टों का उपयुक्त समंजन करके वे विश्राम ले लेते हैं। फिर भी, शेडों के स्वतन्त्र चार्जमैन दर मात्र पर समयोपरि भत्ता पाने के हकदार हैं जो महा प्रबन्धक के स्वविवेक पर निर्भर है। जहां चार्जमैनों का स्वतन्त्र रूप से चार्ज नहीं होता, उनका वर्गीकरण सामान्यत: 'निरन्तर' के रूप में किया जाता है और शेड के अन्य कोटियों के कर्मचारियों के समान उन्हें प्रति सप्ताह 48 घण्टे काम करना होता है और उन्हें अपने साधारण वेतन का 1½ गुना समयोपरि भत्ता दिया जाता है और सप्ताह में एक दिन विश्राम करने की अनुमति है।

(घ) और (ङ) जी हां, उनका काम पर्यवेक्षण कोटि का है और काम की आवश्यकताओं को देखते हुए वे अपने समय का समंजन कर लेते हैं।

राजपत्रित पदधारियों द्वारा बिना टिकट यात्रा

7163. **चित्तिबाबू** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रेल 1967 से लेकर आज तक भूतपूर्व संसत्सदस्यों समेत कितने राजपत्रित अधिकारी बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े गये; और

(ख) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) ऐसे किसी मामले की रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) सवाल नहीं उठता।

दक्षिण रेलवे की निर्माण शाखा

7164. **श्री चित्तिबाबू** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण रेलवे की निर्माण शाखा में कितने लास्कर दैनिक मंजूरी पर नियुक्त किये जाते हैं;

(ख) वे कितने समय के लिये नियुक्त किये जाते है;

(ग) क्या उन्हें इस बात का पता है कि इन लास्करों को समय-समय पर मंजूरी प्राप्त पदों की बजाय दैनिक मजूरी पर रक्खा जाता है;

(घ) क्या यह सच है कि इन लास्करों को, उनकी लगातार सेवा होने के कारण तथा भर्ती के समय की गई डाक्टरी जांच में योग्य घोषित किये जाने के कारण, नियमित स्थानों पर नियुक्त किये जाने का कानूनी हक हो जाता है; और

(ङ) यदि उपर्युक्त भाग (घ) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो कितने लास्करों को गत दस वर्षों में नियमित स्थानों पर रखा गया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) 378

(ख) 1 महीना और 12 वर्ष के बीच।

(ग) निर्माण प्रायोजनाओं के काम पर लगाये गये नैमित्तिक मजदूरों को दैनिक मंजूरी की दर से भुगतान किया जाता है चाहे नियुक्ति की अवधि कुछ भी हो।

(घ) जी नहीं, लेकिन नियमित नियुक्ति के लिए चुनाव करते समय इनका उचित ध्यान रखा जाता है।

(ङ) यद्यपि नियुक्ति के लिए उनका स्वत: कोई हक नहीं होता, फिर भी 23 लास्करों को नियमित रूप से गैंगमेन के पद पर नियुक्त किया गया है।

रूसी फिल्मों का आयात

7165. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रूसी फिल्मों का आयात 1965 से बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिबंध के क्या कारण हैं;

(ग) क्या रूसी फिल्म प्रतिनिधिमण्डल के साथ, जो हाल में भारत आया था, इस बारे में कोई बातचीत हुई थी; और

(घ) रूस की सर्वश्रेष्ट तथा कलापूर्ण फिल्मों को देखने के अवसरों से भारतीय दर्शकों को वंचित रखने में सरकार का क्या प्रयोजन है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) वर्ष 1965–66 से विदेशी फिल्मों के आयात के विषय में सामान्य आयात नीति यह है कि कुछ भी आयात न किया जाये। फिर भी इस वर्ष पारस्परिक आधार पर 3 लाख रुपये के मूल्य की सोवियत फिल्मों के आयात की व्यवस्था है।

(ग) रूसी फिल्म प्रतिनिधिमण्डल के साथ जो मई, 1967 में भारत आया था, सोवियत फिल्मों के आयात के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई।

(घ) विदेशी मुद्रा की कमी के कारण विदेशी फिल्मों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाना अपेक्षित है।

भारत में विदेशी विनियोजन

7166. श्री रा० बरुआ :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री यशपाल सिंह :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में विदेशी विनियोजन के बारे में मुदालियर समिति की सिफारिशों पर विचार किया है;

(ख) क्या इस बारे में कोई निर्णय किया गया है कि किस क्षेत्र में विदेशी गैर सरकारी पूंजी लगाने की अनुमति दी जायेगी; और

(ग) क्या ऐसा करते समय देश की प्रगति शक्यता को ध्यान में रखा गया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) : रिपोर्ट पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर सरकार का दृष्टिकोण निश्चित हो जाने के पश्चात् उस पर सरकारी निर्णयों सहित रिपोर्ट की एक प्रति सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Sale of Scooters in Black-market

7167. Shri Molahu Prasad : Shri J. H. Patel :
Shri Maharaj Singh Bharati : Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of Industrial Development and Company Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Lambretta and Vespa Scooters are being sold in the black market;

(b) if so, whether Government are aware that most of the people get their names registered by depositing Rs. 250/- with the Post Office and when they get the scooter, they sell it in the black-market thereby making a huge profit;

(c) whether Government propose to make it compulsory that the persons who desire to purchase a scooter should deposit the full price of the Scooter (at Bank interest) in advance; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) No specific instance of sale of Lambretta & Vespa scooter in the black market has come to the notice of Government.

(b) No, Sir.

(c) No, Sir.

(d) Such a step, it is felt, will adversely affect the majority of the customers for scooters who are, by and large, middle-class persons of limited means.

सेलम इस्पात परियोजना

7168. श्री रा० बरुआ :
श्री देवकी नन्दन पटोदिया :
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री मरंडी :
श्री दी० चे० शर्मा :
श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास सरकार ने सेलम इस्पात परियोजना को स्वयं चलाने की पेशकश की है, यदि इसको केन्द्रीय परियोजना के रूप में नहीं चलाया जा सकता; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) सरकार ने मुख्य मत्री के इस बारे में कथित वक्तव्य के समाचार समाचार-पत्रों में देखे हैं।

(ख) सेलम में केन्द्रीय प्रायोजना के रूप में इस्पात कारखाना लगाने का प्रश्न अभी विचाराधीन है। इस्पात की कुल मांग और देश के विभिन्न विकास-कार्यक्रमों को समस्त रूप में क्रियान्वित करने के लिए उपलब्ध साधनों को देखते हुये इस परियोजना पर अन्य परियोजनाओं के साथ-साथ विचार करना होगा।

Allotment of Cars out of Central Government Officers' Quota.

7169. Shri Ram Charan : Will the Minister of Industrial Development and Company Affairs be pleased to state :

(a) the number of Officers of the Central Government who had been allotted cars during the last five years from Government quota and the number of those among them who had disposed of their cars before the expiry of the period of two years from the date of their allotment;

(b) the grounds on which they were permitted to sell their cars before the expiry of the perscribed period; and

(c) the number of officers who were granted another advance for purchase of a car within a period of five years for special reasons ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) About 10,000 officers of the Central Government and its undertakings were allotted cars of all makes from the Central Government quota during the last five years. Out of them, 153 officers were permitted by the Controller of Motor Cars at the Centre to sell the cars before the expiry of two years from the date of their purchase. Similar information in regard to permission for resale granted by the officers of the State Governments/Centrally administered Territories is not available.

(b) Permission to sell the car was, by and large, granted on the following grounds :—

(i) Posting of officers to foreign countries or to fields areas.

(ii) Involvement of the cars in serious accidents.

(iii) Defects and unsatisfactory performance of cars; and

(iv) Circumstances resulting in inability to maintain the car after the purchase of the same.

(c) The required information is not available as advances for the purchase of cars are granted by the administrative Ministries/offices concerned.

दक्षिण-मध्य रेलवे पर हावड़ा मेल का पटरी से उतर जाना

7170. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि 18 जून, 1967 को दक्षिण मध्य रेलवे पर हावड़ा मेल की दो बोगियां पटरी से उतर गई थीं;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के क्या कारण हैं; और

(ग) रेलवे को कितनी हानि हुई ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) सम्भवत: माननीय सदस्य का आशय 18–6–67 को स्टुवटेपुरम और वापटला स्टेशनों के बीच नं० 4 डाउन मद्रास-हावड़ा डाक गाड़ी के पटरी से उतर जाने की दुर्घटना से है । इस दुर्घटना में केवल एक बोगी के अगले पहिये पटरी से उतर गये थे ।

(ख) दुर्घटना का कारण यह था कि जो डिब्बा पटरी से उतर गया था उसके अगले धुरे का दाहिना जनेल टूट गया था ।

(ग) रेल सम्पति को लगभग 3,856 रु० की क्षति पहुंचने का अनुमान है ।

Setting up of Industries in Rajasthan

7171. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri N. S. Sharma :
Shri Onkar Singh :
Shri Beni Shankar Sharma :

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of licences issued for the setting up of industries in Rajasthan during 1966 and 1967; and

(b) the places for which they were issued and the progress made in the setting up of these industries ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) One licence was issued during 1966 and two in 1967 (upto 15th July, 1967) for the establishment of new industrial undertakings.

(b) The licences were granted for establishment of new undertakings at Udaipur, Sriganganagar and Kota. None of the three parties have so far, completed 'effective steps' towards implementation of the licences.

Industrial Units in Madhya Pradesh

7172. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the names of the new industrial units set up in Madhya Pradesh in 1966–67 and the progress made by them so far; and

(b) the amount sanctioned for them by the Central Government during the said period ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) and (b) The new industrial units under implementation in Madhya Pradesh and the position as well as the outlay proposed for them during 1966–67 are :

	Units	Position	Outlay during 1966–67 (Rs. lakhs)
1.	New Alkaloid Factor	Foreign credits have been arranged	15.00
2.	Korba Aluminium	Foreign credits are under negotiation	55.00

सीमेंट की कमी

7173. श्री नि० रं० लास्कर : क्या **औद्योगिक विकास** तथा **समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सीमेंट की बहुत कमी है;

(ख) क्या अपर्याप्त सप्लाई के कारण सीमेंट में बड़े पैमाने पर मिलावट की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो सप्लाई को बढ़ाने के लिये तथा मिलावट को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) दिल्ली में सीमेंट की कमी के बारे में कोई भी शिकायत नहीं मिली है ।

(ख) सीमेंट में मिलावट के बारे में दिल्ली में कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारी इंजीनियरी कारखाने

7174. श्री चिन्तामणी पाणिग्रही : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रांची स्थित भारी इंजीनियरी कारखानों के अतिरिक्त देश में और भारी इंजीनियरी कारखाने खोलने का है; और

(ख) क्या भारी इंजीनियरी निगम, रांची की क्षमता का पूरा उपयोग किया जा चुका है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) रांची का किस्म का भारी इंजीनियरिंग काम्प्लेक्स देश में अन्य कहीं स्थापित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं ।

माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन, दुर्गापुर

7175. श्री उमानाथ ।
श्री ज्योतिमय बसु :
श्री भगवान दास :
श्री अब्राहम :
श्री नायनार :
श्री एस्थोस :
श्री रमानी :
श्री अनिरुद्धन :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन, दुर्गापुर में विभिन्न श्रेणीयों के कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) प्रत्येक श्रेणी के कितने कर्मचारियों को परिवार-क्वार्टर दिये गये हैं; और

(ग) इस कम्पनी का कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को परिवार-क्वार्टर देने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह समा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Smuggling of Rice into China

7176. Shri Atam Das :
Shri Y. S. Kushwah :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Surya Prakash Puri :

Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether it is a fact that thousands of tonnes of India rice is being smuggled into Tibet and Sinkiang province of China through Nepal via Kodari-Tibet and Raxaul-India-Nepal border;

(b) whether it is also a fact that smuggling is continuing for about last four weeks; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard and their reaction thereto ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) No, Sir.

(b) and (c) : Do not arise.

कोयला नियन्त्रक का संघटन

7177. श्री अनिरुद्धन :
श्री प० गोपालन :
श्री चक्रपाणि :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला नियंत्रक का संघटन कब स्थापित किया गया था;

(ख) क्या इस संघटन के स्थापित होने के बाद कभी इस संघटन की कार्यवाहियां बन्द हुई थी;

(ग) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि इस संघटन के बहुतेरे कर्मचारी अभी तक स्थायी नहीं किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन कर्मचारियों को स्थायी करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) 1956 के शुरू में कोयला नियंत्रक की संस्था अस्तित्व में आई । इससे पहले कोयला आयुक्त की संस्था का कोयले पर नियंत्रण था जोकि 1-6-44 को स्थापित की गई थी ।

(ख) नहीं, महोदय ।

(ग) और (घ), सरकार के आदेशानुसार 80 प्रतिशत अस्थायी पदों को स्थायी पदों में बदल कर लोगों को स्थायी बना दिया गया ।

कोयला नियन्त्रक का संघठन

7178. **श्री नायनार :**
श्री प० गोपालन :
श्री चक्रपाणि :
श्री अनिरुद्धन :

क्या इस्पात, खान तथा धातु यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला नियंत्रक के संघटन के मुख्य कार्यालय में वर्ष 1966 में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी थी;

(ख) इस संघटन के मुख्य कार्यालय में विभिन्न श्रेणियों के स्थायी पदों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) मुख्य कार्यालय के संघटन में विभिन्न श्रेणियों के कुल कितने कर्मचारियों को स्थायी किया गया है; और

(घ) मुख्य कार्यालय संघटन के जो कर्मचारी अपने सेवा काल के अनुसार स्थायी नहीं किये गये हैं, वे किस-किस श्रेणी के हैं ?

इस्पात खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चे० सेठी) : (क) 440

(ख) से (घ) आवश्यकता सूचना का विवरण समा पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1249/67]**

नारियल जटा बोर्ड

7179. **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री चक्रपाणि :
श्री अ० क० गोपालन ।
श्री प० गोपालन :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल के नारियल जटा कर्मचारियों के कार्मिक संघ द्वारा बार-बार प्रार्थना की जाने पर भी नारियल जटा बोर्ड में उनका कोई प्रतिनिधि नहीं लिया गया है; और

(ख) क्या यह भी सच है कि नारियल जटा के निर्यातक, जो वास्तव में नारियल जटा के उत्पादक नहीं हैं तथा जिन्होंने कारखानों संबंधी कानूनों को विफल बनाने के लिये नारियल जटा के अपने कारखाने बन्द कर दिये हैं, नारियल जटा बोर्ड में प्रभुत्व जमाये बैठे हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं । नारियल जटा बोर्ड में तीन स्थान, जो भूमी, नारियल जटा धागे के उत्पादक तथा उत्पादों के निर्माण में लगे हुए व्यक्तियों के लिए सुरक्षित है, केरल की

अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाते हैं। ये तीन सदस्य क्रमश: तिरुवितांकुर नारियल जटा फैक्ट्री वर्कर्स यूनियन, नारियल जटा कर्मचारी यूनियन तथा तिरुवितांकुर कर्मचारी यूनियन का प्रतिनिधित्व करते हैं।

(ख) जहां तक सरकार की जानकारी है ऐसी बात नहीं है।

रेलवे के संघबल टिकट निरीक्षकों (टी० टी० ई०) तथा कंडक्टरों को भत्ता

7180. श्री निहाल सिंह :
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री घरन :
श्री शिव पूजन शास्त्री।

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे के गार्डों तथा इंजन ड्राइवरों को प्रति 100 किलोमीटर के लिये दो रुपये मील-भत्ता मिलता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि एक गाड़ी के संचल टिकट निरीक्षकों (टी० टी० ई०) तथा कंडक्टरों को निश्चित यात्रा भत्ता मिलता है;

(ग) यदि हां, तो इस असमानता के क्या कारण है; और

(घ) इस असमानता को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग) चूंकि गाड़ियों के संचालन का भार प्रत्यक्ष रूप से ड्राइवरों, शंटरों, फायरमैनों, गार्डों और ब्रेक्समैनों पर होता है, इसलिए उन्हें रनिंग कर्मचारी कहा जाता है। चल टिकट परीक्षक और कंडक्टर पर गाड़ी संचालन का कोई भार नहीं होता बल्कि वे केवल ऐसे कर्मचारी होते है, जिनकी ड्यूटी गाड़ियों में होती है। रनिंग कर्मचारियों को मील भत्ता मिलता है जिसमें प्रोत्साहन का तत्व, जिसका उद्देश्य गाड़ियों के संचालन में समय की पाबन्दी रखना है, और यात्रा भत्ते का तत्व शामिल है। चल टिकट परीक्षकों और कंडक्टरों को दौरे पर जाने वाले अन्य कर्मचारियों की तरह केवल यात्रा भत्ता मिलता है। मील भत्ते की दरें अलग-अलग कोटियों और अलग-अलग वेतनक्रमों के लिए अलग-अलग है। यह भत्ता प्रति 100 किलोमीटर के लिए 2 रुपये की इकसार दर पर नहीं दिया जाता।

(घ) कर्मचारियों की दो भिन्न कोटियों के लिए लागू भत्ता-प्रणाली में परिवर्तन करने के विषय में सरकार कोई विचार नहीं कर रही।

डा० धर्म तेजा द्वारा तैयार की गई ढलाई कारखाने की योजना

7181. श्री बाबूराव पटेल : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० धर्म तेजा ने 4 करोड़ रुपये की लागत का एक ढलाई कारखाना स्थापित करने की योजना बनाई थी जिसकी गारंटी आंध्र प्रदेश सरकार ने दी थी;

(ख) डा० धर्म तेजा द्वारा मंगवाये गये उपकरणों को खरीदकर आंध्र प्रदेश सरकार ने कितनी राशि-पूरी की थी;

(ग) सरकार इन उपकरणों का इस्तेमाल किस प्रकार करेगी; और

(च) ये उपकरण इस समय किस हालत में तथा कहां पर पड़े हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) यह परियोजना मूल रूप से एक प्रवर्तक दल द्वारा 1955 में तैयार की गई थी और इसे कार्यान्वित करने के लिए 15-4-1967 को इसे रिपब्लिक फोर्ज कम्पनी नामक एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी का रूप दिया गया। 1963 में डा० धर्म तेजा कम्पनी के अध्यक्ष (चेयरमैन) की हैसियत से निदेशक बोर्ड में शामिल हुए और वे 3 अप्रैल, 1966 तक कम्पनी का कार्य करते रहे। आन्ध्र प्रदेश ने औद्योगिक विकास निगम जो पूर्णतया राज्य सरकार का उपक्रम था संयंत्र और मशीनों की सप्लाई के लिए रिपब्लिक फोर्ज कम्पनी की तरफ से फ्रांस की मैसर्स मेनाल्ट इंजीनियरिंग कम्पनी को 1 करोड़ 69 लाख रुपये की गारंटी 2 मई, 1963 को दी। इस परियोजना का वर्तमान अनुमानित व्यय लगभग 4 करोड़ 50 लाख रुपये में है।

(ख) जब फ्रांस की कम्पनी द्वारा सप्लाई की गई मशीनें और संयंत्र पहुंच गये और आखिरी खेप नवम्बर, 1965 में आया, उस समय कम्पनी की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह तमाम भुगतान कर सके और साज सामान ले सके तथा विलम्ब शुल्क बढ़ता गया। इस साज सामान के गारंटी के रूप में मुख्य जमानत होने के कारण, आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम ने राज्य सरकार की मंजूरी से इस कम्पनी को ऋण दिया ताकि वह विलम्ब शुल्क आदि दे सके और इस साज सामान को रखने के लिए माल गोदाम में ले जा सके। निगम ने कुछ और भी रुपया उधार दिया जिससे कम्पनी अन्य आवश्यक दायित्व पूरा कर सके जैसे मशीनों की सप्लाई करने वालों को मई और नवम्बर, 1965 को दिये जाने वाले रुपयों की अग्रिम अदायगी की जासके और सिविल निर्माण कार्य इस्पाती ढांचों आदि के लिए ठेकेदारों के बिलों का भुगतान किया जा सके। आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम ने अभी तक जो कुल रुपया दिया वह लगभग 92 लाख आंका जाता है।

(ग) सिकन्दराबाद में एक फोर्ज संयंत्र की स्थापना के लिए कम्पनी साज-सामान का इस्तेमाल कर रही है।

(घ) विदेशी सहयोगियों द्वारा सप्लाई किया गया साज-सामान कारखाने के स्थान पर संतोषजनक स्थिति में मिल गया है और वह लगाया जा रहा है।

औद्योगिक विकास की गति

7182. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1965 से पहले के पांच वर्षों में औद्योगिक विकास की जो औसत वार्षिक दर 7 प्रतिशत थी वह वर्ष 1966-67 में घटकर 3.1 प्रतिशत रह गई थी;

(ख) क्या रुपये का अवमूल्यन तथा आयात सम्बन्धी उदारता भी इस गिरावट के कारण रहे हैं; और

(ग) इस वार्षिक उत्पादन दर को कम से कम 7 प्रतिशत तक ले जाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :—
(क) अस्थायी अनुमान के अनुसार औद्योगिक विकास की वार्षिक गति 1966-67 में घट कर 2.7 प्रतिशत रह गई जो 1965 से पूर्व 5 वर्षों में औसत वार्षिक विकास की गति से कम है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) औद्योगिक उत्पादन की गति में पुनः वृद्धि करने के लिए सरकार ने पहले से ही जो कार्यवाई की या करने का विचार है वे ये हैं :—

(1) आयात के सभी आवेदन पत्रों की गहरी छान-बीन करना जिससे इस बात का सुनिश्चय किया जासके कि जिस वस्तु का देश में निर्माण किया जा रहा है उसका आयात न किया जाय।

(2) उन उद्योगों को, जो विदेशी बाजारों की आवश्यकता पूरी करते हैं, अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर इस्पात तथा अन्य कच्चे माल की पूर्ति के रूप में प्रोत्साहन देना।

(3) कुछ इंजीनियरी उद्योगों जैसे माल गाड़ी के डिब्बों और रेलों की पटरियों के सामान के लिये सरकार द्वारा अतिरिक्त आर्डर दिला कर मांग को पुनः बढ़ाना।

(4) ऋण की सुविधाओं में सुधार करना तथा देश में कुछ वस्तुओं की पुनः मांग बढ़ाने के लिए किराया खरीद की व्यवस्था करना।

अहमदाबाद मैनुफैक्चरिंग एण्ड कैलिको प्रिंटिंग कम्पनी लिमिटेड द्वारा रूस को कपड़ा बेचा जाना

7183. श्री म. अमरसे : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने अहमदाबाद मैनुफैक्चरिंग एण्ड कैलिको प्रिंटिंग कम्पनी लिमिटेड, अहमदाबाद का रूस को सूती कपड़ा बेचने के लिए 10 प्रतिशत की राजसहायता दी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इससे एक निर्यातक और दूसरे निर्यातक में भेदभाव किये जाने का पता चलता है और सरकारी धन की बर्बादी भी होती है:

(घ) क्या यह सच है कि अवमूल्यन के बाद रूस द्वारा मूल्यों में $47\frac{1}{2}$ प्रतिशत की सामान्य वृद्धि स्वीकार कर ली जाने के बावजूद वह अब भारतीय कपड़े पर केवल 25 प्रतिशत वृद्धि देने को तैयार है, जबकि अवमूल्यन के बाद रूस भारत को दिये गये निर्यात पर रूस को $57\frac{1}{2}$ प्रतिशत का लाभ हुआ है; और

(ङ) क्या यह भी सच है कि रूस द्वारा मूल्य वृद्धि में की गई इस कमी के परिणामस्वरूप अवमूल्यन के बाद रूस को भारतीय सूती कपड़े का निर्यात कम हो गया है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख): सोवियत रूस के बाजार में कई वर्षों के सतत संवर्द्धन के बाद भारतीय कपड़े द्वारा अर्जित ख्याति को बनाए रखने के लिए, राज्य व्यापार निगम ने रूस को पोशाक बनाने के छपे हुए कपड़े, तोलियों, रूमालों और धुली हुई चादरों का निर्यात आरम्भ किया यद्यपि उसे माल के तय हुए मूल्य पर $10\frac{1}{2}$ प्रतिशत का घाटा

उठाना पड़ा। देश के निर्यात को बढ़ाने, देश के उत्पादों के लिये नये बाजार ढूंढ़ने और दुर्लभ परन्तु सम्भाव्य श्रोजारों को बनाये रखने के लिये राज्य व्यापार निगम द्वारा किये गये प्रयास का यह एक अंग था।

(ग) इसमें कोई भेद भाव अथवा धन की बरबादी नहीं हुई क्योंकि यह राज्य व्यापार निगम और उसके एक सहयोगी का सर्वथा निर्यात संवर्द्धनात्मक प्रयास था।

(घ) अवमूल्यन के समय क्रियान्वित अथवा अंशतः क्रियान्वित संविदाओं के सम्बन्ध में मूल्य में 47.5 प्रतिशत की वृद्धि नियत की गई थी। नये सौदे करने होते हैं तो उन पर इस करार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ऐसा करते समय निर्यात तथा आयातों दोनों के लिए अत्यन्त अनुकूल मूल्य प्राप्त करने के लिए प्रत्येक प्रयत्न किया जाता है।

(ङ) सोवियत संघ को सूती कपड़े के निर्यात में गिरावट आने के कारण ये हैं कि अन्य देशों से प्रतियोगिता बढ़ गई है स्थानीय उत्पादन की लागत में वृद्धि हुई है।

नेपाल के साथ व्यापार

7184. श्री गा० शं० मिश्र
श्री आत्म दास :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और नेपाल के बीच श्रीसतन कितना व्यापार होता है और दोनों देशों के बीच मुख्यतः कौन-कौन सी वस्तुओं का आयात-निर्यात होता है;

(ख) क्या नेपाल को किये जाने वाले निर्यात पर सरकार राजसहायता दे रही है;

(ग) यदि हां, तो निर्यात की जाने वाली प्रत्येक वस्तु पर कितने प्रतिशत राज सहायता दी जाती है; और

(घ) नेपाल द्वारा निर्यात संबंधी नई नीति लागू की जाने पर नेपाल के साथ होने वाले भारतीय व्यापार को कितनी हानि पहुंचेगी ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) पिछले कुछ वर्षों में भारत और नेपाल के बीच व्यापार 7 करोड़ रु० से 27 करोड़ रु० प्रतिवर्ष तक विविध रूप रहा है। नेपाल को निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुयें हैं :—सूती कपड़ा, पेट्रोलियम उत्पाद, सिगरेट, खाद्यान्न तथा खाद्यान्न से तैयार की गई वस्तुएं। नेपाल से आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं ये हैं: – कच्चा पटसन, मखाना, चावल, पटसन की बनी वस्तुएं, तिलहन और इमारती लकड़ी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) कुछ दिन पहले तक नेपाल में भारत से आयात करने की निर्बाध अनुमति थी। महामहिम सहकार नेपाल ने 5 जुन, 1967 से लाइसेंस प्रणाली लागू कर दी है जिसके अनुसार भारत से कुछ वस्तुओं के आयात की अनुमति महामहिम सरकार नेपाल द्वारा दिये गये लाइसेंसों के आधार पर दी जायेगी। नेपाल को भारत के निर्यात पर इस प्रणाली का प्रभाव नेपाल सरकार द्वारा अपनायी जाने वाली लाइसेंस देने की नीति पर निर्भर होगा।

दिल्ली प्रशासन के अधिकारियों के लिये फिएट कारों का आवंटन

7185. श्रीमती सुशीला गोपालन : श्री चक्रपाणि :
श्री उमानाथ : श्री रमानी :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकारियों के कोटे में से दिल्ली प्रशासन के अधिकारियों को फिएट कारों का आवंटन करने के कुछ नियम हैं;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिये कोई प्रतीक्षा सूची बनाई जाती है;

(ग) क्या ऐसे भी कोई मामले हैं जिनमें इस सूची की अवहेलना की गई है; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य-मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त जानकारी निम्न प्रकार है :—

(क) प्रशासन द्वारा उसके कोटे में से अधिकारियों को कारों और स्कूटरों का आवंटन करने के लिए निम्नलिखित सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं :—

(1) केन्द्रीय सरकार के सरकारी कर्मचारी और संसद सदस्य जिन्हें उद्योग मंत्रालय से परमिट मिलता है वे दिल्ली प्रशासन के कोटे में से स्कूटरों/कारों के हकदार नहीं होंगे। इसी प्रकार अन्य राज्य सरकारों के कर्मचारियों के मामले में भी विचार नहीं किया जायेगा।

(2) एक हजार रुपये प्रतिमास से अधिक मूल वेतन पाने वाले किसी भी व्यक्ति को स्कूटर का परमिट नहीं दिया जायेगा।

(3) कार का परमिट केवल उन सरकारी कर्मचारियों को दिया जायेगा जिनका मूल वेतन 1,000 रु० प्रति मास से अधिक है।

(4) किसी भी व्यक्ति को जिसे स्कूटर का परमिट मिल चुका है, तीन वर्ष की अवधि के अन्दर दूसरा परमिट नहीं दिया जायेगा। कार के परमिट के मामले में समय सीमा 4 वर्ष होगी।

(5) परमिट जारी करने के संबंध निर्णय करते ही किसी तिमाही विशेष में विचाराधीन सभी आवेदन पत्रों को निपटाया हुआ समझा जायेगा। यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदन पर विचार करवाना चाहता है तो उसे नया आवेदन पत्र देना चाहिए।

(6) कारों/स्कूटरों के आवंटन के सभी आवेदन पत्रों पर एक समिति द्वारा विचार किया जायेगा जिसमें—आपवादिक मामलों, क्रम संख्या (2) और (3) में छूट दी जा सकती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) कोई भी प्रतीक्षा सूची इसलिए नहीं रखी जाती कि आवंटन प्रत्येक मामले के गुणावगुणों के आधार पर किया जाता है और किसी तिमाही में परमिट जारी करने के संबंध में निर्णय करते ही उस तिमाही विशेष में विचाराधीन सभी आवेदन पत्रों को निपटाया हुआ समझा जाता है।

दिल्ली प्रशासन के अधिकारियों के लिये फिएट कारों का नियतन

7186. **श्रीमती सुशीला गोपालन:** **श्री अब्राहम:**
श्री ज्योतिर्मय बसु: **श्री चक्रपाणि:**
श्री उपानाथ: **श्री रमानी:**
श्री नायनार:

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन के अधिकारियों को 'अधिकारियों के कोटे' में से गत पांच वर्षों में कितनी फिएट कारें अलाट की गई हैं ;

(ख) ऐसे अधिकारी कितने हैं जिन्होंने तीन वर्ष से पहले आवेदन-पत्र दिये थे, किन्तु जिन्हें अभी तक फिएट कारें अलाट नहीं की गई हैं ;

(ग) ऐसे अधिकारी कितने हैं जिन्हें फिएट कारें पहले मिल गई हैं, यद्यपि उन्होंने बाद में आवेदन-पत्र दिये थे;

(घ) उन अधिकारियों को पहले फिएट कारें दी जाने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) कारों के अलाटमेंट में नियमितता बरती जाये, इसके लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) से (ङ) : दिल्ली प्रशासन से प्राप्त जानकारी निम्न प्रकार है :—

(क) प्रशासन के कोटे में से पिछले 5 वर्षों में 89 फिएट कारों का नियतन निम्न प्रकार किया गया था :—

(1) दिल्ली प्रशासन के अधिकारी	77
(2) दिल्ली नगर निगम । नई दिल्ली नगर निगम (पार्षदों और सदस्यों को सम्मिलित कर) के अधिकारी ;	12
योग ।	89

(ख) से (घ) : अलग-अलग आंकड़े इसलिए उपलब्ध नहीं हैं कि विचाराधीन आवेदनों की कोई सूची नहीं रखी जाती और कारों का नियतन काल क्रमानुसार न रख कर प्रत्येक मामले के गुणावगुणों के आधार पर किया जाता है।

(ङ) अक्तियुक्त आधार पर प्रशासन की स्वेच्छा पर रखे गये कोटे में से अधिकारियों को कारों और स्कूटरों का आवंटन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन द्वारा निम्नलिखित सिद्धांत निर्धारित किए गये हैं :—

(1) केन्द्रीय सरकार के सरकारी कर्मचारी और संसद सदस्य जिन्हें उद्योग मंत्रालय से परमिट मिलता है, वे दिल्ली प्रशासन के कोटे में से स्कूटरों । कारों के हकदार नहीं

होंगे। इसी प्रकार अन्य राज्य सरकारों के कर्मचारियों के मामले में भी विचार नहीं किया जायेगा।

(2) एक हजार रुपये प्रतिमास से अधिक मूल वेतन पाने वाले किसी भी व्यक्ति को स्कूटर का परमिट नहीं दिया जायेगा।

(3) कार परमिट केवल उन सरकारी कर्मचारियों को दिया जायेगा जिनका मूल वेतन 1,000 रु० प्रतिमास से अधिक है।

(4) किसी भी व्यक्ति को जिसे स्कूटर का परमिट मिल चुका है, तीन वर्ष की अवधि के अन्दर दूसरा परमिट नहीं दिया जायेगा। कार के परमिट के मामले में समय सीमा 4 वर्ष होगी।

(5) परमिट जारी करने के सम्बन्ध में निर्णय करते ही किसी तिमाही विशेष में विचाराधीन सभी आवेदन पत्रों को निपटाया हुआ समझा जायेगा। यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदन पर विचार करवाना चाहता है तो उसे नया आवेदन पत्र देना चाहिए।

(6) कारों। स्कूटरों के आवंटन के सभी आवेदन पत्रों पर एक समिति द्वारा विचार किया जायेगा जिसमें—आपवादिक मामलों, शर्त संख्या (2) और (3) में छूट दी जा सकती है।

सब्जियों का निर्यात

7187. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों में भारतीय सब्जियों की बहुत मांग है ; और

(ख) भारत से कितने मूल्य की सब्जियों का प्रति वर्ष निर्यात किया जाता है और उससे कितनी विदेशी मुद्रा कमाई जाती है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) ऐसा पता चला है कि ब्रिटेन तथा कुछ अन्य पश्चिमी यूरोपीय देशों में भारतीय सब्जियों की बहुत मांग है।

(ख) भारत से सब्जियों का कुल निर्यात निम्नलिखित है :—

अवधि	मूल्य लाख रुपये में
1963–64	4,68
1964–65	4 16
1965–66	3,4.
1966–67 :—	
अप्रैल-मई 1966	66
जून-मार्च 1966–67	4,82*

* अवमूल्य के बाद के रुपयों में।

आसाम में लोहे की नालीदार चादरों की सप्लाई

7188 श्री बेदब्रत बरुआ : क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि लोहे की नालीदार चादरें जो आसाम में छतों के लिये मुख्य रूप से काम में लाई जाती हैं, अब तक नहीं मिल रही हैं;

(ख) क्या अब 'काली चादर' नामक माल, जो छतों के लिये बिल्कुल बेकार होता है, अब उपलब्ध किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो लोहे की नालीदार चादरें आसाम में पर्याप्त मात्रा में कब उपलब्ध होंगी ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सैठी) : (क) से (ग) सम्भवतः माननीय सदस्य नालीदार जस्ती चादरों की बात कर रहे हैं। उत्पादकों द्वारा जस्ते का आयात बढ़ाने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं और ऐसी सम्भावना है कि सितम्बर 1967 के पश्चात् इन चादरों की सप्लाई में सुधार हो जाएगा। इस बीच काली नालीदार चादरों को (अर्थात् बिना जस्ता चढ़ी) संरक्षी पेन्ट अथवा अन्य उपयुक्त द्रव्य चढ़ा कर नालीदार जस्ती चादरों की जगह छतें डालने के काम में लाया जा सकता है।

जापान को नमक का निर्यात

7189. श्री मरंडी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान को भारतीय नमक की सप्लाई के लिये भारत और जापान में एक करार हुआ है:

(ख) यदि हां, तो इस करार की शर्तें क्या हैं ;

(ग) इस करार के अन्तर्गत जापान को कुल कितना नमक भेजा जायेगा; और

(घ) क्या जापान इसके लिये नकद भुगतान करेगा या इसके बदले में भारत जापान से कुछ सामान खरीदेगा ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) करार की मुख्य शर्तों का एक विवरण संलग्न है।

(ग) लगभग 3,85,000 म० टन

(घ) खरीदार मुक्त विदेशी मुद्रा में भुगतान करेंगे और जापान से माल खरीदने की कोई शर्त नहीं होगी।

विवरण

1. करार की तारीख	4 जुलाई, 1967।
2. पदार्थ	मोटा समुद्री नमक जिसमें कम से कम 94 प्रतिशत सोडियम क्लोराइड होगा।
3. मात्रा	350,000 म० टन 10 प्रतिशत तक अधिक हो सकता है।

4. सुपुर्दगी की अवधि	जुलाई, 1967 से जून, 1968 तक।
5. लदान की बन्दरगाह	सौराष्ट्र तथा कच्छ में कोई बन्दरगाह।
6. भुगतान	जहाजी दस्तावेजों के प्रस्तुत करने पर 100 प्रतिशत मूल्य के लिये अपरिवर्तनीय प्रमाणीकृत साख पत्र द्वारा।
7. लदानावधि	रविवार तथा छुट्टियों को छोड़कर प्रति मौसमी कार्यदिवस को 1,100 लाग टन।

अलवाय रेलवे स्टेशन पर उपरि-पुल

7190. श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री नायनार :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में अलवाय रेलवे स्टेशन पर एक उपरि-पुल बनाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब आरम्भ होने की संभावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) अलवाय स्टेशन पर सड़क ऊपरी/निचला पुल बनाने के सम्बन्ध में केरल सरकार से अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

त्रिपुनितुरा रोड पर उपरि-पुल

7191. श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री नायर :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में एर्णाकुलम के निकट त्रिपुनितुरा रोड़ पर रेलवे का उपरि-पुल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है;

(ख) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं; और

(ग) निर्माण कार्य कब पूरा हो जाने की संभावना है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) पुल संरचना सम्बन्धी रेलवे के हिस्से का काम पूरा हो चुका है लेकिन पुल के पहुँच-मार्गों का काम राज्य सरकार द्वारा पूरा करना अभी बाकी है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

N. C. D. C.

7192. Shri Kanwar Lal Gupta : Will the Minister of Steel, Mines and Metals be pleased to state :

(a) the total price of machines purchased by N. C. D. C. which are not in use at present; and

(b) whether it is a fact that estimates regarding coal target fixed for the Third Five Year Plan proved to be wrong and if so, the targets originally fixed and the actual requirements of the coal ?

The Minister of State in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri P. C. Sethi) : (a) Rs. 550.19 lakhs.

(b) The target of coal production of National Coal Development Corporation for the Third Five Year Plan was 30 5 million tonnes per annum. Due to slump, however, in coal market the production had to be restricted to about ten million tonnes per annum.

वस्तुओं पर से नियन्त्रण हटाना

7193. **श्री स्वतन्त्र सिंह काठारी:** श्री प्र० न० सोलंकी:
श्री सु० कु० तापड़िया: श्री कु० मा० कौशिक:

क्या **वाणिज्य** मन्त्री 7 जुलाई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4963 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसी वस्तुओं पर से नियंत्रण हटाने के बारे में सरकार की नीति क्या है, जिन पर से अभी तक नियंत्रण नहीं हटाया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : सरकार अत्यावश्यक वस्तुओं के उत्पादन, संभरण तथा वितरण पर निरन्तर निगरानी रखती है। जो नीति अपनाई गई है वह उन नियंत्रणों को वापिस लेने की है जो प्रभावहीन हैं और जो उत्पादन के मार्ग में बाधक हैं।

मनीपुर सम्पत्ति

7194. **श्री मेघ चन्द्र:** क्या इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर में खनिज सम्पत्ति का पता लगाने के लिये वहाँ कोई भूतत्वीय सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) हां, महोदय।

(ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसंधानों के फलस्वरूप चूना पत्थर, पिग आयरन ग्रयस्क, क्रोमाइट, एस्बैस्टोस, तांबा, निकल और लिगनाइट का पता लगा है।

दक्षिण कोरिया को सूती धागे का निर्यात

7195. **श्री जेना :**
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण कोरिया की सरकार ने भारत से सूती धागा तथा रेलवे फ्रेट कारें खरीदने की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ग) : कोरिया गणराज्य की सरकार ने होजरी के सूत, बोगी टेंक वेगनों तथा बोगी हौपर वेगनों की सप्लाई के लिए टेण्डर के रूप में पूछताछ की है तथा राज्य व्यापार निगम ने टेण्डर भेज दिए हैं। वेगनों के सम्भरण के लिए राज्य व्यापार निगम का टेण्डर न्यूनतम है। सौदा पक्का करने के लिए बातचीत चल रही है। सूती धागे सम्बन्धी टेण्डर के परिणामों का अभी पता नहीं चला है।

रेलगाड़ियों में बिना टिकट यात्रा

7196. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के भोगांव स्टेशन के निकट 13 मई, 1967 को 15 एस० एफ० शिकोहाबाद-फर्रुखाबाद सवारी गाड़ी में अचानक टिकटों की जांच करने पर 161 यात्री बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े गये और रेलवे दल के साथ रेलवे मेजिस्ट्रेट द्वारा जुर्माने के रूप में 5,260 रुपये की राशि वसूल की गई थी;

(ख) रेलवे मेजिस्ट्रेटों के सहयोग से प्रति मास किन-किन रेलों पर रेलवे अधिकारियों द्वारा ऐसे कितने छापे मारे जाते हैं;

(ग) क्या यह सच है कि बड़ी बरातें स्टेशन मास्टरों तथा संगचल टिकट-परीक्षकों को घूस देकर अनेक रेलों पर बिना टिकट यात्रा करती हैं जैसा कि उक्त छापे से पता चला है;

(घ) रेलगाड़ियों में बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिये क्या नवीनतम कार्यवाही की गई है; और

(ङ) 31 मार्च, 1967 को पूरा होने वाले वर्ष में कितने यात्री बिना टिकट यात्रा करते पकड़े गये और उनसे किराये तथा जुर्माने के रूप में कितनी राशि वसूल की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा, : (क) 15 एस. एफ. शिकोहाबाद-फर्रुखाबाद सवारी गाड़ी नाम की कोई गाड़ी नहीं है। जाहिर है कि माननीय सदस्य उस अचानक जांच की बात कर रहे हैं जो उत्तर रेलवे के भोगांव स्टेशन के पास 13 मई, 1967 को 1-एस एफ शिकोहाबाद-फर्रुखाबाद सवारी गाड़ी में की गयी थी। यह सच है कि इस जांच में 161 यात्री बिना टिकट या अनुपयुक्त टिकट पर यात्रा करते पकड़े गये। पकड़े गये यात्रियों पर कुल 4,880 रुपये जर्माना किया गया, जिसमें से 3,225 रुपये वसूल हुए। इसके अलावा, रेल किराये और अधि-प्रभार के रूप में 303 रुपये वसूल किये गये।

(ख) सभी भारतीय रेलों पर हर महीने लगभग 500 छापे मारे जाते हैं।

(ग) जी नहीं। अलबत्ता, एक छापे में एक बरात के कुछ लोग बिनाटिकट यात्रा करते पाये गये थे। ऊपर भाग (क) में उल्लिखित छापे में कोई बरात नहीं पकड़ी गयी।

(घ) और अधिक विशेष जांच एवं मजिस्ट्रेट द्वारा जाँच की जा रही है।

(ङ) 72,09,482 यात्री बिना टिकट यात्रा करते पकड़े गये और जुर्माने, किराये तथा अधि-प्रभार के रूप में 2, 11,96, 018 रुपये वसूल किये गये।

मशीनी औजार बनाने के कारखाने

7197 श्री मरंडी : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अजमेर तथा भावनगर में मशीनी औजार बनाने के दो कारखाने लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या ये कारखाने किसी अन्य देश की मदद से लगाये जायेंगे :

(ग) किस देश की सहायता से और उस देश से किस प्रकार की सहायता प्राप्त की जायेगी; और

(घ) ये कारखाने कब तक स्थापित हो जाने की संभावना है और इन पर कितनी लागत आयेगी ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फकरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ) : मई, 1964 में भारत और चेकोस्लोवाकिया के बीच जिस दूसरे आर्थिक सहयोग के करार पर हस्ताक्षर हुए थे । उसके अधीन करार की सीमा के अन्दर कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं में मशीनी औजार बनाने के लिए दो कारखाने भी शामिल थे । इन परियोजनाओं की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पूरी करने के लिए दूसरे चेक ऋण में 6.3 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई थी ।

उपर्युक्त करार के फलस्वरूप यह प्रस्ताव किया गया था कि राजस्थान के अजमेर में एक घिसाई मशीनी औजार संयंत्र तथा गुजरात के भावनगर में एक मध्यम । भारी मशीनी औजार संयंत्र की स्थापना की जानी चाहिए । अजमेर संयंत्र की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई है तथा 820 लाख रु० की पूंजी से इस संयंत्र के 1968-69 तक स्थापित हो जाने की आशा है ।

भावनगर संयंत्र की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर जो हाल ही में प्राप्त हुई थी, इस समय विचार किया जा रहा है ।

पूर्व तथा पश्चिम रेलवे के बाह्य यातायात लेखा कार्यालय, दिल्ली के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

7198. श्री अ० क० गोपालन:
श्री ज्योतिर्मय बसु:
श्री विश्वनाथ मेनन:
श्री रमानी :
श्री भगवान दास :
श्री नायनार ?

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे के बाह्य यातायात लेखा कार्यालय, दिल्ली के कर्मचारियों को 10 जुलाई, 1953 से अब तक कितने रेलवे क्वार्टर अलाट किये गये हैं; और

(ख) पश्चिम रेलवे के बाह्य यातायात लेखा कार्यालय, दिल्ली के कर्मचारी ऐसे कितने क्वार्टरों (केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के क्वार्टर तथा रेलवे के क्वार्टर प्रथक-प्रथक) में रह

रहे थे, जो 10 जुलाई, 1953 से सेवा निवृत्त होने, पदोन्नित होने तथा दूसरे शहरों में तबादला होने अथवा पदोन्नति होने के कारण छोड़ दिये गये ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) पूर्व रेलवे का इतर यातायात लेखा कार्यालय दिल्ली में न तो 10 जुलाई, 1953 को मौजूद था और न अभी है ।

(ख) 23 (16 रेलवे क्वार्टर + 7 केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के क्वार्टर)

रेलवे अधिकारियों की सांठगांठ से बिक्री कर का अपवंचन

7199. श्री यशपाल सिंह: क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार के उप मुख्य मन्त्री ने शिकायत की है कि राज्य के व्यापारी रेलवे अधिकारियों की सांठगांठ से बिक्री कर का अपवंचन करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो जहां तक रेलवे अधिकारियों का सम्बन्ध है इस मामले में क्या कार्यवाही की गई हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) बिहार के उप मुख्य मन्त्री ने इस बात की ओर रेल मन्त्रालय का ध्यान दिलाया है कि रेल कर्मचारी बिक्री कर की वसूली में हमेशा उनकी सहायता नहीं करते और माल छुड़ाने वालों पर इस बात के लिए जोर नहीं डालते कि वे बिक्री कर का अदायगी के साक्षी रूप में रेलवे रसीद पर बिक्री कर अधिकारियों के प्रति हस्ताक्षर करायें ।

(ख) रेलवे रसीद पेश करने पर माल वाहक के नाते, रेलवे इस आधार पर माल की सुपुर्दगी से इन्कार नहीं कर सकती कि रसीद पर उपर्युक्त प्रति-हस्ताक्षर नहीं है । अत: ऐसे प्रतिहस्ताक्षर के बिना माल सुपुर्द करने वाले रेल कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का कोई सवाल नहीं हैं ।

इस्पात कारखानों सम्बन्धी मजूमदार समिति

7200. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री अजीत मजूमदार की अध्यक्षता में नियुक्त एक समिति द्वारा वर्तमान औद्योगिक क्षमता का मूल्यांकन किया जा रहा है, जो इस्पात कारखाने स्थापित करने के लिये उपयोग में लाई जा सकती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं । रिपोर्ट के नवम्बर, 1967 तक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है ।

प्रशिक्षु मैकेनिक

7201. श्री स० च० वेसरा : क्या रेलवे मंत्री 2 दिसम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3145 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको इस बात की जानकारी है कि उत्तर रेलवे में काम करने वाले 1951 बैच (ई० आई० आर०) के 20 प्रशिक्षु मैकेनिकों को उन प्रशिक्षणार्थी जर्नीमैनों से कनिष्ठ कर दिया गया है, जो 1954, 1955 तथा 1956 में चुने गये थे और जिनका प्रशिक्षण 1 अक्तूबर, 1957 और 31 मार्च, 1958 को पूरा हुआ था, जबकि उपरोक्त प्रशिक्षु मैकेनिक अपनी प्रशिक्षुता उनसे छः महीने पहले पूरी कर चुके थे; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

जमशेदपुर में 'रोल' फाउन्डरी प्रोजेक्ट

7202. श्री पार्थसारथी : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टाटा ने बिहार में जमशेदपुर में प्रस्तावित 'रोल फाउण्डरी प्रोजेक्ट' को अभी तक कार्यान्वित करना शुरू नहीं किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) : जमशेदपुर, बिहार में प्रति वर्ष 7,800 टन रोल्स बनाने के लिए मैसर्स टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड, बम्बई ने जो मूल योजना प्रस्तुत की थी उसको सितम्बर, 1965 में सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया गया । रुपये के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप कम्पनी ने नवम्बर, 1966 में संशोधित प्रस्ताव रखे और उनमें बतलाया कि मैसर्स योडोगावा स्टील वर्क्स लिमिटेड और मैसर्स निश्शो कम्पनी लि० जापान के सहयोग से काम किया जायेगा और उनको बराबर का साझीदार बनाया जायेगा, तथा आयात की जाने वाली मशीनों का मूल्य रुपयों में बढ़ जाने तथा इंजीनियरी फीस आदि को भुगतान करने के कारण इस पर व्यय बढ़ जायगा । 19 जनवरी, 1967 में उनकी संशोधित योजना सिद्धान्त रूप में स्वीकार करली गई । फरवरी, 1967 में, दल ने परियोजना की आयात सम्बन्धी मांगें पूरी करने के लिए पांचवें येन ऋण से विदेशी मुद्रा का आवश्यक आवंटन करने के सम्बन्ध में सरकार से प्रार्थना की । कम्पनी इस समय परियोजना के लिए रुपये में वित्त-व्यवस्था करने के लिए वित्तीय संस्थाओं से पत्र-व्यवहार कर रही है ।

कम्पनी ने ढलाई घर के लिए प्रस्तावित स्थान के लिए आदित्यपुर (बिहार) में जमीन लेली है और उस स्थान पर प्रारम्भिक विकास कार्य आरम्भ कर दिया गया है ।

Extensions Granted to Officers of Bikaner Division

7203. Shri P. L. Barupal : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number of officers in the Bikaner Division of the Northern Railway who have attained the age of 58 years but whom extensions are still being granted on yearly and half-yearly basis and they are continuing in service even after attaining about 60 years' age;

(b) whether it is a fact that a Loco Foreman who has covered the age of 58 has been given extension for a further period of one year on 1. 7. 67 in contravention of the General Manager's orders; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Nil.

(b) No; extension in this case has been granted as per extant orders.

(c) In the interests of public service.

Cement Factory in Mohanlalganj, U. P.

7204. Shri Nihal Singh :
Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri O. P. Tyagi :

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Coment Factory is proposed to be set up at Mohanlalganj, 14 miles away from Lucknow;

(b) if so, the capacity of this factory;

(c) the time by which it is expected to go into production; and

(d) the extent of assistance to be provided by Government ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) to (d) : As the cement industry has been exempted from the licensing provisions of the Industries (Development and Regulation) Act with effect from 13th May, 1966, it is no longer necessary for anyone to obtain a licence for the setting up of a cement factory. The Government is not aware whether anybody is setting up a cement factory at Mohanlalganj, U. P. The question of Government rendering any assistance does not arise.

Running of Electric Trains between Bombay and Ahmedabad

7205. Shri Nihal Singh :
Shri O. P. Tyagi :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government propose to run electric trains between Bombay to Ahmedabad;

(b) if so, the amount to be spent thereon; and

(c) the time by which that work would start ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes.

(b) 27·45 crores on the electrification work between Virar and Sabarmati.

(c) The section between Bombay and Virar is already electrified on 1500 V DC system. The work of extending electrification to the section between Virar and Sabarmati on 25 kV AC system of traction is expected to commence by the middle of 1968, to be completed by 1971–72.

Looting of Goods Trains At Sakrigali Station (E. Rly.)

7206. **Shri Nihal Singh :** **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri O. P. Tyagi : **Shri Ram Singh Ayarwal :**
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that about 1,000 rioters looted a goods train at Sakrigali Station of Sahibganj Jn. on the Eastern Railway as reported in the 'Hindustan', dated the 21st June, 1967;

(b) whether it is also a a fact that 33 Down train was looted at the Station and mangoes, onions, milk and milk products were plundered;

(c) if so, the loss sustained as a result thereof; and

(d) the action taken in this regard ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No.

(b) Yes, but the victimised train was 332 Down (Gaya-Howrah Passenger) and not 33 Down.

(c) Rs. 970/- approximately.

(d) The matter was reported to the Superintendent, Government Railway Police, Patna, who deputed an armed police personnel at the scene. As a result of immediate search conducted by an Asstt. Sub-Inspector of the Railway Protection Force, Sakrigali Ghat with the help of the local Govt. Railway Police and Civil police, property worth about Rs. 460/- was recovered. The Govt. Railway Police, Sahibganj has registered a case under sections 143/379/411/353 I. P. C. and is under police investigation.

Goods Train Accident between Kamalganj and Fatehgarh Stations

7207. **Shri Nihal Singh :** **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri O. P. Tyagi : **Shri Ram Singh Ayarwal :**
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a goods train met with an accident between Kamalganj and Fatehgarh Stations on the Kanpur-Farrukhabad Section of the North Eastern Railway as reported in the Vir Arjun, dated 27th June, 1967 ;

(b) if so, the cause of the accident ;

(c) the loss of life and property sustained as a result thereof ; and

(d) the action taken by Government in regard thereto ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) The accident occurred on 20. 6. 1967.

(b) The cause of the accident is under investigation.

(c) No one was killed or injured in this accident. The cost of damage to railway property was estimated at approximately Rs. 22,500/- .

(d) Suitable action will be taken on completion of the enquiry.

Hindustan Motors Limited

7208. **Shri Ram Singh Ayarwal ;** **Shri Ram Gopal Shalwale ;**
Shri Hukam Chand Kachwai : **Shri O. P. Tyagi :**

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased refer to the reply given to Unstarred Question No. 4123 on the 30th June, 1967 and state :

(a) whether Government have completed the enquiry regarding bogus shares and the so-called transaction of M/s. Hindustan Motors of Calcutta :

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the time likely to be taken to complete the enquiry ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) to (c) : Police have been investigating into the matter and the investigation is still in progress.

छोटी कार का निर्माण

7209. श्री सोनावने :
श्री देवराव पाटिल :
श्री यमुना प्रसाद मण्डल :
श्री तुलशीदास जाधव :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य से छोटी कार बनाने की परियोजना से सम्बन्धित कोई योजना सरकार को प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने उसकी जांच कर ली है; और

(ग) इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : पार्टी से 31 अगस्त, 1967 तक योजना का पूरा ब्योरा प्रस्तुत कर देने के लिए कहा गया है जिससे सरकार द्वारा उसकी सम्भाव्यता की जाँच की जा सके ।

रेलवे गार्डों का वेतन मान (ग्रेड)

7210. श्री ओ० प्र० त्यागी :
डा० राममनोहर लोहिया :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे गार्ड का वेतन-मान 205–280 रुपये है, जो रेलगाड़ी का पूरा प्रभारी होता है, जब कि कंडक्टर का वेतन-मान, जो वाणिज्य विभाग का कर्मचारी है, और जिसे उच्च श्रेणियों के डिब्बों की ही देख भाल करनी होती है तथा जिसके साथ प्रत्येक डिब्बे में एक सहायक-अटेंडेंट होता है, 250-380 रुपये है;

(ख) क्या यह भी सच है कि यदि कोई भी कंडक्टर रेलगाड़ी में नहीं होता, तो गार्ड को अपने विभिन्न कर्तव्यों के साथ-साथ कंडक्टर के कर्तव्यों को भी निभाना पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो वेतन-मानों में असमानता के क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे०मु० पुनाचा) : (क) से (ग) 205-280 रुपये और 250-380 रुपये क्रमश: गार्डों और कण्डक्टरों के सर्वोच्च वेतनमान हैं । इसके अलावा, गार्डस लिंग भत्ते पाने का हकदार है, जिसमें यात्रा भत्ता और वेतन का अंश शामिल होता है । कण्डक्टर को केवल

यात्रा भत्ता मिलता है। इस प्रकार यद्यपि गार्ड का वेतनमान कण्डक्टर के वेतनमान की अपेक्षा कम है, किन्तु यह जरूरी नहीं है कि उसकी कुल परिलब्धि अपेक्षाकृत कम हो। कन्डक्टरों की व्यवस्था महत्वपूर्ण डाक और एक्सप्रेस गाड़ियों के सभी दर्जों के यात्रियों की सुविधा के लिए की जाती है। जहां कण्डक्टरों की व्यवस्था नहीं है वहां गाड़ी के गार्ड और टिकट जांच कर्मचारियों को तथा स्टेशनों के कर्मचारियों को यह हिदायत है कि वे यात्रियों की सहायता करें।

लुधियाना के बाहरी सिगनल पर माल गाड़ियों का रुकना

7211. श्री ओ० प्र० त्यागी :
श्री रामगोपाल शालवाले :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लुधियाना के बाहरी सिगनल पर माल गाड़ियां प्रायः रुकती हैं और गुण्डों का गिरोह गाड़ी को लूट लेता है तथा भाले और रिवालवर दिखा कर गाड़ियों के गार्डों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे सम्पत्ति को बचाने और रेल गाड़ियों के प्रभारी गार्डों की निजी सुरक्षा के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) यह सच है कि परिचालन सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण माल गाड़ियाँ कभी-कभी लुधियाना स्टेशन के बाहरी सिगनल पर खड़ी हो जाती हैं। माल गाड़ियों को लूटने या गार्ड आदि के साथ दुर्व्यवहार करने का कोई मामला नोटिस में नहीं आया और न सरकारी रेलवे पुलिस के पास ऐसी कोई रिपोर्ट ही की गई है। परन्तु 19.6.67 को, जब एक मालगाड़ी बाहरी सिगनल पर रुकी तो एक खुले माल डिब्बे में से उर्वरकों से भरे कुछ बोरे चुराये गये और सरकारी रेलवे पुलिस तथा रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों द्वारा तुरन्त कार्यवाही करने के कारण तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया और चुराये गए कुछ बोरे बरामद किये गये।

(ख) रोक-थाम की दृष्टि से उस क्षेत्र में गश्त लगाने के लिए रेलवे सुरक्षा दल और सरकारी रेलवे पुलिस के कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है।

रेलवे सेवा आयोग

7212. श्री राजदेव सिंह : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में विभिन्न रेलवे सेवा आयोगों पर पृथक्-पृथक् कितना धन व्यय किया गया है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष इस सेवा आयोग द्वारा पृथक्-पृथक् कितने व्यक्तियों का चयन किया गया है;

(ग) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कम संख्या में लोग नियुक्त किये जा रहे हैं, सरकार का विचार इन सेवा आयोगों को युक्तिसंगत बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे०मु० पुनाचा) :

	1964–65	1965–66	1966–67
(क) इलाहाबाद	3,53,019	3,27,269	3,82,294
बम्बई	6,43,619	6,00,070	4,30,236
कलकत्ता	5,31,420	5,33,301	5,22,101
मद्रास	4,22,320	4,30,624	3,13,226
(ख) इलाहाबाद	3,825	1,952	3,498
बम्बई	12,276	2,960	1,124
कलकत्ता	12,541	7,660	4,896
मद्रास	3,450	1,653	310

(ग) और (घ) आवश्यक कार्यवाही की जा चुकी है। प्रत्येक आयोग के लिए एक अध्यक्ष और दो सदस्यों की पूरी संख्या को कायम रखने के स्थान पर इलाहाबाद, बम्बई और कलकत्ता स्थित आयोगों में अध्यक्ष के अतिरिक्त अब केवल एक सदस्य है और दूसरे सदस्य के पद को खाली रखा गया है। जहां तक मद्रास स्थित आयोग का सम्बन्ध है, सदस्यों के दोनों पदों को खाली रखा गया है। इसके अतिरिक्त सभी आयोगों के अराजपत्रित कर्मचारियों की संख्या में भी काफी कमी कर दी गई है। आगे और किफायत करने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है।

मिदनापुर के कन्टाई सब डिवीजन में नमक उद्योग

7213. **श्री समर गुह** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पश्चिमी बंगाल में मिदनापुर के कन्टाई सब डिवीजन में नमक उद्योग का विकास किया जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वहां पर नमक उद्योग में सुधार करने, उसका विस्तार करने तथा विकास करने के लिए कोई योजना आरम्भ करने का है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय–कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) पश्चिमी बंगाल की राज्य सरकार इस समय लघु क्षेत्र के अन्तर्गत उन क्षेत्रों का विकास करवा रही है।

मैसूर राज्य के धारवाड़ जिले में पैदा होने वाली कपास

7214 **श्री से० ब० पाटिल** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री 30 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4267 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोप्पल कपास प्रेस के चिन्हों को 'ए' श्रेणी की कपास मानने के प्रयोजनार्थ मैसूर राज्य के रायचूर जिले के तीन तालुकों अर्थात् कोप्पल, येलबुर्गी तथा कुशिगी में वर्ष 1961–62 की फसल में पैदा हुई कपास को मैसूर राज्य के धारवाड़ जिले में पैदा हुई 'ए'

श्रेणी की कपास में शामिल करने के निर्णय की सूचना भारतीय केन्द्रीय कपास समिति को दी गई थी; और

(ख) क्या कपास उत्पादकों के हित की दृष्टि से उन्हें इस निर्णय से अवगत कराया गया था और यदि हां, तो इस मामले में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Cement Factory in Mirzapur

7215. **Shri S. S. Kothari :**
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri P. N. Solanki ;

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that France has agreed to supply machinery for the Cement Factory in Mirzapur District :

(b) if so, the terms of its supply ; and

(c) the time by which this work is likely to be completed ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) Yes, Sir.

(b) The information is being collected and it will be laid on the Table of the House.

(c) By the end of 1968.

Cost of Production of Steel

7216. **Shri K. M. Madhukar :**
Shri Ramavatar Shastri :

Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the cost of production of steel has recently gone up in India :

(b) whether this increase in the cost of production would adversely affect the steel industry and trade ; and

(c) if so, the manner in which Government would stabilise the price of steel, particularly when its cost of production has risen, so that it may be able to compete in foreign markets and may remain in demand there ?

The Minister of Steel, Mines and Metals (Dr. Channa Reddy) : (a) There have been some increases in the cost of production of steel in the last few years.

(b) and (c) . The increase in cost is not likely to affect the steel industry and trade adversely to any appreciable extent. After decontrol in May, 1967, the new prices have been fixed by the Joint Plant Committee. The producers have given the assurance that the prices will not be changed for one year.

For export business, our exporters have to compete against other suppliers at the prevailing export prices, which change frequently. For some items, it will be necessary to continue the cash assistance on exports,

Heavy Engineering Corporation, Ranchi

7217. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 859 on the 30th June, 1967 and state :

(a) the number of employees engaged at present in Production Wing of Heavy Engineering Corporation;

(b) their number during last year; and

(c) the additional strength required to attain the 80,000 tonns capacity ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) and (b)

Name of Plant	Number of employees in the Production Wing	
	As on 1st April, 1966	As on 1st April, 1967
(i) Foundry Forge Plant	1385	2589
(ii) Heavy Machine Building Plant		
(a) Main Plant	5004	5576
(b) Structural Fabrication Shop	Nil	247
(iii) Heavy Machine Tools Plant	Nil	669

(c) The ultimate capacity of 80,000 tonnes is that of the Heavy Machine Building Plant. Staff in addition to those in position on the 1st April, 1967, may not be required to reach this capacity.

Import of Rock Phosphate

7218. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of Commerce be pleased to state the quantity of Rock Phosphate imported during 1964-65, 1965-66 and 1966-67 for manufacturing super phosphate fertilizer ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : The quantity of rock phosphate imported during 1964-65 to 1966-67 is as follows :—

Year	Quantity in '000' tonnes
1964-65	426
1965-66	566
1966-67	859

The imported rock phosphate is for the use in the fertilizer industry including manufacture of superphosphate.

Tractor Factory in Punjab

7219. **Shri Ram Avtar Sharma** :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Y. S. Kushwah :
Shri Atam Dass :

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that the Government of Punjab have requested the Central Government for setting up of a Tractor Factory in that State;

(b) if so, the nature of the decision taken by Government and whether Government propose to set up a similar factory in the neighbouring Haryana State also; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) to (c) The Government of Punjab have not requested the Central Government for setting up of a Tractor factory in that State. However, a proposal of the Government of undivided Punjab State for setting up a factory at Panipat for the manufacture of Power tillers was agreed to in principle and a letter to that effect issued to them on the 25th September 1965. Certain additional details of the proposed scheme asked for, are still awaited.

According to the original proposal of the Government of Punjab the factory was to be established at Panipat (now in Haryana State). Now both the Governments of Punjab and Haryana have intimated that they are taking follow up action on the Government of India letter of 25th September, 1965. Both these Governments have stated that they are negotiating collaboration agreements with certain Japanese firms and would submit detailed schemes to the Government of India shortly. The whole matter is under consideration.

जौनपुर–हावड़ा सवारी गाड़ी

7220. श्री राज देव सिंह :
डा० महादेव प्रसाद :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 अप्रैल, 1967 से जौनपुर-हावड़ा सवारी गाड़ी सुलतानपुर होकर जाती है; और

(ख) यदि हां, तो 1966 की तत्समान अवधि में क्रमश: सुलतानपुर और जौनपुर के स्टेशनों पर यात्रियों और माल की बुकिंग की दृष्टि से कितना लाभ अथवा हानि हुई ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) 1.4.67 से हवड़ा-जौनपुर सवारी गाड़ियाँ, जौनपुर स्टेशन से गुजरे बगैर सुल्तानपुर तक आती जाती है ।

(ख) पिछले वर्ष के अप्रैल से जून तक के महीनों की तुलना में इस वर्ष के इन्हीं महीनों में सुल्तानपुर स्टेशन पर यात्री और अन्य कोचिंग यातायात से आमदनी में 17,223 रुपये की वृद्धि और जौनपुर स्टेशन पर 44,857 रुपये की कमी हुई । लेकिन इसी अवधि में जौनपुर से सुल्तानपुर तक के खंड पर पड़ने वाले स्टेशनों (जिनमें जौनपुर और सुल्तानपुर भी शामिल हैं) की यात्री और अन्य कोचिंग यातायात से आमदनी में 1,78,835 रुपये की वृद्धि हुई ।

राज्य व्यापार निगम के कार्यालय

7221. श्री नन्दकुमार सोमानी :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री रा० की० अमीन :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम के कार्यालय दिल्ली में किराये की इमारतों में है;

(ख) यदि हां, तो प्रति मास कितना किराया दिया जाता है तथा इस प्रयोजन के लिये दिल्ली के विभिन्न स्थानों में कितना स्थान इस निगम के पास है; और

(ग) राज्य व्यापार निगम द्वारा अपने कार्यालयों के लिये अपनी इमारतों के निर्माण के लिये इस समय कितनी राशि नियत की गई है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) राज्य व्यापार निगम द्वारा दिल्ली में किराये पर लिए गए स्थान का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

स्थान का ब्यौरा	क्षेत्र (वर्ग फुट)	किराया प्रति माह (रु०)
1. एक्सप्रेस बिल्डिंग, बहादुर शाह जफर मार्ग	43,601	43.601.00
2. हैराल्ड हाउस बहादुर शाह जफर मार्ग	5,625	10,575.00
3. लिंक हाउस, बाहदुर शाह जफर मार्ग	1,900	3,800.00
4. 57, रिंग रोड, नई दिल्ली	1,800 (पूरी बिल्डिंग)	1,500.00
5. 58, रिंग रोड, नई दिल्ली	4,000 (पूरी बिल्डिंग)	2,600.00
6. 2 ई । 7, झंडेवालान, नईदिल्ली	6,052 (पूरी बिल्डिंग)	2,000,00
	योग :	64,076,00

(ग) राज्य व्यापार निगम तथा भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि० द्वारा एक संयुक्त भवन-निर्माण आरक्षित निधि रखी जाती है। 31-3-66 को निधि में 160 लाख रु० की राशि थी जिसमें से 87·50 लाख रु० का राज्य व्यापार निगम का हिस्सा है। यह धन कार्यालय के भवन तथा अमले के क्वाटरों दोनों के लिए है।

राज्य व्यापार निगम तथा हमारा निर्यात व्यापार

7222. श्री प्र० न० सोलंकी : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम के हस्तक्षेप के कारण हमारे परम्परागत निर्यात व्यापार को भारी वित्तीय हानि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो विदेशों को हमारे माल के निर्यात को बढ़ाकर पूर्व स्थिति में लाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है; और

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम की वित्तीय तथा व्यापारिक गतिविधियां की कोई सीमा है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) राज्य व्यापार निगम भारतीय समवाय अधिनियम के अंतर्गत पंजीबद्ध समवाय है और इसकी गतिविधियां इस संस्था के ज्ञापन-पत्र के अंतर्गत होती है और व्यापारिक मामलों में वे व्यापक सरकारी नीतियों के अधीन होती है।

धनबाद-कटरासगढ़ लाइन पर ऊपरी पुल

7223. श्री शिव चण्डिका प्रसाद :
श्री वाल्मीकि चौधरी :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धनबाद-कटरासगढ़ रेलवे लाइन पर नया बाजार धनबाद में एक ऊपरी पुल बनाने की मंजूरी दे दी गई है;

(ख) यदि हां तो वह काम शुरु क्यों नहीं किया जा रहा है और उसे पूरा क्यों नहीं किया जा रहा; और

(ग) क्या यह सच है कि इस रेलवे पारपथ से भारी यातायात को गुजरने से बड़ी गड़गड़ होती है और वहां पर पहले कई बड़ी दुर्घटना हो चुकी है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां।

(ख) पुल संरचना के निर्माण सम्बन्धी आवश्यक योजना और अनुमानों को अन्तिम रूप बहुत पहले ही दिया जा चुका है लेकिन पर्यवेक्षण आदि सम्बन्धी खर्च की कुछ शर्तें राज्य सरकार द्वारा अभी तक स्वीकार नहीं की गयी हैं। राज्य सरकार ज्योंही अपनी स्वीकृति की सूचना देगी, पुल खास के लिए अपने हिस्से की रकम की व्यवस्था कर देगी और पहुंच मार्गों के लिए अपने हिस्से के काम के कार्यक्रम की सूचना देगी, रेलवे साथ ही साथ पुल संरचना का काम तेजी से प्रारम्भ कर देगी।

(ग) जी हाँ।

इंडियन कौपर कारपोरेशन, घाटसीला, सिंहभूमि

7224. श्री शिव चण्डिका प्रसाद :
श्री वाल्मीकि चौधरी :

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नियंत्रण वाली सामग्री न मिलने तथा जस्ते के अभाव के कारण इंडियन कौपर कारपोरेशन, घाटसीला सिंहभूम, का रोलिंग मिल विभाग गत दो वर्षों से बहुत ही कम कर्मचारियों के साथ चल रहा है;

(ख) यदि हां तो क्या उन 500 कर्मचारियों को अन्य रोजगार देने का कोई प्रबन्ध किया गया है, जिनकी छंटनी कर दी गई थी; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने ऐसी क्या कार्यवाही की है जिससे रोलिंग मिल अपनी पूरी क्षमता से काम करे ताकि छंटनी किये गये कर्मचारियों को तुरन्त रोजगार मिल जाये और उन्हें कठिनाइयों से बचाया जा सके ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) : (क) नान-फैरस रोलिंग उद्योग एक अप्राथमिकता प्राप्त उद्योग है। उद्योग को मुख्यतः मूल कुप्य धातुओं पर निर्भर रहना पड़ता है जिन्हें अधिकांश में विदेशों से मंगवाया जाता है। इसीलिये विदेशी मुद्रा की कठिनाई के कारण मुप्य धातुओं के सेमीस निर्माण कर्ताओं पर कुप्रभाव पड़ा है और इसी कारण इंडियन कापर कारपोरेशन की रोलिंग मिल भी अपनी क्षमता से नीचे काम करती रही है। तथापि अपनी रोलिंग मिल को चालू रखने के लिये निगम को तांबा या पीतल की चादरें (चक्के नहीं) 'रोल' करने के हेतु स्वयं उत्पादित की गई मात्रा में से 2,000 टन प्रति वर्ष तांबा प्रयोग करने की आज्ञा दी है। इस परिवर्तन के लिये उतना ही आवश्यक जस्ता पक्ष को नियमित रूप से दिया जाता रहा है।

(ख) निगम ने सूचित किया है कि कोई छंटनी नहीं की गई है और कर्मचारियों को दूसरे कर्तव्य पर लगा दिया गया है।

(ग) (क) और (ख) भाग में दिये गये उत्तर को ध्यान में रखते हुए, यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

नारियल जटा बोर्ड

7225. श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री अनिरुद्धन :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नारियल जटा बोर्ड के कर्मचारियों के लिये नये सेवा नियम बनाने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार नियमों के बनाने से पहले कर्मचारियों से परामर्श लेने का है;

(ग) क्या नियमों को बनाने के बारे में नारियल जटा बोर्ड के कर्मचारियों से सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) चूंकि नारियल जटा बोर्ड के कर्मचारियों के लिए कोई व्यापक सेवा नियम नही हैं इसलिए ऐसा पता चला है कि बोर्ड ने नियम बनाने का निश्चय कर लिया है।

(ख) इस पर तभी विचार होगा जबकि सरकार बोर्ड से प्राप्त नियमावली के मसौदे पर विचार करेगी।

(ग) जी, अभी तक नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बम्बई सेन्ट्रल-देहरादून एक्सप्रेस का देर से चलना

7226. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 19 अप (बम्बई सेंट्रल-देहरादून एक्सप्रेस) गाड़ी प्रायः दिल्ली

मुख्य स्टेशन से देहरादून के लिये देर से चलती है यद्यपि वह बम्बई सेन्ट्रल से इस स्टेशन पर समय पर आती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) रेलवे प्रशासन ने इसके लिये क्या कार्यवाही की है कि यह गाड़ी दिल्ली मुख्य स्टेशन से ठीक समय पर चले ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) से (ग) 19 अप बम्बई सेन्ट्रल–देहरादून एक्सप्रेस गाड़ी के अप्रैल से जून, 1967 तक चालन का विश्लेषण किया गया था। विश्लेषण से पता चला है कि इस अवधि में यह गाड़ी 91 बार में से 69 बार देरी से दिल्ली पहुंची और 91 बार में से 51 बार देरी से छूटी। यह गाड़ी ठीक समय पर चले, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं।

नायलोन की डोरी का आयात

7227. **श्री पार्थसारथी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नायलोन की डोरी, जो भारी ट्रकों के टायर बनाने में मुख्य रूप से काम में आती है, के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय–कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

टायरों का निर्माण

7228. **श्री पार्थसारथी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मोटर गाड़ी के टायरों के निर्माण और रेयन टायर डोरी बनाने के बीच इस समय बहुत अन्तर है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार रेयन डोरी के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने तथा रेयन डोरी और टायरों का मध्यपूर्व तथा संयुक्त अरब गण राज्य को निर्यात करने में सहायता देने का है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)। (क) जी, नहीं।

(ख) रेयन की डोरी का आयात पहले ही बन्द किया जा चुका है। रेयन टायर धागा उद्योग में रेयन तथा धागे का निर्यात करने के लिए सरकार की सहायता मांगी है और उन्हें इस मामले में विशिष्ट प्रस्ताव भेजने को सलाह दी गई है। टायरों का निर्यात पहले से ही अनेक देशों को किया जा रहा है जिनमें मध्यपूर्व और संयुक्त अरब गण राज्य शामिल हैं। इस प्रकार इसका निर्यात धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है।

तम्बाकू बोर्ड

7229. श्री नंजा गौंडर :
श्री ईश्वर रेड्डी :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी बोर्ड की तरह का तम्बाकू बोर्ड बनाने के प्रस्ताव पर जिसका सुझाव आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री द्वारा दिया गया था विचार करने का सरकार का इरादा है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) तम्बाकू बोर्ड की स्थापना के लिए कोई औपचारिक प्रस्ताव अभी तक मन्त्रालय में प्राप्त नहीं हुआ है । जब ऐसा प्रस्ताव किया जायेगा तब उस पर विचार किया जायेगा ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पूर्वी क्षेत्र में कागज बनाने के कारखाने की स्थापना

7230. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री** 30 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4118 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्वी खण्ड में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकारी क्षेत्र में कागज बनाने का एक कारखाना लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो यह कब स्थापित किया जायेगा; और

(ग) क्या इसको लगाने के लिये कोई स्थान चुन लिया गया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) : पूर्वी क्षेत्र में कागज । लुगदी संयंत्र स्थापित किये जाने की संभावनाओं का फिलहाल पता लगाया जा रहा है, किन्तु इस बारे में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं किया गया है । यह बता सकना कठिन है कि यह संयंत्र कहां और कब स्थापित किया जायेगा ।

महाराष्ट्र में औद्योगिक परियोजनाएं

7231. श्री सोनवाने
श्री देवराव पाटिल :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने निम्नलिखित परियोजनाएं मंजूर की जाने की प्रार्थना की है :

(1) अहमदनगर जिले में चितली में शराब बनाने के सरकारी कारखाने में विदेशी शराब बनाना ;

(2) वर्धा में एक ढलाई कारखाने की स्थापना ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहम्मद)। (क) 1. जी, हां।

2. जी, हां।

(ख) चिताली स्थित सरकारी आसवनी में विदेशी शराब बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार का प्रस्ताव विचाराधीन है। वर्धा में ढलाई कारखाना लगाने तथा केन्द्रीय क्षेत्र में वर्धा में एक ढलाई, गढ़ाई परियोजना स्थापित करने के बारे में भी विचार किया जा रहा है।

महाराष्ट्र में औद्योगिक परियोजनाएं

7232. श्री सोनावने :

श्री देवराव पाटिल :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने रत्नगिरि में एल्यूमीनियम के कारखाने की स्थापना की मंजूरी दी जाने की प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार की कम्पनी भारत एल्यूमिनियम कम्पनी को और बातों के साथ-साथ महाराष्ट्र राज्य के कोयना क्षेत्र में 50,000 टन की एल्यूमिनियम परियोजना सम्पन्न करने का काम सौंपा गया है। रत्नगिरि को परियोजना का स्थान मान कर मैसर्स वैरीनिगटे एल्युमिनियम वर्क द्वारा बनाई गई परियोजना का विस्तृत रिपोर्ट की कम्पनी ने जांच की है। भारत एल्यूमिनियम कम्पनी ने जो लागत के पुनरीक्षित अनुमान बनाये हैं वे इस समय सरकार के विचाराधीन हैं। महाराष्ट्र सरकार ने इस परियोजना को जल्दी मन्जूर करने और कार्यान्वित करने की प्रार्थना की है। इस परियोजना पर शीघ्र ही निर्णय लिये जाने की आशा है।

मैलानी स्टेशन पर ऊपरी पुल

7233. श्री बालगोविन्द वर्मा : **डा० महादेव प्रसाद**

श्री किन्दर लाल। **श्री कृ० दे० त्रिपाठी :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के मैलानी स्टेशन पर यात्रियों को एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने की सुविधा प्रदान करने के लिए एक ऊपरी पुल बना दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पुल को रेलवे कर्मचारियों की बस्ती तक न बढ़ाये जाने के क्या-क्या कारण हैं;

(ग) रेलवे लाइन के दूसरी ओर कितने परिवार रह रहे है;

(घ) क्या इन कर्मचारियों के परिवार वालों को दैनिक जीवन की अपनी आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिये मैलानी गांव तक जाने के लिये रेलवे लाइनें पार करने की अनुमति है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उनके लिये रेलवे लाइन पार करने के लिये कौनसा मार्ग दिया गया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) रेलवे लाइन की दूसरी ओर केवल लगभग 150 रेलवे क्वार्टर हैं और इसलिए वर्तमान ऊपरी पैदल पुल का इस समय विस्तार करना जरूरी नहीं समझा जाता ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) यार्ड के दोनों तरफ समपार मौजूद हैं । एक ऐसा भी प्रस्ताव है कि रेलवे लाइन के आर-पार यार्ड के दक्षिणी सिरे पर एक पैदल रास्ते की व्यवस्था की जाये ताकि यहां के निवासी कालोनी से रेलवे लाइन के दूसरी ओर स्थित गांव को आ जा सकें ।

उत्तर प्रदेश में कागज बनाने का कारखाना लगाना

7234. श्री बालगोविन्द वर्मा :
श्री किन्दर लाल :
डा० महादेव प्रसाद :
श्री कृ० दे० त्रिपाठी :

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खीरी जिला (उत्तर प्रदेश) में सरकारी क्षेत्र में कागज बनाने का एक कारखाना लगाने के लिए सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है;

(ग) इसके लिए कौनसा स्थान चुना गया है; और

(घ) यह परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य-मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ) : उत्तर प्रदेश के खीरी जिले में सरकारी क्षेत्र में कागज का एक कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है और इस प्रकार का कोई भी सर्वेक्षण नहीं किया गया है। फिर भी राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम द्वारा लगभग दो वर्ष पहिले चीनी मिलों की कार्यप्रणाली तथा गन्ने की खोई की उपलब्धि के बारे में कुछ आंकड़े इकट्ठे किये गये थे ।

Development of Leather Industry

7235. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the provision made in the Fourth Five Plan for the development of Leather Industry;

(b) the amount out of this provision to be spent in rural and urban areas respectively; and

(c) the basis of State-wise allocation of this provision ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) The leather and footwear industry is primarily in the Private Sector. No detailed estimate of the likely investment in this industry during the Fourth Plan period has been made.

(b) and (c) : As the bulk of the investment will be in the Private Sector, it is not possible to estimate the likely investment on a State-wise basis or on the basis of rural-urban areas since the locational decisions will be primarily determined by the individual entrepreneurs.

लुमडिंग और मरियानी स्टेशनों के बीच दुर्घटनाएं

7236. श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लुमडिंग और मरियानी स्टेशनों के बीच इस वर्ष कितनी रेल दुर्घटनाएं हुई ?

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो जांच से क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) 1–1–1967 से 30–6–1967 तक की अवधि में पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के लुमडिंग-मरियानी खण्ड पर 5 दुर्घटनाएं हुई । पांचों दुर्घटनाओं में गाड़ी पटरी से उतरी थी ।

(ख) इन सभी दुर्घटनाओं की जांच की गयी है ।

(ग) पटरी से उतरने की तीन दुर्घटनाएं रेल कर्मचारियों की गलती के कारण और एक तोड़-फोड़ की कार्यवाही के फलस्वरूप हुई और बाकी एक दुर्घटना के सम्बन्ध में अभी जांच हो रही है ।

ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस के साथ अतिरिक्त डिब्बे का जोड़ा जाना

7237. श्री जगन्नाथ राव जोशी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भोपाल और मद्रास के बीच ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस के साथ एक डिब्बा जोड़े जाने की बड़ी मांग है क्योंकि एच० ई० एल० भोपाल में दक्षिण भारत के बहुत से कर्मचारी काम करते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) ग्रेड ट्रंक एक्सप्रेस में भोपाल से मद्रास के लिए एक सीधा सवारी डिब्बा जोड़ने की कोई मांग नहीं की गयी है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

विकरोली में रेलवे फाटक खोलना

7238. श्री जगन्नाथ राव जोशी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे में बम्बई के एक उपनगरीय स्टेशन, विकरोली के लोग रेलवे फाटक को पुन: खोलने के लिये गत दो वर्षों से मांग कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) विकरोली के समपार नं० 13 को 11–4–64 को बन्द कर दिया गया था और उसके स्थान पर विकरोली स्टेशन के दक्षिण की ओर एक नया समपार उसी समय खोल दिया गया था। नया समपार महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड द्वारा निर्मित चालों के लिये बनाया गया है और महाराष्ट्र राज्य सरकार के कहने पर निक्षेप निर्माण-कार्य के रूप में बनाया गया है।

इसके तुरन्त बाद, विकरोली गांव के निवासियों ने महाराष्ट्र उच्च न्यायालय में दावा कर दिया, जिसने 27–4–1964 को रेलवे को आदेश दिया कि नये समपार नं० को बन्द कर दिया जाये और पुराने समपार नं० 13 को खोल दिया जाये। 1.5.64 से इस आदेश को कार्यान्वित कर दिया गया और अभी यह मामला बम्बई नगर के दीवानी न्यायालय में अन्तिम निर्णय के लिए पड़ा है।

रेलवे प्रशासन यह सम्भव नहीं पाता कि दोनों समपारों को एक साथ खुला रखा जाये क्योंकि इस क्षेत्र में रेल यातायात बहुत अधिक है और दोनों समपार एक दूसरे के बहुत निकट हैं। वास्तव में नये समपार के निर्माण से पहले ही राज्य सरकार को यह बात स्पष्ट कर दी गयी थी कि इस क्षेत्र में केवल एक समपार रह सकता है और इस पर राज्य सरकार की सहमति मिलने पर ही निर्माण-कार्य शुरु किया गया था। इन परिस्थितियों में, नये समपार को फिर से खोलने का प्रश्न तभी उठेगा, जब दीवानी न्यायालय पुराने समपार को एक बार फिर बन्द करने का निर्णय दे दे।

कुरडूवाडी और मिरज के बीच बड़ी लाइन

7239. श्री जगन्नाथ राव जोशी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में दक्षिण-मध्य रेलवे पर कुरडूवाडी और मिरज के बीच एक नई बड़ी रेलवे लाइन बिछाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) इस परियोजना की क्रियान्विति में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ; जबकि यह परियोजना दूसरी योजना अवधि में ही पूरी हो जानी चाहिये थी।

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) कुरडुवाडी-मिरज छोटी लाइन खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने के लिए जाँच 1961 के अन्त में की गयी थी, लेकिन वित्तीय दृष्टि से इस प्रस्ताव को सर्वथा अनुपयुक्त पाया गया। अभी हाल में इस गेज परिवर्तन की अर्थ-क्षमता के सम्बन्ध में एक समीक्षा की गयी थी, उससे भी यही स्पष्ट हुआ कि छोटी लाइन के इस खण्ड पर पर्याप्त अतिरिक्त क्षमता मौजूद है और इस खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने का औचित्य नहीं है।

कांडला पतन में निबंधि व्यापार क्षेत्र

7241. श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री रा० की० अमीन :

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कांडला पत्तन में निर्बाध व्यापार क्षेत्र की स्थापना में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या उस क्षेत्र का संतोषजनक औद्योगिक विकास किया जा रहा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) कांडला पतन से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित निर्बाध व्यापार क्षेत्र में भूमि विसंयोजन और समतल करने तथा प्लाटों की हकबन्दी, आन्तरिक पथों एवं सड़कों तथा रेलवे साइडिंग की व्यवस्था, उच्च तथा कम दाब (टेंशन) की बिजली के संभरण, पानी तथा नालियों आदि की सुविधाओं आदि से सम्बन्धित अधिकांश विकास कार्य पूरे हो चुके हैं।

(ख) और (ग) : अभी तक इस क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना के लिये 110 उद्योगपतियों का अनुमोदन किया जा चुका है। 25 पार्टियों द्वारा भेजे गये कारखानों के निर्माण के नक्शों को मंजूर किया जा चुका है। दो कारखानों में उत्पादन शुरू हो चुका है और एक कारखाने ने 8 लाख रु० मूल्य के सामान का निर्यात किया है। तीन अन्य कारखानों का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने वाला है। यह क्षेत्र देश के एक दूरस्थ तथा अविकसित भाग में स्थित है जहां अभी सहायक सुविधाएं जैसे दक्ष श्रमिक तथा मरम्मत वर्कशाप, फालतू पूर्जे तथा संघटक भंडार आदि उपलब्ध नहीं है। इसलिये ऐसे क्षेत्र में उद्योगपतियों के लिये औद्योगिक कार्यकलाप आरंभ करने में कुछ अधिक समय लग जाता है।

S. S. Light Railway Passenger Welfare Association, Khekra

7242. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether he has received a letter from the Passenger Welfare Association, Khekra of S. S. Light Railway wherein the increase in fare was criticized, if so, Government's reaction thereto;

(b) whether it is a fact that the fares on this line are already higher than those on other Railways and there is a lack of facilities for passengers; and

(c) the action being taken by Government to provide more facilities to the passengers on this line ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Yes, a letter was received from the Association recently. There is, however, no proposal to make any change in the fares as recently revised on S. S. Light Railway.

(b) and (c) : Upper Class fares on S. S. Light Railway are lower than First Class fares on Indian Government Railways by 35 to 41% but Lower Class fares are slightly higher than Third Class, ordinary, fares on Indian Government Railways, the difference being 5 to 11%, except over very short distances, where it is up to 25% It may be added that the difference in fares over such short leads is, in absolute terms, only 5 paise.

The standard of amenities provided on Government Railways has been commended by the Railway Board to the Light Railways for adoption as far as possible. This aspect is looked into by the Additional Commissioner of Railway Safety during his inspection of the line.

तीसरे दर्जे की शायिकाओं का आरक्षण

7243. श्री राम सेवक :
श्री बालगोविन्द वर्मा :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हावड़ा स्टेशन पर तथा कलकत्ता शहर क्षेत्र की अन्य प्रत्येक बुकिंग एजेन्सियों। कार्यालय द्वारा सामान्य व्यक्तियों और विशेष श्रेणी के यात्रियों के लिये क्रमश : 1 अप कालका मेल, 11 अप दिल्ली ऐक्सप्रैस, 63 अप तूफान ऐक्सप्रैस, 81 अप ए/सी ऐक्सप्रैस और 39 अप जनता ऐक्सप्रैस रेलगाड़ियों के तीन शायिकाओं और 2-शायिकाओं वाले डिब्बों में तीसरे दर्जे की वस्तुत: कितनी-कितनी शायिकाएं पृथक-पृथक आरक्षित की जाती हैं ; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं, कि स्थान उपलब्ध होते हुए रेलवे कर्मचारी आरक्षण के लिये इन्कार न करें ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) माननीय सदस्यों ने उस अवधि का उल्लेख नहीं किया है जिसका ब्यौरा अपेक्षित है। अनुमान है कि उन्होंने हबड़ा स्टेशन, नगर टिकिट घरों, आदि को प्रश्न में उल्लिखित गाड़ियों में 3 और 2 टीयर वाले शयन यानों में आवंटित कोटे के सम्बन्ध में सूचना मांगी है। इन्हें आवंटित कोटे का विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय मे रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1250/67**]

(ख) जो उपाय किये गये हैं उनमें कागजातों की कारगर तौर पर खाना-पूरी और पर्यवेक्षण के काम में कड़ाई बरतना शामिल है।

पाकिस्तान की आयात नीति

7244. श्री आत्मदास : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने अपनी आयात नीति को अनुदार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इससे भारत की विदेशी मुद्रा की आय पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) चूंकि सितम्बर, 1965 से पाकिस्तान के साथ व्यापार आस्थगित है, इसलिए पाकिस्तान द्वारा अपनी आयात नीति को अनुदार किए जाने का भारत की विदेशी मुद्रा की आय पर प्रभाव पड़ने का प्रश्न नहीं उठता।

Bogies Attached to 370 Up Delhi-Hardwar Train.

7245. **Shri Ram Avtar Sharma :**
Shri Atam Dass :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Y. S. Kushwah :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri O. P. Tyagi :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Dr. Surya Pakash Puri :
Shri Mahant Digvijai Nath :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there are only four to five bogies in 370 Up Delhi-Hardwar train in spite of heavy rush of passengers ;

(b) whether it is also a fact that the said number of bogies include one or two Class I or Class II bogies ;

(c) whether it is also a fact that the passengers travel on the roof or on the footboard of the said train ; and

(d) whether Government propose to provide additional bogies in the said train ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) ; (a) Presumably, the reference is to 371 Up Delhi-Hardwar Passenger, which ran short of its normal composition of 10 bogies by 2–3 bogies on a few occasions during June, 1967.

(b) Only one composite I and II class coach is running on this train.

(c) No such complaint has been received.

(d) Some overcrowding has been noticed on this train by suburban passengers on Delhi–Ghaziabad section. The feasibility of introducing a suburban train from Delhi to Ghaziabad leaving Delhi at about 18. 30 hours is under consideration. Necessary steps will also be taken to maintain the normal composition of 371 Up Delhi-Hardwar passenger.

दार्जिलिंग में पुनर्रोपण

7246. श्री अ० क० गोपालन :
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री रमामी :
श्री नायनार :
श्री भगवान दास :
श्री ज्योतिर्मय बसु ।

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दार्जिलिंग में पुनर्रोपण की वास्तविक दर केवल 0.6 प्रतिशत पाई गई है :

(ख) यदि हां, तो पुनर्रोपण की इस दर कम होने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या पुनर्रोपण की यह दर कम होने के कारण दार्जिलिंग में चाय का उत्पादन घट रहा है;

(घ) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये चाय के पौधे लगाने सम्बन्धी कार्यकारी दल ने यह सुझाव दिया था कि चाय उद्योग को 3 प्रतिशत वार्षिक दर से नये पौधे लगाने चाहिए : और

(ङ) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) पुनर्रोपण के बाद आय का तत्काल बन्द हो जाना । ऐसी सूचनाएं भी मिली हैं कि चाय बागान के पास इस कार्य को शुरू करने के लिए वित्तीय साधनों का अभाव है ।

(ग) जी, नहीं । दार्जिलिंग जिले में 1957 के 73 लाख कि० ग्रा० के उत्पादन की तुलना में 1965 में 95 लाख कि० ग्रा० चाय का उत्पादन हुआ था ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) पुनर्रोपण तथा विस्तारण को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(1) केन्द्रीय आयकर तथा राज्य कृषि आय-कर के प्रयोजन के लिये कर योग्य आय का निर्धारण करते समय उसमें से नये क्षेत्रों में रोपण की लागत का 50 प्रतिशत तथा

पुनरोपित क्षेत्रों में ऐसी लागत का 30 प्रतिशत विकास भत्ते के रूप में काट दिया जाता है।

(2) विस्तारण तथा पुनर्रोपण के लिए चाय बोर्ड द्वारा उद्योग को लम्बी अवधि के लिए ऋणों की स्वकृति।

पाकाला और घर्मवरम मीटरगेज लाइन पर नया स्टेशन

7247. श्री पार्थसारथी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या दक्षिण रेलवे पर पाकाला और घर्मवरम मीटर गेज लाइन पर वल्लीवेडा में एक नया रेलवे स्टेशन खोलने की सरकार की योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्टेशन का औपचारिक रूप से उद्घाटन कब किया जायेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) ; पाकाला-घर्मवरम मीटर लाइन खण्ड पर दामलचेरूवु और मंगलपेटा स्टेशनों के बीच वल्लीवेडा में एक नया स्टेशन खोलने के लिए एक प्रस्ताव मिला है और उसकी जांच की जा रही है।

Train Service From Agra Cantt. To Bad.

7248. Shri Shiv Charan Lal : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether a train service was operating between Agra Cantt. and Bad, if so, when it was closed and the reasons therefor ; and

(b) whether keeping in view the difficulties of the public and income to the Railway Department, it is proposed to resume the service from Agra Cantt. to Bad or from Bad to Etawah ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Bad, a wayside station, on the Agra-Mathura section continues to be served by train services as before. Presumably, the reference is to Bad Town situated at about 45 miles from Agra Cantt. Agra Cantt.-Bad railway section, which was opened for traffic on 17-9-1928 was closed in January, 1939 and the line was dismantled, as it was unremunerative.

(b) There is no proposal at present for restoration of Agra Cantt.-Bad line or for linking Bad with Etawah by railway.

Newsprint Factories in U. P.

7249. Shri Molahu Prasad : Shri Ram Charan :
Shri Shiv Charan Lal : Shri Ramji Ram :

Will the Minister of Industrial Development and Company Affairs be pleased to state :

(a) whether it is proposed to set up three newsprint projects in Uttar Pradesh during the fourth Five year Plan ;

(b) if so, whether it is also a fact that one of them is proposed to be set up in West U. p. ;

(c) if so, whether the State Government have not been apprised of any progress made in regard threto ; and

(d) whether Government propose to carry cut this work speedily ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) (a) to (d) : There is a proposal to set up one newsprint plant in U. P./Bihar area

in the public Sector and the matter is still at the exploratory stage. The State Government of U. P. has been associated in conducting the Survey of raw materials etc. and that Government will continue to be associated with the project at the appropriate stages after a final decision is taken. Every effort is being made to speed up the work.

Investment House for the Development or Small Scale Industries in U. P.

7250. **Shri Molahu Prasad :** **Shri Ram Charan :**
Shri Shiv Charan Lal : **Shri Ramji Ram :**

Will the Minister of **Industrial Development and Comany Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up an investment House for the development of Small Scale Industries in Uttar Pradesh ; and

(b) if so, the functions of the proposed Investment House ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) There is no proposal for setting up an investment House for the development of small Scale Industries in U. P.

(b) Does not arise.

Export Credit and Guarantee Corporation

7251. **Shri Ramji Ram :** **Shri Shiv Charan Lal :**
Shri Molahu Prasad : **Shri Ram Charan :**

Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is no Branch Office of the Export Credit and Guarantee Corporation in Uttar Pradesh ;

(b) if so, whether it is also a fact that the exporters in Uttar Pradesh have to contact the Bombay Office of the Corporation for exporting each item from Uttar Pradesh ; and

(c) if so, whether Government propose to open a branch office of the Export Credit and Guarantee Corporation at Kanpur or at any other place in Uttar Pradesh for the convenience of exporters ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) Yes, sir.

(b) No, sir. The Zonal Office of the Corporation at Delhi looks after the northern region including Uttar Pradesh.

(c) No, Sir.

Processing Industries

7252. **Shri Ramji Ram :** **Shri Shiv Charan Lal ;**
Shri Molahu Prasad : **Shri Ram Charan :**

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that it is the policy of Government to discourage processing industries and particularly industries of such products as are made from oil, sugar and khandsari in Uttar Pradesh and not to extend any kind of assistance to these industries ;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether Government propose to extend special assistance to Uttar Pradesh for these industries ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs) Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) No, Sir.

(b) and (c) : Do not arise.

Machine Tool Plant in U. P.

7253. **Shri Shiv Charan Lal :** **Shri Ram Charan :**
Shri Molahu Prasad : **Shri Ramji Ram :**

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that it was announced in Parliament that a Machine Tool Plant would be set up in Uttar Pradesh;

(b) whether it is also a fact that the Central Government have not discussed about the location of this plant with the State Government so far;

(c) if so, whether Government propose to take immediate action in this connection or they intend to drop the proposal; and

(d) if Government intend to drop this proposal, the reasons therefor ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed : (a) and (b) : Yes, Sir.

(c) and (d) : It was originally proposed that Hindustan Machine Tools Limited should set up during the Fourth Five Year Plan period, a machine tool factory in Uttar Pradesh as part of their expansion schemes. All these expansion schemes have been deferred in view of the recent fall in demand for machine tools and will be considered after watching the trend of demand for some more time. Further action will be taken only thereafter.

Factories in U. P.

7254. **Shri Ram Charan :** **Shri Shiv Charan Lal ;**
Shri Molahu Prasad : **Shri Ramji Ram :**

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affirs** be pleased to state :

a) whether it is a fact that the percentage of factory workers in Uttar Pradesh is much less than that in other States, although the population of Uttar Pradesh is bigger than that of any other State in India;

(b) if so, the reasons for this disparity;

(c) whether the Central Government propose to make up this deficiency by establishing more industrial projects in Uttar Pradesh during the Fourth Plan; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) to (d) : The information is being collected and it will be placed on the Table of the House.

Cable Plant at Bareilly

7255.. **Shri Shiv Charan Lal :** **Shri Ram Charan :**
Shri Molahu Prasad : **Shri Ramji Ram :**

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government propose to establish a cable plant at Bareilly; and

(b) if so, the progress made so far in this regard ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Setting up of Assembly Plant of Czech. Tractors

7256. Shri Shiv Charan Lal : Shri Ram Charan :
Shri Molahu Prasad : Shri Ramji Ram :

Will the Minister of Industrial Development and Company Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the setting up for the proposed Assembly Plant of Czech. tractors in Uttar Pradesh is being delayed;

(b) whether Government propose to set up this plant in any other State; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs : (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) Part I of the Detailed Project Report containing the techno economic feasibility study of the Public Sector tractor project with the collaboration of M/s MOTO-KOV of Czechoslovakia, which Government had proposed to set up in Uttar Pradesh, has been received only recently. It is, at present under examination. It is only after a detailed examination of this report that Government can take a final decision on the project.

(b) There is no proposal to set up the plant under reference in any other State

(c) Does not arise.

उद्योगों में मन्दी आने के कारण अप्रयुक्त क्षमता

7257. **श्री म. ला. सोंधी**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अर्थव्यवस्था में इस समय आई मन्दी की प्रवृत्ति को रोकने के लिए इंडियन मर्चेण्ट्स चैम्बर की समिति ने जो सुझाव दिये हैं क्या सरकार को उसकी जानकारी है ;

(ख) इस अध्ययन के अनुसार इस मन्दी के कारण किन किन उद्योगों पर गहरा प्रभाव पड़ा है ;

(ग) क्या ये उद्योग अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे थे और यदि नहीं, तो मंदी आने के परिणामस्वरूप कितनी क्षमता बेकार हो गई है ; और

(घ) उद्योग की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहम्मद) : (क) से (ग) : सम्भवत: जुलाई, 1967 के इकनामिक टाइम्स में "आई एम० सी० अर्जेज इन्टीग्रेटेड एप्रोच टुवेक रिसेशनरी ट्रेंडस शीर्षक" के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार का उल्लेख किया गया है । इण्डियन मर्चेन्ट चेम्बर, से अध्ययन की एक प्रति प्राप्त की जा रही प्रासंगिक जानकारी सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मैसर्स कृष्णा ट्रान्सपोर्ट एण्ड फाइनेन्स (प्राइवेट) लिमिटेड, कम्पनी करौल बाग, नई देहली

7258. **श्री मनुभाई जे० पटेल** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में करौल बाग में बैंक स्ट्रीट में स्थित मैसर्स कृष्णा ट्रांसपोर्ट एण्ड फाइनेन्स (प्राइवेट) लिमिटेड कम्पनी ने जमाकर्ताओं को केवल ब्याज देना ही बन्द कर दिया है अपितु उन्हे उनका मूलधन देने से भी इन्कार कर दिया है : यद्यपि उनकी जमा की हुई राशि लेने का समय आ गया था ।

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ जमाकर्ताओं ने इस कम्पनी के परिसमापन के लिये उसके विरुद्ध न्यायालय में मुकद्दमा चलाया है ; और

(ग) यदि हां, तो यह मुकद्दमा इस समय किस अवस्था में है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) कम्पनी के लेखे की किताबों के निरीक्षण से प्रकट होता है कि कम्पनी, सम्पूर्ण जमा की हुई राशि,जिसके देने का समय आ गया है, से संबंधित दायित्व को संभालने योग्य नहीं है ।

(ख) और (ग), कुछ जमाकर्ताओं ने कम्पनी के समापन के लिये उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत कर दी है । मामले की सुनवाई के लिये 4 अगस्त, 1967 निश्चित की गई है, अभी कम्पनी के उत्तर प्रस्तुत करने की आशा है ।

बिहार में चमड़ा कमाने का उद्योग

7259. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में चमड़ा कमाने का उद्योग अवनति पर है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) गत तीन योजनाओं में बिहार के चमड़ा कमाने के उद्योग की क्या-क्या सफलताएं रही हैं और चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में इस बारे में सरकार की नीति क्या होगी ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) देश में कच्ची खालों और चमड़े के सबसे बड़े उत्पादकों में से बिहार एक है । बाटा ने बिहार राज्य के मोकमेह घाट नामक स्थान पर बड़े पैमाने पर एक कारखाना स्थापित किया है । इसके अतिरिक्त बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड चमड़ा कमाने के तीन संगठित एकक पहले ही लगा चुका है जो क्रोम चमड़ा और जूतों में सोल लगाने का चमड़ा तैयार करने के साथ ही जूते बनाने के अपने एककों की भी आवश्यकता पूरी कर रहे हैं । निगम के चमड़ा कमाने के दो एकक और बनाये जा रहे हैं । निगम ने चमड़ा कमाने के पांच और एककों के लिये स्वीकृति मांगी है ।

तेज चलने वाली गाड़ियां चलाना

7260. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** ; क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या एक घंटे में 120 किलोमीटर से अधिक गति से चलने वाली तेज रेलगाड़ियां चलाने का परीक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष में भारतीय रेलों के विभिन्न जोनों में तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ियों को चलाने का व्यापक कार्यक्रम क्या है; और

(घ) इस काम के लिये अपेक्षित इंजन, डिब्बों आदि का ब्यौरा क्या है तथा वे देश में कितने बनाये जायेंगे ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) अभी ऐसा कोई विस्तृत कार्यक्रम नहीं है । ट्रंक मार्गों पर प्रति घंटा 100 किलोमीटर की वर्तमान अधिकतम अनुमत रफ्तार को बढ़ाने की संभावना पर सरकार अभी विचार कर रही है । प्रथम चरण में दिल्ली-आगरा, दिल्ली-बम्बई सेन्ट्रल और दिल्ली-हावड़ा मार्गों पर प्रति घण्टा 105 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चलायी जायेगी ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

फोटोग्राफी की सामग्री के मूल्य

7261 श्री स० कुण्डू :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फोटोग्राफी की सामग्री, जैसे व्यावसायिक कट फिल्मों और पेपर, 120 और 620, के मूल्य, वर्ष 1964 से बढ़ गये हैं :

(ख) यदि हां, तो मूल्यों में किस दर से वृद्धि हुई है : और

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम फोटोग्राफी की इस सामग्री के मूल्यों में पुनरीक्षण करने का विचार कर रहा है और यदि हां, तो कब और किस प्रकार ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह : (क) **और (ख)** : जी, हां । बढ़े हुए सीमा शुल्क आदि के प्रभाव के फलस्वरूप फरवरी तथा अगस्त, 1965 में मूल्यों में वृद्धि की गई–आरम्भ में फरवरी में 10 प्रतिशत और बाद में अगस्त, 1965 में 35 प्रतिशत । अवमूल्यन के परिणामस्वरूप राज्य व्यापार निगम ने, अवमूल्यन के बाद भारत में आयात किये गये माल के अथवा विलम्बित भुगतान के आधार पर 6–6–1966 से पूर्व भारत में आयात किये ऐसे माल के, जिस का उस तारीख तक भुगतान नहीं हुआ था, मूल्यों में पुन: संशोधन किया ।

(ग) राज्य व्यापार निगम मामले पर विचार कर रहा है ।

Import of Photographic Material from East European Countries

7262. Shri Rabi Ray :
Shri Molahu Prasad :
Shri Madhu Limaye :

Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether it is a fact that for a long time there was no control over the prices of photographic material that was imported from the East Europen countries;

(b) whether it is a fact that the dealers in the said material have earned huge profits;

(c) whether it is also a fact that the said material includes eartain items for which there is no demand in the country and whether the customers who intend to purchase the material they require are forced to purchase these items also;

(d) whether material like coloured films is rotting in the country and there is no customer for it; and

(e) if so, whether Government are taking any action to enquire into all these matters ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) to (c) : S. T. C. started importing photographic materials from East European countries in 1957. Selling prices were fixed by them for the first time in January, 1965. Government or the S. T. C. have no information about huge profits having been earned by the dealers. No specific instances relating to the sale of unwanted imported material by importers to consumers have come to notice of Government or S. T, C. However, a few days ago a representation has been received by the S. T. C. stating that some 35 mm and 127 mm roll films and colour films have been imported in excess of the country's requirements by the importers. The matter is being investigated. It is always opon to the professional users and other members of the trade to bring up these matters to the notice of the regional photographic associations or to the notice of the S. T. C. to ensure that there is no mal-distribution of the imported photographic material. No instance of colour film going to waste has come to notice nor has it been reported from any quarter that there is no demand for colour films in the country.

दिल्ली तथा नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर कुली

7263. **श्री हेमराज** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली मेन रेलवे स्टेशन तथा नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुलियों की बहुत कमी है तथा क्या इस सम्बन्ध में जनता तथा संसद सदस्यों से शिकायतें मिली थीं;

(ख) क्या यह भी सच है कि अप्रैल और मई, 1967 में रेलवे कर्मचारियों द्वारा दिल्ली मुख्य स्टेशन तथा नई दिल्ली स्टेशन के लिये कुलियों का चयन किया गया था; और यदि हां, तो कितने कुली छाँटे गये थे;

(ग) क्या छांटे गये कुलियों को अपना कार्य करने की अनुमति दे दी गई है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि लाइसेन्स प्राप्त कुलियों की कमी होने के परिणामस्वरूप इन दोनों स्टेशनों पर बिना लाइसेन्स प्राप्त लोग कुली का काम करते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां । दिल्ली जंक्शन और नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मारिकों की कमी के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें मिली हैं ।

(ख) जी हां । एक चुनाव हुआ था और दिल्ली जंक्शन के लिए 61 तथा नयी दिल्ली स्टेशन के लिए 25 उम्मीदवार चुने गये थे ।

(ग) पुलिस विभाग द्वारा उम्मीदवारों के चरित्र-सत्यापन की कार्यवाई की जा रही है ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

पश्चिम रेलवे में वरिष्ठ लेखापालों का चयन

7264. **श्री प० गोपालन :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री रमानी :
श्री अब्राहम :
श्री चक्रपाणि :
श्री एस्थोस :
श्री अनिरुद्धन :
श्री नायनार :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे में वरिष्ठ लेखापालों का तालिका तैयार करने के लिये नवम्बर, 1966 में चयन किया गया था;

(ख) क्या यातायात लेखा कार्यालय, दिल्ली के एक कनिष्ठतम लेखापाल का चयन वरिष्ठ लेखापाल के पद के लिये किया गया था और उसे उन सब व्यक्तियों में सब से अधिक वरिष्ठता दी गई थी जिन्हें चयन करके तालिका में रखा गया था; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां, एक कर्मचारी को, जो वरिष्ठता सूची में ग्यारहवें स्थान पर था, पदोन्नत के लिए चुने गये उम्मीदवारों के पैनल में प्रथम स्थान पर रखा गया ।

(ग) वर्तमान अनुदेशों के अन्तर्गत जो कर्मचारी कुल अंकों के 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त कर लेता है, उसे 'अद्वितीय' घोषित किया जाता है और पैनल में प्रथम स्थान पर रखा जाता है चाहे उसकी वरिष्ठता कुछ भी क्यों न हो ।

इतर यातायात लेखा कार्यालय, पश्चिम रेलवे

7265. **श्री प० गोपालन :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री रमानी :
श्री अब्राहम :
श्री नायनार :
श्री एस्थोस :
श्री अनिरुद्धन :
श्री चक्रपाणि :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली स्थित पश्चिम रेलवे के इतर यातायात लेखा कार्यालय में कर्मचारियों की कमी के कारण इस समय जनता के सात हजार पांच सौ से अधिक भाड़ा लेने के दावे अनिर्णीत पड़े हैं;

(ख) क्या यह सच है कि किसी व्यक्ति के छुट्टी पर जाने की स्थिति में कार्य करने के लिये नियुक्त किये गये व्यक्ति कर्मचारियों की कमी के कारण स्थायी पदों पर कार्य कर रहे हैं;

(ग) क्या इतना अधिक काम बचा हुआ होने पर भी कर्मचारी फालतू घोषित किये जा रहे हैं और पद समाप्त किये जा रहे हैं; और

(घ) क्या इतना काम बचा होने तथा कर्मचारियों को फालतू घोषित करने के लिये कुछ अधिकारियों को उत्तरदायी ठहराया गया है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) अधिप्रभार-पत्र उन दावों से सम्बन्धित हैं जिनका भुगतान उनके दावादारों को पहले ही किया जा चुका है और वे यातायात लेखा विभाग द्वारा केवल परवर्ती जांच के लिए पड़े हैं। इस तरह के केवल कुछ प्रतिशत मामलों की लेखा जांच करनी होती है और उन मामलों की संख्या केवल 1825 है जिनकी वस्तुतः जांच होनी है। ऐसे मामलों के इकट्ठे हो जाने का कारण कर्मचारियों की कमी नहीं है, बल्कि अभी हाल में अधिप्रभार-पत्रों की संख्या में होनेवाली असामान्य वृद्धि है:

(ख) जी नहीं।

(ग) कुछ कर्मचारियों को फालतू घोषित किया गया है, लेकिन अभी उन्हें अभ्यर्पित नहीं किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारती टेक्सटाइल मिल्स, पांडिचेरी

7266 श्री उमानाथ:
श्री रमानी:

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारती टैक्सटाइल मिल्स, पांडिचेरी की वित्तीय स्थिति की जांच कराने का प्रस्ताव अब किस अवस्था में है;

(ख) जांच आयोग नियुक्त करने में देरी होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसके बारे में पांडिचेरी सरकार की राय ली गई थी;

(घ) क्या यह सच है कि पांडिचेरी सरकार जांच कराने के लिये सहमत है, और यदि हां, तो उसने अपनी सहमति की सूचना कब भेजी थी; और

(ङ) सरकार का कब तक जांच आयोग नियुक्त करने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (ङ) : पांडिचेरी प्रशासन तथा भारत सरकार के विभिन्न विभागों को मिल के कार्मिक संघों एवं कर्मचारियों की शिकायतें मिली हैं जिनमें मिल के भूतपूर्व प्रबन्धकों पर अनियमितताओं के आरोप लगाये गये हैं। इन आरोपों की जांच की जा रही है और भारतीय कम्पनी अधिनियम के अधीन यथावश्यक कार्यवाही की जायेगी।

आसनसोल के लोको शैड में आन्दोलन

7267 **श्री मुहम्मद इस्माइल:**
श्री ज्योतिर्मय वसु:
श्री उमानाथ:
श्री रमानी:

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 29 जून, 1967 को आसनसोल के लोको शैड में दुर्घटना होने के पश्चात् हुए आन्दोलन में भाग लेने के कारण कुछ कर्मचारियों को आरोप-पत्र जारी किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप-पत्र जारी किये गये थे तथा किन कारणों से;

(ग) क्या सरकार उन आरोप-पत्रों को वापिस लेने का विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसा न करने के क्या करण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) पांच के विरुद्ध । इनमें से चार के विरुद्ध पूर्व रेलवे में आसनसोल स्थित मण्डल अधीक्षक कार्यालय की सीमा में कार्यालय के समय में और उसके बाद उग्र प्रदर्शन करने और उसमें सक्रिय भाग लेने और उसके परिणामस्वरूप 3.7.1967 को कार्यालय के काम में गम्भीर रूप से रुकावट डालने और उसमें अव्यवस्था पैदा करने के कारण तथा एक के विरुद्ध पूर्व रेलवे में आसनसोल स्थित मण्डल अधीक्षक कार्यालय के अहाते में वली मोहम्मद के शव को अनाधिकृत रूप से दफनाने के काम में सक्रिय भाग लेने के कारण;

(ग) जी नहीं ।

(घ) आरोप-पत्र प्रकटत: ठोस आधार पर दिये गये हैं ।

आसनसोल के लोको शैड में दुर्घटना

7268 **श्री मुहम्मद इस्माइल:**
श्री उमानाथ:
श्री रमानी:
श्री अब्राहम:
श्री नायनार:
श्री ज्योतिर्मय बसु:

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 29 जून, 1967 को लोको शैड, आसनसोल में हुई एक दुर्घटना में एक कर्मचारी की मृत्यु हो गई थी तथा एक व्यक्ति को गम्भीर चोटें आई थीं;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना के क्या कारण थे;

(ग) क्या कर्मचारियों ने इस दुर्घटना के कारणों की न्यायिक जांच कराने की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो यह जांच कब आरम्भ की जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हां ।

(ख) अनुरक्षण और ओवर हाल अनुभाग के सामने के सिरे पर, इंजन को उठाते समय 45 टन भार वाली ऊपरी क्रेन की उत्थापक जंजीर टूट गयी जिसके फलस्वरूप यह दुर्घटना हो गयी ।

(ग) जी नहीं । फिर भी दुर्घटना के कारणों की जांच करने के लिए वरिष्ठ वेतनमान के तीन प्राधिकारियों की एक जांच समिति बनायी गयी है । समिति अपने निष्कर्षों को अन्तिम रूप देने के लिए जमालपुर से धातु कर्म रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रही है ।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

आसनसोल के लोको शैड में खराब क्रेन

7269 **श्री मुहम्मद इस्माइल:** **श्री रमानी:**
श्री ज्योतिर्मय बसु: **श्री उमानाथ:**

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 29 जून, 1967 को लोको शैड, आसनसोल में दुर्घटना होने से पहले कर्मचारियों ने इस वर्कशाप में काम में लाई जा रही खराब क्रेन के बारे में अधिकारियों से शिकायत की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्मचारियों की आलोचना/शिकायत के बावजूद अधिकारियों ने कर्मचारियों को काम करने के लिये बाध्य किया था;

(ग) क्या इस दुर्घटना के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और यदि हां, तो क्या; और

(घ) क्या दुर्घटना के शिकार हुए व्यक्तियों को पूरा प्रतिकर दिया गया था और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) मामले की जांच की जा रही है और जांच पूरी हो जाने के बाद यथावश्यक कार्यवाई की जायेगी ।

(घ) इस बात की व्यवस्था की जा रही है कि प्रतिकर के रूप में देय रकम पश्चिमी बंगाल के कर्मकार प्रतिकर आयुक्त के पास जमा कर दी जाये ।

पश्चिम जर्मनी को इंजीनियरी सामान का निर्यात

7270 **श्री नंजा गौडर:** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारतीय इंजीनियरी सामान के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये भारत और पश्चिमी जर्मनी ने एक संयुक्त परियोजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) पश्चिमी यूरोप, विशेषतया जर्मनी के गणराज्य

को भारतीय इंजीनियरी उत्पादों के निर्यात संवर्द्धन की एक परियोजना के ब्यौरे पर दोनों सरकारों के बीच बातचीत चल रही है।

(ख) परियोजना का मुख्य उद्देश्य जर्मन विशेषज्ञों के एक दल द्वारा कुछ भारतीय विपणन विशेषज्ञों को प्रशिक्षित कराना और उसके साथ ही उनसे 'सार्वजनिक सम्पर्क' कराना है। ताकि उस देश में भारतीय इंजीनियरी सामान की स्वीकृति के लिये मैत्रीपूर्ण वातावरण बन सके। हाल में जर्मन सरकार के प्रतिनिधियों के साथ हुई बातचीच में, अक्तूबर, 1967 से भारत में परियोजना शुरू करने के लिये एक अस्थायी कार्यक्रम तैयार कर लिया गया था। अभी इन निष्कर्षों का दोनों सरकारों द्वारा अनुसमर्थन किया जाना बाकी है।

उपभोक्ता वस्तु निगम

7271. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया:
श्री रा० बरुआ:

क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उपभोक्ता वस्तु निगम बनाने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस को सौंपे जाने वाले कृत्यों के बारे में कब तक अन्तिम निर्णय लिये जाने की सम्भावना है; और

(ग) इस निगम को किस-किस प्रकार के सामान के आयात । निर्यात का कार्य सौंपा जायेगा ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : मामले की अभी जांच हो रही है।

भारतीय ऊनी मिल संस्था

7272. श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :
श्री रा० बरुआ :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय ऊनी मिल संस्था ने ऊनी उद्योग को देश के लिये विदेशी मुद्रा कमाने वाला प्रमुख उद्योग बनाने के उद्देश्य से ऊनी उद्योग के आधार को सुदृढ़ करने के सम्बन्ध में हाल ही में सरकार को एक योजना प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इन सुझावों पर उनकी क्रियान्विति के लिये विचार कर लिया है।

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) 1. ऊनी उद्योग को वर्तमान की अपेक्षा अत्यधिक मूल्य के कच्चे माल के आयात की अनुमति मिलनी चाहिये। ऊन सम्बन्धी 48 करोड़ रु० के आयातित कच्चे

माल की मांग के बारे में उद्योग के अनुमान को स्वीकार कर लिया जाना चाहिये और यथासम्भव उसकी व्यवस्था की जानी चाहिये।

2. उत्पादन के प्रारूप वितरण तथा मूल्य-नियन्त्रण से सम्बन्धित सभी विनियम समाप्त कर दिये जायें।

3. उद्योग को निर्यात सहायता प्रदान की जाये और निर्यात नीति स्थायी होनी चाहिये तथा बार-बार परिवर्तित नहीं होनी चाहिये।

4. उद्योग को विदेशी मुद्रा के उधार तथा विनियोग को उपयोग द्वारा आधुनिकी करण करने की अनुमति दी जानी चाहिये।

5. ऐसी कार्याविधि को सुचारु रूप से लागू किया जाय जिससे उद्योग निर्यात पर लगने वाले शुल्क की वापिसी शीघ्र ही प्राप्त करने में समर्थ हो सके।

6. निर्यात द्वारा उपार्जन बढ़ाने के उद्देश्य से कालीन उद्योग का विकास होना चाहिये। कच्ची ऊन का निर्यात करने की अपेक्षा कालीन के धागे तथा कालीनों के निर्यात की व्यवस्था की जानी चाहिये।

(ग) भारतीय ऊनी मिल संघ द्वारा प्रस्तुत अनेक प्रकार के सुझावों पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

Export of Tinned Foodstuffs

7273. Shri Gunanand Thakur :
Shri Molahu Prasad :
Shri Sheopujan Shastri :
Shri Ram Charan :

Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) the quantity of tinned foodstuffs exported during the last five years and the value thereof; and

(b) the quantity of wheat and other foodgrain used in the said tinned foodstuffs ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) and (b) :

Export of Tinned Foodstuffs

Year	Quantity (M. Tonnes)	Value in (000' Rs.)	Quantity of wheat and other foodgrains used. (M. Tonnes)	
1962-63	2272	4265	350	(Approx)
1963-64	2719	4581	375	,,
1964-65	2387	6694	425	,,
1965-66	3697	7719	500	,,
1966-67	3413	8457	300	,,

Parliament Assistants

7274. Shri Gunanand Thakur :
Shri Molahu Prasad :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Ram Charan :
Shri Sheo Pujan Shastri :

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of posts of Parliament Assistants in his Ministry;

(b) the number of incumbents of the said posts and since when they have been working against them;

(c) whether any persons have been working against the said post for more than three years;

(d) if so, whether Government propose to transfer such persons in accordance with the orders of the Home; Ministry and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) There are two posts of Parliament Assistants in the Department of Industrial Development and one in the Department of Company Affairs.

(b) Three. One of the incumbents has been working since 1957 and the other since February 1965. The third Assistant is holding the post since June 1964, in the Department of Company Affairs which is now part of this Ministry.

(c) Yes, one in the Department of Industrial Development and another in the Department of Company Affairs,

(d) and (e) : Ministry of Home Affairs' orders stipulate that except where the interests of efficiency of the work dictate, otherwise appointments to such posts should be made by rotation from amongst qualified and capable persons, the period of rotation not exceeding three years. In the interest of efficiency of work, it has not so far been possible to transfer either of the two incumbents who had been Parliament Assistant for more than three years. The matter is under review.

Parliament Assistants in the Ministry of Railways

7275. **Shri Gunanand Thakur** :
Shri Molahu Prasad :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Ram Charan :
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number of posts of Parliament Assistants in his Ministry;

(b) the number of incumbents of the said posts and since when they have been working against them;

(c) whether there are some persons who have been working against the said posts for more than three years;

(d) if so, whether Government propose to transfer such persons in accordance with the orders of the Home Ministry; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) Three.

(b) Three—one from May, 1959.
one from February, 1962.
one from July, 1962.

(c) Yes.

(d) Necessary action is being taken.

(e) Does not arise.

Imports

7276. **Shri Gunanand Thakur** :
Shri Molahu Prasad :
Shri Sheopujan Shastri :
Shri Ram Charan :

Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether it is a fact that while making imports of required articles, the Government of India and the private companies in India are forced by foreign Governments and foreign companies to import in addition certain articles which are not required; and

(b) if so, the nature of such articles not required by Government and private Companies which were imported during the last five years ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) Government is not aware of any such instance.

(b) Does not arise.

Closure of Textile Mills

7277. Shri Ram Charan :
Shri Molahu Prasad :
Shri Gunanand Thakur :
Shri Sheopujan Shastri :

Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the textile mills work only on five days in a week;

(b) if so, whether Government propose to make use of indigenous cotton instead of foreign cotton;

(c) if not, the reasons therefor; and

(d) the extent of loss in terms of wages and man-hours due to the closure of mills ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) to (d) : In view of inadequate availability of domestic raw cotton textile mills producing yarn or cloth made out of cotton and/or staple fibre are at present required to close for an extra day every alternate week. The industry already consumes both indigenous and foreign cotton, and every effort is being made to augment the available supplies by the import of cotton on a larger scale than during 1965-66.

As regards wages, workers are paid lay-off compensation at 50 percent of the wages for the day of extra closure. The loss in terms of wages works out to one day's wage in a month which is calculated to be approximately Rs. 6 million. The loss of man-hours on this account works out to nearly 8 million man-hours per month.

Manufacture of Stainless Steel Utensils

7278. Shri Ram Charan :
Shri Molahu Prasad :
Shri Gunanand Thakur :
Shri Sheopujan Shastri :

Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the stainless steel sheets used in manufacturing stainless steel utensils being sold in the market and Super Bazar of Delhi are imported from abroad; and

(b) if not, the place from where these utensils are brought or whether the sheets are manufactured in India itself ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) Yes, Sir.

(b) The stainless steel sheets are not manufactured in India.

Export of Bananas

7279. Shri Ram Charan :
Shri Molahu Prasad :
Shri Gunanand Thakur :
Shri Sheopujan Shastri :

Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether it is a fact that our country is sustaining heavy loss in the export of bananas;

(b) if so, the extent of loss sustained by Government and different private parties separately in the export of bananas during the year 1965-66;

(c) whether Government propose to limit the export of bananas; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) There had been a loss in the experimental export of bananas by the State Trading Corporation to new markets like U. S. S. R.

(b) Export of bananas to U. S. S. R. was made by the S. T. C. The total loss which included developmental expenditure, incurred during 1965-66 on export of 1143 tonnes of bananas was of the order of Rs. 6,49,757. Information as to whether any loss was incurred by the private parties on export of bananas is not available.

(c) No, Sir.

(d) Exports are negligible as compared to the production of bananas in the country and they do not affect internal supplies.

उत्तर रेलवे के नैरो गेज सैक्शनों पर सुविधायें

7280. श्री हेम राज : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1967-68 में उत्तर रेलवे के विभिन्न डिवीजनों में नैरो गेज सैक्शनों पर (सैक्शनवार) क्या-क्या सुविधायें प्रदान करने का विचार है तथा उन पर कितना धन खर्च करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1251/67]

Manufacture of Scooters

7281. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister of Industrial Development and Company Affairs be pleased to state :

(a) whether the Gujarat Small Scale Industries Corporation has applied to the Central Government for the grant of Industrial licence to manufacture Scooters;

(b) if so, the nature of the decision taken by Government thereon;

(c) with whose collaboration the proposed factory would be set up and the estimated cost thereof as also the foreign exchange involved therein;

(d) the annual production capacity thereof and the time by which production would start; and

(e) the comparative figures regarding production capacity, foreign exchange content and selling price in respect of applications given by other industrialists for the grant of licence to manufacture scooters ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) Yes.

(b) This scheme along with some other schemes for the manufacture of scooters is still under consideration of Government.

(c) to (e) : As the application of the Gujarat Small Scale Industries Corporation and the other applications under reference are still under consideration and no decision has yet been taken on them, it is not considered appropriate to divulge these details at this stage.

Export of Tea

7282. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the export of tea particularly to U.K., U. S. S. R., U. A. R. and Australia has shown considerable fall during the period from July 1966 to June 1967;

(b) the figures in respect of tea export to various countries and the loss in terms of foreign exchange incurred due to this decline;

(c) whether it is also a fact that tea export from Pakistan to these countries has increased; and

(d) if so, the steps taken to meet the increasing competition from Pakistan in this field ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) : (a) to (d) : The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

नेपाल के साथ व्यापार

7283. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 8 दिसम्बर, 1966 को सरकार ने नेपाल सरकार के साथ एक व्यापार करार किया था ;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय उत्पादन-शुल्क के बदले में लगाये जाने वाले अतिरिक्त शुल्क को हटाने के लिये सरकार सहमत हो गई थी;

(ग) यदि हाँ, तो इस करार का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसे क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी, हां । दोनों देशों के बीच व्यापार 1960 में हुई व्यापार तथा पारगमन सन्धि के उपबन्धों के अन्तर्गत विनियमित होता है ।

(ख) से (घ) दिसम्बर, 1966 में काठमंडू में, महामहिम की नेपाल सरकार तथा भारत सरकार के प्रतिनिधियों के बीच हुई बातचीत के परिणाम स्वरूप, कुछ शर्तों के अधीन, यह करार हुआ था कि भारत को कुछ नेपाली निर्मित वस्तुओं के निर्यात के सम्बन्ध में, प्रति शुल्क प्रभारों को, अर्थात् भारतीय उत्पादन-शुल्क के बदले में लगाये जाने वाले अतिरिक्त शुल्क को हटा दिया जाये । इस करार के फलस्वरूप किसी अतिरिक्त शुल्क के लगाये बिना नेपाल से दियासलाइयों के आयात की अनुमति दी जा रही है । महामहिम की नेपाल सरकार से परामर्श करके कुछ अन्य नेपाल निर्मित वस्तुओं के आयात पर से अतिरिक्त शुल्क हटाने के सम्बन्ध में व्यवस्था की जा रही है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE
दिल्ली में कुछ बड़े उपभोक्ताओं को सीधे केन्द्रीय सरकार द्वारा बहुत अधिक मात्रा में चीनी का आवंटन किया जाना

Shri O. P. Tyagi (Moradabad) : Sir, I call the attention of the Minister of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation to the following mattor of Urgent Public Importance and request that he may make a statement thereon :

"Allotment of large quantity of sugar directly by the Central Government to some bulk consumers in Delhi."

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : जैसा कि सदन को मालूम है, हम विभिन्न राज्यों को चीनी के मासिक कोटे आवंटित कर रहे हैं। उत्पादन में कमी होने के कारण इन कोटों में दो बार पहली बार मार्च में और दूसरी मई, 1967 में कटौती करनी पड़ी। दोनों बार कटौती करते समय हमने राज्य सरकारों से अनुरोध किया था कि वे आन्तरिक वितरण प्रबन्धों में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर लें। उन्हें यह सलाह दी गयी थी कि घरेलू उपभोक्ताओं को चीनी देने में प्राथमिक देनी चाहिये और उनके कोटे में यथा सम्भव थोड़ी कटौती करने के प्रयत्न करने चाहिये। तदनुसार राज्य सरकारों ने अधिक खपत करने वाले उपभोक्ताओं के कोटों में अपेक्षाकृत अधिक कटौती की और घरेलू उपभोक्ताओं के कोटों में अपेक्षाकृत कम कटौती की।

1. सरकार ने यह अनुमान लगाया था कि चीनी के कोटे में कटौती करने से राज्य सरकारों की अधिक खपत करने वाले उपभोक्ताओं को चीनी की सप्लाई करने की क्षमता घट जाएगी। अत: वर्ष भर में उपलब्ध चीनी की सप्लाई के वितरण की योजना बनाते समय मिठाई बनाने वाले, बिस्कुट बनाने वाले, फल-परिरक्षक, जाम, सक्वेश तथा खाद्य पदार्थ तैयार करने वाले जैसे अधिक खपत करने वाले उपभोक्ताओं के लिये कुछ चीनी की मात्रा निर्धारित कर दी गयी थी। निर्यात के लिये माल तैयार करने वाले यूनिटों के लिये एक विशेष कोटा भी आरक्षित रखा गया था। उद्देश्य यह था कि निर्यात होता रहे और वर्तमान उद्योगों की गतिविधियों का न्यूनतम स्तर बना रहे। अपने उत्पादों में शीघ्र खराब होने वाले फलों तथा चीनी का प्रयोग करने वाले उद्योगों की ओर विशेष ध्यान देना पड़ता है। यदि इन कारखानों के चीनी के कोटों में भारी कटौती की गयी तो ये कारखाने आंशिक अथवा पूर्णत: बन्द हो जाएंगे जिससे बेरोजगारी फैलेगी।

3. अप्रैल, 1967 में यह सरकार के ध्यान में लाया गया था कि राज्य सरकारों ने ऊपर उल्लेखित विभिन्न श्रेणियों के यूनिटों के चीनी के कोटों में भारी कटौती कर दी थी। यह भी बताया गया था कि जब तक केन्द्रीय सरकार फल परिरक्षण यूनिटों को सीधे चीनी के कोटे आवंटित नहीं करती तब तक ये यूनिट मौसम के फलों का प्रयोग नहीं कर पायेंगे। इस क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियां बनाए रखने और मौसम के फलों का पूरा पूरा उपयोग करने की दृष्टि से सरकार ने इन उद्योगों को चीनी का आवंटन करने का निर्णय किया है।

श्री कंडप्पन (मेटूर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। विवरण में बताया गया है कि अप्रैल, 1967 में यह बात सरकार के ध्यान में लाई गई थी कि राज्य सरकारों ने ऊपर उल्लिखित विभिन्न श्रेणियों के यूनिटों के चीनी कोटों में भारी कटौती कर दी थी। मेरा प्रश्न यह है कि

राज्य सरकारें भी इस बात को ध्यान में रखती हैं कि उद्योगों को अत्यावश्यक चीजें बनाने में कठिनाई न आये। फिर इस बात को ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि केन्द्रीय सरकार वितरण अधिकार स्वयं रखना चाहती है।

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : Sir, I also want to say something on this point of order. I want to submit that rationing and distribution part therein is a subject of the State Governments under Delhi Administration Act as well as under the constitution and the Central Government can not interfere in that May I therefore know why the Central Government has interfere in the right of States by doing so ?

अध्यक्ष महोदय : यह भी व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। इसका भी उत्तर नहीं दिया जा सकता।

श्री शिवाजीराव शंदेश मुख (परमणी) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न ध्यान दिलाने वाली सूचना में दिये गये शब्दों और उसके उत्तर में माननीय मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर के बारे में है। सूचना में लिखा है 'दिल्ली में कुछ एक बड़े उपभोक्ताओं को सीधे केन्द्रीय सरकार द्वारा बहुत अधिक मात्रा में चीनी का आवंटन किया जाना' अतः सूचना में केवल दिल्ली क्षेत्र का उल्लेख ही किया गया है परन्तु उत्तर अखिल भारतीय स्तर पर दिया गया है।

Shri O. P. Tyagi : May I know whether it is not a fact that under the Essential Commodities Act it is only the Chief Controller of Rationing who has the authority to distribute any commodity of rationing and no other officer can distribute it without his prior permission. May I know then whether it is not a fact that the Central Government has given sugar in large quantities to many businessmen of Delhi, without the knowledge of any officer of Delhi Administration or even the Controller of rationing'? If it is so then may I know way the Chief Controller of rationing or any other officer of Delhi Administration was not consulted and secondly I would like to know the names of the parties to whom this quota was allotted and the quantity thereof and thirdly I would like to know whether the Central Government has not taken this step knowingly with a view to make rationing in Delhi and Punjab a moss ? If not, the action taken or proposed to be taken against the officers responsible for it ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्यों को गलत फहमी हो गई है। मैं स्थिति स्पष्ट कर देता हूं। पहला प्रश्न यह उठाया गया था कि क्या केन्द्रीय सरकार ऐसा कोटा निर्धारित कर सकती है ? इस सम्बन्ध में 1966 के चीनी नियंत्रण आदेश की धारा 9 बिल्कुल स्पष्ट है। इस धारा के अनुसार केन्द्रीय सरकार अथवा मुख्य निदेशक समय समय पर किसी भी उत्पादक अथवा अधिकृत व्यापारी को हिदायतें जारी कर सकता है कि अमुक ग्रेड की इतनी इतनी चीनी अमुक व्यक्ति अथवा संस्था को इतने मूल्य पर सप्लाई कर दी जाये। यह बात केवल दिल्ली में नहीं होती है। इस प्रकार से हम लगभग 12 राज्यों में प्राथमिकता प्राप्त कुछ उद्योगों को चीनी का वितरण करते हैं। उदाहरणार्थ हम बम्बई और पूना में, जो राशन वाले क्षेत्र ही हैं, ऐंटीबायोटैक्ट फैक्टरी को चीनी का कोटा दे रहे हैं। इसी तरह से फल परिरक्षण उद्योग भी है। इस उद्योग में लगभग 1,20,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं और हमें 1·3 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा मिल रही है। इस उद्योग से हमारी प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकतायें भी पूरी हो रही हैं। इसलिये सरकार यह समझती है कि राज्यों के कोटे में कटौती करने से ऐसे उद्योग पर प्रति-

कूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये। इसलिये माननीय सदस्य मेरे से सहमत होंगे कि हमने जो कोटा नियत किया है वह उचित ही है।

Shri Hardayal Devgun (East Delhi) : Information regarding Delhi should be given first.

अध्यक्ष महोदय : आप सब इस तरह हस्तक्षेप न करें। ऐसा करने से किसी की समझ में कुछ नहीं आयेगा।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : यह कार्यवाही केवल दिल्ली प्रशासन को अपमानित करने के लिये की गई है। इसलिये हम दिल्ली निवासी चाहते हैं कि हमें स्पष्ट उत्तर दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : दिल्ली के और भी बहुत से सदस्य हैं। माननीय मंत्री को उत्तर देने दिया जाये और फिर यदि किसी बात पर आपत्ति हो तो प्रश्न पूछा जा सकता है।

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : मैं यह कह रहा था कि हम केवल दिल्ली में ही कोटा निर्धारित नहीं करते हैं। फल परिरक्षण उद्योग के लिये हमने कुल 1,196 बोरियां नियत की हैं।

Shri O. P. Tyagi : The hon. Minister has already given all these details in the statement. He should give information regarding Delhi.

अध्यक्ष महोदय : अब आप दिल्ली के बारे में कहें।

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : मैं उसी पर आ रहा हूं। एक माननीय सदस्य ने कहा था कि हमने दिल्ली प्रशासन को बताया नहीं था। राशन (नियंत्रण) आदेश के अनुसार दिल्ली में चीनी का आयात करने के लिये दिल्ली प्रशासन की अनुमति लेनी जरूरी होती है। किसी पार्टी को कोटा देने के लिये भी दिल्ली प्रशासन की अनुमति लेनी पड़ती है। हमने ऐसी अनुमति दिल्ली प्रशासन से मांगी थी और उसने हमें ऐसी अनुमति दी भी है। इसलिये माननीय सदस्य का यह आरोप निराधार है।

जब चीनी का कोटा घटाया गया था तो हमने दिल्ली राशनिंग प्राधिकारियों से पूछा था कि बड़े उपभोक्ताओं का कितना कोटा घटाया गया है और हमें उससे एक पत्र भी मिला है कि बड़े उपभोक्ताओं का कितना कोटा घटाया गया है।

तीसरी बात यह पूछी गई थी कि किस किस पार्टी को कोटा दिया गया है। दिल्ली में ऐसी 17 पार्टियां हैं जिनको कोटा दिया जा रहा है। मैं उनके नाम सभा पटल पर रखने को तैयार हूं क्योंकि मुझे उनके बारे में कुछ नहीं छिपाना है।

अब एक प्रश्न कोका कोला के बारे में रह गया है। हम कोका कोला को वाणिज्य मंत्रालय तथा निर्यात संवर्द्धन परिषद् की सलाह से अधिक कोटा देते हैं। इसका कारण यह है कि कोका कोला कम्पनी को कोका कोला बनाने के लिये कुछ चीजों का आयात करने के हेतु विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है। भारत सरकार ने यह शर्त लगा रखी है कि यह कम्पनी स्वयं विदेशी

मुद्रा अर्जित करे और उसमें से कुछ विदेशी मुद्रा उसे ऐसी चीजें आयात करने के लिये दे दी जायेगी ।

Shri O. P. Tyagi : I had asked why the Delhi Administration was not given information regarding the allotment of bulk quota to bulk consumers. In this way Delhi Administration is being ignored. I would therefore like to know on what grounds quota is being allotted to industries directly ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जब मुख्य कार्यवाही पार्षद द्वारा यह बात खाद्य तथा कृषि मन्त्री के ध्यान में लाई गई तो वह इस बात से सहमत हो गये कि भविष्य में किस भी राज्य में राज्य सरकार को सूचित किये बिना चीनी का कोटा नहीं दिया जायेगा ।

श्री विश्वम्भरन (त्रिवेन्द्रम) : यह बताया गया है कि 17 फर्मों को जून में अधिक कोटा दिया गया है । मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने अपनी जान-पहचान वाली फर्मों को अधिक कोटा देने के लिये दिल्ली प्रशासन की अवहेलना करके सीधे चीनी का वितरण करने की जिमेदारी अपने ऊपर ली है ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : माननीय सदस्य को गलत फहमी हो गई मालूम पड़ती है । कोटा महीनेवार निर्धारित नहीं किया जाता है बल्कि 3 या 4 महीने में एक बार निर्धारित किया जाता है । अतः जून में जो कोटा दिया गया था वह केवल जून का हीं नहीं था ।

Shri Kanwar Lal Gupta : Sir, it is not correct to say that Delhi Administration was informed. The fact is that the hon. Minister had given a word to the Chief Executive Councillor that the quota of sugar for Delhi will be enhanced from 60 thousand to 63 thousand quintals. When the enhanced quota was not supplied then on the information sought for it was told that some quota is given to the consumers directly. Then the whole position became clear.

Secondly, the hon. Minister has admitted that Coca Cola was given a quota of 2490 quintals per week while Delhi Administration had fixed 78 quintals a week. Similarly Hamdard Dawakhana was given 673 quintals in stead of 55 quintals.

So may I know whether these firms are not being given political patronage. Whether it is also not a fact that the Central Government has never informed the Delhi Administration that so much quota is being given to these firms ? May I know whether Government propose to take any steps now to do this only in consultation with the State Governments ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : मेरा निवेदन यह है कि इन फर्मों को कोटा देते समय राजनैतिक आधार को ध्यान में नहीं रखा गया है । इसके लिये हमने एक सिद्धान्त बना रखा है । जिस किसी फर्म की चीनी की लागत प्रति वर्ष 100 बोरी से ज्यादा होती है, तथा कृषि विपणन सलाहकार के अनुसार भारत में ऐसी 104 फर्में हैं, तो ऐसी हर फर्म को कोटा दिया गया है ।

जहाँ तक हमदर्द दवाखाने का सम्बन्ध है यह फर्म भी फल परिरक्षण उद्योग के अन्तर्गत आती है । तथा यह कृषि विपणन सलाहकार द्वारा दिये गये लाइसेंस के अन्तर्गत चल रही है ।

इसमें रूह-अफज्जा शर्बत बनता है। इसके कारण इसे फल परीक्षण उद्योग माना गया है। हम हमदर्द दवाखाने की अन्य जरूरतों को पूरा नहीं कर करते हैं।

Shri Kanwar Lal Gupta : May I know whether State Governments will be consulted or not in future as regards equitable distribution ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जहां तक राज्य सरकारों को निर्धारित चीनी के कोटे का सम्बन्ध है राज्य सरकारें अपनी विवेक से चीनी का वितरण नहीं कर सकती हैं।

Shri Kanwar Lal Gupta : May I know whether the State Government will be consulted in future as regards the allotment of quota ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : बहुत सी फर्में अपना माल सारे देश में भेजती है। इसलिये चीनी की कमी के समय राज्य सरकारे ऐसी फर्मों के माल को बाहर भेजना नहीं चाहेंगी। भारत सरकार को इस बात को भी ध्यान में रखना पड़ता है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

ट्रैक्टर (मूल्य नियन्त्रण) आदेश के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफी कुरेशी) : श्री फखरूद्दीन अली अहमद की ओर से मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

(1) ट्रैक्टर (मूल्य नियन्त्रण) आदेश 1967 की धारा 4 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2372 की एक प्रति जो दिनांक 11 जुलाई, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० 1242/67]

(2) 'आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर काम आ सकने वाली स्वदेश वस्तुओं का प्रयोग' के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 105 पर पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में 26 मई, 1967 को दिये गये एक आश्वासन के अनुसरण में, उन उद्योगों के नाम बताने वाली एक सूची जिनमें मांग की कमी की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा उपचारी कार्यवाही की गई है।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० 1243/67]

कुछ माननीय सदस्य उठे

अध्यक्ष महोदय : डा० चन्ना रेड्डी

लोहा तथा इस्पात नियन्त्रक के संगठन सम्बन्धी अध्ययन दल का प्रतिवेदन

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री डा० (चन्ना रेड्डी) : मैं लोहा तथा इस्पात नियन्त्रक के संगठन सम्बन्धी अध्ययन दल के प्रतिवेदन (भाग 2) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० 1244/67]

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, अभी ध्यान दिलाने वाली सूचना पर चर्चा समाप्त नहीं हुई है। हम उसके बारे में एक बात कहना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं हर एक को अनुमति नहीं दे सकता।

श्री बलराज मधोक : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न था।

अध्यक्ष महोदय : आप जब चाहें इस तरह खड़े नहीं हो सकते। आप अपने प्रश्न को किसी और रूप से उठा सकते हैं।

श्री बलराज मधोक : माननीय मन्त्री को उचित उत्तर देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप संतुष्ट नहीं है तो आप अपने प्रश्न को आधे घण्टे की चर्चा के रुप में पूछ सकते हैं।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : मैं ने विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में नोटिस दिया था।

अध्यक्ष महोदय : इसके तुरन्त बाद उसे लिया जायेगा श्री शफी कुरेशी।

ऊनी कपड़ा (उत्पादन तथा वितरण नियन्त्रण) पहला संशोधन आदेश

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : अध्यक्ष महोदय मैं अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत ऊनी कपड़ा (उत्पादन तथा वितरण नियन्त्रण) पहला संशोधन आदेश, 1967 की एक प्रति, जो दिनांक 8 जुलाई, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2256 में प्रकाशित हुआ था, सभा पटल पर रखता हूं।

[**पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० 1245/67**]

राज्य सभा से सन्देश
MESSAEGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : अध्यक्ष महोदय, मुझे राज्य सभा को सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है :

"कि लोक-सभा द्वारा 22 जुलाई, 1967 को पास किये गये विनियोग (संख्या 2) विधेयक 1967 के बारे में राज्य सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

संसद कार्य तथा संचार मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) : मुझे यह सूचना देनी है कि सोमवार 31 जुलाई से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा—

(1) चाय (संशोधन) विधेयक, 1967।

(विचार तथा पारित करना)

(2) बाट और माप मानक (जिला कोहिमा और मोकोकचुंग पर विस्तारण)

(विधेयक, 1967 विचार तथा पारित करना)

(3) वर्ष 1964–65 के लिए अतिरिक्त अनुदानों (रेल्वे) की मांगों पर चर्चा तथा मतदान ।

(4) समाज कल्याण राज्य मन्त्री द्वारा एक प्रस्ताव पेश किये जाने पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के वर्ष 1964–65 और 1965–66 के प्रतिवेदनों पर चर्चा ।

(5) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) विधेयक 1967

(विचार तथा पारित करना)

(6) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक, 1966 को संयुक्त समिति को सौंपने की राज्य सभा की सिफारिश से सहमति के लिए प्रस्ताव पर विचार ।

(7) बुधवार, 2 अगस्त, 1967 को 4. 30 बजे म० प० पर पुलिस बल (अधिकारों का निर्बन्धन) नियम, 1966 के रद्द किये जाने के लिए प्रस्ताव, जिसकी सूचना सर्व श्री स०मो० बनर्जी और मधु लिमये द्वारा दी गई थी, पर विचार ।

(8) शुक्रवार, 4 अगस्त 1967 को प्रश्नों के निपटाये जाने के पश्चात् डा० राम मनोहर लोहिया द्वारा एक प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने पर व्यक्तिगत व्यय की अधिकतम सीमा पर चर्चा ।

नियम 377 के अन्तर्गत विषय
MATTERS UNDER RULE 377

मध्य प्रदेश के आय-व्ययक का लोक सभा में प्रस्तुत करने के लिये तथाकथित मुद्रण

Shri A. B. Vajpayee (Balrampur): With your permission, Sir, I rise to invite your attention to a matter of public importance under Rule 377.

The Ledear of the the oppcsition Party in the Madhya Pradesh Legislative Assembly has sent a telegraph to me and my other collegues levelling this serious charge against the State Government that the Budget of Madhya Pradesh State was being printed by them for presentation to Parliament.

The situation is this, the State Legislative Assembly is meeting to-day and the party strength is yet to be tested. It is a very serious state of affairs that the State Governmont is taking this tep in anticipation of the dissolution of the Assembly irrespective of the decision the Assembly might take in this behalf. The matter is very grave, the whole process of democracy is being scuttled and it is a gross violation of provisions the constitution. I feel constrained, Sir, to add that the Central Government all appears to be in complicity with the State Governmont, directly or indirectly.

In view of what we have learnt from a reliable source, I would request the Home Minister to make a categorical statement thereon.

श्री नाथ पाई (राजापुर) : इस सम्बन्ध में मुझे जो तार मिले हैं उनमें बड़ी गम्भीर बातें कही गई हैं। मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री श्री मिश्रा ने बार-बार यह धमकी दी है कि यदि उनकी पराजय हुई अर्थात् यदि विधान सभा मुख्यमंत्री के विरुद्ध अपना अविश्वास प्रकट करने के संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करेगी, तो वह विधान सभा को विघटित करवा कर मध्यावधि चुनाव करवायेंगे। मुझे प्राप्त तार में आगे यह भी कहा गया है "कांग्रेसी विधायक हिंसक कार्यवाही की योजना बना रहे हैं ताकि वह इस बहाने विधान सभा का विघटन करवा सकें। एक लेखानुदान तैयार किया जा रहा है और इस संसद में प्रस्तुत किये जाने के लिये ग्वालियर स्थित सरकारी मुद्रणालय में उसे छापा जा रहा है।"

यदि इन सब बातों में थोड़ी सी सच्चाई हो, तो इसका यह अर्थ हुआ कि मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री लोकतन्त्र की सम्पूर्ण प्रक्रिया का गला घोंट रहें है और ऐसी स्थिति में केन्द्रीय सत्ता को चाहिए कि वह अनुच्छेद 256 तथा 355 के अन्तर्गत अपने उत्तरदायित्व का पालन करें। इन अनुच्छेदों में यह कहा गया है कि केन्द्र के लिये यह देखना जरूरी है कि प्रत्येक राज्य अपने अधिकारों का प्रयोग संविधान के उपबन्धों के अनुसार कर रहा है और उसका (केन्द्र) यह कर्तव्य माना गया है कि वह प्रत्येक राज्य की आन्तरिक गड़बड़ी तथा वाह्य आक्रमण से रक्षा करे। राज्यपाल का भी यही कर्तव्य है कि वह अनुच्छेद 159 के अन्तर्गत संविधान की रक्षा करे।

गृह–कार्य मन्त्री, श्री चव्हाण को इस मामले में हस्तक्षेप करना जरूरी है तथा मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री को यह निर्देश देना जरूरी है कि वह विधायकों को धमकी न दे, शंका, आंतक तथा धमकी का वातावरण उत्पन्न न करे, मन्त्रालय विघटित न करें और राज्यपाल से विधान सभा विघटित करने तथा अनुचित मध्यावधि चुनाव कराने का आग्रह न करें।

गृह-कार्य मंत्री : हमें इस बारे में न तो सरकारी तौर पर कोई सूचना मिली है और न कथित तार ही मिला है। किन्तु मुझे आधी रात के समय टेलीप्रिन्टर से तार के बारे में पता लगा है।

श्री रंगा (श्री काकुमल) गृह-कार्य मन्त्री को इस सम्बन्ध मे अब तक पूरी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए थी। समाचार पत्रों में ये खबरें प्रकाशित हो चुकी हैं, जो कुछ अफवाहें फैल रही हैं, यदि वे सब सच निकलें, और राज्य विधान सभा में गड़बड़ी पैदा हो जाये और ऐसी स्थिति में उसे किसी निर्णय पर पहुँचने का अवसर न मिले, तो हम इन सब बातों के लिये राजनैतिक, नैतिक तथा संवैधानिक तौर पर भारत सरकार को ही जिम्मेदार ठहरायेंगे।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : क्या गृह-कार्य मन्त्री ने इस बारे में कोई पूछ-ताछ की है, और यदि नहीं, तो क्यों ?

अध्यक्ष महोदय : गृह-कार्य मन्त्री का कहना है कि उन्हें इस बारे में पता लग गया है, मैं इसे नियम 377 के अन्तर्गत स्वीकार करता हूँ ताकि मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में जांच करके बाद में सभा को जानकारी दें, यदि माननीय सदस्य कुछ जानकारी दे सकते हैं, तो मैं भी बाद में इस मामले पर विचार करूंगा।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व) : ऐसे शोर-गुल तथा अव्यवस्था के समय मैं आमतौर पर हस्तक्षेप नहीं करता। किन्तु जब सरकार को ऐसी किसी स्थिति का पता लगता है, तो इस संसद में सदस्यों का यह आशा करना उचित तथा स्वाभाविक है कि सरकार उन्हें यथार्थता से अवगत कराये। लेकिन सरकार यह कहकर कि हमें कोई सूचना नहीं मिली है, टाल-बराई करने की कोशिश करती है। इन समाचारों से इस बात का संकेत मिलता है कि संसदीय औचित्यों तथा राजनैतिक आचरण के भद्र व्यवहार का पतन हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, अधिकांश यही देखा जाता है कि सरकार संसद की अवहेलना करती है अथवा उसके प्रति उदासीन रवैया अपनाती है और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस सरकार से उचित रूप से व्यवहार करने को कहें।

गृह-कार्य मंत्री(श्री यशवन्त राव चव्हाण) : जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि विधान सभा को विघटित किये जाने की पूर्व आशा में ग्वालियर में राज्य आय-व्ययक छप रहा है, कोई भी बजट जो कि लोक-सभा में पेश किया जाता है, उसका मुद्रण तो केन्द्रीय सरकार को ही करवाना होता है और यहीं करवाना होता है। ऐसे आय-व्ययक का मुद्रण अन्यत्र कहीं नहीं हो सकता।

जहां तक संसद में मध्य प्रदेश के बजट को प्रस्तुत करने का सम्बन्ध है, वास्तव में यह प्रश्न तो उठता ही नहीं; क्योंकि राज्य विधान-मंडल अभी कार्य कर रहा है और उसकी आज बैठक हो रही है।

इस सम्बन्ध में हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि कोई ऐसी स्थिति पैदा हो रही है। मैं इस बारे में संसद को तब तक कोई सूचना नहीं दे सकता जब तक कि मैं राज्य सरकार से पूछ-ताछ नहीं कर लेता। जहां तक दूसरी सूचना का सम्बन्ध है, मुझे लगभग आधी रात के समय टेलीप्रिन्टर से तार के बारे में पता चला है।

मैं इस सम्बन्ध में तथ्यों का पता लगा रहा हूँ :

---

27 जुलाई 1967 को सभा में एक सदस्य द्वारा जूता दिखाया जाना

श्री नाथ पाई (राजापुर) : कल वित्त विधेयक पर खण्डशः विचार करते समय सभा में लगभग 5 बजे (मध्यान्होपरान्त) जो कुछ हुआ, उस मामले को मैं न चाहते हुए भी दुःख के साथ उठा रहा हूँ।

मैंने नियम 222 के अन्तर्गत इस सभा के एक माननीय सदस्य श्री एन० एन० पटेल के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव दिया था किन्तु आपने मुझे इस मामले को नियम 377 के अन्तर्गत उठाने की अनुमति दी है। वास्तव में इस मामले को नियम 222 के अन्तर्गत प्रश्न काल के तुरन्त बाद ही उठाये जाने की अनुमति दी जानी चाहिए थी।

सम्बन्धित सदस्य महोदय के प्रति मेरी कोई बुरी भावना नहीं है, उनके प्रति मेरी आदर की भावना है, किन्तु मेरा मतलब केवल इस सभा की कार्यवाही अथवा पूर्वोद्धारण से जो कि हम यहां कायम करते हैं जिसका देश के सभी राज्य विधान मंडलों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कल सभा की कार्यवाही के दौरान श्री एन० एन० पटेल ने जूता उतारा और उसे दिखाकर कहा "यह जूता है....." जिसका श्री मधु लिमये ने विरोध किया, इसी समय श्री स० मो० बनर्जी ने सभा में प्रवेश किया और श्री पटेल की कार्यवाही की प्रतिक्रिया स्वरूप, जैसा कि उन्होंने मुझे थोड़ी देर पहले बताया, अपना चप्पल उतारा और कहा "यह चप्पल है....."श्री बनर्जी के अनुसार उनका उद्देश्य केवल श्री पटेल को ऐसे व्यवहार से निरुत्साहित करना था। अतः मैंने भी बनर्जी का नाम इस प्रस्ताव में शामिल नहीं किया।

ऐसा जरूर हो सकता है कि श्री पटेल का अभिप्राय किसी के प्रति निरादर दिखाने का न रहा हो फिर भी जूतों का अपना उचित स्थान अलग है। संभवतः माननीय सदस्य का कोई इरादा न हो, तो भी यह बात अच्छी नहीं है और एक खतरनाक निन्दनीय प्रथा है और इस सभा के लिये घोर उपहास तथा निन्दा की बात है और लज्जाजनक घटना है जिससे हमारे देश वासियों की हमारे तथा इस सभा के प्रति निष्ठा समाप्त हो जायेगी और वे हमें क्षमा नहीं करेंगे। मैं इस बात से अधिक बेचैन हूँ।

समाचार पत्रों में इस घटना का "सभा में जूता दिखाया गया" शीर्षक के अन्तर्गत उल्लेख आया है। माननीय सदस्य का इरादा चाहे बुरा न हो, फिर भी इस बात की घोर भर्त्सना, निन्दा तथा आलोचना करना जरूरी है और मुझे आशा है कि सम्पूर्ण सभा मेरी इस बात से सहमत होगी; क्योंकि इसमें पार्टी अथवा व्यक्ति विशेष का प्रश्न नहीं अपितु सम्पूर्ण सभा तथा उसके मान एवं गौरव का प्रश्न है। हमें स्वस्थ परम्परा कायम करनी चाहिए अन्यथा राज्य विधान सभाओं का वातावरण और भी दूषित तथा कलुषित होने का खतरा है।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : Sir, I had no intention to show any disrespect to anyone. It so happened that my hon. friend Shri N.N. Patel took out his shoe and showed it in the House with a view to prove what he had said about it or its cost. Sir, what one will do-when he sees a shoe just being shown in the House by another Member in support of his statement ? In reply to what Shri Patel did in this August House. I took out my chappal but with no intention to create any ugly scene in the House or show any disregard towards anyone.

On a previous occasion, a match box was shown in the House when a reference by some hon. Members was made to it. But it did not mean that he did it with a view to setting the House on fire. Any way I feel sorry for what transpired in the House yesterday. I can assure you, Sir, that I have a deep regard and profound respect for this August House.

श्री एन० एन० पटेल (बुलसर) : अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा कोई भी बुरा इरादा नहीं था, तथापि जो कुछ हुआ है, उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ।

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : यद्यपि दोनों ही माननीय सदस्यों का इरादा सभा में गड़बड़ी पैदा करने का नहीं था, तथापि मैं अपने माननीय मित्र श्री

नाथपाई की इस बात से सहमत हूँ कि ऐसा आचार तथा व्यवहार अच्छा नहीं है और निन्दा के योग्य है। इसलिए सभा को ऐसी बातें कभी बर्दास्त नहीं करनी चाहिए। अपनी ओर से मैंने श्री पटेल की तुरन्त भर्त्सना की क्योंकि मैं ऐसा कर सकता था किन्तु श्री बनर्जी से मैं नहीं कह सकता था।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है, इस सभा में चप्पल ही नहीं अपितु कई बार अन्य चीजें दिखाई गई हैं। सभा पटल पर कुछ पत्र रखे जा सकते हैं. कुछ चिट्ठियाँ रखी जा सकती हैं, किन्तु वे अध्यक्ष को सौंपी जाती हैं, लेकिन पिछले वर्ष कई अन्य वस्तुएं यथा फटे कपड़े आदि यहाँ दिखाये गए थे, मैंने यह प्रथा देखी है। हमें यह प्रथा छोड़ देनी चाहिए और स्वस्थ परम्पराएं कायम करनी चाहिएं ताकि विधान सभाएं हमारा अनुकरण कर सकें; जो कुछ यहाँ होता है उसका दस-गुना विधान सभाओं में किया जाता है और हम उनसे कुछ भी नहीं कह सकेंगे। मुझे यकीन है कि सम्पूर्ण सभा मेरी इस बात से सहमत है, अब सभा मध्यान्ह भोजन के लिए विसर्जित होती है।

इसके पश्चात लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए दो बजे म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

THE LOK SABHA THEN ADJOURNED FOR LUNCH TILL FOURTEEN OF THE CLOCK

लोक सभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात् दो बजे म० प० पुनः समवेत हुई।

THE LOK SABHA REASSEMBLED AFTER LUNCH AT FOURTEEN OF THE CLOCK

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the chair*]

वित्त (संख्या 2) विधेयक 1967–जारी
FINANCE (NO. 2) BILL 1967-CONTD.

उपाध्यक्ष महोदय : हम खण्ड 40 पर विचार कर चुके हैं। खण्ड 41 और 42 के लिए कोई संशोधन नहीं हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 41 और 42 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खण्ड 41 और 42 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clauses 41 and 42 were added to the Bill

खण्ड 43

संशोधन किया गया

Amendment made

पृष्ठ 39, पंक्ति 17 और 18 के स्थान पर निम्न शब्द रख दिए जायें—

"For a weight not exceeding sixty grams 2 paise For a weight exceeding sixty gram and not excoeding one hundrod grams 5 paisa."

["साठ ग्राम से अधिक वजन न होने पर 2 पैसे, साठ ग्राम से अधिक और 100 ग्राम से अधिक वजन न होने पर 5 पैसे"] (172) [श्री मोरारजी देसाई]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 43 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खण्ड 43, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 43 as amended was added to the Bill.

खण्ड 44 से 47 तक विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clauses 44 to 47 were added to the Bill.

प्रथम अनुसूची

उपाध्यक्ष महोदय : कई संशोधन हैं, श्री मी० रु० मसानी सभा में नहीं हैं, इसलिए संशोधन संख्या 8 प्रस्तुत नहीं होगा। श्री न० कु० साल्वे यहां नहीं हैं अतः संशोधन संख्या 9 और 10 प्रस्तुत नहीं होगे।

श्री बेणी शंकर शर्मा (बंका) : मैं अपना संशोधन संख्या 11 प्रस्तुत करता हूं।

श्री नारायण दाण्डेकर (जामनगर) : मैं अपने संशोधन संख्या 45 से 75, 79 से 105, और 258 प्रस्तुत करता हूं।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : मैं अपने संशोधन संख्या 129 से 132 प्रस्तुत करता हूं।

श्री हिम्मत सिंहका (गोड्डा) : मैं अपने संशोधन संख्या 133 से 135 और 147 से 149 प्रस्तुत करता हूं।

श्री मोरारजी देसाई : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

(एक) पृष्ठ 50, पंक्ति 8 और 9 के स्थान पर निम्न शब्द रखे जायें—

"(i) on income by way of interest other than "Interest on Securities" ··10 percent. Nil."

["(एक) प्रतिभूतियों पर ब्याज को छोड़ कर, ब्याज के रूप में आय पर····10 प्रतिशत, शून्य"] (162)

(दो) पृष्ठ 50, पंक्ति 28 और 29 के स्थान पर निम्न शब्द रखे जायें—

"(i) on income by way of interest other than "Interest on Securities" ··20 percent. Nil."

["प्रतिभूतियों पर ब्याज को छोड़ कर, ब्याज के रूप में आय पर 20 प्रतिशत शून्य"] (163)

(तीन) पृष्ठ 50, पंक्ति 41 में —

"28 percent" ["28 प्रतिशत"] के स्थान पर "24·5 percent" ["24·5 प्रतिशत"] रखा जाये। (164)

श्री कंवरलाल गुप्त : मैं अपना संशोधन संख्या 189 प्रस्तुत करता हूं।

डा० रानेन सेन : मैं अपने संशोधन संख्या 195 और 208 से 212 प्रस्तुत करता हूं।

श्री नारायण दाण्डेकर : जहां तक व्यक्तिगत कर निर्धारण का सम्बन्ध है, कर मुक्त राशि हिन्दू अविभाजित परिवार के लिए 7000 रुपये से बढ़ा कर 8,000 रुपये और एक व्यक्ति विशेष के लिए 4000 से बढ़ा कर 6000 रुपये कर दी जानी चाहिए।

कम्पनी कर की मूल दर 55 प्रतिशत के मुकाबले 45 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

करों का कुल भार-मूल दर तथा अधिभार सहित–अत्यधिक है और उससे उत्पादन, उद्यम तथा जोखिम उठाने पर रोक लगती है। इससे बचत को भी प्रोत्साहन नहीं मिलता। इसलिए इस बोझ को खत्म करने का एक तरीका यह है कि सभी अधिभार समाप्त कर दिए जायें।

अनर्जित आय पर अधिभार नहीं लगाया जाना चाहिए जब कि सम्पत्ति कर भी लगा हुआ है। ऐसे व्यक्ति को दो बार दण्ड दिया जाता है जिसके पास अनर्जित आय है। इस प्रकार अनर्जित आय पर दो बार कर नहीं लगाया जाना चाहिए।

लाभांश वितरण कर एक बुरा कर है। लोग अपनी पूंजी लाभांश प्राप्त करने के लिए ही लगाते हैं। यदि हम लाभ की राशि के पुनः निवेश को प्रोत्साहन देना चाहते हैं तो हमें यह कर समाप्त कर देना चाहिए।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : मूल्य वृद्धि को देखते हुए कम आय वाले लोगों के लिए छूट की सीमा बढ़ा कर 6000 रुपये कर दी जानी चाहिए। इससे कर वसूली व्यय भी कम हो जायेगा।

कर की दर इतनी बढ़ा दी गई है कि अब इससे आय बढ़ने की बजाय घटनी शुरू हो गई है। पिछले वर्ष करों में 10 प्रतिशत वृद्धि की गई थी; परन्तु आयकर से जो राशि प्राप्त हुई वह उससे पहले के वर्ष की तुलना में 5 करोड़ रुपये कम थी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कम्पनी कर के बारे में भी कुछ ऐसी ही स्थिति रही। इसका अर्थ है कि यदि कर की दर अधिक होगी तो उससे सरकार को कम आय प्राप्त होगी।

मुद्रा के मूल्य में गिरावट को देखते हुए यह बहुत जरूरी है कि कर मुक्त राशि की विभिन्न सीमाओं में उचित परिवर्तन किया जाये ।

Shri Kanwar Lal Gupta : The purchasing power of the people has considerably decreased due to rise in prices. Therefore it would be in the fitness of things to increase the exemption limit from Rs. 4,000 to Rs. 5,000 in the case of an individual and from Rs. 7,000 to Rs. 8,000 in the case of a Hindu undividual family.

One of the causes responsible for the evasion is the high rate of taxation. It inhibits initiative and enterprise. Therefore, to reduce this high incidence of taxation, surcharges should be removed.

डा० रानेन सेन : रजिस्टर्ड फर्मों के मामले में 2,500 रुपये तक की कुल आय को कर से छूट दी गई है । उस पर 3 प्रतिशत कर लगाया जा सकता है ।

मध्यम वर्ग के लोगों तथा कमजोर वर्गों के लिए कर से छूट की सीमा 5,000 रुपये से बढ़ा कर 6,000 रुपये कर देनी चाहिए । इससे इन लोगों को कुछ राहत मिलेगी ।

इस समय अनर्जित आय पर व्यक्ति विशेष तथा अविभाजित हिन्दू परिवार के सम्बन्ध में प्रतिभूतियों पर ब्याज और यूनिट ट्रस्ट के लाभांश को छोड़ कर 15,000 रुपये की राशि तक कोई अनर्जित आय पर अधिभार नहीं है । वित्त विधेयक में इस सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ा कर 30,000 रुपये तक बढ़ा देने का प्रस्ताव है । यह आपत्तिजनक बात है । इस सीमा को अभी 15,000 रुपये तक ही रहने दिया जाना चाहिए ।

श्री वेणीशंकर शर्मा : 45 प्रतिशत की कम दर का लाभ ऐसी गैर-सरकारी कम्पनियों को भी दिया जाना चाहिए जिनकी आय 25,000 और 50,000 रुपये के बीच है । ऐसी कम्पनियों की संख्या बहुत अधिक नहीं है और इससे सरकार की आय में कोई विशेष कमी नहीं होगी । इसलिए यह रियायत उन पर लागू करके भी आजमायश की जानी चाहिए ।

श्री हिम्मत सिंहका : देशी कम्पनियों पर 45 प्रतिशत की दर लागू की जानी चाहिए और लाभांश कर नहीं होना चाहिए । पुन: लगाने के लिए कम्पनी के हाथों में कुछ रकम रहने देनी चाहिए ।

श्री मोरारजी देसाई : सभी संशोधन कर में कटौती के लिए हैं । यदि कोई संशोधन कर में बढ़ोतरी के लिए होता तो हम उसका स्वागत करते । यदि हम अप्रत्यक्ष कर नहीं चाहते, हमें प्रत्यक्ष कर लगाने चाहिएं और सभी को प्रत्यक्ष कर का भुगतान करना चाहिए । अन्यथा पर्याप्त राजस्व प्राप्त नहीं हो सकेगा । 10,000 रुपये से कम आय वाले वर्ग में आय की सबसे अधिक वृद्धि हो रही है । यदि उन्हें आय-कर की सीमा में न रखा गया तो हम ऐसे लोगों की संख्या में वृद्धि नहीं कर सकेंगे जो प्रत्यक्ष कर देते हैं । यदि कोई औचित्य है तो वह वर्तमान स्तर में वृद्धि की बजाय उसे कम करने के लिए है ।

जहाँ तक समवायों पर कर कम करने का सम्बन्ध है, अधिभार समाप्त करने के सुझाव मानना सम्भव नहीं है । हम यह देखना चाहते हैं कि सम्पत्ति एक स्थान पर बहुत अधिक इकट्ठी न हो जाये । अत: हमें विभिन्न स्तरों पर कर लगाने पड़ेंगे तथा कई तरीकों से कर लगाने पड़ेंगे । जो

व्यक्ति अधिक धन कमाते हैं, उनसे अधिक कर लेने का केवल यही एकमात्र तरीका है। इसी कारण यह दोहरा कराधान बन गया है। परन्तु आय-कर की जो भी व्यवस्था हो, दोहरे कराधान से नहीं बचा जा सकता।

हम इस बात की जाँच कर रहे हैं कि व्यक्तियों तथा समवायों दोनों के लिए समूची कर प्रणाली को किस प्रकार सरल बनाया जाये ताकि हम बहुत कम दर से काम चला सकें और कर का अपवंचन न हो। यदि हमें ऐसा कोई तरीका मिल गया जो यथार्थ तथा व्यावहारिक हो और जिसे सामान्यतः स्वीकार किया जा सकता हो, तो उठाई गई अनेक आपत्तियों का शायद समाधान हो सके, परन्तु जैसा कि मनुष्य का स्वभाव है, कानून चाहे कुछ भी हो, विधि का उल्लंघन होता ही रहेगा। इसलिए मैं केवल सरकारी संशोधन का समर्थन करता हूं और अन्य सभी संशोधनों का विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं पहले सरकारी संशोधन सभा में मतदान के लिए रखता हूं : प्रश्न यह है कि :

(एक) पृष्ठ 50, पंक्ति 8 और 9 के स्थान पर निम्न शब्द रखे जावें:—

[i] on income by way of interest other then "Interest on Securities."··10 percent Nil"

["(एक) "प्रतिभूतियों पर ब्याज" को छोड़ कर, ब्याज के रूप के आय पर ····10 प्रतिशत शून्य"] (162)

(दो) पृष्ठ 50, पंक्ति 28 और 29 के स्थान पर निम्न शब्द रखे जायें।

[i] on income by way of interest other than "Interest on Securities."··20 percent. Nil"

["प्रतिभूतियों पर ब्याज" को छोड़ कर ब्याज के रूप में आय पर····20 प्रतिशत शून्य"] (163)

(तीन) पृष्ठ 50, पंक्ति 41 में—

"28 percent" ["28 प्रतिशत"] के स्थान पर "24·5 percent" ["24·5 प्रतिशत"] रखा जाये। (164)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 208 से 212 तक मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

AMENDMENTS Nos. 208 To 212 WERE PUT AND NEGATIVED

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संख्या 11,45 से 75,79 से 105, 258, 129 से 135, 147 से 149, 169 तथा 195 संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

Amendments Nos. 11, 45 to 75, 79 to 105, 258, 129 to 135, 147 to 149, 169 and 195 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि प्रथम अनुसूची संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was Adopted

प्रथम अनुसूची, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दी गई

The First Schedule, as amended was added to the Bill.

द्वितीय अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई

The Second Schedule was added to the Bill.

तृतीय अनुसूची

श्री वेणी शंकर शर्मा : मैं संशोधन संख्या 12 से 14 तक प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नारायण दांडेकर : मैं संशोधन संख्या 106, 107, 109 से 114, 215, 217 तथा 224 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री हिम्मत सिंहका : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 83, पंक्ति 22 में "building" ["भवन"] के पश्चात् "not being a building taken on rent or lease" ["जो ऐसा भवन न हो जो किराये अथवा पट्टे पर लिया गया हो"] शब्द जोड़ दिये जावें । (153)

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : मैं संशोधन संख्या 151, 152, तथा 154 से 158 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री मोरारजी देसाई : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

(एक) पृष्ठ 77, पंक्ति 7 से 10 के स्थान पर निम्न रखा जाये ।

Deduction in respect of donations to certain funds, charitable in stitutions, etc.

"80 G, (1) In computing the total income of an assessee, there shall be deducted, in accordance with and subject to the provisions of this section, an amount equal to,

(a) where the assessee is a company, fifty percent, and

(b) in the case of any other assessee, fifty-five percent,

of the aggregate of the sums specified in sub-section (2),".

कुछ निधियों धर्मस्व संस्थाओं आदि को दान के सम्बन्ध में कटौती

80 छ० (1) किसी करदाता की कुल आय का हिसाब लगाते समय इस धारा के उपबन्धों के अनुसार तथा उनके अधीन रहते हुए, उपखण्ड (2) में उल्लिखित कुल राशि के ···

(क) जब कर–दाता कोई समवाय हो 50 प्रतिशत, और

(ख) जब कोई अन्य करदाता हो, 55 प्रतिशत

जितनी राशि,काटी जायेगी (165)

(दो) पृष्ठ 80 पंक्ति 5

शब्द "fifty" ["पचास"] के स्थान पर "forty" ["चालीस"] रखा जाये (166)

(तीन) पृष्ठ 80, पंक्तियां 16 से 20 निकाल दी जाये । (167)

(चार) पृष्ठ 81, पंक्ति 24 से 42 के स्थान पर निम्न रखा जाये:--

(1) (reduced by the aggregate of the deductions, if any, admissible to the assessee under section 80H and section 80 I) of so much of the amount thereof as does not exceed the amount calculated at the rate of six percent., per annum on the capital employed in the industrial undertaking or ship or business of the hotel, as the case may be, computed in the prescribed manner in respect of the provious year relevant to the assessment (the amount calculated as aforesaid being hereafter, in this section, referred to as the relevant amount of capital employed during the previous year).

(2) The deduction specified in sub-section (1) shall be allowed in computing the total income in respect of the assessment year relevant to the previous year in which the industrial undertaking begins to manufacture or produce articles or to operate its cold storage plant or plants or the ship is first brought into use or the business of the hotel starts functioning (such assessment year being hereafter, in this section, referred to as the initial assessment year) and each of the four assessment years immediatly succeeding the initial assessment year :

Provided that in the case of an assessee, being a co-operative society, the provisions of this sub-section shall have effect as if for the words "four assessment years", the words "six assessment years" had been substituted.

(3) Where the amount of the profits and gains derived from the industrial undertaking or ship or business of the hotel, as the case may be, included in the total income (as computed without applying the provisions of section 64 and before making any deduction under Chapter VIA or section 280 0) in respect of the previous year relevant to an assessment year commencing on or after the 1st day of April, 1967 (not being an assessment year prior to the initial assessment year or subsequent to the fourth assessment year as reckoned from the end of the initial assessment year) falls short of the relevant amount of capital employed during the previous year, the amount of such short-fall, or, where there are no such profits and gains, an amount equal to the relevant amount of capital employed during the previous year ,such amount, in either case, being hereafter, in this section, referred to as deficiency) shall be carried forward and set off against the profits and gains referred to in sub-section (1) [as computed after allowing the deductions, if any, admissible under section 80H, section 80 I and the said sub-section (1)] in respect of the previous year relevant to the next following assessment year and, if there are no such profits and gains for that assessment year, or where the deficiency exceeds such profits and gains, the whole or balance of the deficiency, as the case may be, shall be set off against such profits and gains for the next following assessment year and if and so far as such deficiency can not be wholly so set off, it shall be set off againt such profits and gains assessable for the next following assessment year and so on :

Provided that—

(i) in no case shall the deficiency or any part thereof be carried forward beyond the seventh assessment year as reckoned from the end of the initial assessment year :

(ii) where there is more than one deficiency and each such deficiency relates to a different assessment year, the deficiency which relates to an earlier assessment year shall be set off under this sub-section before setting off the deficiency in relation to a later assessment year :

Provided further that in the case of an assessee being a co-operative society, the provisions of this sub section shall have effect as if for the words "fourth assessment year" the words "sixth assessment year" had been substituted.'

["(धारा 80 (ज) और 80 (झ) के अधीन कर दाता को ग्राह्य कुल कटौतियों में से कम करके) होटल के कारोबार, पोत अथवा औद्योगिक उपक्रम पर लगी हुई पूंजी पर, उनकी उतनी राशि का जो 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से निकाली गई राशि से अधिक न हो अथवा जैसा भी मामला हो जिसका कर देय राशि से संगत, पहिले वर्ष के सम्बन्ध में निहित विधि से हिसाब लगाया गया हो । उक्त रीति से निकाली गई राशि, इसके पश्चात् इस धारा में पूंजी की वह संगत राशि समझी जायेगी जिसे पहिले वर्ष में नियोजित किया गया हो।

(2) उपधारा (2) में उल्लिखित कटौती पहिले वर्ष से संगत, उस कर देय वर्ष की कुल आय का हिसाब लगाने में दी जायेगी जिसमें औद्योगिक उपक्रम ने वस्तुओं का निर्माण अथवा उत्पादन करना आरम्भ किया, अथवा अपने प्रशीतक संयंत्र अथवा संयत्रों को चलाना प्रारम्भ किया, अथवा पोत को पहिले पहल उपयोग में लाया गया, अथवा होटल का कारोबार आरम्भ हुआ (ऐसे कर–देय वर्ष को उसके पश्चात् इस धारा में मूल कर-देय वर्ष कहा जायेगा) और मूल कर देय वर्ष के तत्काल पश्चात् आने वाले चार कर–देय वर्षों में से प्रत्येक वर्ष :

परन्तु ऐसे कर–दाता के मामले में, जो एक सहकारी समिति हो, इस उप-धारा के उपबन्धों का ऐसा प्रभाव होगा जैसे कि 'चार कर–देय' वर्ष के स्थान पर 'छः कर–देय' वर्ष शब्द रख दिये गये हों ।

(3) जहां किसी औद्योगिक उपक्रम, पोत अथवा होटल के कारोबार द्वारा अर्जित लाभ अथवा प्राप्ति की राशि अथवा जैसा भी मामला हो, 1 अप्रैल, 1967 से अथवा बाद में आरम्भ होने वाले कर–देय वर्ष के संगत पहिले वर्ष (वह मूल कर-देय वर्ष से पहले का कर–देय वर्ष) न हो अथवा मूल कर-देय वर्ष के बाद से आरम्भ होने वाले चार कर–देय वर्षों के बाद का वर्ष न हो) की कुल आय में (जिसका हिसाब धारा 64 के उपबन्धों को संयुक्त किये बिना और अनुच्छेद 6 (क) अथवा धारा 280 के अधीन दी जाने वाली कटौती करने के पूर्व लगाया गया हो । जोड़ दी गई हो, यह राशि पहिले वर्ष लगाई गई पूंजी की संगत राशि से कम आती हो, ऐसी घाटे की राशि, अथवा जहां ऐसे लाभ अथवा प्राप्तियां न हो वहां पहिले वर्ष के दौरान लगाई गई संगत पूंजी के बराबर की राशि (इसके पश्चात् प्रत्येक मामले में ऐसी राशि को इस धारा में घाटे की राशि कहा जायेगा) आगे लेजाई जायेगी और उप-धारा (1) में उल्लिखित पहिले वर्ष के सम्बन्ध में जो कि आगामी कर–देय वर्ष के लिये संगत हो (धारा 80 (ज) और धारा 80 (झ) में तथा उक्त उप-धारा (1) में ग्राह्य कटौतियों का हिसाब लगाने के पश्चात्) प्राप्तियों और लाभों के मुकाबले में रखी जायेगी ; यदि उस कर–देय वर्ष में ऐसे कोई लाभ अथवा प्राप्तियां न हो अथवा जहां ऐसी घाटे की राशि ऐसी प्राप्तियों अथवा लाभ से अधिक हों, वहां घाटे की पूरी अथवा बकाया राशि, जैसा भी मामला हो, आगामी कर–देय वर्ष में ऐसे लाभ अथवा प्राप्तियों की राशि के मुकाबले में रखी जायेगी और जहाँ इस प्रकार घाटे को पूरी तरह दूर नहीं किया जा सकेगा, उसे अगले कर–देय वर्ष के लाभ तथा प्राप्तियों की राशि के मुकाबले में रखा जायेगा । परन्तु;

(एक) किसी भी मामले में घाटा या उसका कोई अंश मूल कर–देय वर्ष के अन्त से सातवें कर–देय वर्ष से आगे नहीं ले जाया जायेगा ;

(दो) जहाँ एक से अधिक घाटे हों और प्रत्येक घाटा भिन्न-भिन्न कर–देय वर्ष से सम्बन्ध रखता हो, वह घाटा जो पहिले कर–देय वर्ष से सम्बन्ध रखता है, उसे इस उप-धारा के अधीन आगामी कर–देय वर्षों के मुकाबले पहिले पूरा किया जायेगा,

परन्तु यह और भी कि यदि कर–दाता सहकारी समिति हो तो उसके मामले में इस उप धारा के उपबन्धों का वही प्रभाव होगा जैसे कि 'चौथा कर–देय वर्ष' के स्थान पर 'छठा कर–देय वर्ष' शब्द रख दिये गये हों"] (168)

(पांच) पृष्ठ 82 में, पंक्ति 1 से 41 निकाल दी जायें । (169)

(छः) पृष्ठ 83 में, पंक्ति 1 से 16 निकाल दी जायें । (170)

(सात) पृष्ठ 86, पंक्ति 26, में—

"60 Percent" ["60 प्रतिशत"] के स्थान पर "65 Percent" ["65 प्रतिशत"] शब्द रखे जायें । (171)

डा० रानेन सेन (बारसाट) : मैं संशोधन संख्या 213 तथा 214 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नारायण दांडेकर : मैं संशोधन संख्या 216 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मैं संशोधन संख्या 219 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री सेक्वीरा (गोआ, दमन और दीव) : मैं संशोधन संख्या 259 से 263 तथा 271 से 275 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री मोरारजी देसाई : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

(एक) पृष्ठ 90, पंक्ति 14, में "Forty" ['चालीस"] के स्थान पर "Forty five" ['पैंतालीस"] शब्द रखे जायें । (277)

(दो) पृष्ठ 90, पंक्ति 18 में "sixty" ["साठ"] के स्थान पर "Sixty five" [' पैंसठ"] शब्द रखे जायें । (278)

(तीन) पृष्ठ 90, पंक्ति 27 में "sixty" ["साठ"] के स्थान पर "sixty five" ['पैंसठ"] शब्द रखे जायें (279)

(चार) पृष्ठ 90, पंक्ति 35 में "sixty" ["साठ"] के स्थान पर "sixty five" ['पैंसठ"] शब्द रखे जायें । (280)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

(एक) पृष्ठ 77, पंक्ति 7 से 10 के स्थान पर निम्न रखा जाये—

Deduction in respect of donations to certain funds, charitable institutions, etc.

"80 G. (1) In computing the total income of an assessee, there shall be deducted, in accordance with and subject to the provisions of this section, an amount equal to :

(a) Where the assessee is a company, fifty per cent., and

(b) in the case of any other assessee, fifty five percent.,
of the aggregate of the sums specified in sub section (2)."

कुछ निधियों, धर्मस्व संस्थाओं आदि को दान के सम्बन्ध में कटौती

80 छ (1) किसी करदाता की कुल आय का हिसाब लगाते समय इस धारा के उपबन्धों के अनुसार तथा उनके अधीन रहते हुए उपखण्ड (2) में उल्लिखित कुल राशि के

(क) जब कर-दाता कोई समवाय हो, 50 प्रतिशत: और

(ख) जब कोई अन्य करदाता हो 55 प्रतिशत । जितनी राशि काटी जायेगी ।"] (165)

(दो) पृष्ठ 80, पंक्ति 5, शब्द "fifty" ["पचास"] के स्थान पर "forty" ["चालीस"] रखा जाये । (166)

(तीन) पृष्ठ 80, पंक्तियां 16 से 20 निकाल दी जायें । (167)

(चार) पृष्ठ 81, पंक्ति 24 से 42 के स्थान पर निम्न रखा जाये—

(1) (reduced by the aggregate of the deductions, if any, admissible to the assessee under section 80 H and section 80 I) of so much of the amount thereof as does not exceed the amount calculated at the rate of six percent, per annum on the capital employed in the industrial undertaking or ship or business of the hotel, as the case may be, computed in the prescribed manner in respect of the previous year relevant to the assessment year (the amount calculated as aforesaid being hereafter, in this section, referred to as the relevant amount of capital employed during the previous year).

(2) The deduction specified in sub-section (1) shall be allowed in computing the total income in respect of the assessment year relevant to the previous year in which the industrial undertaking begins to manufacture or produce articles or to operate its cold storage plant or plants or the ship is first brought into use or the business of the hotel starts functioning (such assessment year being hereafter, in this section, referred to as the initial assessment year) and each of the four assessment years immediately succeeding the initial assessment year :

Provided that in the case of an assessee, being a cooperative society, the provisions of this sub-section shall have effect as if for the words "four assessment years", the words "six assessment years" had been substituted.

(3) Where the amount of the profits and gains derived from the industrial undertaking or ship or business of the hotel, as the case may be, included in the total income (as computed without applying the provisions of section 64 and before making any

deduction under Chapter VI A or section 280 0) in respect of the previous year relevant to an assessment year commencing on or after the 1st day of April, 1967 (not being an assessment year prior to the initial assessment year or subsequent to the fourth assessment year as reckoned from the end of the initial assessment year) falls short of the relevant amount of capital employed during the previous year, the amount of such short-fall, or, where there are no such profits and gains, an amount equal to the relevant amount of capital employed during the previous year (such amount, in either case, being hereafter, in this section, referred to as deficiency) shall be carried forward and set off against the profits and gains referred to in sub-section (1) [as computed after allowing the deductions, if any, admissible under section 80 H. section 80 I and the said sub-section (1)] in respect of the previous year relevant to the next following assessment year and if there are no such profits and gains for that assessment year, or where the deficiency exceeds such profits and gains, the whole or balance of the deficiency, as the case may be, shall be set off against such profits and gains for the next following assessment year and if and so far as such deficiency cannot be wholly so set off, it shall be set off against such profits and gains assessable for the next following assessmont year and so on :

Provided that—

(i) in no case shall the deficiency or any part thereof be carried forward beyond the seventh assessment year as reckoned from the end of the initial assessment year;

(ii) where there is more than one deficiency and each such deficiency relates to a different assessment year, the deficiency which relates to an earlier assessment year shall be set off under this sub-section before setting off the deficiency in relation to a later assessment year ;

Provided further that in the case of an assessee being a co-operative society, the provisions of this sub-section shall have effect as if for the words "fourth assessment year", the words "sixth assessment year" had been substituted.

["(धारा 80 (ज) और 80 (झ) के अधीन कर-दाता को ग्राह्य कुल कटौतियों में से कम कर के) होटल के कारोबार, पोत अथवा औद्योगिक उपक्रम पर लगी हुई पूंजी पर, उनकी उतनी राशि का जो 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से निकाली गई राशि से अधिक न हो अथवा जैसे भी मामला हो जिसका कर देय राशि से संगत, पहिले वर्ष के सम्बन्ध में निहित विधि से हिसाब लगाया गया हो (उस रीति से निकाली गई राशि उसके पश्चात् इस धारा में पूंजी की वह संगत राशि समझी जायेगी जिसे पहिले वर्ष से नियोजित किया गया हो—)

(2) उप-धारा (1) में उल्लिखित कटौती पहिले वर्ष से संगत, उस कर-देय वर्ष की कुल आय का हिसाब लगाने में दी जायेगी जिसमें औद्योगिक उपक्रम में वस्तुओं का निर्माण अथवा उत्पादन करना आरम्भ किया, अथवा अपने प्रशीतक संयंत्र अथवा संयंत्रों को चलाना आरम्भ किया, अथवा पोत को पहले पहल उपयोग में लाया गया, अथवा होटल का कारोबार आरम्भ हुआ (ऐसे कर-देय वर्ष को उसके पश्चात् इस धारा में मूल कर-देय वर्ष, कहा जायेगा) और मूल कर-देय वर्ष के तत्काल पश्चात आने वाले चार कर-देय वर्षों में से प्रत्येक वर्ष परन्तु ऐसे कर-दाता के मामले में, जो एक सहकारी समिति हो, इस उप-धारा के उपबन्धों का ऐसा प्रभाव होगा जैसे कि 'चार कर-देय' वर्ष के स्थान पर 'छ कर-देय' वर्ष शब्द रख दिये गये हों ।

(3) जहां किसी औद्योगिक उपक्रम, पोत अथवा होटल के कारोबार द्वारा अर्जित लाभ अथवा प्राप्ति की राशि अथवा जैसा भी मामला हो, 1 अप्रैल, 1967 से अथवा बाद में आरम्भ होने वाले कर-देय वर्ष के संगत पहिले वर्ष (वह मूल कर-देय वर्ष से पहले का कर-देय वर्ष न हो अथवा मूल कर-देय वर्ष के बाद से आरम्भ होने वाले पर कर-देय वर्षों के बाद का वर्ष न हो) की कुल आय में (जिसका हिसाब धारा 64 के उपबन्धों के प्रयुक्त किये बिना और अनुच्छेद 6 के अथवा धारा 280 के अधीन दी जाने वाली कटौती करने के पूर्व लगाया गया हो) जोड़ दी गई हो, यह राशि पहले वर्ष लगाई गई पूंजी की संगत राशि से कम आती हो, ऐसी घाटे की राशि, अथवा जहां ऐसे लाभ अथवा प्राप्तियां न हों वहां पहिले वर्ष के दौरान लगाई गई संगत पूंजी के बराबर की राशि (उसके पश्चात् प्रत्येक मामले में ऐसी राशि को इस धारा में घाटे की राशि कहा जायेगा) आगे ले जाई जायेगी और उप धारा (1) में उल्लिखित पहिले वर्ष के सम्बन्ध में जो कि आगामी कर-देय वर्ष के लिये संगत हो (धारा 80 (ज) और धारा 80 (झ) में तथा उक्त उप-धारा (1) में ग्राह्य यह राशि कटौतियों का हिसाब लगाने के पश्चात्) प्राप्तियों और लाभों के मुकाबले में रखी जायेगी; यदि उस कर देय वर्ष में ऐसे कोई लाभ अथवा प्राप्तियां न हो अथवा जहां ऐसी घाटे की राशि ऐसी प्राप्तियों अथवा लाभ से अधिक हो। वहां घाटे की पूरी अथवा बकाया राशि, जैसा भी मामला हो, आगामी कर-देय वर्ष में ऐसे लाभ अथवा प्राप्तियों की राशि के मुकाबले में रखी जायेगी और जहां इस प्रकार घाटे को पूरी तरह दूर नहीं किया जा सकेगा, उसे अगले कर–देय वर्ष के लाभ तथा प्राप्तियों की राशि के मुकाबले में रखा जायेगा।

परन्तु—, (एक) किसी भी मामले में धारा या उसका कोई अंश मूल कर-देय वर्ष के अन्त से सातवें कर–देय वर्ष से आगे नहीं ले जाया जायेगा।

(दो) जहां एक से अधिक घाटे हों और प्रत्येक धारा भिन्न–भिन्न कर–देय वर्ष से सम्बन्ध रखती हो, वह धारा जो पहिले कर–देय वर्ष से सम्बन्ध रखती है, उसे इस उप–धारा के अधीन आगामी कर–देय वर्षों के मुकाबले पहिले पूरा किया जायेगा।

परन्तु यह और भी कि यदि कर–दाता सहकारी समिति हो तो उसके मामले में इस उपधारा के उपबन्धों का वही प्रभाव होगा जैसे कि "चौथा कर–देय 'वर्ष' के स्थान पर 'छटा कर–देय वर्ष' शब्द रख दिये गये हों।" (168)

(पांच) पृष्ठ 82 में, पंक्ति 1 से 11 निकाल दी जायें (169)

(छः) पृष्ठ 83 में पंक्ति 1 से 16 निकाल दी जायें। (170)

(सात) पृष्ठ 86 पंक्ति 26 में "60 percent" ("60 प्रतिशत") के स्थान पर "65 percent" ["65 प्रतिशत"] शब्द रखे जायें। (171)

(आठ) पृष्ठ 90, पंक्ति 14 में "forty" ("चालीस") के स्थान पर "forty five" ("पैंतालीस) शब्द रखे जायें। (277)

(नौ) पृष्ठ 90, पंक्ति 18 में "sixty" ("साठ") के स्थान पर "sixty-five" ("पैंसठ") शब्द रखे जायें (278)

(दस) पृष्ठ 90, पंक्ति 27 में "sixty" ("साठ") के स्थान पर "sixty-five" ("पैंसठ") शब्द रखे जायें (279)

पृष्ठ 90, पंक्ति 35 में "sixty" ("साठ") के स्थान पर "sixty-five" ("पैंसठ") शब्द रखे जायें। (280)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted

श्री मोरारजी देसाई : मैं संशोधन संख्या 153 स्वीकार करता हूं,

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :
पृष्ठ 83 पंक्ति 22 में,

"building" ("भवन") के पश्चात "not being a building taken on rent or lease)" ("जो ऐसा भवन न हो जो किराये अथवा पट्टे पर लिया गया हो") शब्द जोड़ दिये जायें। (153)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संख्या 12 से 14, 106, 107, 109 से 114, 215 से 217, 224, 151, 152, 154 से 158, 213, 214, 216, 219, 259 से 263, 271 से 275 तथा 17 संशोधन मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

Amendments No. 12 to 14, 106, 107, 109 to 114, 215 to 217, 224, 151, 152, 154 to 158, 213, 214, 216. 219, 259 to 263, 271 to 275 and 17 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि तृतिय अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

तृतीय अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दी गई।
The third schedule, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 1

श्री नारायण दांडेकर : मैं संशोधन संख्या 17 प्रस्तुत करता हूं।

श्री मोरारजी देसाई : यह संशोधन स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उपबन्धों को भूतलक्षी अवधि से प्रभावित नहीं किया जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 17 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ
Amendment No. 17 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :
"कि खण्ड 1 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

खण्ड 1 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 1 was added to the Bill.

अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गये।
The enacting formula and the title were added to the Bill.

श्री मोरारजी देसाई : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

इसके साथ मैं यह प्रस्ताव भी करता हूं कि नियम 13 (3) के अन्तर्गत निम्न संशोधन भी किया जाय—

खण्ड 24 (ख) (चार) में—

(क) "inserted and shall be deemed always to have been inserted" ["शामिल किया गया तथा सदा शामिल किया गया समझा जायेगा"] के स्थान पर "inserted at the end" ["अन्त में शामिल किया गया"] शब्द रखे जायें।

(ख) "Condition" ["शर्त"] के पश्चात् 'in clause' ['खण्ड में"] शब्द रखे जाये;

(ग) "or hotel" ["अथवा होटल"] शब्द हटा दिये जाये। (276)

श्री ही० ना० मुकर्जी : (कलकत्ता-पूर्वोत्तर) : स्वावलम्बी अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में बहुत कहा गया है परन्तु आय-व्ययक में ऐसा कोई संकेत नहीं दिया गया है कि इस दिशा में कोई प्रयास किये जाने की सम्भावना है। खाद्य हमारी सबसे बड़ी समस्या है। यदि 20 करोड़ रुपये 30 करोड़ रुपये तक उच्च प्राथमिकता के रूप में नागार्जुन सागर बांध पर व्यय किया जावे तो निकट भविष्य में ही 6 लाख टन खाद्यान्न की अतिरिक्त उपज हो सकती है।

1966–67 के अन्त में 528·11 करोड रुपया कुल आय कर के रूप में बकाया पड़ा है। इस प्रकार बकाया जमा होना व्यक्तिगत तथा राजनैतिक भ्रष्टाचार का प्रतीक है। उदाहरण के लिये श्री बीजू पटनायक तथा श्री मूंदड़ा से आय कर की बहुत बड़ी राशि बकाया है।

मंत्रियों के निवास स्थानों की सजावट, फर्नीचर अथवा अन्य रख रखाव के कामों पर प्रति वर्ष खर्च का औसत 19,000 रुपये के लगभग है और संसद सदस्यों के निवास स्थानों पर होने वाला प्रति वर्ष खर्च 1500 रुपये है। देश के वर्तमान आर्थिक संकट में यह बाँछनीय नहीं है। सरकारी आंकडों के अनुसार हमारे देश में 13 लाख निम्न वर्ग के परिवारों की प्रतिव्यक्ति दैनिक आय 26 पैसे है।

आय-व्ययक में इस सम्बन्ध में कोई संकेत नहीं है कि हम इस बारे में क्या करने जा रहे हैं ? हम स्वावलम्बी अर्थव्यवस्था के लिये क्यों प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। विदेशी पूंजी से चलाये जाने वाले क्षेत्र के सम्बन्ध में मुदालियर समिति के प्रतिवेदन का क्या हुआ ? सहयोग सम्बन्धी समझौतों के सम्बन्ध में जांच करने के वायदे के बारे में क्या हुआ है ?

श्री मुहम्मद इमाम (चित्रदुर्ग) : मैं वित्त विधेयक का विरोध इसलिये करता हूँ क्योंकि इस विधेयक में ऐसे प्रस्ताव रखे गये हैं जो देश और जनता दोनों के लिये हानिकारक हैं। मंत्री महोदय करों में कुछ थोड़ी सी राहत दे कर यह बताना चाहते हैं कि वह बड़े विशाल हृदय वाले हैं। जनता को लगभग 100 करोड़ रुपये का करों का बोझ सहना पड़ेगा। अभी पंचवर्षीय योजना का यह पहला वर्ष है। अभी आगामी पांच वर्षों में पता नहीं, क्या होगा ?

मंत्री महोदय का मूल्यों को स्थिर करने तथा मुद्रास्फीति को कम करने का पक्का इरादा है। परन्तु इन नये करों से तो जनता पर बोझ ही बढ़ेगा, आर्थिक गतिरोध उत्पन्न होगा और शायद भ्रष्टाचार भी पनपेगा। मुद्रास्फीति जनता का नम्बर एक शत्रु है। फिर भी ये जो पंग उठाये गये हैं, इनसे मुद्रास्फीति में और वृद्धि होगी। मुद्रास्फीति के चार मुख्य कारण है और वे हैं (एक) अधिक कर, (दो) अधिक खर्च (तीन) अधिक ऋण लेना तथा (चार) घाटे की अर्थ व्यवस्था। इसका अर्थ यह हुआ कि जनता को अधिक कठिनाई होगी।

वित्त मन्त्री पर बहुत बड़ा उत्तर-दायित्व है। उनका कर्तव्य सरकार के प्रति ही नहीं बल्कि उनका उत्तरदायित्व जनता के प्रति भी है। उन्हें जनता के हितों की रक्षा करनी चाहिए। उन्हें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जनता अच्छा जीवन व्यतीत कर सके और उसे निम्नतम स्तर का सुखमय जीवन उपलब्ध हो सके। परन्तु यदि वह योजना के नाम पर या बिना सोच-विचार के खर्च में वृद्धि करके जनता पर अधिक कर लगाते रहे तो हमारा भविष्य अन्धकारमय ही होगा। केवल कर लगाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। कर तो कोई भी व्यक्ति लगा सकता है। परन्तु हमारे वित्त मन्त्री का व्यक्तित्व महान है और वह जानते हैं कि जनता को इस कठिनाई से कैसे निकाला जा सकता है।

वित्त मन्त्री को सर्वप्रथम मितव्ययता पर ध्यान देना चाहिए। जब वह प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे तो उन्होंने यह बात स्वीकार की थी कि हमारे विभागों में कर्मचारियों की संख्या अधिक है। मितव्ययता का कार्य सर्वप्रथम मन्त्रियों की संख्या 50 प्रतिशत घटा कर आरम्भ किया जाना चाहिए।

आजकल देश बड़े कठिन समय से गुजर रहा है। प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री को अपने दल या संगठनात्मक कार्य की अपेक्षा जनता की समस्याओं पर अधिक ध्यान देना चाहिये।

श्री क० नारायण राव (बोब्बिली) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। विधेयक के पृष्ठ 41 पर खण्ड 47 के तत्काल बाद एक घोषणा है उस पर मतदान नहीं हुआ है। खण्ड 47 पर मतदान होने के बाद हम प्रथम अनुसूची पर विचार करने लगे हैं और हमने उस घोषणा के बारे में कोई निर्णय नहीं किया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह विधेयक का अंग नहीं है। यह एक घोषणा है; इसलिए इस पर मतदान नहीं हुआ।

श्री क० नारायण राव : यह विधेयक का अंग है और जब तक यह घोषणा अधिनियम

का अंग न बने तब तक यह प्रभावी नहीं हो सकती। इसलिए सभा को इस घोषणा को पास करना चाहिए।

श्री मोरारजी देसाई : यह खण्ड 47 का अंग है। इसे पास किया जाना चाहिये।

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : विधेयक के खण्ड 38, 40 और 41 के सम्बन्ध में यह विधेयक का अंग है। यह घोषणा अनुसूची का अंग नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि यह खण्ड 47 का अंग है तो इसे सभा में मतदान के लिये रखा गया था। माननीय सदस्य इस पर पृथक रूप में मतदान चाहते हैं। खण्ड 47 को सभा ने स्वीकार कर लिया है। फिर भी मन्त्री महोदय बाद में इसे स्पष्ट कर देंगे। मैं इसे भी अन्य संशोधनों के साथ रखूंगा। इस पर फिर मतदान होगा।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : It was only last year Shri Morarji Desai had said that there can be straight away 10 per cent cut in the budget. When he was not Finance Minister, he put up this proposal before Congress Party. To-day, the speed of our development is very slow and unless we effect economy. we cannot make any progress. At present the rate of out development is 3.3 per cent which is less in comparison to that of Pakistan, Korea, Malaysia, Thailand, Burma and Taiwan. There is only one country viz Indonesia which has lesser rate of development than that of ours.

We should not spend lavishly. I shall give one instance. A exhibition on Nehru was organised. In that exhibition only pictures of Shri Nehru were exhibited but about 30 lakhs of rupees have been spent out of this Rs. 20 lakhs was in foreign exchange. Is this not wastage, we should avoid to have such type luxury schemes. I appeal to the hon'ble Minister to scrap such schemes.

I welcome the scheme of simplification put forth by the hon'ble Minister. But I have come to know that the Chairman of the Committee appointed for this purpose does not have any experience of income-tax law. This work should be entrusted to the exports on this subject who could advise as to how this Act can be simplified.

In public undertakings, if an officer gets an offer of more salary, he quits the present appointment and joins the other. Such transfers should be stopped. There should be some institution like U. P. S. C. for the appointments being made in public undertakings so that favouritism and political considerations coming in the way of appointment in such undertakings are stopped. The main reason of losses in public undertakings is that appointments are made on political considerations.

Shri Rabi Ray (Puri) : The reports of Mahablonis Committee, Monoply Enquiry Committee and Harjari Commission have proved that economic condition of the counrty is very poor. The amount of the foreign loan is increasingly high.

A question has been raised with regard to Handloom and Powerloom industry. It has been estimated that there will be an income of 7-8 crores rupees approximately from the taxes imposed on this industry. But the fact remains that the income will be much more than what has been estimated. Shri Morarji Desai has promised that he would enquire into the matter. It is hoped that he will fulfil his promise and give a true picture to the House in this regard.

Shri D. N. Tiwary (Gopalganj) : I want to invite the attention of the Finance Minister towards the incomplete Gandak Project. Had this project been completed, there would have been 20 lakhs of tons of extra food grains and the food problem of Bihar would have been solved. To-day the people of Bihar feel that they are helpless. In order to ensure their self respect and self-sufficiency it is essential for the Central Government to take over this project and get it execcuted as early as possible.

There are thousands of endurated persons who are still unemployed. It is not that only arts students are unemployed, but persons with science qualifications are also unemployed. There is feeling of great depression in the educated youngmen. Government should, therefore, draw a plan, in accordance with which they could be provided with employment so that they can make both ends meet. Otherwise educated unemployment would result in anarchy in the country.

The hon'ble Minister should pay special attention towards North Bihar because this is most backward area and per capital income in this area is very low. There is no factory in this area and therefore employment opportunities are very rare.

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : हमारे एक मित्र ने कहा है कि यदि वह घोषणा सभा द्वारा पास न की गई तो वह एक बड़ी भूल होगी। इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूँ कि घोषणा केवल तब तक लागू रहेगी जब तक विधेयक कानून नहीं बन जाता।

अतः इस घोषणा पर मतदान करना आवश्यक नहीं है। जब तक यह विधेयक पारित नहीं हो जाता तब तक के लिए ही अर्थात 75 दिनों के लिए ही यह घोषणा लागू रहेगी। ऐसा प्रति वर्ष होता रहा है।

माननीय सदस्यों ने देश में प्रगति की गति को असंतोष जनक बताया है। मैं भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूँ। सभी लोग किसी एक बात पर सहमत नहीं हो सकते क्योंकि सब की अलग-अलग विचार धारायें हैं। परन्तु एक बात पर सभी सहमत होंगे कि इस आय-व्ययक में विकास दर को बढ़ाने के लिए कुछ हल सुझाया गया है, मुझे इस बारे में कोई सन्देह नहीं है कि कई अन्य देशों की अपेक्षा हमने तेजी से प्रगति की है।

जहां तक सिंचाई योजनाओं का सम्बन्ध है नागार्जुन सागर बांध पर अब तक 75 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

जहां तक पाकिस्तान और फारमूसा का सम्बन्ध है जिस प्रकार उन्होंने विदेशों से धन लेकर प्रगति की है हम उस पर विदेशों से धन लेकर अपनी प्रगति को तेज नहीं करना चाहते।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नारायण राव ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था, परन्तु वित्त मंत्री की व्याख्या के बाद मेरे विचार में अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं रही।

श्री नारायण राव : मैं तर्क करना नहीं चाहता, परन्तु मैं इस व्याख्या से संतुष्ट नहीं हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

खण्ड 24 (ख) (चार) में

(क) "inserted and shall be deemed always to have been inserted" [शामिल किया गया तथा सदा शामिल किया गया समझा जायेगा] के स्थान पर "inserted at the end" [अन्त में शामिल किया गया] शब्द रखे जाये,

(ख) "Condition" ["शर्त"] के पश्चात् in clause [खण्ड में] शब्द रखे जाये;

(ग) "or hotel" [अथवा होटल] शब्द हटा दिये जाये [276]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

Shri Tulsidas Yadav (Baramati) : I have risen from my seat to speak on the third reading but you are not providing me an oppartunity.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये"

लोक सभा में मतविभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 114	विपक्ष में 75
Ayes 114	Noes 75

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBER'S BILLS AND RESOLUTIONS

दसवां प्रतिवेदन

Shri Hardyal Devgun (East-Delhi) : I move "that this House agreed with the Tenth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 25th July, 1967."

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के दसवें प्रतिवेदन से जो 25 जुलाई को सभा में पुन: स्थापित किया गया था, सहमत हैं।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

मजूरी वृद्धि पर प्रतिबन्ध की नीति के बारे में संकल्प

RESOLUTION Re : WAGE FREEZE POLICY

श्री चक्रपाणि (पोन्नानि) : मैं श्री रमणी की ओर से निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूँ :

"इस सभा की राय है कि हाल ही में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में मजूरी वृद्धि पर प्रतिबन्ध लगाने की नीति के बारे में बहुमत से व्यक्त किया गया विचार लाखों औद्योगिक श्रमिकों और सरकारी कर्मचारियों के लिये अहितकर है और यह सभा सरकार से सिफारिश करती है कि वह मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए और औद्योगिक श्रमिकों तथा वेतन पाने वाले कर्मचारियों के निर्वाह व्यय में हुई समूची वृद्धि को शत प्रतिशत बेअसर करने के लिए तुरन्त कार्यवाही करें।" इस संकल्प की पृष्ठ भूमि में मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूँ क्योंकि विचाराधीन विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण है। सब जानते हैं कि चौथी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में देश में मजूरी पर रोक लगाने के बारे में चर्चा शुरू हो गई थी। सामान्य आर्थिक संकट के कारण ही ऐसा कहा जाने लगा था। 1966 में भारतीय श्रम सम्मेलन में उस समय के श्रम मंत्री श्री जगजीवनराम ने इसका उल्लेख किया था।

अवमूल्यन के पश्चात श्री मोरारजी देसाई ने प्रधान मंत्री को अपने ज्ञापन में भी इस बात का उल्लेख किया था। अब सुनने में आ रहा है कि मजूरी पर रोक लगाने के साथ साथ लाभांश तथा मूल्य वृद्धि पर रोक लगाई जायेगी।

{ श्री चपलाकांत भट्टाचार्य पीठा सीन हुए
Shri C. K. Bhattacharaya *in the chair* }

मेरे विचार में मूल्यों तथा लाभांश पर रोक लगाने सम्बन्धी नारा जनता को धोखा देने के लिए लगाया गया था।

मुख्य मंत्रियों की हाल ही की बातचीत के पश्चात यह प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो गया है। केरल के मुख्य मंत्री को छोड़ कर शेष सभी मुख्य मंत्रियों ने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में मजूरी पर रोक लगाने सम्बन्धी सिद्धान्त का समर्थन किया है। इस सम्बन्ध में मैं यह भी बता देना चाहता हूँ कि सरकार मंहगाई भत्ता देने में जो विलम्ब कर रही है इससे सरकारी कर्मचारियों में चिन्ता उत्पन्न हो रही है।

मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि मजदूरों के वेतन में कुछ वृद्धि हुई है परन्तु तीन पंचवर्षीय योजनाओं की क्रियान्विति के पश्चात लोगों के जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ हैं। 1951 से 1964 तक मजूरी में जहाँ 42 प्रतिशत की वृद्धि हुई है वहा मूल्यों में 44 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, इसका अर्थ यह है कि वास्तव में मजूरी में 4 प्रतिशत की कमी हुई है, यह भी कहा जा रहा है कि 1951 से 1967 तक राष्ट्रीय आय में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है; परन्तु मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या कारण है कि फिर भी मजदूरों की मजूरी में वास्तव में कमी हुई है। शायद उसका कारण है कि अमीर लोग अधिक अमीर हो गये है और राष्ट्र की अधिकांश आय उनकी जेबों में ही गई है।

अब वित्त मंत्री ने नकद मजूरी पर प्रतिबन्ध लगाने के बारे में संकेत दिया है। यदि इस को कार्यान्वित किया जाता है तो देश में गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। वित्त मंत्री का कहना यह है कि वह ऐसी मुद्र स्फीति की स्थिति का मुकाबला करने हेतु कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में यह तर्क भी दिया गया है कि बचत द्वारा विकास को तेज करने तथा निर्यात को बढ़ाने के लिए भी ऐसा किया जा रहा है। मेरे विचार में यह बिल्कुल गलत है कि हम मजूरी पर रोक लगाकर मुद्रास्फिति का मुकाबला कर सकते हैं। सच यह है कि तीन पंचवर्षीय योजनाओं के बाद भी वास्तविक मजूरी में वृद्धि नहीं हुई है। परन्तु फिर भी देश में मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो गई है। शायद इस नीति से वित्त मंत्री मजदूरों की मजूरी में कटौती के द्वारा व्यापारियों के लाभ की दर को बढ़ाना चाहते है। मूल्यों में वृद्धि के कारण कर्मचारी मंहगाई में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। यह बात नहीं है कि अधिक मंहगाई के कारण मूल्यों में वृद्धि होती है। मुद्रास्फीति के लिए प्रत्यक्ष कर घाटे की अर्थ-व्यवस्था, गैर विकासकारी व्यय, मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। ऐसा लगता है कि सरकार इन बुराइयों की ओर ध्यान नहीं दे रही है।

सरकार की गलत आर्थिक नीति के कारण ही उत्पादन में कमी हो रही है। अतः सरकार को अपनी आर्थिक नीति में मूलभूत परिवर्तन करने होंगे अन्यथा किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति सम्भव नहीं है। तीसरी बात यह है कि हमारा निर्यात उत्साह वर्धक नहीं है। परन्तु इसके लिए मजदूरों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अवमूल्यन के कारण ही निर्यात में हमारी यह स्थिति हुई है। अतः इसके लिए मजदूरों को कठिनाई में डालने का कोई कारण नहीं है।

जहां तक सरकारी कर्मचारियों का सम्बन्ध है उनकी स्थिति बहुत ही खराब है। सरकारी कर्मचारी क्षुब्द हो रहे है क्योंकि उनको महँगाई के समान भत्ता नहीं दिया जा रहा है। परिणाम स्वरूप मूल्यों में वृद्धि के कारण उनका वास्तविक वेतन कम हो रहा है। सरकारी कर्मचारी गजेन्द्र गड़कर आयोग की सिफारिशों से भी संतुष्ट नहीं है क्योंकि उसने केवल 41 प्रतिशत मंहगाई के समान बता देने की सिफारिश की है। वित्त मंत्री ने सरकारी कर्मचारियों को मिलने के बारे में ठीक रवैया नहीं अपनाया है। वित्त मंत्री ने उनसे मिलने से इन्कार कर दिया है। इस प्रकार कोई समस्या हल नहीं हो सकती।

वित्त मंत्री के इस रवैये तथा अन्य बातों से यह पता चलता है कि सरकार ने मजूरी में वृद्धि पर रोक लगाने के बारे में निश्चय कर लिया है। सरकार ने अनेक वस्तुओं अर्थात सिमेंट, लोहा तथा इस्पात और सूती कपड़े पर से आंशिक रूप से नियंत्रण हटा लिया है। अब चीनी पर से नियंत्रण हटाने की बात कही जा रही है। इससे मूल्यों में और वृद्धि होगी। मैं बता देना चाहता हूँ कि यदि सरकार मूल्यों को बढ़ने से रोकने में असफल रही तो कर्मचारी अधिक मंहगाई भत्ता देने के लिए सरकार को बाध्य करने हेतु संघर्ष करने पर मजबूर हो जायेंगे।

सरकार ने सभी त्रिपक्षीय सम्मेलनों में महंगाई भत्ते को मूल्य सूचकांक से सम्बन्धित करने की बात को स्वीकार किया है। यदि सरकार इन निर्णयों को तुरन्त कार्यान्वित नहीं करती तो आगामी कुछ महीनों में समूचे देश में आन्दोलन हो जायेंगे।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि :

"इस सभा की राय है कि हाल ही हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में मजूरी वृद्धि पर प्रतिबन्ध लगाने की नीति के बारे में बहुमत से व्यक्त किया गया विचार लाखों औद्योगिक श्रमिकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए अहितकर है और यह सभा सरकार से सिफारिश करती है कि वह मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए और औद्योगिक श्रमिकों तथा वेतन पाने वाले कर्मचारियों के निर्वाह व्यय में हुई समूची वृद्धि को शत प्रतिशत बेअसर करने के लिए तुरन्त कार्यवाही करे।"

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : मैं संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करता हूँ।

सभापति महोदय : संकल्प तथा संशोधन विचार के लिए सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं।

श्री नन्दकुमार सोमानी (नागौर) : जैसा कि अभी कुछ समय पूर्व श्री मुकर्जी ने कहा कि सरकार की अदक्षता तथा कल्पनाहीन नीति के कारण ही देश में वर्तमान समस्याएं उत्पन्न हुई है।

मूल्यों में वृद्धि की समस्या पर मजूरी, लाभांश तथा मुनाफे पर रोक लगाने की समस्या से अलग से विचार नहीं किया जा सकता; क्योंकि यह सभी हमारे आर्थिक ढांचे के भिन्न भिन्न अंग है। सरकार उपयोगी नीतियों द्वारा मूल्यों में वृद्धि को रोक सकती है।

मूल्य तब तक कम नहीं हो सकते जब तक कि हमारा राष्ट्रीय उत्पादन हमारी वर्तमान उत्पादन क्षमता के अनुकूल नहीं हो जाता।

खाद्य तथा कृषि मंत्री ने कुछ मास पूर्व मुझे लिखा था कि वह जीव जन्तुओं द्वारा अनाज नष्ट किये जाने की समस्या की स्वयं जांच कर रहे हैं। परन्तु दो दिन पहले उप-मंत्री ने कहा है कि वह अभी तक इस बात का पता नहीं लगा सके कि इस प्रकार कितना अनाज नष्ट होता है।

गृह–मंत्री का कहना है कि यह समूचे देश में स्थिति को नियंत्रण में रखने का प्रयत्न कर रहे हैं।

एक ओर तो लोगों को निर्यात के लिए प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है परन्तु दूसरी ओर उनसे यह आशा की जाती है कि वे निर्यात को बढ़ावा देगे। मेरा निवेदन है कि सरकार को देश की सभी समस्याओं का हल निकालने का प्रयत्न करना चाहिए। मेरा सुझाव है कि खाद्य तथा उर्वरक पर दी जाने वाली राज्य सहायता को, वापिस ले लेना चाहिए और उस धन को विभिन्न राज्यों की सिंचाई की छोटी योजनाओं के लिए दिया जाना चाहिए। अधिक नल कूपों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

मेरे विचार में उत्पादन बढ़ाये बिना नकद मजूरी को बढ़ाना ठीक नहीं है। सरकार की गलत नीतियों के कारण मूल्यों में जो वृद्धि हो गई है उसको शत प्रतिशत निष्प्रभाव करने के लिए हम महंगाई भत्ते में वृद्धि नहीं कर सकते और न ही उद्योगों को कठिनाई में डाल सकते

हैं। किसी न किसी स्तर पर मजूरी तथा उत्पादन में सम्बन्ध बनाकर ही उत्पादन में लागत को कम किया जा सकता है।

आशा है कि सरकार समस्या के समूचे पहलू पर विचार कर आय कर नीति का वर्तमान आवश्यकताओं से ताल-मेल बैठाने का प्रयत्न करेगी। गजेन्द्रगड़कर आयोग ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि यदि सरकार अपनी कार्यवाही द्वारा यह सिद्ध करे कि वह मूल्यों पर नियंत्रण रखने के लिए गम्भीर है तो उसको कर्मचारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : हमारे पूरे देश की चिन्ता का विषय बढ़ते हुए मूल्यों की भयंकरता है और निरन्तर बढ़ोतरी के कारण वेतन भोगी वर्ग तो विशेष रूप से परेशान हैं। मूल्यों में वृद्धि के इस प्रश्न पर अलग से विचार नहीं किया जा सकता। इसके लिये एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। यह परमावश्यक है कि मूल्यों को स्थिर किया जाये : यदि हम मूल्यों को स्थिर करने में विफल रहते हैं तथा श्रमिकों और सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि पर रोक लगा देते हैं, तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। मैं समझता हूं कि सभा का कोई भी माननीय सदस्य इस बात से सहमत नहीं है कि मूल्यों को स्थिर किये बिना वेतन वृद्धि पर रोक लगाई जाये। अतः मुझे विश्वास है कि सरकार कोई ऐसा व्यापक कार्यक्रम करने का प्रयत्न कर रही है, जिससे बढ़ती हुई कीमतों की भयंकरता को रोका जा सके, अन्यथा जब मूल्यों में वृद्धि होगी तो वेतन में वृद्धि होगी और जब वेतन में वृद्धि होगी तो मूल्यों में वृद्धि होगी और यह चक्र चलता ही रहेगा। लोगों में अविश्वास की भावना पैदा होती जा रही है कि सरकार वास्तव में मूल्य वृद्धि को रोक सकेगी। अतः आगामी महीनों में जो भी कार्यवाही की जाये वह ऐसी होनी चाहिये कि जनता को विश्वास हो जाय कि सरकार मूल्य वृद्धि को रोक सकती है और उसे क्रियान्वित किया जाना चाहिये ताकि कम से कम अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ने से रोका जा सके।

मुझे यह देख कर आश्चर्य होता है कि देश के सब भागों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। अब हमारे समक्ष प्रश्न यह है कि जब मूल्य सूचकांक इतनी तेजी से बढ़ रहा है तो क्या हम मजदूरों की मजूरी वृद्धि पर रोक लगा सकते है। मैं समझता हूं ऐसा नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त इस समस्या पर विचार करते समय हमें देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी पर भी ध्यान देना होगा। योजना आयोग के अन्तिम अनुमानों के अनुसार देश में आज बेरोजगारों की संख्या एक करोड़ है, जिसमें से लगभग 70 लाख व्यक्ति ग्रामों में रहने वाले है और लगभग 25 लाख नगरवासी हैं। जहां तक शिक्षित लोगों की बेरोजगारी का सम्बन्ध है, लगभग 8 लाख मैट्रिक तथा इससे कुछ अधिक पढ़े लिखे एक लाख स्नातक और स्नातकोत्तर एवं 5000 से अधिक अभियन्ता स्नातक बेरोजगार है। जब ऐसी स्थिति है, तो यह स्वाभाविक है कि हम लोगों के लिये और अधिक रोजगार की व्यवस्था करना चाहते हैं। इसके साथ ही हम बढ़ते हुए मूल्यों पर भी रोक लगाना चाहते हैं। अतः यह आवश्यक है कि इस सम्बन्ध में अविलम्ब एक व्यापक नीति निर्धारित की जानी चाहिये।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि हमारे औद्योगिक क्षेत्र में मंदी आई हुई है। परन्तु मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं ; मैं समझता हूँ कि मंदी का जो इतना प्रचार किया गया है, वह केवल मिथ्या प्रचार है और इसके पीछे निहित हित छुपा हुआ है। संभवतः सरकार तथा देश

के लेखों पर दबाव डाल कर योजना, काले धन का पता लगाने के प्रयासों, गैर-सरकारी उद्योगों पर अधिक कर लगाने, बैंकों पर प्रस्तावित नियंत्रण को खत्म कराने तथा सामान्य बीमे और विदेशी व्यापार का राष्ट्रीयकरण की सम्पूर्ण योजना को विफल बनाने की एक पूर्व निर्धारित चाल है। कहा गया है कि सरकार की नई नीति के कारण बैंकों ने गैर सरकारी उद्योगों को ऋण देना कम कर दिया है, परन्तु आँकड़ों से यह कथन गलत सिद्ध होता है।

मेरा सुझाव यह है कि देश के प्रत्येक उद्योग में कर्मचारी परिषदें होनी चाहियें। इन परिषदों को लेखा देखने का अधिकार दिया जाना चाहिये। एक बार जब उन्हें विश्वास में ले लिया जायेगा तो वे मितव्ययता के लिये प्रयत्न करेंगी। लाभ की भी सीमा अवश्य निर्धारित की जानी चाहिये। गत 20 वर्षों में गैर सरकारी उद्योगों ने सरकार की नीति के कारण बहुत मुनाफा कमाया है और वे सरकारी क्षेत्र को दोष देते रहे हैं। इस वर्ष आर्थिक कठिनाइयों के कारण स्थिति में कुछ परिवर्तन होने से वे शोर मचा रहे हैं। अतः अब समय आ गया है कि सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों के उद्योगों में कर्मचारी परिषदें अवश्य होनी चाहिये। लाभ की मात्रा 5 प्रतिशत तक सीमित होनी चाहिये, जिससे कर्मचारियों को काम करने में अधिक से अधिक प्रोत्साहन मिल सके।

जहां तक इंजीनियरी उद्योग का सम्बन्ध हैं, उन्हें सरकार के आदेशों पर आश्रित हुए बिना अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयत्न करना चाहिये। उन्हें अपनी उत्पादन लागत को कम करना चाहिये, ताकि वे प्रतिस्पर्धा कर सकें और निर्यात बढ़ाने में सहायक हो सकें। उन्हें केवल आन्तरिक खपत पर निर्भर नहीं रहना चाहिये।

अतः वर्तमान स्थिति में सरकारी कर्मचारियों एवं श्रमिकों की वेतन वृद्धि पर रोक लगाकर हम इस समस्या का हल नहीं कर सकते, अपितु ऐसा करने से तो यह समस्या और उलझ जायेगी। हमें लाभ, मजूरी, लाभांश, उत्पादन लागत तथा अन्य सब बातों पर ध्यान देकर एक व्यापक नीति अपनानी चाहिये।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : दिल्ली के कई समाचार पत्रों में और विशेषतया 24 जुलाई के "टाइम्स ऑफ इण्डिया" में ऐसे समाचार प्रकाशित हुए हैं जिनसे पता चलता है कि सरकार मूल्यों को स्थिर करने का उद्देश्य प्राप्त करने हेतु एक व्यापक योजना बनाने की दिशा में सक्रिय रूप से विचार कर रही है जिसमें सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में मूल्यों और मजूरी के अनुशासन सम्बन्धी उपायों को समान रूप से लागू किया जाना शामिल है। जिन उपायों पर विचार किया जाना है उनमें सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के मंहगाई तथा अन्य भत्तों में वृद्धि को चालू वित्तीय वर्ष के अन्त अर्थात 31 मार्च, 1968 तक स्थगित करना भी शामिल है। यह भी कहा गया है कि उक्त योजना की रूप रेखा लगभग तैयार है और मंत्रिमंडल की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद इसे उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री द्वारा संसद के वर्तमान सत्र के अनिश्चित काल तक स्थगित किये जाने से पूर्व ही आगामी मास के मध्य तक संसद के समक्ष पेश कर दिया जायेगा। वित्त मंत्री महोदय या तो इस समाचार की पुष्टि करें या इसका खण्डन करें।

इस सभा में यह भी कहा गया है कि मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में अधिकांश मुख्य मंत्रियों ने वेतन वृद्धि पर रोक लगाने का सुझाव दिया है। परन्तु उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के बारे में

में अपनी व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर कहता हूं कि उन्होंने तो यह कहा था कि यदि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में वृद्धि की जाती है, तो यह स्वाभाविक है कि इसका प्रभाव राज्य सरकार के कर्मचारियों पर भी पड़ेगा। मैं इस बात के पक्ष में हूं कि मंहगाई भत्ते के सम्बन्ध में एक ही नगर में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों में कोई अन्तर नहीं होना चाहिये, क्योंकि उन्हें एक ही दर पर वस्तुयें खरीदनी पड़ती है। यह बात तर्क-संगत नहीं है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को आलू 50 पैसे प्रति किलो और उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को 25 पैसे प्रति किलो मिलेंगे। अतः उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने यह कहा था कि यदि केन्द्रीय सरकार अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि करती है, तो उसे भी अपने कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में वृद्धि करनी होगी। इसके लिये उन्होंने अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की मांग की थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मंहगाई भत्ते के बारे में राज्य सरकार के कर्मचारियों और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों में कोई अन्तर नहीं होना चाहिये, बहुत सी राज्य सरकारों ने और विशेष तया गैर कांग्रेसी राज्य सरकारों ने यह घोषणा कर दी है कि महंगाई भत्ते के मामले में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों में समानता होगी और इसके लिये वे सरकारें हमारी बधाई की पात्र हैं। अतः मुख्य मंत्रियों ने ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया कि वेतन वृद्धि पर रोक लगाई जाये।

हम गजेन्द्रगडकर आयोग के प्रतिवेदन से सहमत नहीं है क्योंकि इसमें केवल एक ही वर्ग के कर्मचारियों को, जिनका वेतन क्रम 70 रुपये से 109 रुपये है, अर्थात चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 90 प्रतिशत महंगाई को निष्प्रभावी करने के लिये महंगाई भत्ता देने की सिफारिश की गई है। इस आयोग ने तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों को, विशेषतया निम्न श्रेणी लिपिकों को जिनका वेतन क्रम 110 रुपये से 180 रुपये है, और जो सबसे अधिक संकट में है, 98 प्रतिशत मंहगाई को निष्प्रभावी करने के लिये मंहगाई भत्ता देने की सिफारिश नहीं की है। तीसरी श्रेणी के कर्मचारी हमारे प्रशासनिक ढांचे के आधार स्तम्भ हैं और सारा सरकारी काम उनके द्वारा किया जारहा है। हम चाहे जिस फाइल को देखें, हमें ज्ञात होगा कि उस फाइल पर प्रथम हस्ताक्षर किसी क्लर्क द्वारा ही किये गये हैं। तात्पर्य यह है कि सारा काम तीसरी श्रेणी के कर्मचारी वर्ग द्वारा किया जाता है। उर्दू भाषा में एक कहावत हैं कि अगर मुंशी की कलम से लिख दिया गया है तो नासूर बन कर खड़ा हो जायेगा। किसी आदमी को टालने की हिम्मत नहीं होगी। यदि एक फाइल पर क्लर्क कुछ लिख देता है, तो मंत्री महोदय भी उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। परन्तु इतने महत्वपूर्ण वर्ग को भी उचित मंहगाई भत्ता देने की सिफारिश नहीं की गई है, इसलिये हम इस प्रतिवेदन का विरोध करते हैं और एक नया पंचफैसला चाहते हैं। यह अन्याय की बात है कि मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने के बाद भी सरकार फरवरी, 1967 से 185 अंकों के आधार पर और जून 1967 से 195 अंकों के आधार पर मंहगाई भत्ता नहीं दे रही है। मंहगाई भत्ते की अदायगी की जानी चाहिये।

सरकार न तो मूल्य वृद्धि को रोकने में सफल हुई है और न हीं वह महंगाई भत्ता देना चाहती है। आज के समाचार पत्र में एक समाचार प्रकाशित हुआ है जिसमें कहा गया है कि सरकार का प्रस्ताव महंगाई भत्ता नकदी बांड़ों के रूप में देने का है। वे मजूरी में वृद्धि को रोकना चाहते है। यह एक बहुत अनुचित बात है और सरकारी कर्मचारी ही नहीं बल्कि गैर सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी भी इस सुझाव को मानने को तैयार नहीं है। मैं सरकार को सचेत

करना चाहता हूं कि यदि महंगाई भत्ता आयोग के प्रतिवेदन को स्वीकार नहीं किया गया तो कठिनाइयां उत्पन्न होंगी। ऐसा प्रतीत होता है कि महंगाई भत्ते की अदायगी के प्रश्न पर मंत्रि-मण्डल में मत भेद है, क्योंकि श्रम मंत्री ने कहा था कि वह वेतन वृद्धि पर रोक लगाने के विरूद्ध है और वित्त-मंत्री वेतन वृद्धि पर रोक लगाना चाहते हैं। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मैं सरकार को सचेत करना चाहता कि यदि मजूरी में वृद्धि को रोका गया और महंगाई भत्ते में वृद्धि नहीं की गई तो इसके बहुत गम्भीर परिणाम होगें। देश में आम हड़ताल होगी और इसे कोई नहीं रोक सकेगा। इसलिये मैं सरकार से अपील करता हूं कि ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने दी जानी चाहिये।

श्री गणेश (अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह): मजूरी की वृद्धि को रोकने का यह प्रस्ताव जिस पर वित्त मंत्री महोदय इस समय सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं, अवांछनीय है तथा इसके बहुत गम्भीर परिणाम होंगे, क्योंकि इसका प्रभाव भारतीय जनता के अत्यधिक संगठित वर्ग-सरकारी कर्मचारियों तथा श्रमिक वर्ग पर पड़ता है। जैसा कि आप को ज्ञात है, देश के सभी श्रमिक संगठन मजूरी पर रोक लगाने के विरूद्ध हैं। मजूरी पर नियंत्रण तब तक नहीं लगाया जाना चाहिये, जब तक आय और मूल्य के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार की नीति न अपनाई जाये। यह कहा गया है कि मूल्यों में वृद्धि हो रही है और भारतीय जनता की प्रमुख समस्या बढ़ी हुई कीमतें हैं। हम पहले भी मूल्य वृद्धि को रोकने में असफल रहे हैं और मैं समझता हूं कि हम चाहे जो उपाय करें भविष्य में भी हम मूल्य वृद्धि को नहीं रोक सकेंगे, क्योंकि मूल्य वृद्धि को रोकने के लिये एक बिलकुल भिन्न नीति अपनाने की आवश्यकता है।

हमें ज्ञात है कि भारत में मजूरी का स्तर निम्नतम है और कर्मचारियों को उचित वेतन भी नहीं दिया जा रहा है। देश के लगभग सभी कार्मिक संघों ने जीवन निर्वाह सूचकांक में हुई वृद्धि के बराबर महंगाई भत्ते में वृद्धि करने की मांग की है। यदि ऐसी स्थिति में मजूरी वृद्धि पर रोक लगाई गई, तो इसका अर्थ श्रमिकों और मध्यवर्ग के कर्मचारियों को भूखा मारने के बराबर होगा।

स्वतंत्र दल के प्रवक्ता ने कहा है कि मजूरी को उत्पादकता के साथ जोड़ा जाना चाहिये। परन्तु ऐसी व्यवस्था तो केवल उन्नत देशों में संभव है, जहां श्रमिकों को पर्याप्त मजूरी दी जाती है और ऐसा करना भारत में संभव नहीं है, जहां कर्मचारियों को अभी तक निम्नतम मजूरी दी जारही है, हालांकि उद्योगपति बहुत मुनाफा कमा रहे हैं।

हम इस बात में गर्व समझते है कि भारतीय मजदूर की मजदूरी तथा उसका महंगाई भत्ता जीवन निर्वाह सूचकांक के साथ जोड़ा गया है। परन्तु भारतीय मजदूर ने यह रियायत बहुत लम्बे संघर्ष के बाद प्राप्त की है। अब यदि मजूरी पर रोक लगाई गई तो इसका अर्थ होगा भारतीय श्रम विधियों में से उन सब प्रगतिवादी उपबन्धों का उन्मूलन किया जाना, जिन्हें बहुत संघर्ष के बाद जोड़ा गया है। मजूरी वृद्धि पर रोक लगाने के पक्ष में कहा गया है कि ब्रिटेन में भी मजूरी वृद्धि पर रोक लगाई गई थी, परन्तु ब्रिटेन की तुलना हम भारत से नहीं कर सकते। वहां श्रमिकों को पर्याप्त वेतन मिलता है और मजूरी पर रोक लगाने का प्रभाव उनके जीवन स्तर पर नहीं पड़ता। ब्रिटेन में भी मजूरी वृद्धि पर रोक लगाने की नीति का घोर विरोध किया गया था।

हमारे समक्ष मुद्रा स्फीति, खाद्यान्न की कमी तथा मंदी की समस्यायें है। ऐसी स्थिति में यदि मजूरी की वृद्धि पर रोक लगाई गई तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि देश की क्या स्थिति होगी। कर्मचारी वर्ग इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। यदि मजूरी पर रोक लगाई गई तो कर्मचारी वर्ग पर नियंत्रण रखना संभव नहीं होगा।

एक माननीय सदस्य ने कहा है कि सब बीमारियों का इलाज वर्षा है। उनकी दृष्टि में तो सब बीमारियों का इलाज यह है कि हम बीकारो कारखाने को बन्द करदें, सरकारी क्षेत्र को घटा दें तथा सब विकास योजनाओं को समाप्त करदें और विदेशी पूंजी को खुली छूट दें दें। मैं समझता हूं कि यह वैकल्पिक नीति सफल सिद्ध नहीं हो सकती। यदि कोई वैकल्पिक नीति सफल सिद्ध हो सकती है तो वह यह है कि उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन सरकारी क्षेत्र में किया जाये, जिससे उपभोक्ता वस्तुयें सस्ते दामों पर उपलब्ध हो सकें। कम से कम बुनियादी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण होना चाहिये। बैंक, आयात-निर्यात व्यापार तथा सामान्य बीमें का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये।

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : नक्सलबाड़ी की स्थिति अति शोचनीय है। वह क्षेत्र सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। वहां स्थिति इतनी गम्भीर हो गई है कि लोग सन्देह करने लगे हैं कि वहां प्रजातन्त्र तथा स्थायी सरकार टिक भी सकेगी अथवा नहीं। परन्तु इस से भी शोचनीय स्थिति है बढ़ती हुई कीमतों की। जब तक अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के चक्र को नहीं रोका जाता, तब तक मजूरी में वृद्धि को रोकने की बात बिल्कुल असंभव और अनुपयुक्त है। ऐसा करना वास्तव में जले पर नमक छिड़कना है और सरकारी विभागों तथा औद्योगिक क्षेत्र के कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के प्रति बड़ा अन्याय है। हम मजूरी वृद्धि पर रोक लगाने का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वास्तव में वास्तविक मजूरी कम हो गई है, हालांकि नकद मजूरी में वृद्धि हुई है। वास्तव में कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को अब इतना वेतन नहीं मिलता है, जितना उन्हें वर्ष 1947 में मिलता था। एक सरकारी कर्मचारी का न्यूनतम वेतन 55 रुपये होता था और अब उसे 123 अथवा 117 रुपये मिलते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि उसके वेतन में शत प्रतिशत से कुछ अधिक वृद्धि हुई है, जब कि जीवन निर्वाह सूचकांक 100 से 299 हो गया है। इसका अर्थ यह हुआ वेतन में मंहगाई की अपेक्षा कम वृद्धि हुई है। यद्यपि मूल्य सूचकांक तीन गुना बढ़ गया है, परन्तु वेतन में वृद्धि 100 प्रतिशत अथवा इससे कुछ अधिक हुई है और इसके परिणामस्वरूप कम वेतन पाने वाले कर्मचारी कठिनाई में हैं।

इन दिनों कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों का बुरा हाल है। उन्हें अपने परिवार का भरणपोषण करना होता है, बच्चों की शिक्षा का प्रबन्ध करना होता है तथा डाक्टर के बिल की अदायगी करनी होती है परन्तु उन्हें वेतन बहुत कम मिलता है। वास्तव में ये भुखमरी की हालत में हैं। उनके लिये जीवन निर्वाह करना कठिन हो गया है। मूल्य में वृद्धि का चक्र चलते रहने के कारण यह बिल्कुल अनिवार्य है कि कम से कम गजेन्द्र गडकर आयोग के प्रतिवेदन की सिफारिशों को तुरन्त कार्यान्वित किया जाये। हालांकि सभी वर्ग के कर्मचारियों को मंहगाई के बराबर मंहगाई भत्ता देना संभव नहीं है, फिर भी वास्तविक मजूरी और नकद मजूरी में कोई सम्बन्ध अवश्य होना चाहिये।

पहले मूल्यों की वृद्धि पर रोक लगाई जानी चाहिये तथा उसके बाद मजूरी वृद्धि पर रोक

लगाई जानी चाहिये जब तक आप काले धन पर नियन्त्रण नहीं कर पाते तथा पूंजीपतियों के इशारे पर बैंकों द्वारा धन दिये जाने की प्रथा को नहीं रोक पाते, तब तक वेतन वृद्धि पर रोक लगाने की बात बिल्कुल अन्यायपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the chair*

न्यायाधीश गजेन्द्रगडकर ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जब तक मूल्यों को स्थिर नहीं किया जाता, तब तक मजूरी वृद्धि पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिये। अतः मजूरी पर रोक लगाने से पहले हमें मूल्य को स्थिर करना चाहिये, अन्यथा ऐसा करना अन्यायपूर्ण एवं अमानवीय होगा।

यह सच है कि ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री मिस्टर विलसन द्वारा ब्रिटेन में वेतन वृद्धि पर रोक लगाई गई थी, परन्तु भारत की परिस्थितियों की तुलना ब्रिटेन की परिस्थितियों से नहीं की जा सकती वहां नकद मजूरी और वास्तविक मजूरी में कोई अन्तर नहीं है उन का स्तर हमारे से सर्वथा भिन्न है तथा वहां मजूरी को रोकने का कुछ अर्थ हो सकता है, परन्तु हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल अलग होना चाहिये।

सरकार को मंहगाई भत्ते के प्रश्न को उचित ढंग से हल करना चाहिये तथा इसके बारे में कोई असहानुभूति पूर्ण रवैया नहीं अपनाना चाहिये। सरकारी कर्मचारियों की मांगें अनुचित नहीं है। वे तो केवल यही कहते है कि उन्हें वही वस्तुऐं दी जायें, जो उन्हें स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व प्राप्त थी। मूल्य बहुत बढ़ गये हैं। आप उन पर नियन्त्रण नहीं कर सके हैं। यह एक मानवीय समस्या है। यह प्रश्न उन्हें खुश करने का नहीं है, अपितु उनकी निम्नतम आवश्यकता की पूर्ति करने का है। अतः मैं आशा करता हूं कि माननीय वित्त मन्त्री हमें यह आश्वासन देंगे कि गजेन्द्रगडकर आयोग के प्रतिवेदन को क्रियान्वित किया जायेगा और मंहगाई के बराबर 90 प्रतिशत मंहगाई भत्ता न केवल 109 रुपये प्रतिमास तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को अपितु 180 रुपये तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को दिया जायेगा।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : I support this resolution. It is difficult to imagine how the low paid employees and workers are making their both ends meet in these hard days. I, therefore, request the Government to make arrangements to provide basic necessities to the public viz. food, clothing and shelter. The life of the people in this country is short because of under-nutrition. and mal-netrition There is no protein in the food, they get. In fact this rasolution should have been more compre hensive so as to cover persons from all walks of life. Military personnel should have been included in it. They get meagre pay but also they always run risk of their lives. In view of this they should get handsome pay, After all it is they who have to safeguard the country from any aggression. This should be given priority.

The second thing is that teachers are Nation builders. I want to say that their condition is critical. They do not have any other sources of income. I, therefore, suggest their salaries should be increased.

The third thing is that the work of Harijans working as sevengers is that of low standard. Their pay is very meagre keeping in view the hard work done by them. I. therefore, request that due attention should be paid towards them.

85 per cent of the people living in the villages belong to labour class non-agriculurist class Government should take care of them otherwise there will be more instances like Naxalbari.

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : It is dangerious to talk of wage freeze and it is against the interest of society. But I would say that in capitalist economy the wage freeze, in its broad terms, always exists. The labour class tries to get full share of its produce but they are unable to do so. When the prices go up and wage freeze is implemented, the salaries come down. The efforts of wage-freeze have never been successful throughout the world and we are astonished to see that now the same efforts are being made in India. We have passed several resolutions for the welfare of labourers and we want to establish socialistic pattern of society. The formula of wage freeze has no relation with socialistic pattern of society. This is nothing but a reactionary talk I want to say that the salaries of working class should be increased in accordance with the cost of living index so that the effort of dearness is neutralised. The Government should see that their living standard does not come down. Government should, therefore, accept the recommendations of Gajendragadkar Commission immediately.

I would again say that the people would oppose the more of wage freeze tooth and nail. There will be strikes and Gheraos to oppose it.

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा (खम्मम) : मेरा सम्बन्ध औद्योगिक क्षेत्र से है। वहां के हजारों कर्मचारी कोयला मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित कराने के लिये कई बार लिख चुके हैं। एक ओर तो हम मजूरी पर रोक लगाने के समाचार पढ़ते है, दूसरी ओर यह कहा जाता है कि सरकार कर्मचारियों की सेवा की शर्तों में सुधार करने के लिये सहानुभूतिपूर्ण ढंग से विचार कर रही है। परन्तु यह भय दूर किया जाना चाहिये। मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय अपने उत्तर में इस भय को दूर करेंगे।

मूल्यों में वृद्धि तथा क्रय-शक्ति की कमी के कारण सरकारी कर्मचारियों तथा मजदूरी अर्जित करने वालों को बड़ी कठिन स्थिति का सामाना करना पड़ता है। इसलिये मूल्यों की वृद्धि को रोकना एकदम अनिवार्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये सरकार द्वारा अपनाये गये वित्तीय उपायों के साथ साथ समाज में अनुशासित आर्थिक कार्यवाही भी की जानी चाहिये। मूल्यों में स्थिरता लाने के लिये उपभोक्ताओं को सस्ते मूल्यों की दुकानों पर वितरण का काम स्वयं सम्भालना होगा। सरकार को इस प्रकार के कार्यों के लिये सहायता देनी चाहिये।

मूल्यों में वृद्धि के कारण कर्मचारियों द्वारा मंहगाई भत्ते में वृद्धि की मांग न्यायसंगत है। परन्तु मंहगाई भत्ते की घोषणा से पहले ही मूल्यों में और भी वृद्धि हो जाती है। इसलिये मंहगाई भत्ते में वृद्धि से कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं पहुंचता। इस दुष्चक्र को समाप्त करना चाहिये। अनिवार्य वस्तुओं का समय पर और कुशल वितरण सुनिश्चित करने के लिये कर्मचारियों को स्वयं इस प्रकार की योजनाओं में भाग लेना चाहिये। मंहगाई भत्ते पर खर्च किये जाने वाला धन को मूल्यों की वृद्धि को रोकने के लिये की जाने वाली गतिविधियों की सहायता के रूप में खर्च किया जा सकता है। इसके लिये एक अच्छी योजना, लोगों के सहयोग और कठिन परिश्रम की आवश्यकता है। आर्थिक गतिविधि से सम्बन्धित कार्यों में किसी प्रकार का विरोध नहीं होना चाहिये। हमारा उद्देश्य मूल्यों में वृद्धि को रोकना होना चाहिये।

Shri Hardyal Devgun (East Delhi) : I opposo the move of wage freeze on my own behalf and on behalf of my party. It will be extremely unjustified to implement this suggestion. We had carried out a survey in Delhi and we had found that there are 10 to 12 lakh persons in Delhi whose income does not exceed Rs. 125 per month and their plight is miserable. But middle class is more adversely affected.

A clerk of Delhi, getting rupees five hundred immitates than in his standard of living. Now he is in such a position that he can not afford to provide clothes for his children.

You will be surprised to know that the wool costing five rupees per pound at Bombay port and on which no excise duty is paid, is being sold in Delhi between twenty five to fifty rupees per pound. In those circumstances is not possible for the poor and the middle class people to purchase it.

If you compare the wages of to-day with that of 1947, you will find that the workers are very low paid to-day.

If the Government is realy worried about the economy of the country, it should reduce its expenditure. Today, we are having fifty two or fifty three Ministers. Unlimited amount is being spent on every Minister. You shold try to stable the economy of the country.

While presenting the budget, the Finance Minister made a reference about our economy, but he did not suggest any remedy for unproving our economy The Government should try to control the prices. Until this is done wage freeze is most unjustified. You should compare today's prices with that of 1938 and then fix the wages accordingly. Seventy per cent of the middle class people in Delhi are in debt. They are not able to make their two ends meet. I think that instead of wage freez you should consider this question from the very beginning.

श्री कन्डप्पन (मेटूर) हमें बताया जाना चाहिए कि विकसित अर्थ व्यवस्था में मुद्रास्फिति का होना आवश्यक है। एक या दो देशों को छोड़कर इस प्रकार की मुद्रास्फिति विकसित देशों के इतिहास में पहले कभी सुनने में नहीं आई।

देश में मूल्य सूचकांक दिन प्रति दिन बढ़ रहा है। उसको रोकने के लिये कोई प्रयत्न नहीं किये जाते। वास्तव में स्वतन्त्रता के बाद, इन बीस वर्षों में इसे रोकने में सरकार असमर्थ रही है। ऐसी स्थिति में मजूरी स्थिर करने की बात करना आश्चर्यजनक है।

संगीत नाटक अकादमी और साहित्य अकादमी

SANGEET NATAK AKADEMI AND SAHITYA AKADEMI

Dr. Ram Manohar Lohia (Kannauj) : There are different short of akademis and councils, but I will talk particularly about two-Sangeet Akademi and Sahitya Akademi.

It is very interesting to study about Sava a Akademi an, Stockholm. Similarly, it is interesting to read about akademi of France.

The following five names have been sent to the Sahitya Akademi by the Government of India.

---

* आधे घण्टे की चर्चा

* Half an Hour Discussion.

Dr. Triguna Sen : Shri M. C. Chagla, Shri C. . Deshmukh, Shri K. K. Shah and Dr. B. V. Keskar. Those persons whose names have been recommended for the Sangeet Natak Akademi are : Shri K. P. S. Menon, Dr. V. K Narayana Menon, Shri A. K. Chanda, Dr. V. S. Jha and Shri Balaraj Sahani. Out of them except one person, all others are neither associated with literature nor with music or art.

Bureaucracy has come to such extent that our social and cultural institutions have also come under them. It appears as if culture, literature, art and music are in the grip of the Government. A Review Committee for reviewing the three akademis was appointed in 1964. The Committee which reviewed the working of the akademi's was also of the view that these akademis were dominated by the Government. The Committee has suggested in its report that five to ten fellows may be enroled in these akademies so that there may not be any need of these Ministers and bureaucrats and these akademis may work independently.

It has also been mentioned in the report that "Moreover, the presence of ministers and other high dignitaries has the effect of inhibiting free and full discussion, and therefore, limits the fullness and value of the advice which these organistations can tender to the Government."

It has been mentioned in the report that before the preparation of the report, the persons preparing it should be taken in view because the copy of the report might be sent to some foreign countries. Artists like Bismillah Khan and Shambhoo Maharaj should have been given a place in these akademis.

If we want to improve the conditions of akademis in our country we would have to consider about the funds etc. again. The Government should not be allowed to control the akademis merely because it gives financial assistance to them. According to the report of the Ministry of Education, 1964, appropriate and honest persons should have control upon these akademies. The House should also take interest in it and should find out some way to improve their condition.

श्री स० कुण्डू :—(बलासौर) परिवर्तनशील समाज में कला, संस्कृति तथा संगीत के लिये निदेश दिये जाने की आवश्यकता है । हम चाहते हैं कि वह सच्चा, सोद्देश्य, सद्भाव पूर्ण और लोगों की भावना को व्यक्त करने वाला होना चाहिये । इस पर केवल कुछ लोगों का ही अधिकार नहीं होना चाहिये और ना ही भारत की तरह यह केवल दिखावट की ही वस्तु होना चाहिये । भारत को स्वतन्त्र हुए बीस वर्ष हो गये हैं, मैं इस संदर्भ मे यह जानना चाहता हूं कि कला, संगीत और साहित्य को यह नये निदेश देने की दशा में सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये हैं ?

Shri Tulsidas Jadhav (Baramati) : May I know whether some plays are arranged in every province on all India basis ? I also want to know whether any steps have been taken to encourage staging of dramas and if so the amount spent thereon ?

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : हमारे देश में कला और संस्कृति की स्थिति बहुत शोचनीय है । क्या मंत्री महोदय सभा को यह आश्वासन देंगे कि वह देश की कला और साहित्य के क्षेत्र में फैले वर्तमान क्षोभ को दूर करने के लिये आनन्द कुमार स्वामी के पथ प्रदर्शक कार्य लाभ उठायेंगे ?

Shri Rabi Ray (Puri) : I want to know when the report of the Review Committee will be implemented ?

Shri Randhir Singh (Rohtak) : I want to know the steps Government propose to take to see that these Akademis attain the standards of Swadish and French Academics ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) ; डा० लोहिया ने अकादमियों के विकास के सम्बन्ध में बहुत कम सुझाव दिये हैं । उन्होंने महान व्यक्तियों का उल्लेख अधिक किया है । संविधान के अनुसार साहित्य अकादमी में विभिन्न राज्यों, विश्वविद्यालयों तथा व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा चुने गये 73 सदस्य हैं । माननीय सदस्य ने इनके सम्बन्ध में कुछ भी उल्लेख नहीं किया है और केवल नामजद सदस्यों की ही आलोचना की है । इसी प्रकार दोनों सदस्यों ने नाटक अकादमी के सम्बन्ध में चर्चा करते समय विभिन्न राज्यों और व्यावसायिक निकायों के 47 सदस्यों के नामों या उनकी योग्यताओं का उल्लेख नहीं किया है, परन्तु सरकार द्वारा नामजद इन्ही पांच सदस्यों का उल्लेख किया है । मुझे आशा थी कि वे कुछ ठोस सुझाव देंगे ।

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : Dr. V. K. N. Menon has got this honour with his own efforts. He is a great scholar of Karnatak and it is why he has got this honour. Balraj Sahani is a famous cinema actor V. S. Jha is not a Government servant. He has been a member of the Education Commission sometime before and before that he has been the Vice-Chancellor of Banaras University. So according to Dr. Ram Manohar Lohia, they may not be important persons, but for the country they are well reputed persons. Besides, we must remember that the Akademi has 73 members of which only five are nominated by the Government. Fifteen members are representatives of the State Governments, thirteen represent the Universities and eight are famous scholars who have contributed a great deal in the realm of music.

We have nominated only five persons. There are representatives of all school of music and Art in the Sahitya Akademi and Sangeet Natak Akademi. I will give you an example. The drama 'Andha' was staged under the aucpicious of Sangeet Natak Akademi. It was appreciated not only in our own country, but in other countries also. It is a matter of proud for our county.

The critism of Akademis is baseless.

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार, 31 जुलाई, 1967/9 श्रावण, 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok-Sabha then adjourned till eleven of the clock on Monday, July 31, 1967/ Sravan 9, 1889 (Saka)